(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक 5) षष्टम् विधान सभा के पंचम सत्र का 26 वां दिवस (संख्या 19

शुक्रवार

दिनांक 23 मार्च, 1979

विधान सभा की बैठक म.पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री लक्ष्मण सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

आपत्ति

श्री जय प्रकाश नारायण के निधन की गलत सूचना

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : हमने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है, अध्यक्ष महोदय ...

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, इस तरह राजस्थान सरकार ने....

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : इसको राजनैतिक प्रश्न मत बनाइये ।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : कोई भी कार्यवाही नहीं चलनी चाहिये । सवाल यह नहीं था ।

(व्यवधान)

सवाल यह था कि मुख्य मन्त्री महोदय, सदन के नेता ने यह बात मान ली थी कि उनकी मृत्यु हो गई है और कह दिया........

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : जब गलत सूचना दी तो इन्होंने माफी क्यों नहीं मांग ली ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया एक मिनट के लिये मुझे बोलने दीजिये । माननीय सदस्य, कल जो कुछ हुआ वह इस सदन में ही केवल मात्र नहीं हुआ । लोकसभा में भी हुआ ।

Page No. 2

(2)

श्री मूलचन्द डागा : वहां यह स्वीकार किया गया है। लोक सभा में स्पीकर ने एडजोर्नमेंट मोशन.......

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जो कुछ हुआ इसके लिये मुझे खेद है।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : एडजोर्नमेंट मोशन को आप स्वीकार कर लीजिये ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय को सुन लीजिये।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत) : प्रधान मंत्री ने....

(व्यवधान)

उन्होंने अपनी मूर्खता का परिचय दिया है और पार्लियामेंट में....

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी (मन्त्री, संसदीय कार्य) : मेरी भी सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री प्रद्युम्नसिंह, हमारे प्रधान मन्त्री तक ने राष्ट्र के प्रति लोक सभा में खेद व्यक्त किया, अनक्वालिफाइड अपालाजी की। सरकारी पक्ष की बात सुनें.......

श्री रघुनाथ विश्नोई : इतनी देर से क्यों ? यह बात तो उस वक्त माननी चाहिये थी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप जोश प्रकट कर रहे हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : प्रधान मंत्री जी को सूचना दी और वह भी इंटैलीजेंस के आदमी ने........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री नूरा। माननीय सदस्य, मुझे आश्चर्य है कि शासन पक्ष के होकर आप खड़े होवें। माननीय सदस्य, मेरी एक बात तो सुनें, कृपया। जो भी हुआ वह खेदजनक है, यह मैं मानता हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप किस लिये मान रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह मिस्टेक है, गलती है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : गलती भी महसूस नहीं की गई है।

श्री मूलचन्द डागा : सवाल यह नहीं है। मंत्री महोदय ने यह कहा........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकारी उत्तर तो सुन लें।

आपको आक्रोश होने के बावजूद कुछ सुनें तो सही।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : कल मुख्य मंत्री महोदय ने कहा कि पुनः प्राण संचार हो गया है। यह शब्द हैं........

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : कल ही उनको माफी मांगनी चाहिए थी।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि कल की सारी कार्यवाही को एक्सपन्ज किया जाय।

श्री मूलचन्द डागा : उन्होंने कहा है कि पुनः प्राण संचार हो गये हैं, यह शब्द हैं।

(व्यवधान)

श्री वृद्धिचन्द जैन : मृत्यु हो गई और मरने के बाद में पुनः प्राण संचार हुआ। यह मुख्य मंत्री जी ने कहा है। यह उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है........

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सरकार की गलती के कारण आपके सामने यह स्थिति पैदा हो गई है........

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय अध्यक्ष जी, मन्त्रिमण्डल की भर्त्सना की जाय और कल की प्रासीडिंग्स को एक्सपन्ज किया जाय। वह माफी मांगें। मुख्य मंत्री को तलब किया जाय और सदन में माफी मंगवाई जाय।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : इतनी बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए........

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : माफी मांगें....

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : सूर्यनारायणजी, बेकार के लिए आप खड़े हो जाते हो।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, आपकी कोई गलती नहीं है। गलती तो मुख्य मंत्री की है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है।

आप सरकार के दो शब्द सुनें। उसके बाद मेरे दो शब्द सुनें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपको सुनेंगे।

श्री श्योपत सिंह मकासर (हनुमानगढ़) : यह सरकार सुनने लायक नहीं है। इन्होंने

(श्री श्योपतसिंह मकासर)
सारी दुनियां में हमारे देश की नाक कटवा दी ।

श्री मूलचन्द डागा : मरने के बाद पुनर्जीवित हो गये, यह कहा है ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप की बात सुनेंगे ।

श्री मूलचन्द डागा : आप इस पर विचार करें कि किसी आदमी की मृत्यु होने के बाद पुनः प्राण संचार हो रहे हैं । यह स्टेटमेंट दे दिया मुख्य मंत्री ने । उन्होंने यह बात कह दी कि जयप्रकाश बाबू में प्राण पुनः आ गये ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इनका कोई स्टेटमेंट नहीं होगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं .....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अब्दुल अजीज जी, कृपया स्थान ग्रहण करें । माननीय सदस्यों की भावनाओं और आपत्ति के प्रति मेरी बहुत हद तक सहानुभूति है । अब जो गलती हुई, वह हुई ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : कितनी बड़ी ?

श्री मूलचन्द डागा : उनको माफ नहीं करेंगे ।

श्री वृद्धिचन्द जैन : कल मुख्य मंत्री ने माफी नहीं मांगी ।

श्री अध्यक्ष : मनुष्य से ही गलती होती है........

श्री श्योपत सिंह मकासर : इन लोगों को माफ नहीं करना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : जो गलत सूचना मिली है उसके लिए सरकार की ओर से मैं करबद्ध क्षमा-याचना करता हूं ।

कई माननीय सदस्य : आप नहीं माननीय अध्यक्ष ।

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मकासर : कोई दूसरा मन्त्री माफी नहीं मांग सकता है । मुख्य मंत्री को माफी मांगनी चाहिए । हम आपको नहीं सुनना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : (भीलवाड़ा) गलती यह स्वयं कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री नूरा (मसूदा) : आप लोग झूठ बोलने वाले हैं.......

(व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह सांखला (अजमेर पश्चिम) : डागा साहब गलती कर रहे हैं.......

(व्यवधान)

श्री वृद्धिचन्द जैन : कोई गलती हम नहीं कर रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री नूरा : आप सरासर झूंठ बोलते हैं....

श्री मूलचन्द डागा : आप लोगों को शर्म नहीं आती है....

श्री हरचन्दसिंह (पीलीबंगा) : आप लोगों को शर्म आनी चाहिए....

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : इनको शर्म भी नहीं आती है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : दुनिया में हमारी बेइज्जती कराई है। बड़ा भारी अपमान कराया है।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : आपकी पार्टी ने उनके साथ में क्या क्या किया है ?

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : आपने पार्टी मीटिंग बुलाई है ?

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : यह गलती हुई, इसमें दो राय नहीं। लेकिन जिन्होंने उनके जीवन से खिलवाड़ किया है।

(व्यवधान)

तुमने उनको बीमार किया है। तुमने उनके गलत इन्जेक्शन लगाये हैं।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : बड़े शर्म की बात है। इण्टेलीजेंस गलत सूचना दी है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री अब्दुल अजीज : क्या आपके पास में मशीनरी नहीं है ?

(व्यवधान)

आपने गलत सूचना दी है। आपको शर्म आनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : सवाल यह नहीं है। सवाल यह था, जनता पार्टी ने कल अपनी मीटिंग करके अनकण्डीशनल अपालाजी मांगी है क्या ?

(व्यवधान)

आपने कोई मीटिंग की है। कोई माफी मांगी है ?

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : आप बैठ जाइये। बैठ जाइये।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : कृपया मेरी बात तो सुन लें।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : कल इनकी मीटिंग हुई। उसमें सुन्दर सिंह भण्डारी आये। उन्होंने मीटिंग में यह कहा कि हमसे गलती हुई है।

(व्यवधान)

श्री वृद्धि चन्द जैन : कल भी रेडियो पर आया। मुख्य मंत्री जी ने माफी नहीं मांगी।

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) : जीरो आवर में ......

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी तरफ से, राज्य सरकार की ओर से, पूरे मन्त्रिमण्डल की ओर से एवं सदन के नेता की ओर से, कल सदन में लोकनायक के निधन की गलत सूचना दिये जाने के सम्बन्ध में सदन, प्रदेश एवं देश से अनक्वालिफाइड अपालाजी टेण्डर करता हूं।

श्री नूरा : आपके पास सूचना कैसी आयी।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : एक दो शब्द कहना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री एच० एन० शर्मा (वेंगू) : कामरेड आप तो हमारे साथी हैं। आप बैठिये।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : तीन करोड़ जनता तुम्हारे पर हंसती है। तुम्हारे ऊपर थूकती है। हमने बड़ी भारी गलती की है। आपको गरदन नीची करनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : तुमने उनको काल कोठरी में डाला है। तब नैतिकता याद नहीं आई।

श्री नूरा : बड़ा अच्छा बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मूलचन्द डागा : यह कैसे इन्फार्मेशन आयी? अखबारों में आया नहीं। रेडियो पर आया नहीं।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : आप चुप हो जायें तो सब कुछ बताता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : बताइये।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : हम सरकार की तरफ से बिल्कुल अनक्वालिफाइड अपालाजी मांग रहे हैं। जिस सरकम्सटांसेज में न्यूज इश्यू की गई, 1 बजकर 10 मिनट पर लोकसभा के अध्यक्ष महोदय ने लोकसभा में इसे प्रसारित किया। उसके बाद श्रद्धांजली की जो परम्परा है, वह प्रारम्भ हुई। हमको टेलीफोन द्वारा सूचना मिली। हमने आपस में विचार-विमर्श किया और विचार-विमर्श करने के बाद मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि विरोधी-दल के माननीय नेता घर पर मौजूद थे। रेडियो पर यह समाचार आया तो सारा का सारा समाचार उन्होंने सुना। इसके अन्दर मैं यह मानता हूं कहीं न कहीं बहुत बड़ी गलती हुई है, उसके लिए प्रधान मन्त्री महोदय ने क्षमा मांगी है, मैं क्षमा मांगता हूं, मैं पुनः क्षमा मांगता हूं। मैं यह चाहता हूं कि गलत सूचना के लिए.......

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : What was the source which gave you the information ?

आपको सूचना कैसे मिली ?

श्री किशनसिंह भाटी : सूर्यनारायण जी ने अपनी मर्जी से यहां कैसे अनाउन्समेन्ट किया जे. पी. की मृत्यु के बारे में ?

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : रेडियो से न्यूज सुनने के पश्चात् जब यह सूचना हमारे पास आई, डी.पी.आर. ने कहा कि यह दुखद समाचार है, मेरी ड्यूटी थी इसलिए मैंने कन्वे किया और लिखकर भेजा कि इस समाचार को हमारे दल के नेता........

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : मन्जूर करना चाहिए था आपको उसी वक्त........

(व्यवधान)

श्री वृद्धिचन्द जैन : आपको कोशिश करनी चाहिए थी........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य,

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : सुनिये, एक मिनट बात सुन लीजिये।

(व्यवधान)

मैं कहता हूं, मेरी बात सुन लीजिये

कल की पी.टी.आई. की फ्लेश मैं आपको बता रहा हूं।

"New Delhi–March 22 (P.T.I.)

Jayaprakash Narain Dead. Parliament Informed."

1 बजकर 24 मिनट की न्यूज है।

(व्यवधान)

श्री वृद्धिचन्द जैन : आपकी सरकार अयोग्य है।

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य गलत समाचार के लिए विचलित हैं या वे जिन्दा क्यों हैं, किस बात के लिए विचलित हैं आप ?

(व्यवधान)

श्री नूरा : उत्तेजित कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं और........

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मेरी पेशन्स भी एग्जास्ट हो गई, अब आप कहें तो सदन की कार्यवाही स्थगित कर दूं ।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्तसिर अर्ज कर दूं ।

श्री अध्यक्ष : अब, माननीय सदस्य, मैं नहीं बैठूंगा, मैं खड़ा हूं । अगर आप आसन का इस तरह से अपमान करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है । मैं भी समझूंगा कि मेरा सम्मान क्या है और मेरी लिमिटेशन क्या है ? माननीय सदस्यगण, सरकार ने जिन शब्दों में माफी मांगी है, मैं आपसे करबद्ध माफी मांगता हूं और इसके उपरान्त सभ्य समाज में तो कोई बाकी कसर नहीं रह जाती है । जो कुछ भी हुआ वह हुआ, और मनुष्य से ही गलती होती है, अब हो गई । अब प्रश्न आपकी अनुमति और सहयोग से ही मैं प्रारम्भ कर सकता हूं ।

एक माननीय सदस्य : करिये ।

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री ईश्वरचन्द्र ।

पर्यटन विभाग द्वारा आमेर के विकास की योजना

446. **श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा)** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पर्यटन विभाग द्वारा आमेर के विकास की कोई नई योजना बनाई जा रही है अथवा नहीं ? यदि हां, तो उसका आरम्भ कब तक किया जायेगा ?

(2) आमेर पर्यटकों की दृष्टि में अधिकाधिक आकर्षित बने इसके लिए क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से भी कोई योगदान लेने का प्रयास किया है ? यदि हां, तो राज्य सरकार को इसमें कहां तक सफलता मिली ?

राज्य मन्त्री, पर्यटन (श्रीमती विद्या पाठक) : (1) जी हां । किन्तु यह योजना राजस्थान पर्यटन विकास निगम के कार्यक्षेत्र में आती है और निगम द्वारा ही इस पर विचार किया जायेगा । अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है ।

(2) जी हां । केन्द्र सरकार ने नाहरगढ़ से जयगढ़ (आमेर) तक की सड़क निर्माण हेतु 4·84 लाख रुपये दिये थे । एक करोड़ रुपये की एक अन्य योजना केन्द्र सरकार में विचार हेतु भेजी हुई है ।

श्री गोविन्दसिंह शक्तावत (कुम्भलगढ़) : क्या आमेर के अलावा भी राजस्थान में किन्हीं स्थानों पर विकास की दृष्टि से सर्वे कराया गया है ?

श्री अध्यक्ष : पहले प्रश्नकर्त्ता, श्री ईश्वर चन्द्र ।

श्री ईश्वरचन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो यह बताया गया कि एक करोड़ की योजना भेजी गई है केन्द्रीय सरकार को, यहां पर पुरुषोत्तम कौशिक, पर्यटन, राज्य मंत्री केन्द्रीय सरकार, आये थे और उन्होंने आश्वासन दिया है। आप यह बताइये कि आपकी योजना क्या है, किस प्रकार से आप आमेर को डवलप करना चाहते हैं ? जब तक आप डिटेल्स नहीं देंगे, इससे कुछ मालूम नहीं होता है ।

श्री गोविन्दसिंह शक्तावत : क्या हल्दीघाटी के विकास की भी कोई योजना है ?

श्रीमती विद्या पाठक : केन्द्रीय सरकार को एक करोड़ की योजना प्रस्तावित की गई है, इसमें आमेर को पर्यटन की दृष्टि से टूरिज्म काम्पलेक्स में डवलप करने की योजना है, इसमें आवासीय योजना, आमेर के स्मारकों और मन्दिरों का विकास, बाग बगीचों की देखभाल, पेन्टिंग आदि की सुरक्षा, लोक कला और संस्कृति के उत्थान के लिए, इन सबके लिए एक करोड़ की योजना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ।

श्री मूलचन्द डागा : यह योजना कब पेश की ?

श्री ईश्वरचन्द्र : राज्य सरकार का क्या कार्यक्रम है इस पर प्रकाश डालिये ?

श्रीमती विद्या पाठक : पांच लाख रुपये इसमें रखे गये हैं ।

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहूंगी कि पांच लाख में आमेर के महलों के विकास के लिए कितना रुपया रखा है और किस प्रकार से उनका विकास किया जायेगा ?

श्री बालकृष्ण थानवी (फलौदी) : पर्यटन विकास की दृष्टि से क्या जयगढ़ के किले को सरकार अपने हाथ में लेने का विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न। पांच लाख का क्या होगा, यह बताइये ?

श्रीमती विद्या पाठक : पर्यटन विभाग ने एक योजना बनाई है जिसके माध्यम से फोटोज, ट्रान्सपोर्टेशन, लैंडस्केप, हाथियों के ठहरने की जगह के विकास की दृष्टि से कार्यक्रम तैयार किया जायेगा। यह 1.4.79 को निर्णय हुआ है। इसको पर्यटन विकास निगम करेगा, यह कार्यवाही उनके विचाराधीन है ।

श्री लालचन्द : इसी सवाल से संबंधित एक बात रह गई है। पर्यटन विकास निगम की अध्यक्षा का रैंक तो केबिनेट मंत्री के बराबर का है और पर्यटन विकास मंत्री का रैंक राज्य मंत्री के बराबर है तो कौन डिसीजन लेगा ?

श्री मूलचन्द डागा : यह बहुत बड़ी बात है ।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपालसिंह (खण्डेला)।

सीकर जिले के बड़ी आबादी वाले गांवों को जल प्रदाय योजना

487. **श्री गोपालसिंह** (खण्डेला) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि सीकर जिले के आमावास, दादिया, तपीपला, जाजोद (श्रीमाधोपुर तहसील), गुरारा, चौकड़ी गोविन्दपुरा आदि बड़ी आबादी के गांवों में जल प्रदाय योजना हेतु जिला विकास समिति ने प्रस्ताव भेजे हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार आगामी वित्त वर्ष में इन योजनाओं का काम शुरू करने का इरादा करती है ?

(2) क्या यह सही है कि सीकर जिले के कांवट गांव की जल प्रदाय योजना से अभी तक वहां के सभी मोहल्लों को पानी नहीं पहुंचा है और पाइपों की कमी से योजना अधूरी ही पड़ी है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस योजना के लिए अतिरिक्त धन का प्रावधान कर समस्या का समाधान करने का इरादा करती है ?

राज्य मन्त्री, जन स्वास्थ्य (श्री महबूब अली) : (1) जी हां। यह सही है कि ग्राम आमावास, गुरारा व चौकड़ी जिला आयोजना समिति द्वारा वर्ष 1978–79 में प्रस्तावित है ? इन प्रस्तावों को तकनीकी उपयुक्तता एवं धनराशि की उपलब्धि के अनुसार चयन किया जाना सम्भव हो सकेगा। ग्राम दादिया, तपोपाला व जाजोद व गोविन्दपुरा को जिला आयोजना समिति में वर्ष 1977–78 अथवा 1978–79 में प्रस्तावित नहीं किया है। आयोजना समिति के इस सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जावेगा।

(2) स्वीकृत योजनानुसार कार्य पूर्ण कर दिया गया है।

श्री ईश्वरचन्द्र : आयोजना समिति जो कुछ प्रस्ताव भेजती है वही फाइनल है या सरकार उसमें फेरबदल कर सकती है ?

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ग्राम जाजोद, जो पी० एच० सी० का हैडक्वार्टर है और खण्डेला का सबसे बड़ा गांव है, क्या वहां पर भी सरकार पानी की व्यवस्था करना उचित नहीं समझती ?

क्या कांवट गांव के नागरिकों ने विकास अधिकारी को इस बात के लिए बार बार नहीं कहा कि सारे इलाके को पानी पहुंचाया जाए ? यदि हां, तो अब तक सरकार निष्क्रिय क्यों रही ?

श्री महबूब अली : कांवट गांव के बारे में पम्प और टैंक स्कीम है जो 1972–73 से चालू है। उसके अन्दर सिर्फ इतनी योजना थी कि जिस जगह पी. एच. ई. डी. का पाइप जाता है उसके बीच यदि कोई घरेलू कनेक्शन्स चाहे तो दे दिया जाए। पम्प एण्ड टैंक स्कीम के अन्दर सामान्यतः घरेलू कनेक्शन्स नहीं दिये जाते थे लेकिन पी० एच० सी० तक पहुंचने के लिए जो लाइन डाली जाती थी उसके अन्दर से यदि कोई चाहे तो घरेलू कनेक्शन लिया जा सकता है। इस आधार पर कांवट की पम्प एण्ड टैंक स्कीम बनी थी। इसके बाद जिनको अन्दर लाइन

(श्री महबूब अली)
नहीं दी गई थी उसके अन्दर घरेलू कनेक्शंस नहीं दिए गए थे। जहां तक गुरारा का प्रश्न है, वह बहुत बड़ा गांव हो सकता है लेकिन आयोजना समिति ने प्रस्ताव नहीं किया है। जब तक आयोजना समिति प्रस्ताव नहीं करेगी, तब तक इस पर विचार नहीं किया जा सकता।

श्री गोपालसिंह : पी० एच० सी० हैड-क्वार्टर जो कि एक बहुत बड़ा स्थान है, वहां आयोजना समिति के प्रस्ताव के बगैर पानी की व्यवस्था करना सरकार उचित नहीं समझती ?

श्री महबूब अली : पानी की व्यवस्था करना उचित नहीं समझती, वह अलग बात है लेकिन प्रक्रिया यह है कि आयोजना समिति द्वारा प्रस्ताव भेजना जरूरी है, माननीय सदस्य उस समिति के सदस्य हैं, वहां आयोजना समिति की मार्फत प्रोसेस करके भिजवायें तो माननीय सदस्य को क्या एतराज है ?

श्री अध्यक्ष : श्री लालचन्द।

जयपुर से स्थानान्तरण हुए अधिकारियों से राजकीय आवासों को रिक्त कराने का मामला

श्री लालचन्द (भादरा) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर में ऐसे कितने आई. ए. एस., आई. पी. एस. व आर. ए. एस. कैडर के अधिकारीगण हैं जिन्होंने जयपुर से अन्यत्र स्थानान्तरण होने के बाद भी राजकीय प्रवासों को खाली नहीं किया है ?

(2) राज्य सरकार ने ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की है ? और यदि नहीं, तो क्यों नहीं की है ?

श्री कैलाश मेघवाल (सहकारिता मंत्री) : (1) एक आर. ए. एस. अधिकारी है।

(2) जी हां। आवास रिक्त कराये जाने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बेदखली की कार्यवाही की जा रही है।

श्री लालचन्द : कौन है वह अधिकारी ?

श्री कैलाश मेघवाल : आर० ए० एस० के हैं, श्री ए० सी० भंडारी जिनको गांधी नगर में मकान आवंटित किया हुआ है। उसका स्थानान्तरण जयपुर से अलवर होने के पश्चात् उनको मकान खाली करने के लिए कहा गया उन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा व पत्नी की बीमारी के कारण 16-7-78 तक की रियायत चाही उसके बाद भी खाली नहीं किया तो राज्य सरकार ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को लिखा है कि खाली कराया जाए, बेदखली की कार्यवाही चालू है।

श्री कौशल किशोर जैन : क्या कोई भूतपूर्व मंत्री भी ऐसे हैं जिन्होने मंत्री पद छोड़ने पर भी मकान खाली नहीं किया ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री अयूब खां (तिजारा) : यदि मंत्री खाली नहीं करेंगे तो अधिकारी कैसे करेंगे ?

श्री लालचन्द : आपने कहा, बच्चों की पढाई व पत्नी की बीमारी के कारण उनको रियायत दी गई। तो क्या नियमों में ऐसा प्रावधान है ?

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : अगर संसद सदस्य गैर कानूनी रूप से सरकारी मकान पर कब्जा कर लें तो उनको खाली कराने के लिए कोई नियम है क्या ?

(व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी : भूतपूर्व सरकार के मंत्री आज तक सरकारी बंगलों में बैठे हुए हैं, क्या यह सही है ?

श्री किशन सिंह भाटी : यह तो प्रश्न-कर्ता के ही गले नमाज पड़ गई ।

(व्यवधान)

• **एक माननीय सदस्य** : जिन माननीय सदस्यों को मंत्री बनाया गया है उनसे भी खाली करायेंगे ताकि दूसरे विधायक उसमें ठहर सकें ?

श्री कैलाश मेघवाल : अलग से प्रश्न है।

श्री माणक लाल ठाकोर (नैनवा) : गलत काम होते है। छोटे कर्मचारियों, आर० ए० एस० व आई० ए० एस० अधिकारियों के लिए तो प्रश्न पूछे जायें और मंत्री जो स्वयं निर्णय लेने वाले हैं, उनको इस तरह बचाया जाए ?

श्री मूलचन्द डागा : संरक्षण दे रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह शक्तावत : डागा साहब पर भी मकान किराया बाकी है ।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : मैंने तो नो ड्यूज सर्टीफिकेट ले लिया है। आपकी धारणा गलत है .

श्री रतन लाल वर्मा : मंत्री जी से हम पूछना चाहते है .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्रीरतन लाल वर्मा : इससे विधायकों को परेशानी है। मंत्रियों को मत्री की जगह भेजें, संत्रियों को मंत्रियों की जगह भेजें।

(व्यवधान)

प्रश्न संख्या 489

श्री अध्यक्ष : श्री सूर्य प्रकाश डोडा । (अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

श्री चिरंजी लाल गर्ग ।

भूतपूर्व अजमेर राज्य के समाज शिक्षा संगठनों को मिलने वाला विशेष वेतन

490 श्री **चिरंजीलाल गर्ग (पुष्कर)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या भूतपूर्व अजमेर राज्य के समाज शिक्षा संगठकों (सो० ए० आर्गेनाइजर) एस० डी० आई० इत्यादि को स्टेट एडवाइजरी कमेटी के निर्णयानुसार दिनांक 1-11-56 से विशेष वेतन 251)रु० प्रति माह दिया जा चुका है ? यदि हां, तो उसी वर्ग के अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र

(श्री चिरंजीलाल गर्ग)

में कार्यरत प्रवर्तन अधिकारी, सहायक प्रवर्तन अधिकारी व उपस्थित अधिकारियों को अब तक क्यों नहीं दिया गया है जब वे बराबर मांग करते रहे हैं ?

(2) राज्य सरकार अब इनके मसले को निर्णीत करके कब तक विशेष वेतन देने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री महबूब अली) : (1) जी हाँ किन्तु 25 रुपये के स्थान पर 30 रुपये दिये गये है। वर्ग में भिन्नता होने के कारण अन्य अधिकारियों को विशेष वेतन नहीं दिया गया।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री रतनलाल वर्मा : यह अजमेर का मसला सन् 1955 से लटकता चला आ रहा है और कम से कम 500 अध्यापक–अध्यापिकायें इसमें लिप्त हैं। आपने अभी तक तय नहीं किया। कब तक तय कर देंगे, कृपया स्पष्ट करें ?

श्री महबूब अली : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अजमेर विलीनीकरण के समय का बहुत पुराना केस है और जो पोस्टें इक्वेट की थीं उनमें एक वर्ग ऐसा रह गया जिसको राजस्थान की दूसरी सर्विसेज से इक्वेट नहीं किया जा सका इसलिए जो भत्ता मिलने वाली बात थी 25 रुपये की जगह 20 रुपये दिया गया लेकिन वह भत्ता भी नहीं मिल सका। बाकी जो सर्विसेज में लाभ मिलना चाहिए था उसमें कोई कमी नहीं की गयी। क्योंकि इक्वेशन नहीं हो सका, दूसरी पोस्ट, से इसलिए नहीं दिया जा सका। इसके बावजूद माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि केस को दुबारा दिखवा लिया जायेगा। यह 1955 का केस है पुन: एग्जामिन करके आपको पुन: सन्तोष करा दिया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार से कहा गया है कि पुन: विचार किया जायेगा।

श्री रतनलाल वर्मा : 4 महीने या 6 महीने-यह तो बता दें कि कब तक विचार कर लिया जायेगा ? क्या अध्यापक आन्दोलन के लिए जायेंगे फिर होगा ? कोई अवधि तो होनी चाहिए।

श्री चिरंजीलाल गर्ग : माननीय अध्यक्ष महोदय, कितनी बार टाला जायेगा इस प्रश्न को ?

श्री महबूब अली : इस प्रकार के कुल दस केसेस हैं.......

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : ऐसे जवाब के लिए यह मंत्री काम्पीटेन्ट नही हैं। शिक्षा मंत्री को जवाब देना चाहिए। यह शक्तिहीन राज्य मंत्री हैं। इनको कोई अधिकार नहीं है.......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपकी आपत्ति सुन ली।

श्री रतनलाल वर्मा : कम से कम 500 अध्यापक और अध्यापिकायें हैं। मंत्री महोदय 10 ही बता रहे हैं। यह कहें तो सूची पेश कर दूं।

श्री गुलमोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर): हां, आप सूची ही पेश कर दीजिए।

श्री महबूब अली : जहां तक पुराने कैसेस का प्रश्न है....

श्री रतनलाल वर्मा : आप तो समय निर्धारित कर दें

श्री चिरंजीलाल गर्ग : इसका समय निर्धारित करवाया जाये।

प्रश्न संख्या 491

श्री अध्यक्ष : श्री मावजी :
(अनुस्थित कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 492

श्री गोविन्द सहाय :

(अनुपस्थित)

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, इस मामले को 24 वर्ष हो गए हैं और मंत्री महोदय समय की बात नहीं कह रहे हैं।

श्री चिरंजीलाल गर्ग : समय तो बता दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री चिरंजीलाल गर्ग समय की घोषणा तो करवायें, नहीं तो और कितना ही समय निकल जायेगा।

श्री अध्यक्ष : आपकी समस्या हल हो जायेगी, माननीय सदस्य।

श्री चिरंजीलाल गर्ग : कुछ तो बतायें, एक महीना, 6 महीने या 12 महीना ?

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, समय तो बतायें कि कितना लगेगा ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह परम्परा सदा से रही है कि सरकार अपने आप को कभी भी समय के अन्दर बाध्य कराना पसन्द नहीं करती। आपकी सरकार है इसको आप क्यों बाध्य करना चाहते हैं ? सरकार को दूसरे रूप से बाध्य करा सकते हैं। प्रश्नोत्तर काल में यह परम्परा अच्छी नहीं है।

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस ने 22 वर्ष तो निकाल दिये और समस्या हल नहीं की और अब जनता सरकार को भी दो साल हो गए.......

श्री अध्यक्ष : मननीय सदस्य, आपके आचरण से मुझे आपत्ति है।

मेजर फतहसिंह (भीम) : मान्यवर, 1956 से राजस्थान में अजमेर का विलय हुआ और उसे 22।। वर्ष हो गए और अब तक उन मामलों का निपटारा नहीं हुआ है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसलिए यह सरकार तक हमारी भावनाओं को पहुंचायें कि इसके लिए लोगों में बहुत असन्तोष है। इसके लिए समय निर्धारित करना चाहिए, महीना, दो महीना या और कोई समय। 22।। वर्ष बीत गए। यह प्रमाण है सरकार के कार्यों का।

(व्यवधान)

22।। वर्ष तक कुछ नहीं हुआ है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय रतनलाल जी खड़े होंगे तो मैं सरकार को कभी बाध्य नहीं कर सकता कि वह उत्तर दे। आपके आचरण से मुझे आपत्ति है। आप कृपया स्थान ग्रहण करें। आप उत्तर भी नहीं सुनना चाहते। 5 सैकिण्ड बैठ कर फिर खड़े हो जाते हैं और दस सैकिण्ड फिर बात करते हैं। फिर दस सैकिण्ड बैठ कर 15 सैकिण्ड बात करते हैं। यह परम्परा माननीय सदस्य, ठीक नहीं है। कृपया मेरे शब्दों पर ध्यान दें।

(व्यवधान)

आप फिर खड़े हो गए। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री महबूब अली : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो तीन महीने में इसका निपटारा अंतिम रूप से कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट (श्री रघुनाथ विश्नोई)

सांचौर में पोषाहार योजना

493. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सांचौर में पोषाहार योजना काफी अर्से पहले शुरू की गई थी ? अगर हां, तो कब से एवं यह योजना क्या है ?

(2) सांचौर तहसील योजना में अब तक कहां कहां पर क्या क्या काम हुए हैं तथा भविष्य में कहां कहां पर क्या क्या काम किये जायेंगे ?

(3) पोषाहार योजना के अन्तर्गत सांचौर पंचायत क्षेत्र में अब तक कितना खर्चा हुआ है एवं भविष्य में क्या क्या खर्चा किया जायेगा ?

श्रीमती विद्या पाठक (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : (1) जी हां, पंचायत समिति सांचौर के ग्रामीण क्षेत्रों में अकालग्रस्त होने के कारण पोषाहार योजना 25–3–72 से प्रारम्भ की गई थी तथा 30–9–73 तक चलाई गई। इस योजना के अन्तर्गत 1 से 6 वर्ष के बच्चों व गर्भवती एवं दूध पिलाती माताओं को पौष्टिक आहार दिया जाता है।

(2) उक्त अवधि दिनांक 25–3–72 से 30–9–73 में पंचायत समिति, सांचौर के ग्रामीण क्षेत्र में 15 पोषाहार केन्द्र चलाये गये जिनमें प्रत्येक में प्रति दिन 100 बालकों एव माताओं को पौष्टिक आहार दिया गया। सूची संलग्न है।

(3) पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत सांचौर पंचायत समिति क्षेत्र में 25–3–72 से 30–9–72 तक 29,157.95 पैसे राजकीय मद में खर्च हुये तथा खाद्य सामग्री केयर राजस्थान से प्राप्त हुई। भविष्य में सांचौर में इस कार्यक्रम को चलाने का अभी कोई निर्णय नहीं हुआ अतः होने वाले कार्य का अनुमान देने का प्रश्न नहीं उठता।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह कार्यक्रम 73 तक चलाया। फिर वापस उसको बन्द करने का क्या करण है ?

श्रीमती विद्या पाठक : अकाल राहत योजना में यह कार्यक्रम चलाया गया और वह योजना बन्द हुई तो यह भी बन्द हो गया ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह योजना सारे राजस्थान के लिए बन्द कर दी गयी या सिर्फ वहीं के लिए ?

श्रीमती विद्या पाठक : कुछ पोषाहार कार्यक्रम रेगुलर चलते हैं और कुछ अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत चलाये गये । तो अकाल राहत कार्य बन्द होने से यह भी बन्द हो गए ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या यह सत्य है कि इस पंचायत समिति को 7 पंचायत समितियों में से सलेक्ट इसलिए किया गया था कि इस पोषाहार कार्यक्रम को चलाने के लिए यह पंचायत समिति सबसे अधिक उपयुक्त थी ? ऐसा था तो सिर्फ अकालग्रस्त क्षेत्र जब तक था उसी समय तक यह कार्यक्रम चलाया और उसके बाद नहीं, यह राज्य सरकार ने निर्णय लिया था क्या ? यह तो गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया की मंजूरी से चलाया जाता है । तो चालू करके बन्द करने के क्या स्पेशल सरकम्सटान्सेस थीं यह बतायें ?

श्री मूलचन्द डागा : फेमिन कोड से पोषाहार का क्या संबंध है ? फेमिन कोड अलग होता है, पोषाहार अलग चीज है । फेमिन कोड में पोषाहार कार्यक्रम नहीं है । यह केन्द्र सरकार का है ।

श्री रघुनन्दन व्यास : मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि कार्यक्रम 25-3-72 से 30–9–73 तक चलाया गया । इसका मतलब 6 वर्ष बीतने के बाद पुनः इसको स्मरण कराया जा रहा है । क्या 6 वर्ष तक यह कार्यक्रम चला या नहीं, मंत्री महोदया कृपया स्पष्ट करें ।

श्री बालचन्द आर्य (डग) : मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं, इस पोषाहार से कोई फायदा नहीं है । जो कुएं खुदे हैं उनमें पानी नहीं है । इस लिये आपके माध्यम से मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगा, इस पोषाहार योजना को बिल्कुल बन्द कर दिया जाये, इसका कोई फायदा नहीं है ।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, यह अकाल राहत के अन्तर्गत ही दो वर्ष के लिये 25–3–72 से 30–9–73 तक पोषाहार का कार्यक्रम चलाया गया । अकाल-राहत कार्य समाप्त होने पर इसको स्थगित कर दिया गया । पोषाहार कार्यक्रम के लिये कमेटी बनी हुई है । कलेक्टर अध्यक्ष होते हैं । संभवतया माननीय सदस्य भी अवश्य सदस्य हैं । वहां से यदि भिजवायेंगे तो निश्चत रूप से देखेंगे ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न ।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं यह सप्लीमेंट्री पूछना चाहता हूं । क्या यह कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार ने केन्द्र की सहमति प्राप्त करके लागू किया था, क्या यह सही है ?

श्रीमती विद्यापाठक : अनुमति के बाद ही शुरू किये जाते हैं·······

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसकी सूचना आपको सही नहीं है। मत्री महोदया, आप सही सूचना विभाग से कलेक्ट करें। जो में कह रहा हूं सत्य है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : जांच करा लेंगी।

स्थगित प्रश्न।

श्री रणजीतसिंह राठौड़।

श्री राम सिंह विश्नोई।

स्थगित प्रश्न

पर्यटन निदेशालय का विभिन्न भवनों में स्थानान्तरण

234. **श्री रणजीतसिंह राठौड़(ग्रोसियां)**: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पर्यटन निदेशालय का कार्यालय जयपुर में गत 4 वर्षों से किन किन भवनों में व कितने कितने किराये पर रहा ?

(2) वर्ष 1973–74 से वर्ष 1977–78 तक प्रति वर्ष कितनी राशि किराये की चुकाई ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान चैम्बर ग्राफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज को एक बहुत बड़ा भू-खण्ड एम. आई रोड जयपुर पर ग्रावंटित किया गया था और लीज डीड की शर्त के अनुसार चैम्बर को पर्यटन निदेशालय को कार्यालय हेतु निःशुल्क स्थान देने का निश्चित किया गया था ?

(4) पर्यटन निदेशालय ने किस तिथि को चैम्बर को कार्यालयों के स्थान हेतु लिखा ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(5) क्या यह सही है कि पर्यटन निदेशालय कुछ व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने हेतु उनके मकान किराये पर ले रहा है और चैम्बर द्वारा निर्मित भवन में उपलब्ध निःशुल्क स्थान का उपयोग नहीं कर रहा है ?

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्रीमती विद्या पाठक) : (1) गत चार वर्षों में पर्यटन निदेशालय का कार्यालय निम्न लिखित भवनों में रहा :—

1. प्लाट संख्या ए–1, सरदार पटेल मार्ग पर 1307 रु प्रतिमाह पर,

2. बगड़िया भवन, सी-स्कीम, पृथ्वी राज रोड़ पर 2000) रुपये प्रतिमाह पर

3. 100, जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर 2939–31 पैसे प्रति माह पर

(2) 1973–74 रुपये 15,684–00
1974–75 रुपये 15,684–00
1975–76 रुपये 18,710–00
1976–77 रुपये 24,000–00
1977–78 रुपये 24,000–00

(3) जी हां। केवल 400 वर्ग फीट स्थान उनके भवन में से पर्यटन विभाग को देने का निश्चय किया गया था।

(4) रिकार्ड से यह नहीं पाया जाता कि विभाग ने इस संबंध में चैम्बर कार्यालय को लिखा हो।

(श्रीमती विद्या पाठक)

(5) जी नहीं।

श्रीमती मदन कौर (पचदरा) : अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मन्त्री महोदया यह बतायेंगी कि राजस्थान चैम्बर ग्राफ कामर्स के साथ जो लीज डीड हुआ उसमें निदेशक, टूरिज्म, को स्थान देने का प्रावधान रखा गया था, उस लीज डीड की कापी आपको भेजी गई ? क्या उस लीज डीड के अनुसार 400 स्क्वायर फीट, कवर्ड एरिया आपके विभाग को देने का प्रावधान था।

श्रीमती विद्यापाठक : लीज डीड की कापी अभी अभी रीसेन्टली पिछले हफ्ते प्राप्त हुई है।

श्री रघुनन्दन व्यास : क्या अब पर्यटन विभाग चैम्बर ग्राफ कामर्स के भवन में पहुंच जायेगा।

•**श्री रामकृष्ण दास गुप्ता** : किन अधिकारियों ने अपनी कर्त्तव्य परायणता का परिचय नहीं दिया और चार साल तक इस तरफ कुछ कार्यवाही नहीं करके हजारों रुपयों का जो घाटा पहुंचाया है, क्या उन के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, 400 स्क्वायर फीट, पर्यटन निदेशालय के लिये बहुत कम पड़ती है वहां शिफ्ट करने का प्रश्न नहीं उठता। माननीय सदस्य ने जो कहा कि चार वर्ष तक ध्यान नहीं दिया गया, जैसा मैंने निवेदन किया, रिकार्ड में उपलब्ध नहीं होता। इसकी काफी सम्भावना है जो रिकार्ड इमर्जेन्सी में डैस्ट्राय किया गया है उसमें एक यह भी हो।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मेरा सवाल यह है चैम्बर ग्राफ कामर्स से पर्यटन विभाग को बिल्डिंग देने की बात जो की गई थी वह किस स्तर पर की गई थी ? उसकी इत्तला आपके डिपार्टमेंट को नहीं है तो क्या आप इसकी इन्क्वायरी करेंगी ? क्या ऐसी फाईल को, खुर्द-बुर्द किया गया, वहां से हटाया गया ? यह बहुत भारी घोटाला है। राजस्थान चैम्बर ग्राफ कामर्स की बिल्डिंग में पंजाब नेशनल बैंक को फर्स्ट फ्लोर किराये पर दे रखा है। पंजाब नेशनल बैंक से किराया कमा रहे हैं। आपकी नहीं, आपके प्रडिसेसर्स हैं उनकी धांधली रही है। आप क्यों नहीं आश्वासन देतीं कि इसकी जांच करवा लेंगे ?

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी (मावली) : अध्यक्ष महोदय, यहां अखबार पढ़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : यदि कोई माननीय सदस्य अखबार पढ़ रहा है तो कृपया न पढ़े।

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी : सरकारी अधिकारी लोग पढ़ रहे हैं।

श्री बजरंग लाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदया से पूछना चाहूंगा कि क्या राज्य सरकार ने कोई इस तरह का आदेश जारी किया है कि राजस्थान चैम्बर ग्राफ कामर्स से भवन को ले लिया जाये तो उस आदेश की क्या पालना हुई ? पालना की क्या स्थिति है ?

श्री रघुनन्दन व्यास : मन्त्री महोदया कैसे बता सकती हैं। इससे सम्बन्धित नहीं है। पर्यटन विभाग से सम्बन्धित नहीं है, यू. आई. टी. बता सकती है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : यह जनता सरकार के मन्त्रियों की आपाधापी नहीं है, कांग्रेस सरकार के मन्त्रियों की है।

श्री बजरंग लाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा क्वेश्चन स्पेसिफिक है। कृपा करके उत्तर दिलाने का कष्ट करें।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, यह अलग से प्रश्न है। यदि पूछेंगे तो उत्तर दिया जायेगा।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : आप इस सारे काण्ड की जांच कराएंगी। आप स्वयं जानती है कि कोई कागज आपके आफिस में है नहीं तो ऊंचे अधिकारियों द्वारा जांच कराने के लिए क्यों नहीं हां करती हैं ?

श्री बजरंग लाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न अलग से नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैंने एक प्रश्न पूछा है क्या सरकार ने चैम्बर आफ कामर्स की भूमि एवं भवन को लेने का कोई आदेश किया है और जैसा माननीय मन्त्री महोदया जानती हैं कि राजस्थान चैम्बर आफ कामर्स में पर्यटन निदेशालय के लिये स्थान नहीं दिया गया है और की गई शर्तों का उल्लंघन हुआ है तो उस आदेश की क्या स्थिति है ? चूंकि पर्यटन निदेशालय का मामला अब आपके सामने आता है तो क्या उसकी आपको जानकारी है और जानकारी है तो वह किस स्थिति में है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदया, श्री बजरंग लाल जी का प्रश्न है क्या इसमें कोई ब्रीच आफ कान्ट्रेक्ट हुआ है ?

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय यह अन्डरस्टेण्डिग यू. आई. टी. और चेम्बर आफ कामर्स के बीच में है कि पर्यटन विभाग का सम्बन्ध केवल ४०० वर्ग गज जमीन कवर्ड एरिया चैम्बर आफ कामर्स यूज के लिए है। इस तरह की रिकार्ड में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। मगर पता लगा है कि ४०० वर्ग गज देने कि अन्डरस्टेण्डिग हुई थी।

(व्यवधान)

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से........

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री मूल चन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रिविलेज मोशन दिया हुआ है।

श्री रघुनन्दन व्यास : अध्यक्ष महोदय, ४०० और ४,००० में तो बहुत बड़ा फर्क है और कहीं कागजों में गड़बड़ हुई है। माननीय मन्त्री महोदय को जांच का आश्वासन देना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : ऐसा मालूम पड़ता है कि जनता सरकार का मन्त्री मण्डल भी पुराने भ्रष्ट नेताओं को बचाने में लगा हुआ है।

श्री बजरंग लाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां काम की बात आने

Page No. 20

(20)

(श्री बजरंग लाल शर्मा)

लगी वहां तो कुछ कहा नहीं है। 400 वर्ग गज जमीन पर्यटन निदेशालय को दी जायगी, उस शर्त का पालन नहीं हुआ है। मैं केवल इतना पूछ रहा हूं उस शर्त का पालन नहीं होने से क्या इसका अलाटमेंट केन्सिल किया गया है और इसकी भूमि व भवन को लेने का कोई प्रस्ताव पारित किया है? यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री नाथूराम : (बागीदोरा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न संख्या 503 रह गया है।

(व्यवधान)

श्री बजरंग लाल शर्मा : मुकम्मिल तरीके से उत्तर आना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य उत्तर आ चुका है।

प्रश्न समाप्त हुए। प्रश्न समाप्त हुए।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : मैं माननीय मंत्री महोदया से चाहूंगा आप जांच का आश्वासन तो दें कि इस सारे काण्ड की जांच करायेंगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(व्यवधान)

श्रीमती विद्या पाठक : किसकी जांच करा ली जायेगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

स्थगन प्रस्ताव।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री महोदया को जांच के लिये तो कहें।

श्री श्योपत सिंह मकासर : कहा है भाई।

श्री बजरंज लाल शर्मा : अध्यक्ष जी उत्तर नहीं आ रहा है, आप प्रश्नों को कैसे समाप्त कर रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जवाब सुन लीजिये।

शिक्षा मन्त्री (श्री भंवर लाल शर्मा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यू आई.टी. ने इस जगह को लीज पर दी है और उसमें यह शर्तें थीं कि जिन जिन डिपार्टमेन्ट्स को या इस प्रकार की संस्थाओं को सरकार चाहेगी, उनको यह किराये पर दी जायेगी। पिछली बार भी प्रश्न आया था तो मैंने निवेदन किया था कि उन शर्तों के उल्लघंन के कारण इस जमीन को रिज्यूम करने के आदेश दिये गये थे. उस पर उन्होंने आवेदन पत्र दिया और सरकार ने स्थान दे दिया। अब उसकी सुनवाई की तारीख 30 है, शर्तों का जो उल्लधंन हुआ है, उसके अनुसार जो भी कार्यवाही की जा सकती है, वह की जायगी।

श्री बजरंगलाल शर्मा : उस भवन के लिये दो साल से स्टे कर रखा है। इतनी बड़ी जमीन का मामला है, अध्यक्ष महोदय, और तारीख पर तारीख दिये जा रहे हैं।

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

दो साल से मामलों को तय नहीं कर पा रहे है । मंत्री महोदया बताने की कृपा करें ऐसा क्यों है ?

(व्यवधान)

ऐसी कौन सी व्याधि उत्पन्न हो रही है ।

(व्यवधान)

क्या यह सरकार धनपतियों के हाथों में बिकी हुई है ? कृपया बतायें दो साल बाद भी तारीख के बाद तारीख क्यों दी जाती है ?

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : जयपुर के सेठों से जयपुर में रोशनी लगाने के नाम पर उनको लाखों रुपयों का फायदा पहुंचाया जा रहा है ।

श्री मूलचंद डागा : यह पूंजीपतियों की सरकार है

श्री रघुनन्दन व्यास : और डागा साहब उसके वकील हैं ।

(व्यवधान)

श्री भंवर लाल शर्मा : तो इस सरकार ने जमीन दी है और न स्टे········

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : दो साल से मामला चल रहा है तो जांच क्यों नहीं करवाती हैं ?

श्री श्योपत सिंह मकासर : अरे भाई कह दिया जांच के लिये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य आसन पैरों पर है । प्रश्न काल समाप्त हुआ । मंत्री महोदय कृपया इस प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट न करें ।

श्री बजरंग लाल : शर्मा अध्यक्ष महोदय सरकार पर दाग लगा रहेगा ।

श्री अध्यक्ष : मेरा यह अन्तिम निर्णय है कि प्रश्न समाप्त हुए । आपको इसकी अवहेलना करनी है तो मैं भी देखता हूं देखें क्या होगा ?

(व्यवधान)

श्री नाथू राम : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न आदिवासियों से सम्बन्धित जनरल प्रश्न है, इसको स्थगित किया जाये । आरक्षण के बारे में है ।

श्री अध्यक्ष : आप मुझ से मेरे कक्ष में मिल लीजिये मैं विचार करूंगा अभी मैं वायदा नहीं कर सकता ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें ।)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

उदयपुर में राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप बेरोजगार चालक एवं परिचालक

489. **श्री सूर्यप्रकाश डोडा** (खेरवाड़ा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप उदयपुर जिले में कितने चालक व परिचालक बेरोजगार हुए ?

(2) आज उदयपुर जिले में कुल कितने चालक तथा परिचालक रोडवेज की बसों पर कार्यरत हैं तथा उनमें कितने मूल उदयपुर जिले के निवासी हैं ?

(3) प्रभावित चालक, परिचालकों में से जिन्हें नहीं लिया गया उसके करण क्या थे ?

(4) जन जाति क्षेत्र के कितने चालक, परिचालक उदयपुर जिले में सेवारत हैं ?

उत्तर

(1) राष्ट्रीयकरण के दौरान उदयपुर जिले के बेरोजगार 113 परिचालक व 57 चालकों ने प्रार्थना-पत्र दिये थे ।

(2) उदयपुर आगार में इस समय 161 परिचालक व 101 चालक कार्यरत हैं, इनमें से 94 परिचालक व 86 चालक उदयपुर जिले के निवासी हैं।

(3) प्रभावित चालक व परिचालकों में से 41 परिचालक व 36 चालकों का चयन हुआ तथा शेष की नियुक्ति हेतु निगम द्वारा निर्धारित योग्यता पूर्ण नहीं करने तथा आयु अधिक होने के कारण चयन नहीं किया गया ।

(4) जन जाति क्षेत्र के पांच परिचालक व चार चालक सेवारत हैं ।

ग्राम वीरपुरा व गाजोड़ तहसील सराड़ा में स्कूल खोलने सम्बन्धी मामला

491. **श्री मावजी** (सलूम्बर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम गाजोड़ तहसील सराड़ा (उदयपुर) आदिवासी एरिया है तथा यहां के लोगों की आर्थिक स्थिति भी कमजोर है जिस कारण यहां के छात्र बाहर पढ़ने के लिए जाने से वंचित रहते हैं ?

(2) क्या सरकार पंचायत वीरपुरा में हाई स्कूल व गाजोंड़ में मिडिल स्कूल खुलवाने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि आसपास करीब 10 प्राइमरी स्कूल पड़ते हैं व मेवल के छात्र भी पढ़ने आ सकते हैं ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) यह विचाराधीन है ।

(3) जी हां ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

विजयनगर की हरिजन बस्ती में प्राथमिक स्कूल

549. श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या श्री विजयनगर के वार्ड नं० 5–6 की हरिजन बस्ती में सन् 77–78 में प्राथमिक स्कूल खोला गया था और क्या वह स्कूल अब तक चल रहा है ? यदि हां, तो कहां और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। किन्तु यह स्कूल वस्तुत: प्रारम्भ ही नहीं हुआ। कारणों की जांच करवाई जा रही है ।

अम्बाबाडी स्कीम, जयपुर नगर में अवाप्त की गई भूमि

550. श्री करतारसिंह (किशनगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर नगर की अम्बावाड़ो स्कीम में डा. हरीसिंह मोरीजा से संबंधित भूमि कब और कितनी अवाप्त की गई ?

(2) उक्त भूमि के सम्बन्ध में अवार्ड द्वारा क्या कोई फैसला दिया गया है ? यदि हां, तो क्या अवार्ड मिलने के पश्चात् कोई रैफरेन्स कोर्ट में किया गया ? कृपया अवार्ड और रैफरेन्स पर निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) अतिरिक्त जिलाधीश (भूमि अवाप्ति अधिकारी), जयपुर के अधिनिर्णय (अवार्ड) दिनांक 31–7–63 के अनुसार श्री हरीसिंह पुत्र श्री अनूपसिंह को ग्राम बस्सी सीतारामपुरा स्थित खसरा नम्बर 7 की 1 बीघा 17 विस्वा भूमि अवाप्त की गयी थी ।

(2) अधिनिर्णय (अवार्ड) के अन्तर्गत 1,000 वर्गगज भूमि देने की सिफारिश की गयी थी। श्री हरीसिंह ने अधिनिर्णय के विरुद्ध रैफरेन्स किया था, जिसे भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा दिनांक 4–10–63 को व्यवहार न्यायाधीश जयपुर शहर, जयपुर को भेजा गया। रैफरेन्स का निर्णय व्यवहार न्यायाधीश ने दिनांक 30–11–72 को दिया है। अधिनिर्णय एवं रैफरेन्स पर निर्णय की प्रतियां संलग्न हैं ।

(अधिनिर्णय एवं रैफरेन्स पर निर्णय विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

श्री नर्बदेश्वर संस्कृत विद्यालय धोबलाई

552. श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नर्बदेश्वर संस्कृत विद्यालय धोबलाई की जांच चल रही है ?

(2) श्री नर्बदेश्वर संस्कृत विद्यालय

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

धोवलाई को प्रतिवर्ष सहायता की कितनी राशि दी जाती है ? यदि हां, तो कितने वर्ष से सहायता की राशि बन्द थी और किसके आदेश से ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय की सहायता की राशि देना चालू कर दिया गया है ? यदि हां, तो किसके आदेश से ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय के भवन निर्माण हेतु चन्दे की राशि एकत्रित की गई थी ? यदि हां, तो क्या चन्दे में हजारों रुपयों का गोलमाल किया गया था ? क्या गोलमाल की जांच चल रही है ? यदि हां, तो कब से, एवं उसका क्या परिणाम रहा ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) संस्था को 60 प्र०श० अनुदान स्वरूप दी जाती है तथा अनुमानतः रु० 30. 3081 अनुदान के रूप में दिये जाते हैं। संस्था की प्रबंधकारिणी के सम्बन्ध में कुछ शिकायत प्राप्त होने के कारण अनुदान राशि का भुगतान रोक दिया था।

(3) जी हां। राज्य सरकार ने आवश्यक जांच के पश्चात् अनुदान भुगतान के आदेश प्रसारित किये। आदेश की प्रति संलग्न है।

(4) इस सम्बन्ध में जांच की कार्यवाही की जा रही है।

(आदेश की प्रति प्राप्त नहीं हुई)

सैनी उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर के पी टी. आई. की सेवा निवृत्ति का मामला

553 **श्री अयूब खां** (तिजारा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री सुग्रीवसिह चौहान, पी. टी. आई., निजी शिक्षण संस्था सैनिक उच्च माध्यमिक विद्यालय, अलवर में 19 वर्ष से सेवारत था ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पी. टी. आई. को दिनांक 24 फरवरी, 79 को बिना पूर्व सूचना के सैनिक समिति अलवर ने तार द्वारा सेवा निवृत्त किया ?

(3) क्या जिला शिक्षा अधिकारी, अलवर ने सेवा निवृत्ति आदेशों को अनियमित मानकर सेवा बहाली के आदेश किये थे ? यदि हां, तो आदेशों की पालना क्यों नहीं हुई ?

(4) क्या यह सही है कि श्री सुग्रीवसिह चौहान को सेवा निवृत करते समय शिक्षा विभाग के किसी भी सक्षम अधिकारी से नियमित अनुमति नहीं ली गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) इस प्रकार की अनियमितताओं को रोकने हेतु क्या राज्य सरकार निजी

(श्री अयूब खां)
शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी और अध्यापकों की सेवा सुरक्षा विधेयक पेश करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है। उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर श्री सुग्रीवसिंह की नियुक्ति तिथि 3–2–1961 है।

(2) हां। यह सही है। परन्तु जिला शिक्षा अधिकारी, अलवर की सूचना के अनुसार इन्हें दिनांक 28–1–79 को तार द्वारा निष्कासित किया गया है।

(3) प्रार्थी की अपील जिला शिक्षा अधिकारी के पास विचाराधीन है।

(4) जी। अनुदान नियमों में पूर्व अनुमति का प्रावधान नहीं है।

(5) इस प्रकार की अनियमितताएं रोकने हेतु राज्य सरकार शिक्षा विधेयक लाने का विचार रखती है।

गांवों में कार्यरत शिक्षकों को आवासीय सुविधा

554. **श्री एच. एन. शर्मा (वेंगू) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य सरकार ने गांवों में कार्यरत शिक्षकों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना बनाई है ? अगर हाँ, तो योजना क्या है तथा इस वर्ष के बजट में उक्त आवासीय सुविधा हेतु कितना बजट रखा गया है ?

उत्तर

जी नहीं। फिलहाल ऐसी योजना नहीं है।

राजस्थान विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर के पद के चयन का मामला

555. **श्री बंशीलाल सारस्वत** (नागौर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान विश्वविद्यालय में श्री वी. आर. मेहता का गत वर्ष राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर के पद पर चयन किया गया ?

(2) क्या प्रोफेसर श्री रजनी कोठारी का एकेडेमिक कौंसिल द्वारा प्रस्तुत एक्सपर्ट पैनल में नाम था ?

(3) क्या प्रो. श्री रजनी कोठारी को इस चयन के लिए बुलाया गया था ?

(4) उक्त चयन में अन्य और कौन कौन बैठे थे ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) उक्त चयन में अन्य निम्न दो व्यक्ति (विषय विशेष) बैठे थे :—

(शिक्षा मन्त्री)

(1) प्रोफेसर शान्ती स्वरूप लाजपतराय, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, पंजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ़ ।

(2) प्रोफेसर ए. डी. पन्त, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद ।

राजस्थान क्रीड़ा परिषद् में नियुक्ति का मामला

556. **श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान के श्री लक्ष्मणसिंह एक प्रतिभाशाली युवा क्रिकेट खिलाड़ी हैं?

(2) क्या यह सही है कि श्री लक्ष्मण सिंह ने राजस्थान स्पोर्ट्स कौन्सिल में दिनांक 16-7-78 को अपनी नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र दिया था, परन्तु अभी तक कोई नियुक्ति नहीं दी गई ?

(3) क्या राज्य सरकार ऐसे युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की कोई योजना बनाने की ओर गंभीरता से विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। उदयपुर जिले के श्री लक्ष्मणसिंह क्रिकेट के एक अच्छे खिलाड़ी रहे हैं।

(2) जी हां। परन्तु प्रशिक्षक का स्थान रिक्त न होने के कारण नियुक्ति नहीं की गई।

(3) युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिये राज्य क्रीड़ा परिषद् सभी संभव प्रयास करती रही है।

राज्य में नये स्कूल, कालेज खोलने व क्रमोन्नत करने संबंधी नीति

557. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में गत दो सालों में कहां कहां नये कालेज व स्कूल खोले गये या क्रमोन्नत किये गये ? हर साल वार मय नाम गांव व जिले के सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार ने नया कालेज व स्कूल खोलने या क्रमोन्नत करने के लिये कोई नीति बना रखी है ? यदि हां, तो क्या और उनका पालन किस हद तक किया जाता है ?

(3) राज्य में जून, 1977 से दिसम्बर, 1977 तक कालेज व स्कूल खोलने व क्रमोन्नत करने में क्या आधार काम में लिया गया ?

(4) क्या यह भी सही है कि खोले जाने वाले कालेजों व स्कूलों को समय पर स्टाफ नहीं दिया जाता है जिससे छात्रों की पढ़ाई का नुकसान होता है ? यदि हां, तो स्टाफ कितने दिनों बाद भेज दिया जाता है ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) जी हां। स्कूल खोलने व क्रमोन्नत

(शिक्षा मन्त्री)

करने के संबंध में वर्ष 78–79 में 1971 की जनसंख्या को मुख्य आधार माना है। 400, 2000, 3000 की आवादी पर क्रमशः प्राइमरी, मिडिल एवं सैकण्डरी विद्यालय खोले गये हैं। रेगिस्तानी एवं आदिवासी क्षेत्रों में इसमें शिथिलन किया गया है और 350, 1750 एवं 2750 पर क्रमशः प्राइमरी, मिडिल एवं सैकण्डरी स्कूल खोले गये हैं। इस नीति का अधिकाधिक पालन किया जाता है। जहां तक कालेज खोलने का प्रश्न है उनके लिये कोई निश्चित आधार नहीं बनाया गया।

(3) खण्ड 2 के अनुसार।

(4) जी नहीं। विभाग का यह प्रयत्न रहता है कि स्कूलों एवं कालेजों में यथा-सम्भव शीघ्र स्टाफ भेजा जावे।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

तहसील दांतारामगढ़ में खोले गये स्कूल

558. **श्री मदनसिंह दांता** (दांता रामगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1977 78 व 78–79 में तहसील दांतारामगढ़ में हायर सैकण्डरी, सैकण्डरी मिडिल व प्राइमरी स्कूलें खोली गई ? अगर हां, तो कौन से ग्रामों में ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि कई ग्रामों में मकान अभी तक तैयार नहीं हुए हैं तथा छात्रों की संख्या भी कम है ? अगर हां, तो उन ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि जब स्कूलें स्वीकृत की गई थीं उस वक्त मकान तैयार नहीं थे ?

(4) क्या यह भी सही है कि सरपंच ग्राम पंचायत सूरेरा ने प्रार्थना-पत्र दिया था कि ग्राम सुपियावास की मिडिल स्कूल का भवन भी नहीं है तथा छात्र भी नहीं हैं, उक्त स्कूल को मेरे यहां खोल दी जावे ? अगर हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) छात्र विद्यालयों के बारे में उपलब्ध सूचना के अनुसार यह सही है। छात्राओं के विद्यालयों के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है।

(4) जी नहीं। सुपियावास में काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत अब मकान पर्याप्त हो जायेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें।)

(28)

जयपुर शहर के मुख्य बाजारों की दुकानों के आगे के बरामदों पर से अनधिकृत कब्जों को हटाने का मामला

559. **श्री रामरघुनाथ चौधरी** (डेगाना) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर के बाजारों में (1) मिर्जा इस्माइल रोड (2) जौहरी बाजार (3) चौड़ा रास्ता (4) चांदपोल से बड़ी चौपड़ आदि दुकानों के आगे बरामदा बना हुआ है, जिस पर कहीं कहीं दुकान वालों ने कब्जा कर उनको रोक कर दुकान का ही रूप दे दिया है ? क्या यह मनमानी नहीं है ? क्या यह कार्य स्वीकृति लेकर किया गया है ?

(2) क्या इस तरह के कब्जे हटाकर राज्य सरकार बरामदे खाली कराने का विचार रखती है ? जिससे बाजार खूबसूरत लगे तथा खरीद करने वाले उपभोक्ताओं को वर्षा व धूप से बचाव मिल सके ? अगर नहीं, तो क्या बचे हुए बरामदों में कब्जा करने की स्वीकृति देना राज्य सरकार उचित समझती है ? क्योंकि कुछ पर कब्जा हो जाने के बाद बाकी बचे कुरूपता बढ़ाते हैं तथा उनका कोई जन उपयोग नहीं है ।

उत्तर

(1) जी हां । पार्टीशन्स लगा कर अनाधिकृत कब्जे कर लिये हैं ।

(2) राज्य सरकार ने बरामदों को किराये पर देने का निर्णय ले लिया है । दरें निश्चित करने के लिए विचार चल रहा है ।

जिला सीकर में खोले गये एवं क्रमोन्नत किये गये स्कूल

560. **श्री हरलालसिंह खर्रा** (श्री माधोपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सीकर में गत सत्र में व चालू सत्र में कहां-कहां किस स्तर की स्कूलें क्रमोन्नत हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) उपरोक्त क्रमोन्नत व नये विद्यालयों में कितनी कितनी पोस्टें राज्य सरकार से स्वीकृत हुई तथा वहां पर कब कब किस किस अध्यापक की नियुक्ति हुई ? स्कूल वार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

1. सूची संलग्न है ।

2. छात्र विद्यालयों के लिए वर्ष 1977-78 में 100 पद तथा 1978–79 में 69 पद स्वीकृत किये गये । इन पदों पर जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, उनका विवरण संलग्न है । छात्रा विद्यालयों, ग्रामीण-प्राथमिक विद्यालयों की सूचना एकत्रित की जा रही है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें ।)

Page No. 29

(29)

सीकर जिले के प्रशिक्षित उद्योग अध्यापकों की पात्रता सूची

561. श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्री माधोपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि प्रशिक्षित उद्योग अध्यापकों की पात्रता सूची सीकर जिले में पिछले तीन साल से नहीं बनी ? यदि हां, तो किन कारणों से ? यदि सूची बन गई है, तो उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

जी नहीं। सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें।)

सीकर जिले के प्रधानाध्यापकों को वेतन लाने के लिये टी. ए. एवं डी. ए. देने का मामला

562. श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्री माधोपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सीकर जिले में उन प्रधानाध्यापकों को जो अपने मुख्यालय से दूरस्थ स्थित कोषागार से वेतन स्वयं जाकर लाते हैं उनको टी. ए. व डी. ए. नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो किस नियम के अनुसार और क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि अन्य अधिकारियों को उपरोक्त दूरी पर आने जाने पर उनको टी. ए. एवं डी. ए. दिया जाता है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

उत्तर

(1) नियमानुसार ही टी. ए. एवं डी.ए. दिया जाता है।

(2) अन्य अधिकारियों को नियमानुसार 8 घन्टे विश्राम करने पर ही डी. ए. दिया जाता है।

सैनिकों के कल्याण हेतु अतिरिक्त सुविधाएं

563. श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) : क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा भूतपूर्व एवं वर्तमान में सैनिक सेवा में कार्य कर रहे सैनिकों एवं अधिकारियों को दी जाने वाली सुविधायें अपर्याप्त हैं ?

(2) राज्य में जनता सरकार बनने के बाद सैनिकों के कल्याण हेतु क्या अतिरिक्त सुविधायें जुटाई गईं ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जनता सरकार बनने के बाद सैनिकों के कल्याण हेतु प्रमुख रूप से अतिरिक्त निम्न सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं :—

Page No. 30

(३०)

(सैनिक कल्याण मन्त्री)

1. राजस्थान सिविल सर्विस (आबजर्वेशन आफ एक्स सर्विस पर्सनल), नियम 1959 के अधीन सेवा निवृत्त सैनिकों की विभागों में नियुक्ति करने के लिए नियोजन कार्यालयों से नाम मंगवाने की छूट प्रदान की है।

2. मुख्य मंत्री सुरक्षा कल्याण कोष से प्रथम बार भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को छात्रवृत्ति देने हेतु वर्ष 1978 में 1,50,000/– रुपये की राशि प्रदान की गई है।

3. प्रथम बार राज्य में राज्य सैनिक बोर्ड का गठन सैनिकों के कल्याण एवं पुनर्वास हेतु किया गया है।

सपोटरा निर्वाचन क्षेत्र की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गबन/घोटाले

564. श्री रंगजी (सपोटरा), श्री **उमरावसिंह गूजर** (महुवा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समितियां मसारता, सुल्तानपुरा, सलेमपुर, गुज्जूपुरा, आठाडूंगर, उनायती आदि जो निर्वाचन क्षेत्र सपोटरा में हैं, में भयंकर घोटाले, अनियमिततायें और धन का दुरुपयोग पाया गया, यह संकेत इन सोसाइटियों की आडिट रिपोर्ट में भी दिया गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा भी समय समय पर माननीय मंत्री महोदय को तथा उच्च अधिकारियों को जांच के लिये लिखा गया किन्तु अभी तक कोई जांच नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ? यदि जांच की गई, तो दोषी व्यक्तियों को क्या दण्ड दिया गया है ?

उत्तर

(1) समितिवार उत्तर निम्न प्रकार है :—

1. ग्राम सेवा सहकारी समिति मसारता :—

वर्ष 76–77 की आडिट रिपोर्ट के आधार पर समिति के अध्यक्ष, श्री हरिप्रसाद गुप्ता के खिलाफ रु. 2387.85 का मामला धारा 74 के अन्तर्गत दर्ज किया गया जिसका फैसला दिसम्बर, 1978 को दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त सहकारी प्रसार अधिकारी, पं० सं० सपोटरा की जांच के आधार पर श्री हरिप्रसाद गुप्ता, अध्यक्ष के विरुद्ध रुपये 5472.64 पै. के लिये तथा श्री रामबाबू व्यवस्थापक के विरुद्ध 1661.59 के लिये धारा 74 के अन्तर्गत एक और केस दर्ज किया गया है जिसकी कार्यवाही जारी है।

2. सुल्तानपुरा सहकारी समिति-वर्ष 77–78 :—

आडिट रिपोर्ट के आधार पर 7 व्यक्तियों के विरुद्ध रु० 17974–60 के मामले प्रकाश में आए हैं जिनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 74 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

(सहकारिता मंत्री)

3. सलेमपुर सहकारी समिति वर्ष 76–77 की आडिट :—

आडिट रिपोर्ट के आधार पर श्री मोती लाल, व्यवस्थापक तथा श्री ठंडीलाल मीणा, मंत्री के विरुद्ध रु० 1881·12 का मामला धारा 74 के अन्तर्गत दर्ज किया गया जिसकी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। इसके अलावा श्री मोतीलाल, व्यवस्थापक के खिलाफ रु. 8280·59 का धारा 74 के अन्तर्गत एक और केस दर्ज किया गया है जिसका फैसला 27-2-79 को कर दिया गया है।

4. गुज्जूपुरा समिति :—

समिति का वर्ष 77–78 का आडिट अभी होना शेष है। वर्ष 76–77 का आडिट रिपोर्ट के अनुसार कोई गबन का मामला नहीं है।

5. आड़ा डूंगर समिति :—

समिति का वर्ष 77–78 का आडिट हो चुका है जिसके अनुसार कोई भी गम्भीर अनियमितता का मामला प्रकाश में नहीं आया है।

6. उनायती समिति :—

समिति के वर्ष 77–78 की आडिट रिपोर्ट के अनुसार 5 व्यक्तियों के विरुद्ध रु. 2955–68 पै. के मामले प्रकाश में आए हैं जिसकी बाबत धारा 74 का केस दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

(2) मसारता ग्राम सेवा सहकारी समिति में रु. 7000/– के गबन की सूचना मंत्री महोदय के माध्यम से विभाग को प्राप्त हुई थी। जांच के फलस्वरूप समिति के अध्यक्ष एवं व्यवस्थापक के विरुद्ध धारा 70 व 74 के अन्तर्गत जांच की जा रही है। प्रारम्भिक जांच के फलस्वरूप धारा 74 में केस दर्ज किया जा चुका है। इस समिति की शिकायत के अतिरिक्त और कोई शिकायत प्राप्त होना नहीं पाया गया।

जिला बांसवाड़ा की गृह निर्माण समितियां

565. श्री जिथिंग भाई (कुशलगढ़) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने का कृपा करेंगे :—

(1) जिला बांसवाड़ा में गृह निर्माण समितियां कितनी हैं व कब से किन-किन क्षेत्रों में हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) पंचायत समिति सज्जनगढ़ में कितनी गृह निर्माण समितियों को ऋण स्वीकृत किया गया तथा कितने गृह निर्माण कराये गये? उन पर कितनी धनराशि व्यय हुई? समितिवार रकम दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) इन समितियों द्वारा किस सन् में गृह निर्माण कराये गये उनमें से कितने रहने योग्य हैं?

(4) क्या यह सही है कि उक्त समितियों द्वारा जो गृह निर्माण कराये गये हैं वे सभी अधूरे हैं व खण्डहरों के रूप में पड़े हैं?

(श्री जोयिग भाई)

(5) ऐसे भवन निर्माण में व्यय हुई राशि में राज्य सरकार द्वारा सहकारिता के माध्यम से कितनी रकम दी गई ?

(6) राज्य सरकार द्वारा भवनों को पूर्ण कराने तथा ऋण की वसूली की क्या कार्यवाही की गई ?

(7) क्या इन दुरुपयोग करने वाले दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने का राज्य सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा में 44 गृह निर्माण सहकारी समितियां हैं। पंजीयन की तारीख व क्षेत्र वार सूचना सूची "अ" में अंकित है।

(2) पंचायत समिति सज्जनगढ़ में 9 गृह निर्माण सहकारी समितियों को 188 भवन निर्माण हेतु 748000/– रु० ऋण स्वीकृत किया गया, जिनको स्वीकृत ऋण में से 4,32,800/–रु० की राशि उपलब्ध करा दी गई। समिति वार सूचना संलग्न सूची "अ" में अंकित है।

(3) इन समितियों के सदस्यों ने 1975–76 से गृह निर्माण कार्य आरम्भ करवाया, जिनमें से खुन्दीहाला के 22 सदस्यों को पट्टी स्तर तक गृह निर्माण होने पर मकान के पश्चात् अन्तिम किश्त 34200/– रु० दिनांक 21–1–78 को तथा इसी प्रकार ताम्बेसरा के 19 सदस्यों को 19-2-79 को अन्तिम किश्त के 30,400/- रु० दिये गये जिनकी उपयोगिता की जांच की जा रही है।

(4) जी हां। उक्त समितियों में से 7 समितियों के 141 भवन अधूरे हैं।

(5) इन समितियों को राज्य सरकार द्वारा कोई राशि नहीं दी गई अपितु राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव फाइनेन्स सोसायटी द्वारा 4,32,800/– रु० के ऋण दिये गये हैं।

(6) विभाग द्वारा इनके भवनों को पूर्ण कराने के लिये समिति के पदाधिकारियों को नोटिस दिये गये हैं कि जिस-जिस व्यक्ति द्वारा भवनों को पूर्ण नहीं किया जा रहा है, उससे निर्धारित स्तर अनुसार शीघ्र पूर्ण करवालें और अगली किश्तें दिलाने की कार्यवाही करें अन्यथा इन्हें दी गई राशि वसूल करने की कार्यवाही की जावेगी।

(7) जी हां। यदि नोटिस के अनुसार उपयोग नहीं कर निर्माण पूरा नहीं किया गया तो डिफाल्टर व समितियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाकर वसूली की जावेगी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें।)

सिरोही में खनिज अभियन्ता का रिक्त पड़ा पद

566. श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सिरोही में खनिज अभियन्ता का पद कब से रिक्त है ? क्या यह सही है कि राज्य

(श्री रघुनन्दन व्यास)

सरकार श्री मदन गोपाल व्यास (बून्दी) को प्रमोशन देकर उस स्थान को भरना चाहती है ? यदि नहीं, तो सिरोही जिले की खनिज सम्पदा का अपव्यय कैसे रोकने की योजना है ?

उत्तर

खनिज अभियन्ता, सिरोही का पद दिनांक 2?—7—78 से रिक्त हुआ था। श्री आर. के. जैन सहायक खनिज अभियन्ता सोजत सिटी अपने पद के साथ इस पद का कार्य देख रहे थे। इस पद पर राज्यादेश संख्या प-1 (29) ग्राम ग्रुप—3/75 दिनांक 19—?—79 के द्वारा श्री आर सी. भार्गव खनिज अभियन्ता का प्रति नियुक्ति से वापस लौटने पर पद स्थापन किया गया है।

तहसील बेगूं की लोहे की खानों का सर्वे

567. **श्री एच. एन. शर्मा** (बेगूं) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम डोराई पंचायत समिति, बेगूं तहसील बेगूं के विराना मौजा महुपुरा में कुछ वर्षों पूर्व खदानों से लोहा निकाला जाता था ? अगर हां, तो क्या राज्य सरकार के पास इसका कोई रिकार्ड मौजूद है ?

(2) क्या राज्य सरकार इन खदानों का सर्वे कराकर जांच कराने का विचार रखती है कि इन खदानों में लोहा उपलब्ध है या नहीं ?

उत्तर

(1) नहीं।

राज्य सरकार के पास उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार इस क्षेत्र में विगत कई वर्षों में लोह खनिज का उत्खनन होना नहीं पाया गया है।

(2) हां, राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र का प्रारम्भिक सर्वे कराने हेतु निर्धारित कार्यक्रम में प्रस्ताव किया जा रहा है। इस सर्वे से उत्साहजनक संकेत प्राप्त होने पर लोह खनिज के बारे में विस्तृत जांच की जायगी।

माधव गृह निर्माण सहकारी समिति, जयपुर

568. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर में माधव गृह निर्माण सहकारी समिति कब से काम करती है और उसके पदाधिकारी कौन कौन हैं ? नाम मय पते सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इस सहकारी समिति को कुल कितनी जमीन गृह निर्माण के लिये कहां से प्राप्त हुई और कितनी कीमत में ? स्थान व खसरा नम्बर सहित जानकारी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) इस समिति ने कितने सदस्यों को गृह निर्माण हेतु कितने भू-भाग किस किस नाप के कितने रुपये लेकर दिये ? पूरे नाम पते सहित मय प्लाटों की नाप की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(सहकारी मन्त्री)

उत्तर

(1) जयपुर में माधव नगर गृह निर्माण सहकारी समिति दिनांक 3–11–72 को पंजीकृत की गई थी। पदाधिकारियों की सूची मय पते के संलग्न परिशिष्ट "क" में अंकित है।

(2) इस सहकारी समिति द्वारा कुल 140 बीघा 19 बिस्वा जमीन संलग्न सूची परिशिष्ट "ख" के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों से रु. 7,82,753/– में क्रय की।

(3) इस समिति ने गृह निर्माण हेतु 492 सदस्यों को भू-भाग दिये हैं। सदस्यों के नाम, आवंटित भू-भाग के नाप मय कीमत परिशिष्ट "ग" में अंकित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

राज्य की सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में विभिन्न प्रकार की हड़तालें

569. श्री एच. एन. शर्मा (बेगूं): क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) 1 अप्रेल, 1978 से लेकर अब तक राज्य में सरकारी, अर्ध-सरकारी एवं प्राइवेट संस्थानों में कुल मिलाकर कितनी हड़तालें, जिनमें टूल डाउन, धीरे गति से कार्य करना आदि भी शामिल हैं की गई हैं? इन हड़तालों के कारणवश कितने मैन आवर्स का नुकसान हुआ, तथा आर्थिक रूप में उत्पादन में कितनी क्षति हुई ?

(2) उक्त अवधि में कितने प्रतिवेदन श्रम विभाग के द्वारा राज्य सरकार को प्राप्त हुए हैं तथा इनमें से कितने प्रतिवेदन लेबर ट्रिब्यूनल को भेजे गये हैं ? जो प्रतिवेदन लेबर ट्रिब्यूनल को नहीं भेजे गये हैं उसका क्या कारण है ?

उत्तर

(1) उपलब्ध सूचना के अनुसार 93 हड़तालें हुई हैं, 20,24,384 मैन-आवर्स का नुकसान हुआ है तथा लगभग 6·56 करोड़ रुपये की उत्पादन में क्षति हुई है।

(2) 421 प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्राप्त हुये जिनमें से 271 प्रतिवेदन लेबर ट्रिब्यूनल को भेजे गये हैं। जो प्रतिवेदन ट्रिब्यूनल को नहीं भेजे गये उनका कारण निम्न प्रकार है :—

31 प्रतिवेदन भेजने योग्य नहीं थे।

27 प्रतिवेदनों पर अधीनस्थ कार्यालयों से टिप्पणी मांगी गई है।

92 प्रतिवेदनों पर शासकीय विभागों से टिप्पणी चाही गई है।

रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार अनुसूचित जाति/जनजाति की संख्या

570. श्री बत्तीलाल मीणा (टोडाभीम): क्या श्रम एवं रोजगार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विभिन्न रोजगार कार्यालयों में कुल पंजीयन संख्या कितनी है तथा उनमें अनुसूचित जाति और जनजाति की अलग-अलग संख्या कितनी है एवं उसका प्रतिशत क्या है ? मैट्रिक, हायर सैकण्डरी, स्नातक

(श्री ...तीलाल मीणा)

और स्नातकोत्तर तथा अन्य की अलग अलग संख्या क्या है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से कुल कितने लोगों को रोजगार दिलाया गया ? उनमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की संख्या एवं प्रतिशत क्या है ?

उत्तर

(1) राज्य के विभिन्न नियोजन कार्यालयों की जीवित पंजिका पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार दिनांक 31–12–78 को रोजगार प्राप्त करने हेतु कुल 3,22,285 आशार्थी पंजीकृत थे जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के आशार्थियों की संख्या क्रमशः 41,409 एवं 17,573 थी एवं उनका प्रतिशत क्रमशः 12.84 एवं 5.45 था। मैट्रिक, हायर सैकण्डरी, स्नातक और स्नातकोत्तर तथा अन्य की अलग अलग संख्या निम्न प्रकार से है :—

	कुल	अनुसूचित जाति के आशार्थी	अनुसूचित जाति के आशार्थियों का प्रतिशत	अनुसूचित जन जाति आशार्थी	अनुसूचित के जन जाति के आशार्थियों का प्रतिशत
1. अन्य (मैट्रिक से कम)	1,67,905	30,025	17.88 %	12,883	7·67 %
2. मैट्रिक	58,225	5,825	10.00 %	2,338	4.01 %
3. हायर सैकण्डरी	50,301	3,520	6.99 %	1,209	2.40 %
4. स्नातक	40,542	1,714	4.22 %	879	2.17 %
5. अधिस्नातक	5,312	325	6.11 %	264	4.96 %
	3,22,285	41,409	12.84%	17,573	5.45 %

(2) वर्ष 1978 (1–1–78 से 31–12–78 तक) राज्य के नियोजन कार्यालयों के माध्यम से कुल 22,312 आशार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया जिनमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के आशार्थी क्रमशः 2,975 एवं 1,519 थे। इनका कुल नियोजित आशार्थियों से प्रतिशत क्रमशः 13.32 एवं 6.80 था ।

ग्राम कुनाड़ तहसील कोटपूतली में फसल लूटे जाने एवं फौजदारी के मामले

571. **श्री रामकरण सिंह** (कोटपूतली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) औमकार अहीर कुनाड़ तहसील कोटपूतली ने एस. पी. जयपुर को कब कब क्या क्या प्रार्थना-पत्र दिये ?

(2) कोटपूतली के पुलिस अधिकारियों को जयपुर एस. पी. ने कब कब क्या क्या आदेश दिये ?

(3) एस. पी. जयपुर के आदेश को कितनी दफा पुलिस अधिकारी दबा गये ? यदि नहीं, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

(श्री रामकरण सिंह)

(4) किन किन केसों के चालान केस रजिस्टर होने के कितने दिन बाद हुए ?

(5) एस.पी. ने किन किन को इन केसों की जांच करने पर लगाया ? किस किस ने आदेशों का पालन किया, किस किस ने पालन नहीं किया ?

(6) चार दफा उक्त गांव में फसल लूटी गई, फौजदारी हुई, जिसका चालान कितनी दफा हुआ ? यदि नहीं, तो क्या इस अराजकता को अब रोकेंगे ?

उत्तर

(1) श्री ओमकार अहीर सा0 कनेड़ ने पुलिस अधीक्षक, जयपुर को दिनांक 2-9-78 को श्री सुरजा वगैरह के विरुद्ध फसल नष्ट करने व घरोंटी बांध ले जाने व मारपीट करने के आरोपों का प्रार्थना पत्र पुलिस–अधीक्षक, जयपुर को पेश किया गया था।

(2) उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर पुलिस अधीक्षक ने कोटपूतली के किसी अधिकारी को कोई आदेश नहीं दिया। अपर पुलिस अधीक्षक, जयपुर को निर्देश दिये थे।

(3) सी. ओ. कोटपूतली को जांच व आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश दिए। इसी घटना का पहले से ही अभियोग पंजीबद्ध हो जाने के कारण पृथक से परिवाद पर कोई जांच करना आवश्यक नहीं समझा गया।

(4) इस घटना से संबंधित केवल अभियोग संख्या 90 दिनांक 3–9–78 को दर्ज किया गया था जिसका चालान 103 दिन बाद न्यायालय में कर दिया गया।

(5) पुलिस अधीक्षक ने किसी भी अधिकारी को इस केस की तफतीस हेतु नहीं लगाया। अतः आदेशों की पालना नहीं करने का प्रश्न नहीं उठता।

(6) फसल चोरी की घटना की एक ही बार रिपोर्ट दर्ज करवाई गयी जिसके बारे में मुकदमा दर्ज कर मुलजिमान के विरुद्ध न्यायालय में चालान कर दिया गया तथा जमीन के बारे में दोनों भाइयों में झगड़ा होने के कारण इस्तगासा 145 जा० को में भी प्रस्तुत किया गया है।

सिविल लाइन्स में हुई चोरी का मामला

572. श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली)– क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सिविल लाइन्स में श्री सरदार सिंह की चोरी कब हुई ?

(2) मुख्य मंत्री को कितनी दफा प्रार्थना–पत्र दिए ?

(3) चौकी सोडाला में किसने केस दर्ज किया ?

(4) किस किस अधिकारी ने कब कब किस से जांच की ?

(5) किन किन कारणों व दबाव से केस में कब कब फाइनल रिपोर्ट दी गई ?

(6) श्री कन्हैयालाल थानेदार ने पुन किस दबाव में आकर फाइनल रिपोर्ट दी ?

(श्री रामकरण सिंह)

(7) क्या उपरोक्त अधिकारी ने श्री सरदार सिंह को बुलाकर 24 फरवरी को फाइनल रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कराने का दबाव व धमकी दी ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) चोरी दिनांक 14–7–78 को रात्रि के 11-30 बजे हुई ।

(2) दो बार प्राप्त हुये ।

(3) चौकी पर केस दर्ज नहीं होता । इस घटना की सूचना रोजनामचे में स.उ.नि. ने दर्ज की व केस दर्ज करने हेतु सूचना थाना सदर को उसी समय भेजी ।

(4) सूची संलग्न है ।

(5) प्रथम बार दिनांक 11–8–78 को तथा दुबारा दिनांक 23–2–79 को अदम पता माल मुलजिम में फाइनल रिपोर्ट दी गई ।

(6) श्री कन्हैयालाल स.उ .नि ने कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं दी । अतः दबाव का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(7) जी नहीं ।

(सूची के लिये परिशिष्ट 7 देखें)

केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर का मकान

573. **श्री राम कृष्ण दास गुप्ता** (कोलायत) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या बीकानेर में स्थित केन्द्रीय कारागृह शहर के घनी आबादी के क्षेत्र में घिर गई है व इमारत के भी काफी पुरानी होने के कारण जीर्ण शीर्ण अवस्था में है ?

(2) क्या राज्य सरकार इस कारागृह को शहर से बाहर ले जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक सम्भव हो सकेगा ?

उत्तर

(1) यह आंशिक रूप से सही है। बीकानेर स्थित केन्द्रीय कारागृह वर्तमान में शहर के घने आबादी के क्षेत्र में घिरी हुई है। कारागृह भवन बीकानेर राज्य के समय का बना हुआ होने से पुराना है परन्तु इतनी जीर्ण अवस्था में नहीं है, जिससे कोई खतरा हो ।

(2) अभी विचार नहीं हैं ।

आर. ए. एस., अधिकारी को चार्ज-शीट देने सम्बन्धी मामला

575. **श्री राम कृष्ण दास गुप्ता** : (कोलायत): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या श्री रणजीत सिंह गठाला आर. ए. एस. अधिकारी, जो वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में कार्यरत हैं, को चार्जशीट (आरोप-पत्र) राज्य सरकार ने दी है ?

(2) यदि उपरोक्त कथन सही है, तो क्या उन अधिकारी के विरुद्ध दी गई चार्ज-शीट में एक यह आरोप भी है कि वे जब

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

नोहर में एस. डी. एम. के पद पर नियुक्त थे तब तत्कालीन राज्य गृह मन्त्री श्री लाल चन्द को उनके भादरा दौरे के समय अटेन्ड करने अपने हल्के में ही भादरा गये थे ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी नहीं, बल्कि श्री रणजीत सिंह गटाला के विरुद्ध निम्न आरोप लगाये गये हैं:–

आरोप संख्या 1:–

यह है कि उक्त श्री रणजीत सिंह गठाला ने दिनांक 30-4-77 से 20-6-78 तक उपखण्डाधिकारी के साथ भूमि अवाप्ति अधिकारी की हैसियत से चक 8 बारानी भादरा में श्री सूरत राम खादरिया की 11 बीघा भूमि अवाप्ति के मुआवजे में स्वयं की ग्यारह हजार की सिफारिश के विरुद्ध 1,22,000 का अवार्ड देकर घोर भ्रष्टाचार किया ।

आरोप संख्या 2:–

यह कि उक्त श्री गठाला ने उपरोक्त अवधि में उप खन्डाधिकारी, नोहर प्रशासक नगर पालिका, नोहर और प्रशासक कृषि उपज मण्डी, नोहर का कार्य करते हुए इन पदों के प्रभाव और इनकी शक्तियों का इस्तेमाल नोहर के किसान छात्रावास में चन्दा एकत्रित करने में, उसके लिये पानी के खाले खुदवाने में अभियान के रूप में किया और आम नागरिकों में आंतक का वातावरण बना कर उन्होंने गम्भीर दुराचरण किया।

आरोप संख्या 3 :–

यह कि उक्त श्री रणजीतसिंह गठाला उपरोक्त अवधि में उपखण्डाधिकारी का कार्य करते हुए चन्दा वसूली के इस अभियान के समय माह मई, 1978 में अपने पद के सामान्य राजकीय कर्तव्यों के प्रति विमुख हो गए। यहां तक कि न्यायिक पत्रावलियों में उन्होंने स्वयं काम करना बन्द कर दिया, खुद दौरे पर चले जाते थे जब कि अदालत में उनकी ओर से फर्द अहकामें एवं अन्य आदेश लिखा लिए जाते थे जैसे कि वह अदालत में बैठे हों और बाद में जब चन्दा वसूली अभियान से लोटते तो उन अहकामों पर हस्ताक्षर कर देते । कई तारीखों के अहकामों पर जिनका विवरण दोष विवरण पत्र में दिया जा रहा है । श्री गठाला कई दिनों तक हस्ताक्षर नहीं कर पाए और जिलाधीश ने निरीक्षण में पकड़े । इस तरह अपने पद के मुख्य कर्तव्य की अवहेलना कर उसमें खुद की उपस्थिति की झूठी कार्यवाहियां दर्ज करा कर श्री गठाला ने घोर दुराचरण किया ।

आरोप संख्या 4 :–

यह कि उक्त श्री रणजीत सिंह गठाला ने उपरोक्त अवधि में उक्त पद पर कार्य करते हुए माह मई, 1978 में किसान छात्रावास नोहर में नहर से पीने के पानी का खाला खुदवाने में नोहर के गरीब तबके के व्यक्तियों को यह कह कर लगा दिया कि वह पी० डब्लू० डी० विश्राम गृह के सामने खाली पड़े मैदान में अपने मकान बना ले ।

(मुख्य मंत्री)

इस तरह लोगों को इशारा कर उकसाकर उन्होंने खसरा नं० 204 में करीब 130 बीघा भूमि में पचासों व्यक्तियों के मकान बनवा दिये जब कि नोहर कस्बे की सीमा पर पड़ते वाली यह आराजी कस्बे के भावी विकास के लिए बहुमूल्य भूमि थी। श्री गठाला ने इस तरह लाखों रुपये की भूमि पर अनधिकृत निर्माण करवा कर अथवा ऐसे निर्माण की अनदेखी कर गम्भीर दुराचरण किया है।

आरोप संख्या 5 :–

यह कि उक्त श्री रणजीत सिंह गठाला ने उक्त अवधि में उपखण्डाधिकारी नोहर के पद पर कार्य करते समय अनुशासनहीनता का आचरण किया। नियन्त्रण अधिकारी जिलाधीश श्री गंगानगर के आदेशों का जानबूझकर बार बार उल्लंघन किया और गैरहाजिर रह कर अथवा आदेशों के विपरीत दौरे का गम्भीर दुराचरण किया।

आरोप संख्या 6 :–

यह कि उक्त श्री रणजीत सिंह गठाला ने उपरोक्त अवधि में उपखंडाधिकारी नोहर के पद पर कार्य करते हुए महत्वपूर्ण जांच के मामलों को इस तरह दबा कर रखा कि दोषी व्यक्ति देरी का लाभ उठाकर दण्ड से बच सके और गरीब फरियादी राहत न पा सके। इस तरह गम्भीर दुराचरण किया।

आरोप संख्या 7 :–

यह कि उक्त रणजीत सिंह गठाला ने उक्त अवधि में उक्त पद पर कार्य करते हुए राजस्व अभियान में गांवों में मजमा-ए-आम लगाए जिनमें से कुछ गांवों में जिनका विवरण दोषारोपण पत्र में दिया गया है। अन्त्योदय योजना में गांव के गरीब व्यक्ति को न चुन कर ऐसे व्यक्तियों को चुना जिनके पास 40 बीघा से अधिक 60, 70, 80, 100 बीघा तक जमीन थी और इस तरह अन्त्योदय योजना को मखौल बना कर रख दिया और इस तरह गम्भीर दुराचरण किया।

आरोप संख्या 8 :–

यह कि उक्त श्री रणजीत सिंह गठाला ने जो उपरोक्त अवधि में नगरपालिका नोहर और कृषि उपज मण्डी समिति, नोहर के प्रशासक पदों पर भी नियुक्त रहे और इन पदों पर कार्य करते हुए नगरपालिका नोहर में वित्तीय नियमों का उल्लघंन करते हुए गलत तरह से निर्माण कार्यो के ठेके दिये और पदों का दुरुपयोग करते हुए मनमाने तरीके से नियुक्तियां दीं जिनमें भाई भतीजावाद बरता और इस तरह गम्भीर दुराचरण किया।

धौलपुर क्षेत्र में अन्त्योदयी परिवार

576. **श्री जगदीश सिंह** (धौलपुर): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

धौलपुर विधान सभा क्षेत्र में 1977-78 में अन्त्योदय योजना के अन्दर कितने लोग चयन किये हैं और कितने लोगों को इसके तहत लाभान्वित किया गया तथा कितने बाकी रहे व क्यों?

उत्तर

धौलपुर विधान सभा क्षेत्र में प्रथम चरण

(मुख्य मंत्री)
में 745 परिवारों का चयन किया गया था। उनमें से 224 परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है। शेष 521 परिवारों को निम्नलिखित कारणों से लाभान्वित नहीं किया जा सका है :—

1. 105 परिवारों पर अवधि पार ऋण बकाया होने के कारण

2. 102 परिवारों के सहायता लेने से इन्कार कर देने के कारण

3. 302 परिवारों के ऋण प्रार्थना पत्र बैंक को प्रस्तुत किये गये हैं।

4. 12 परिवारों का गलत चयन होने के कारण।

कुल 521 परिवार

अन्त्योदय योजना विभाग में लिपिकों की नियुक्ति

577. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—
क्या यह सही है कि अन्त्योदय प्रोग्राम का कार्य राज्य सरकार द्वारा बड़े जोर शोर से चलाया जा रहा है? इस प्रोग्राम से संबंधित कार्य को सुचारु रूप से चलाने हेतु एवं अन्त्योदय परिवारों को दी जाने वाली सुविधाओं का लेखाजोखा रखने हेतु राज्य में कितने लिपिक पद स्थापित किये गये? अगर नहीं, तो क्यों? क्या इस योजना का अतिरिक्त कार्य भार लिपिकों पर लादने से उनके मूल कार्य में शिथिलता आई है?

उत्तर

जी हां

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलों में कोई पद स्वीकृत नहीं किया गया है। हां, सचिवालय में 2 पद वरिष्ठ लिपिक, 2 पद कनिष्ठ लिपिक के सृजित किये गये हैं।

फिलहाल आवश्यकता नहीं है।

जी नहीं।

धोंद क्षत्र (सीकर) के अन्त्योदय परिवार

578. श्री रामदेवसिंह (धोंद) :–क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र धोंद, जिला सीकर में अन्त्योदय योजना के तहत प्रथम चरण में सन् 1977–78 में कितने परिवारों में से कितने परिवारों को किस किस प्रकार का लाभ मिल चुका है? शेष को कब तक मिल जावेगा?

उत्तर

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र जिला सीकर में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में 826 परिवारों का चयन किया था।

इन परिवारों को निम्न रूप से अब तक लाभान्वित किया गया है। :—

1–वृद्धावस्था पेन्शन 125

(मुख्य मंत्री)

2–भू–आवंटन	3
3–ऋण वितरण	329
सहकारी एवं व्यावसायिक बैंक द्वारा	
4–ऋण स्वीकृत परन्तु वितरण शेष	157
5–नियोजन	1
6–चर्खा वितरण	122
योग :—	737
लाभान्वित से शेष	89
	826

बकाया परिवारों को शीघ्र ही लाभान्वित करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

दिनांक 7 मार्च, 1979 की सरकारी अधिसूचना से सम्बंधित मामला

579. **श्री गंगासहाय** (कठूमर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 7-3-78 द्वारा यह संशोधन किया गया है कि पदोन्नतियों में जोन आफ कन्सीडरेशन में 1 से 5 तक की रिक्तताओं के लिए चौगुने, 6 से 10 तक की रिक्तताओं के लिए तीन गुने तथा 10 से अधिक रिक्तताओं के लिए दुगुने कर्मचारियों को कन्सीडर किया जावेगा ? यदि हाँ, तो इस अधिसूचना की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि इस अधिसूचना से पूर्व के नियमों में जोन आफ कन्सीडरेशन में अधिक कर्मचारियों को कन्सीडर करने का प्रावधान था ? यदि हां, तो दिनांक 7-3-78 के संशोधन से क्या अनुसूचित जाति/जन जाति के कर्मचारियों के हित में कुप्रभाव पड़ा है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि अनुसूचित-जाति/अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों की सेवा अवधि इतनी अधिक नहीं होती और वे वरिष्ठता में नहीं आते इसीलिए पदोन्नतियों से वंचित रह जाते हैं ? यदि हां, तो इसमें किसका दोष है ?

(4) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों को पदोन्नतियों में निर्धारित रोस्टर बिन्दू की पूर्ति के लिए उनकी वरिष्ठता सूची अलग अलग से वर्गवार बनाने तथा आरक्षित बिन्दू पर उनकी पदोन्नति करने के सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिथिलता नियमों में करने के लिए राज्य सरकार का इरादा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि पदोन्नतियों में जोन आफ कन्सीडरेशन की निर्धारित की गई संख्या में वृद्धि की जावे तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के कर्मचारी लाभान्वित हो सकते हैं ? यदि हां, तो ऐसा करने में राज्य सरकार को क्या बाधा उत्पन्न होती है ?

उत्तर

(1) जी हां। अधिसूचना दिनांक 7-3-1978 की प्रति संलग्न है।

(मुख्य मंत्री)

(2) जी हां।

(2) इसका प्रभाव वरिष्ठता में कनिष्ठ व्यक्तियों पर पड़ता है जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति व अन्य वर्ग सामान्य रूप से प्रभावित होते हैं।

(3) वरिष्ठता के अनुसार जोन आफ कन्सीडरेशन में आने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का पदोन्नति के लिए विचार किया जाता है।

(4) इस विषय पर मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति विचार कर रही है।

(5) यह विषय भी उपर्युक्त समिति के विचाराधीन है।

(अधिसूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

शराब की दुकानों सम्बन्धी नियम

580 **श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)** : क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है मन्दिर, मस्जिद, स्कूल एवं बस्तियों के पास शराब की दुकान नहीं खोलने सम्बन्धी नियम हैं? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि जयपुर शहर में कच्ची बस्तियों के अन्दर, स्कूलों के पास और मन्दिर और मस्जिदों के निकट नये लाइसेन्स धारियों द्वारा शराब की दुकानें खोली गई हैं? यदि हां, तो राज्य सरकार कब तक इन्हें हटा देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां,। नियम की प्रति संलग्न है।

(2) जी नहीं। इस वर्ष जयपुर शहर की दुकानें ठेकेदारों द्वारा नहीं चलाई जा रही है, इन्हें गंगानगर शुगर मिल्स के माध्यम से चलाया जा रहा है। अतः ठेकेदारों द्वारा नई दुकानें खोली जाने और उन्हें हटाये जाने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

(नियम के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

बिक्री कर के रूप में मकराना से प्राप्त राशि

581. **श्री अब्दुल अज़ीज** (मकराना):– क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

राज्य सरकार को मकराना से कितनी राशि बिक्री कर के रूप में प्राप्त होती है? गत वर्ष के एवं इस वर्ष 1978-79 के आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

मकराना से राज्य सरकार को बिक्री कर के रूप में निम्न राशि प्राप्त हुई है:—

वर्ष	राशि
1977–78	रु० 34.50 लाख
1978–79 (फरवरी. 79 तक)	44.00 लाख

किशनगंज के ग्रामों में अतिरिक्त पेयजल की व्यवस्था

583. **श्रीमती नारंगी देवी** (किशनगंज) क्या जल स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

तहसील किशनगंज के कितने ग्रामों में इस वर्ष पेयजल की अतिरिक्त व्यवस्था की जावेगी तथा इस योजना हेतु इस तहसील में इस वर्ष कितनी राशि व्यय की जावेगी ?

उत्तर

किशनगंज तहसील क्षेत्र में भंवरगढ़ ग्राम की योजना वर्ष 78–79 में स्वीकृत की गई है जिसकी लागत 4.00 लाख रु० है एवं इस वर्ष 1.25 लाख रु० का प्रावधान रखा गया है।

सरदार शहर के बस स्टेण्ड

584. **श्री श्योपतसिंह मकासर** (हनुमानगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सरदार शहर में दो बस स्टेण्ड हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इससे राजस्थान रोडवेज की बसों को अधिक समय लगता है तथा अधिक दूरी तय करनी पड़ती है ?

उत्तर

जी हां सरदारशहर में दो बस स्टेण्ड हैं, मुख्य बस स्टेण्ड अर्जुन क्लब पर है तथा दूसरा स्टेण्ड रेलवे स्टेशन पर है। रेलवे स्टेशन पर बस स्टेण्ड रेल से आने जाने वाले यात्रियों की सुविधा हेतु रखा गया है। उक्त बस स्टेण्ड तक वाहन को आने जाने में 30 मिनट का समय लगता है तथा 18 कि. मी. अधिक दूरी तय करनी पड़ती है।

ग्राम अरणाच तहसील सांचौर की पेयजल योजना

585. **श्री सूरजपाल सिंह** (भीनमाल)– क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है ग्राम अरणाच तहसील सांचोर जिला जालोर की आबादी करीब 3000 (तीन हजार) से ऊपर है ? जिसमें पीने का पानी उपलब्ध कराने हेतु कोई जल प्रदाय योजना नहीं है ? यदि हां, तो इस गांव की जलदाय योजना अभी तक नहीं बनाये जाने के क्या कारण है ?

(2) क्या यह ग्रामवासियों के साथ अन्याय नहीं है ? अगर हां, तो इस गांव के लिए जलदाय योजना कब तक बना दी जायगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं, 1971 की जनगणना के अनुसार गांव की आबादी 2679 है। जिला आयोजना समिति द्वारा यह ग्राम प्रस्तावित नहीं किया गया है। अत : फिलहाल इस ग्राम की योजना बनाया जाना सम्भव नहीं होगा।

(2) जी नहीं, जिला आयोजना से प्राप्त प्रस्ताव के बाद ही विचार किया जा सकेगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 10 पर विभिन्न बस स्टेण्डों पर टिन शेड की व्यवस्था

586. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 11 पर कालाखो, भाण्डारेज, मानपुर तथा मेहन्दीपुर बालाजी पर टिन शेड बस स्टेण्डों पर लगाए जाने के लिए भूतपूर्व यातायात मंत्री श्री केदार नाथ शर्मा द्वारा आदेश जारी कर दिए गए थे ? यदि हां, तो उनकी अनुपालना कहां तक की गई ?

(2) क्या वर्तमान में उपरोक्त स्टेण्डों पर निगम टिन शेड व टिकिट घर बनाए जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक कार्य रूप में परिणित हो जाने की आशा है ?

(3) क्या निगम के पास सिकन्दरा तक जाने वाली सिटी बस को सिकराय तक बढ़ाए जाने बाबत कोई सुझाव तथा मांग सिकराय क्षेत्र की तरफ से आयी थी ? यदि हां, तो निगम उस पर क्या कार्यवाही करने जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) ऐसे बस स्टेन्डों पर यात्री शेड्स लगाने के बारे में आगार प्रबन्धकों सम्भाग प्रबन्धकों की सिफारिशें मांगी गई हैं। सिफारिशें प्राप्त होने पर वित्तीय साधनों की उपलब्धता के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। निगम द्वारा बुकिंग आफिस उन्हीं स्थानों पर खोले जाते हैं जहां पर्याप्त यात्री भार उपलब्ध होता हो तथा प्रतिदिन आय 500-00 रु० से अधिक हो। उक्त स्थानों पर पर्याप्त यात्रीभार तथा वांछित आय बाबत सर्वेक्षण करवाया जा रहा है यदि उपरोक्त शर्तें पूरी हो जायेंगी तो बुकिंग आफिस कायम कर दिये जायेंगे।

(3) जी नहीं। वर्तमान में जयपुर से सिकराय तक निगम द्वारा एक सेवा संचालित की जा रही है, जिसका प्रस्थान सायंकाल जयपुर से 5.15 बजे तथा सिकराय से प्रात: 7.15 है।

विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के ग्रामों की पेयजल योजना

587. श्री भूरालाल (गोगुन्दा) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगें :—

(1) क्या यह सही है कि पदराड़ा, सिम्बड़, कमोल, जसवन्तगढ़, तरपाल, भाणपुरा, करवा, और बगडून्दा में जल योजना लागू करने के सम्बन्ध में पूर्व में राज्य सरकार को आवेदन किया गया था ?

(2) क्या उक्त क्षेत्रों में नारू की बीमारी की आम शिकायत है ? क्या पदराड़ा, कमोल, जसवन्तगढ़, तरपाल, सिमड़ में गांव के लोगों ने जल योजना के लिये अपने हिस्से की राशि करीब 10 वर्ष पूर्व

(श्री भूरालाल)

जमा करा दी है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। ग्राम सोबड़ा जसवंतगढ़, तरपाल की जन सहयोग की राशि वर्ष 1972 में जमा कराई गई थी तथा वर्ष 78–79 में हैण्डपम्प योजना स्वीकृत की गई, यह कार्य शीघ्र पूरा होने की आशा है।

जालौर एवं बाड़मेर जिलों के डिपोज की बसें

588. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला जालौर एवं जिला बाड़मेर में राज्य पथ परिवहन निगम के बस डिपोज की कुल कितनी बसें रूटों पर अब तक चलाई जा रही हैं ? उन बसों में से पुरानी बसें कितनी एवं नई बसें कितनी हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त डिपोज में ज्यादा बसें पुरानी होने से ब्रेक डाउन ज्यादा हो रहे हैं ? अगर हां, तो क्यों ?

(3) उक्त डिपोज में पुरानी बसों का रिप्लेसमेन्ट कब तक कर दिया जावेगा ?

(4) उक्त डिपोज की बसों का ब्रेक डाउन पिछले 6 महीनों में कुल कितनी बार कहां कहां किन किन कारणों से हुए ? सूची बस रूट वाइज सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। भविष्य में उक्त डिपोज की बसों के ब्रेक डाउन कम करने के बारे में निगम द्वारा कब तक क्या क्या कार्यवाही की जावेगी ?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त डिपोज के वर्कशाप अभी तक बसों की समय पर मरम्मत करने एवं उनका अच्छी तरह मेन्टीनेन्स करने में सक्षम नहीं है ? अगर हां, तो उनको सब प्रकार की बसों की मरम्मत करने की दृष्टि से सक्षम कब तक बना दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जालौर एवं बाड़मेर आगार में क्रमशः 36 तथा 32 शिड्यूल्स संचालित करने हेतु 45 तथा 37 वाहन दीं गई है। इनमें क्रमशः 39 पुरानी व 6 नई वाहन जालोर आगार में तथा 28 पुरानी एवं 9 नई वाहनें बाड़मेर आगार में है।

(2) जी नहीं।

(3) निगम की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए ज्योंही नई वाहनें उपलब्ध होंगी उपरोक्त आगारों की पुरानी वाहनों को रिप्लेस कर दिया जावेगा।

(4) सितम्बर, 78 से फरवरी, 1979 की अवधि में जालौर आगार एवं बाड़मेर आगार में क्रमशः 56 तथा 86 ब्रेक डाउन हुये हैं। यह सभी ब्रेक डाउन यान्त्रिक दोषों के कारण हुए हैं। मार्गवार सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है। जालौर आगार में ब्रेक डाउन की दर निर्धारित नोर्म्स (Norms) से कम है, जब कि बाड़मेर आगार में भी माह सितम्बर, 1978 के

(यातायात मंत्री)

अतिरिक्त शेष पांच माह में ब्रेक डाउन की दर निर्धारित नार्म्स से कम ही आती है।

(5) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

निगम की बसों पर खल्लासी की व्यवस्था

589. **श्री रामप्रसाद लड्ढा** (माण्डल) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों में खल्लासी की कोई व्यवस्था नहीं है ?

(2) क्या यह सही है कि खल्लासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण यात्रियों को भारी दिक्कत रहती है और कभी कभी तो सामान चढ़ाने वाले आदमी नहीं मिलते तो यात्री बस चूक जाते हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि खल्लासी नहीं होने के कारण कोई भी आदमी ऊपर चढ़ जाता है व किसी का भी सामान उतार लेता है जिससे सामान की सुरक्षा नहीं रहती है ?

(4) क्या यह सही है कि शादियों में भारी भीड़ रहने के कारण यात्री अपने माल की सुरक्षा नहीं कर सकते ?

(5) क्या यह भी सही है कि सुरक्षा नहीं होने से काफी सामान लोग चुरा कर ले जाते हैं ? अगर हां, तो इस बाबत राज्य सरकार क्या व्यवस्था करना चाहती है ?

उत्तर

(1) जी हां, परन्तु निगम के 22 मुख्य बस स्टेण्डों पर लाइसेन्स शुदा पोर्टर नियुक्त हैं।

(2) मुख्य बस स्टेण्डों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर कठिनाई सम्भव है।

(3) जी हां, यह संभावित है। परन्तु सामान की सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी स्वयं यात्री की ही होती है।

(4) जी नहीं। इस प्रकार की परिस्थिति बहुत कम पैदा होती है।

(5) जी नहीं। सामान चुराने की अपेक्षा यात्रियों की लापरवाही से सामान खो जाने की घटनायें हो जाती हैं। निगम द्वारा पोर्टर्स की नियुक्ति बाबत नियम बनाये हुए हैं। वर्ष 1975 में डिलक्स/सेमी डिलक्स (रात्री सेवायें) अन्तर्राजीय सेवायें एवं द्रुतगामी सेवाओं में पोर्टर्स की नियुक्ति बाबत आदेश जारी किये गये थे। प्रार्थना पत्र आमन्त्रित किये जाने के पश्चात् नियुक्तियां दी गई परन्तु थोड़े समय बाद ही इन पोर्टर्स ने समुचित आय नहीं होने के कारण सेवायें छोड़ दी। द्रुतगामी सेवायें रात्री सेवायें तथा सुविधा वाहन सेवाओं में बसों के साथ कुलियों की व्यवस्था किये जाने हेतु सम्भाग प्रबन्धकों को पुन: दिनांक 2–2–1979 को लिख दिया गया है।

दांता एवं दांतारामगढ़ की जल प्रदाय योजना

590. **श्री मदनसिंह दाता** (दांता रामगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दांता एवं दांतारामगढ़ जल प्रदाय की योजनाओं को रेगुलर किया जा रहा है? अगर हां तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि काकरा बड़ा सरोली में जल प्रदाय योजना बनाने हेतु जिला योजना समिति ने प्रस्तावित की है ? अगर हां, तो इन ग्रामों की योजना बनाने की स्वीकृति कब तक दे दी जावेगी ?

(3) क्या यह भी सही है कि विधानसभा क्षेत्र दांतारामगढ़ में कई योजनाएं स्वीकृत की गई हैं ? अगर हां, तो कौन कौन सी, मय ग्राम के नाम सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह भी सही है कि ग्राम भारीजा तहसील दांतारामगढ़ को भी जिला आयोजना समिति ने भी प्रस्तावित कर दिया है ? अगर हां, तो राज्य सरकार कब तक स्वीकृति दे देगी ?

(5) क्या यह भी सही है कि ग्राम लांवता में जलप्रदाय योजना बनाने हेतु अधिशासी अभियन्ता ने प्रस्ताव भेजे हैं ? अगर हां, तो कब ? योजना को कब तक स्वीकृति दे दी जावेगी ?

(6) क्या यह भी सही है कि ग्राम दूदवा तहसील दांतारामगढ़ की प्राइवेट जल योजना को राज्य सरकार को देने हेतु मामला विचाराधीन है ? अगर हां, तो कब से तथा उक्त योजना को कब तक राज्य सरकार अपने अधीन ले लेगी ?

उत्तर

(1) दांता एवं दांतारामगढ़ ग्रामों की योजनायें स्वीकृत की जा चुकी हैं एवं संधारण में है।

(2) ग्राम डांसरोली व काकरा जिला आयोजना समिति द्वारा वर्ष 78–79 में प्रस्तावित किया है, तकनीकी उपयुक्तता एवं धन की उपलब्धि के अनुसार योजना स्वीकृत किया जाना संभव हो सकेगा।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी हां। तकनीकी उपयुक्तता एवं धन की उपलब्धि के अनुसार ही योजना स्वीकृत किया जाना संभव हो सकेगा।

(5) जी नहीं।

(6) जी हां। मामला विचाराधीन है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

जोधपुर नगर की पेय जल समस्या

591. **श्री माधोसिंह कछवाह** (सरदारपुरा) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर नगर में पेयजल की समस्या के हल के लिये राज्य सरकार की क्या योजना है ? कृपया विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) पानी की खपत 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 और 1985 में क्रमानुसार प्रति वर्ष कितने लाख गैलन होने की संभावना है ? विवरण निम्न प्रकार सदन की मेज पर प्रस्तुत करे :—

	पानी की खपत अनुमानित वर्षवार गैलन में							औसत खपत की
	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	बढ़ोतरी प्रति वर्ष
नागरिकों के पीने के लिये								
रेलवे के लिये								
थल सेना और वायु सेना								
औद्योगिक संस्थान								
अन्य खपत								
कुल योग								

(3) प्रति वर्ष अनुमानित जल वृद्धि कौनसी जल योजनाओं के द्वारा पूर्ति की जायेगी ?

(4) राजस्थान केनाल से पेय जल प्राप्त करने हेतु क्या कोई योजना विचाराधीन है ?

उत्तर

जोधपुर नगर की बढ़ती हुई जनसंख्या को समुचित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार विश्व बैंक सहयोग से योजना बना रही है। विचार विमर्श अभी आरम्भिक चरण में है। योजना को मूर्त रूप देने के पश्चात् ही विवरण उपलब्ध कराना संभव हो सकेगा ।

पीपल्दा क्षेत्र की पंचायतों द्वारा काम के बदले अनाज के तहत कार्यों हेतु चाही गई स्वीकृति

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पीपल्दा क्षेत्र में काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत किन-किन कार्यों हेतु विभिन्न ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यों प्रारम्भ करने की स्वीकृति चाही गई, जिनमें से किन किन कार्यों हेतु स्वीकृति प्रदान करदी गई ? जिनमें से कितने कामों पर कार्य चल रहा है तथा कितने पर कार्य समाप्त हो चुका है ? पंचायत एवं गांववार कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने की स्वीकृति पंचायत समिति तथा जिला प्रशासन द्वारा कई कामों के लिए नहीं दिये जाने का क्या कारण है ?

(3) क्या यह भी सही है कि जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर 60% धन राशि खर्च करने, कच्चे तथा पक्के कामों पर अनावश्यक प्रतिबन्ध, कार्य शुरू करने की तिथि, काम सीमित संख्या में शुरू करने, कम ज्यादा मजदूरी की दरें आदि की भ्रामक सूचनाओं के निकालने से ग्राम पंचायतें समुचित कार्य प्रारम्भ नहीं कर सकीं, जिससे गांवों के प्राथमिक वरीयता के काम भी नहीं हो सके ?

(4) क्या राज्य सरकार इस प्रकार की अनियमितताओं को दूर कर, काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत गांव वालों को अपनी प्राथमिक समस्याओं को दूर करने के आदेश प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) काम के बदले अनाज योजना के तहत विभिन्न ग्राम पंचायतों द्वारा 237 कार्यों की स्वीकृति चाही गई थी, जिनमें से 237 कार्यों की स्वीकृति दे दी गई है। इनमें से 32 कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं 205 कार्य चल रहे हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) समस्त प्रस्तावित कार्यों की स्वीकृति दे दी गई है।

(3) जी नहीं।

(4) इस योजना के अन्तर्गत लिए जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश योजना आरम्भ होने के समय ही प्रसारित कर दिये गये थे एवं इसके पश्चात जब कभी इस योजना की क्रियान्वित के सम्बन्ध में कोई कठिनाई बतलाई गई, उसका निराकरण भी यथा समय किया जाता रहा है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कुम्हेर पंचायत समिति द्वारा निर्मित क्वार्टर्स

594. श्री काशीनाथ गुप्ता (कुम्हेर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री काशीनाथ गुप्त)

(1) भरतपुर जिले की कुम्हेर पंचायत समिति ने कितने क्वार्टर्स बनवा रखे हैं ? उनमें से कितने क्वार्टरों में अब इस पंचायत समिति के कार्यरत कर्मचारी रह रहे हैं ?

(2) शेष क्वार्टर्स में कौन कौन व्यक्ति रहते हैं और वह कहां, किस विभाग में सेवारत हैं ? क्या यह क्वार्टर्स इनके नाम एलाट हैं ? यदि नहीं, तो किनके नाम एलाट हैं एवं वह अब कहां तक, किस पद पर हैं ?

(3) जिन क्वार्टर्स में अब अधिकृत रूप से रह रहे हैं, क्या नियमानुसार वेतन के अनुसार निर्धारित दर से किराया लिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों और क्या अब यह अन्तर वसूल किया जावेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) जिन व्यक्तियों के नाम क्वार्टर्स एलाट नहीं हैं और उनमें वह रह रहे हैं क्या उनमें यह क्वार्टर खाली रखे जावेंगे ? यदि हां, तो कब तक और अब तक खाली क्यों नहीं कराये गये ?

(5) इन क्वार्टर्स में कौन कौन राज्य कर्मचारी ऐसे हैं जो अधिकृत रूप से अब भी रह रहे हैं ? क्या सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ?

(6) पंचायत समिति के कौन कौन से कर्मचारी ऐसे हैं जिनका स्थानांतरण होने पर उनके क्वार्टरों पर कब्जा कर रखा है या दूसरों को किराये पर दे दिये हैं, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी ?

(7) ऐसे कौन कौन से कर्मचारी हैं जिनके ऊपर किराया बकाया है और तब से अब तक इसकी वसूली नहीं की गई जबकि यह सरकारी सेवा में कार्यरत हैं ? अब कब तक यह वसूली कर ली जावेगी ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति कुम्हेर में 14 क्वार्टर्स बने हुए हैं, उनमें से पंचायत समिति के 6 कार्यरत कर्मचारी निवास कर रहे हैं।

(2) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जो निवास गृह पंचायत समिति में कार्यरत कर्मचारियों के नाम हैं उनके वेतन से ही किराया निर्धारित दर से वसूल किया जा रहा है। केवल निवास गृह नम्बर 2 से कोई किराया वसूल नहीं हो रहा है क्योंकि यह इनके नाम आवंटित नहीं है। आवास गृह खाली करने एवं किराया वसूल करने के लिये विकास अधिकारी को निर्देश दे दिया गया है।

(4) उपरोक्त में से केवल निवास नं. 2 ही ऐसा है जो आवंटित नहीं है जिसको खाली कराने का नोटिस दिनांक 15–1–79 को दिया गया है, परन्तु अभी तक खाली नहीं किया है। कार्यवाही जारी है। शेष व्यक्तियों से प्रसार अधिकारियों द्वारा चाहे जाने पर खाली कराने की कार्यवाही की जावेगी। निवास गृहों को खाली रखने का पंचायत समिति का कोई इरादा नहीं है।

(5) इसका उत्तर प्रश्न सं० 2 में दिया जा चुका है। अनधिकृत रूप से रह रहे कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही पंचायत समिति द्वारा की जा रही है।

(पंचायत मंत्री)

(6) पंचायत समिति के सहकारी प्रसार अधिकारी श्री नपोसिंह का तबादला झुन्झुनूं हो गया है। इस अवसर पर श्री देवेन्द्र पाल सिंह जी का कब्जा है। तथा निवास गृह नं 7 का तबादला कृषि विभाग में हो गया है परन्तु वे स्वयं ही रह रहे हैं। श्री हरिशंकर भूतपूर्व कृषि प्रसार अधिकारी का तबादला हो जाने पर भी उनका कब्जा विकास अधिकारी निवास पर था परन्तु अब माह मार्च से खाली है। आवास गृह खाली करवाने, किराया वसूल करने की कार्यवाही की जा रही है।

(7) श्री हरिशंकर कृ. प्र. अ. के ऊपर किराये की बकाया राशि उनके अन्तिम वेतन भुगतान पत्र में अंकित कर दी गई है। कृषि विभाग से राशि आने पर समायोजित की जावेगी। श्रीमती राजवती सिशोदिया पर जनवरी, 79 से किराया बाकी है जिनकी राशि जमा करने हेतु लिखा जा रहा है। अनधिकृत रूप से रह रहे श्री देवेन्द्रसिंह से किराया राशि जनवरी, 1979 से बाकी है। वसूली तथा खाली करने की कार्यवाही जारी है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

ग्राम पंचायत उदयपुरा का अंकेक्षण

595. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सिकराय पंचायत समिति की ग्राम पंचायत उदयपुरा का अंकेक्षण अभी तक नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं, तो आडिट आक्षेप क्या क्या आये तथा विभाग ने उन पर अब तक क्या क्या कार्यवाही की है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायत उदयपुरा के भूतपूर्व सरपंच श्री केदार द्वारा पंचायत की जमीन को मेहन्दीपुर बालाजी में बिल्कुल नाम-मात्र के मूल्यों पर बेचा तथा जिस उद्देश्य से जमीन का बेचान किया उसी कार्य में जमीन का उपयोग नहीं किया जा रहा है? यदि नहीं, तो उक्त जमीन किस कार्य में ली जा रही है?

(3) क्या भूतपूर्व सरपंच श्री केदार नाथ के विरुद्ध जमीन के अवैध रूप से बेचान पर विभाग को शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो विभाग ने उस पर क्या कार्यवाही की है?

(4) क्या यह सही है कि पंचायत समिति की बहुत बड़ी रकम, भूतपूर्व सरपंच श्री केदार नाथ की तरफ बकाया है? क्या यह भी सही है कि श्री केदार के विरुद्ध कुर्की, वारन्ट साल भर से अधिक से कटे हुए हैं लेकिन उनको कार्यरूप अभी तक नहीं दिया गया है? यदि हां, तो अब तक हुई देरी के लिए कौन जिम्मेदार है तथा क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

(5) क्या यह भी सही है कि सरपंच श्री गोपीराम के अविश्वास में प्रमुख हाथ श्री केदारनाथ का रहा है तथा अवैध तरीके

(श्री रामकिशोर मीणा)

से वार्ड पंचों को इन्होंने ही दूरस्थ स्थानों पर रखा था ? क्या इस बाबत भी सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई थीं ? यदि हां, तो उसका क्या निस्तारण किया गया ?

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्राम पंचायत उदयपुरा का अंकेक्षण वर्ष 75-76 तक हो चुका है। वर्ष 76–77 व 77–78 का होना शेष है, क्योंकि सम्बन्धित अभिलेख ग्राम पंचायत उदयपुरा के सरपंच के विरुद्ध चल रही जांच के सम्बन्ध में जांच अधिकारी के पास है। श्री गोपीलाल पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत उदयपुरा ने पंचायत की विशेष जांच हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर जिलाधीश कार्यालय द्वारा परीक्षक स्थानीय निधि लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को विशेष जांच करने हेतु लिखा गया था। परीक्षक द्वारा जानकारी चाहने पर, सरपंच से पूछा गया है कि वे विशेष जांच किस किस अवधि की किन किन बिन्दुओं पर कराना चाहते हैं। सरपंच से उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

(2) श्री गोपीलाल सरपंच के द्वारा, ग्राम पंचायत उदयपुरा के पूर्व सरपंच के विरुद्ध तथा ग्राम पंचायत के कार्यकलापों के बारे में विभिन्न प्रकार की शिकायतें की हैं जिनमें भूमि विक्रय से सम्बन्धित शिकायतें भी हैं। शिकायतों की जांच जिलाधीश द्वारा कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

(3) जी हां। शिकायतों की जांच जिलाधीश द्वारा करवाई जा रही है।

(4) जी हां। भूतपूर्व सरपंच श्री केदार नाथ के विरुद्ध पंचायत समिति के ऋण के 2469 रु० बकाया थे। जो मय ब्याज के दिनांक 31–8–77 को जमा हो चुके हैं। श्री केदार के तथा श्री सम्पतराम के विरुद्ध पंचायत समिति ऋण के 4420/–रु. बकाया थे, जो भी मय ब्याज के दिनांक 6–3–79 व 15–3–79 को जमा हो चुके हैं। अब कोई राशि उनकी ओर बकाया नहीं है। ऐसी स्थिति में कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) इसकी राज्य सरकार को कोई जानकारी नहीं है। श्री गोपीराम सरपंच के विरुद्ध अविश्वास के सम्बन्ध में रिट याचिका प्रस्तुत की जो दिनांक 31–1–79 को खारिज हो चुकी है।

काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत पूर्ण किये गये कार्य

596. श्री करतारसिंह (किशनगढ़) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत राज्य में 31 जनवरी, 1979 तक कुल कितने निर्माण कार्य सम्पूर्ण हो चुके हैं तथा कुल कितने निर्माण कार्य प्रगति पर हैं ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र में इस योजना के अन्तर्गत कार्यरत मजदूर को एक समान ही वेतन मिलता है या अलग अलग ?

(श्री करतार सिह)
कृपया जिलेवार मजदूरी की दरों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या राज्य सरकार सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र में एक ही समान मजदूरी की दरें निर्धारित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कृपया निर्धारित दरों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। यदि एक समान दरें नहीं देना चाहती, तो क्यों?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) राज्य सरकार द्वारा मजदूरी का भुगतान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित बेसिक शिड्यूल रेट्स के आधार पर किये जाने के निदेश दिये गये हैं।

(3) राज्य सरकार द्वारा मजदूरी का भुगतान समान दरों पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की बी० एस० आर० रेट्स के आधार पर किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

राजकीय कन्या छात्रावास उदयपुर

59⁷. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजकीय कन्या छात्रावास, उदयपुर में इस वर्ष कितनी कितनी छात्राओं को प्रवेश दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि गत वर्ष सफल हुई छात्राओं एवं इस वर्ष खैरवाड़ा से आयी कुछ छात्राओं को स्थान रिक्त होते हुए भी अधीक्षिका ने प्रवेश नहीं दिया? यदि हां, तो कितनी छात्राएं आई तथा कितनों को प्रवेश दिया गया?

(3) क्या यह सही है कि कन्या छात्रावास की छात्राओं द्वारा अधीक्षिका की शिकायत करने के कारण बीच सत्र में कुछ छात्राओं को छात्रावास से भगा दिया गया? यदि हां, तो इस पर विभाग ने क्या कार्यवाही की?

(4) क्या छात्राओं को इसलिये निकाला गया कि उन्होंने सामान कम देने एवं पूरी सुविधायें देने बाबत अधीक्षिका को कहा था? यदि हां, तो इन छात्राओं के भविष्य का क्या होगा?

(5) क्या यह सही है कि कन्या छात्रावास का इस सत्र में अब तक किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण नहीं हुआ है? यदि हुआ, तो कब कब?

(6) क्या यह सही है कि कन्या छात्रावास में अधीक्षिका ने प्रवेश अपनी मर्जी के अनुसार दिया है तथा उसमें जिले के किसी विधायक एवं मुझे नहीं बुलाया गया तथा यह सब कार्यवाही उसने अपनी मर्जी से की है? क्या राज्य सरकार वर्ष भर का खर्चा अधीक्षिका से वसूल करने का विचार रखती है?

Page No. 54

(54)

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

(7) क्या यह सही है कि अधीक्षिका, जब छात्रायें घर पर जाती हैं और जब घर से लौटती हैं तो उनसे जबरदस्ती हस्ताक्षर करवा लेती हैं ? छात्राओं की उपस्थिति एवं स्कूल में छात्राओं की उपस्थिति का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(8) क्या यह सही है कि छात्रावास में अधीक्षिका, छात्राओं को डराती धमकाती हैं और सामान भी बिना तौले चपरासिन से निकलवाती हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार क्या अधीक्षिका को हटाने या निलम्बित करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) राजकीय कन्या छात्रावास उदयपुर में इस वर्ष जिन छात्राओं को प्रवेश दिया गया है उनकी सूचना परिशिष्ट (अ) में संलग्न है ।

(2) जी नहीं । खैरवाड़ा से किसी छात्र ने नये प्रवेश हेतु आवेदन नहीं किया । पुरानी 14 छात्राओं ने प्रवेश हेतु आवेदन किया था जिनमें से 11 छात्राओं का चयन सलाहकार समिति ने दिनांक 3-7-78 को कर लिया तथा उन्हें प्रवेश दे दिया । शेष 3 छात्राएं सुश्री प्रेमलता, सुश्री ललिता एवं सुश्री रतन साक्षात्कार में तो आई थीं किन्तु उनके गत वर्ष किसी स्थानीय छात्रावास में रहने का कोई प्रमाण उस समय उपलब्ध नहीं था । जब स्थिति स्पष्ट हो गई तो उन्हें प्रवेश दे दिया गया और सूचित कर दिया गया किन्तु प्रवेश हेतु पुनः नहीं आईं । इसके पश्चात् दिनांक 23-7-78 को दो अन्य छात्राएं सुश्री लक्ष्मी मसार व सुश्री गंगा बड़ौद को प्रवेश दिया गया ।

(3) जी नहीं । यह सही नहीं है कि अधीक्षिका की छात्राओं द्वारा कोई शिकायत की गई हो और उसके कारण छात्राओं को छात्रावास से भगा दिया गया हो । जो 6 निम्न छात्राएं बीच सत्र में छात्रावास छोड़कर गई हैं वे अपनी मर्जी से, पारिवारिक अथवा बीमारी आदि के कारणों से छोड़कर गईं :—

1. सुश्री चन्द्रा	कक्षा	5
2. ,, राजकुमारी	,,	7
3. ,, चम्पा	,,	6
4. ,, रामीला	,,	7
5. ,, गंगा	,,	9
6. ,, सोहन	,,	2

इस विषय में दिनांक 20–3–79 को उपस्थित छात्राओं से भी जिलाधिकारी ने जानकारी प्राप्त की और उन छात्राओं ने, छोडकर जाने वाली लड़कियों द्वारा पारिवारिक अथवा बीमारी के कारणों से छोड़कर जाने की पुष्टि की ।

(4) जी नहीं । छोड़कर जाने का वास्तविक कारण प्रश्न संख्या 3 के उत्तर में दिया गया है ।

(5) जी नहीं । उक्त छात्रावास का विभाग के उप निदेशक (प्रशासन) की सी०

(समाज कल्याण मंत्री)
डी० लेवल द्वारा दिनांक 2–8–78 को निरीक्षण किया गया था।

(6) जी नहीं। छात्रावास में प्रवेश अधीक्षिका की मर्जी से न होकर नियमानुसार सलाहकार समिति की बैठक बुलाकर समिति द्वारा किया जाता है जिसमें माननीय सदस्य को भी दिनांक 29–6–78 के पत्र संख्या 139 द्वारा निमन्त्रित किया गया था किन्तु माननीय सदस्य किन्हीं कारणों से उपस्थित नहीं हो सके। सलाहकार समिति द्वारा चयन की गई बालिकाओं पर हुआ व्यय अधीक्षिका से वसूल करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(7) जी नहीं। स्कूल की उपस्थिति तथा छात्रावास की उपस्थिति की तुलनात्मक सूची (ब) संलग्न है। स्टेटमेन्ट को देखने से कई बालिकाओं को स्कूल की तथा छात्रावास की उपस्थिति में भिन्नता अवश्य दिखाई देती है छात्रावास अधीक्षिका के अनुसार यह भिन्नता बालिकाओं का छात्रावास से रवाना होकर स्कूल न जाना, देर से जाना, बीमार होना अथवा स्कूल का कार्य नहीं करने से नहीं जाना आदि के कारण बताई गई है।

(8) बालिकाओं से इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई किन्तु उनमें से किसी ने इस तथ्य की पुष्टि नहीं की है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

समाज कल्याण विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों के चयन संबंधी मामला

598. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर):–क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या विभाग में कई अधिकारी एवं कर्मचारी ऐसे हैं जिनका चयन न तो विभागीय समिति द्वारा और न स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा हुआ है और ये कई वर्षों से इन पदों पर कार्य करते आ रहे हैं? ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारियों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या जिन व्यक्तियों का चयन किसी भी कमेटी द्वारा नहीं हुआ है राज्य सरकार उनको पदावनत कर विभाग में जो चयनित व्यक्ति हैं उनको इन पदों पर लगाने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों नहीं?

(3) क्या अधिकांश अधिकारी जो विभाग में कार्य कर रहे हैं उनके विरुद्ध गम्भीर शिकायतें एवं जांच चल रही हैं? जिन जिन अधिकारियों के विरूद्ध जांच या मामले कोर्ट में चल रहे हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या श्री अरविन्द कुमार के विरुद्ध मामला उदयपुर कोर्ट में चल रहा है? यदि हां, तो इसका मुख्यालय उदयपुर किस आधार पर किया गया? क्या राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति को मेरे विधान सभा क्षेत्र से हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं?

(5) क्या श्री अरविन्द कुमार को उदयपुर के ही मामले में निलम्बित किया गया था और भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने गम्भीर आरोप के पश्चात ही कोर्ट में

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)
मामला पेश किया है ? फिर उसका मुख्यालय उदयपुर में कैसे कर दिया गया ? राज्य सरकार कृपया अपना पक्ष प्रस्तुत करे ।

उत्तर

(1) विभाग में राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा नियम, 1963 एवं राजस्थान समाज कल्याण सेवा नियम, 1963 में वांछित संशोधन 31–1–1976 से प्रभावी किये गये । नियमों में दिये गये प्रावधानों के अनुसार राज्य सेवा एवं अधिनस्थ सेवा के विभिन्न गुणों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के मामले विभागीय पदोन्नति समिति स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रखे गये एवं उन अधिकारियों को जिनका कि चयन विभागीय पदोन्नति, समिति अथवा स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा नहीं किया गया है उन्हें उनके मूल पदों पर पदावन्नत कर पदास्थापित किया गया । तदपरान्त भी कुछ ऐसे कर्मचारी शेष रह गये जिनका कि प्रकरण नियुक्ति के नियमन हेतु स्क्रीनिंग/विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष नहीं रखे जा सके । सूची परिशिष्ट 'अ' में संलग्न है ।

(2) विभाग में ऐसा कोई व्यक्ति शेष नहीं है जिसे कि चयन कमेटी द्वारा प्रस्तावित पद पर नियुक्ति न दी गई हो । अतः जिन व्यक्तियों का चयन किसी भी कमेटी द्वारा नहीं हुआ है उन्हें पदावन्नत कर चयनित व्यक्तियों को सम्बन्धित पदों पर लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) जी नहीं । विभाग में केवल एक अधिकारी श्री अरविन्द कुमार के विरुद्ध ही कोर्ट में मामला चल रहा है ।

(4) जी हां । श्री अरविन्द कुमार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 1–12–78 के आधार पर मुख्यावास बदला गया । श्री अरविन्द कुमार के विरुद्ध मामला विशेष न्यायालय, उदयपुर में चल रहा है तथा दोषी अधिकारी की परिस्थितियों वश उदयपुर मुख्यावास आदेश दिनांक 23-1-79 के द्वारा अजमेर से उदयपुर परिवर्तित किया गया है । यह इस लिये किया गया कि उनका मुकदमा अजमेर से उदयपुर न्यायालय में स्थानान्तरित हो गया था । श्री अरविन्द कुमार का मुख्यावास उदयपुर से बदलने का कोई विचार नहीं है ।

(5) जी हां । श्री अरविन्द कुमार, जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, उदयपुर के पद पर 1973 में कार्यरत थे एवं वहीं के मामले में इनके विरूद्ध चालान पेश हुआ ।

श्री अरविन्द कुमार ने अपना मुख्यावास बदलने के लिये आवेदन पत्र दिनांक 1–12–78 को प्रस्तुत किया जिसमें निम्न परिस्थितियों का उल्लेख किया :–

1. माह नवम्बर, 78 में मामला विशेष अदालत जयपुर में चल रहा था लेकिन अब विशेष न्यायालय उदयपुर में चलेगा, अतः मामले में डिफेन्स की तैयारी करने में असुविधा होना ।

2. बार बार उदयपुर जाने व आने में

(समाज कल्याण मंत्री)
अनावश्यक रूप में काफी व्यय भार वहन करना।

3. पारिवारिक परिस्थितियों को बताया है कि वे उदयपुर जिले के पास के रहने वाले हैं तथा आर्थिक कठिनाई, परिवार वालों का अजमेर से होना आदि।

अत: परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये आदेश दिनांक 23–1–79 के द्वारा उनका मुख्यावास उदयपुर परिवर्तित किया गया है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

पंचायत समिति, कोलायत व बीकानेर के आयुर्वेद औषधालय

599. **श्री रामकृष्ण दास गुप्ता** (कोलायत):–क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

कोलायत पंचायत समिति व बीकानेर पंचायत समिति क्षेत्र में किन किन गांवों में आयुर्वेद चिकित्सालय हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

कोलायत पंचायत समिति में 14 तथा बीकानेर पंचायत समिति में 12 आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक औषधालय वर्तमान में चल रहे हैं। सूची सलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखे)

विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन मामलों का निपटारा

600. **श्रीमती नारंगी देवी** (किशनगंज): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य के विभिन्न न्यायालयों के पास तीन वर्ष से पुराने कितने मुकदमे विचाराधीन हैं।

(2) पुराने मुकदमों के शीघ्र निपटारे हेतु राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) राज्य के विभिन्न न्यायालयों के पास तीन वर्ष से पुराने मुकदमे दिनांक 31–12–78 तक निम्न प्रकार विचाराधीन हैं :—

1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश 2316
2. अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश 3193
3. व्यवहार एवं मुख्य दण्डनायक मजि. 8141
4. मुन्सिफ एवं न्यायिक दण्डनायक 1,13,522

(2) पुराने मुकदमे निपटाने के लिये राज्य सरकार भी अति. जिला न्यायाधीशों तथा 39 मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेटों के और न्यायालय सृजित करने पर विचार कर रही है जिनके स्थापित होने की संभावना इस नये वित्त वर्ष में है। श्रम, औद्योगिक विवाद व भ्रष्टाचार निवारण मामलों के लिये चार न्यायाधीशों के न्यायालय मण्डल मुख्यालयों पर लगाये गये हैं। सी.बी.आई. प्रकरणों के लिए एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय सृजित किया गया है तथा यातायात के बढ़ते हुये मामलों के लिये दो और यातायात मजिस्ट्रेट लगाये गये हैं। इसके अलावा मुकदमे शीघ्र

(विधि मन्त्री)

निपटाने हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेटों को 50 शीघ्र लिपिक दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

विशेषाधिकार हनन प्रश्न

प्रश्नों के लिखित उत्तर

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, मैंने एक प्रिविलेज का मोशन दिया था उस पर क्या निर्णय हुआ ? सारे प्रश्न, तीन प्रश्न लगातार मैंने रखे थे उनके रिटन रिप्लाई मेरे घर पर आए नहीं जिससे मेरे विशेषाधिकार का हनन हुआ है। इसके सम्बन्ध में मैंने श्रीमान की सेवा में विशेषाधिकार हनन की दरख्वास्त दे दी है। आपने उस पर क्या कार्यवाही फर्मायी ? आपने माइण्ड अप्लाई कर लिया हो तो मुझे बोलने की इजाजत दे दें।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास नहीं आया है। आएगा तो देख लूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : मुझे तीन दिन हो गए हैं दिए हुए।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री रघुनाथ विश्नोई : कल राजस्थान यूनिवर्सिटी के बारे में स्थगन प्रस्ताव मैंने दिया था उसका क्या होगा ? मैं आपकी मार्फत यह व्यवस्था चाहता हूं कि कल जो सदन स्थगित हो गया था और राजस्थान यूनिवर्सिटी के बारे में जो स्थगन प्रस्ताव था, कल ही प्रोफेसर्स, लेक्चरार्स विधान सभा के सामने जुलूस लेकर आए थे, यह बहुत महत्वपूर्ण मसला था, यह मामला काफी भयंकर रूप से गंभीर हो गया है। माननीय मंत्रीजी ने इसी सदन में आश्वासन दिया था कि दो दिन में विरोधी पक्ष के नेता और जो असंतुष्ट प्रोफेसर्स, लेक्चरार्स हैं, उनकी बैठक बुलाऊंगा और समस्या हल करवा दूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभी, माननीय सदस्य, मैंने व्यवस्था नहीं दी। विश्वविद्यालयों के अन्दर जो कुछ भी स्थिति है उसके बारे में चर्चा यहां पर हुई है........

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : कल भी कई माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव दिया था।

श्री अध्यक्ष : कल रखा था लेकिन कल चर्चा नहीं हो सकी........

(व्यवधान)

श्री शोपतसिंह मकासर : कल यहां पर यूनिवर्सिटी के टीचर्स लगभग पांच सौ की तादाद में आए थे। इसी दौरान जयप्रकाश जी की दुखद घटना की सूचना यहां पर सुनाई और उसके बाद सदन स्थगित हो गया। इसलिये हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि कल हमने जिस सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव दिया था यह महत्त्वपूर्ण मामला है, टीचर्स का मामला है, विश्वविद्यालय का एक महत्त्वपूर्ण मामला है और उनमें भारी रीजेण्टमेंट रहता है........

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय मंत्री महोदय वक्तव्य दे दें कि क्या कर रहे हैं हम नहीं बोलेंगे ।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : मन्त्री महोदय वक्तव्य दे दें ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सरकार ने ग्रभी तक कोई मीटिंग नहीं बुलाई है ।

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने सरकार को सभी मामले जानकारी के लिए भेजे हैं ।

श्री रामनारायण चौधरी : यह नहीं है, मान्यवर । मन्त्री महोदय ने खुद ने,

(व्यवधान)

ग्रापने खुद ने विश्वास दिलाया था कि बैठक करूंगा ग्रौर उन ग्रिवेंसेज को दूर करने की कोशिश करूंगा । जो बिल ग्रा रहा है उससे टीचर्स में भयंकर ग्रसंतोष है । शिक्षा मन्त्री ने ग्रापके द्वारा सदन में यह ग्राश्वासन दिया था कि विश्वविद्यालय में छात्रों की परीक्षा के मामलों को लेकर जो छात्रों में ग्रसंतोष है, वाइस चांसलर को लेकर जो ग्रसंतोष है, टीचर्स जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रशासन में जो ग्रसंतोष है ग्रौर विश्वविद्यालय में जो ग्रापाधापी है, उन सारे मामलों में प्रतिपक्ष के नेता महोदय से शिक्षा मन्त्री बात करेंगे । यह ग्राश्वासन ग्रापके माध्यम से सदन में उन्होंने दिया था ग्रौर उसके बाद वह मीटिंग........

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री राम नारायण जी को बोलने दें । मैं सुनूं तो सही । मैं कुछ भी नहीं सुन सकता इस तरह से । मैं क्या व्यवस्था दूं, सुन सकूं तो व्यवस्था दूं ।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं यह कह रहा था कि मेरा ग्रौर माननीय सदस्य रघुनाथजी विश्नोई का स्थगन प्रस्ताव था ग्रौर उसी पर माननीय श्योपत सिंह जी का भी था, काफी माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर थे, उसके पहले भी इसी विषय पर दो ग्रौर स्थगन प्रस्ताव ग्रा चुके थे ग्रौर तीसरा कल ग्राया था । शिक्षा मन्त्री जी ने ग्रापके माध्यम से सदन में यह विश्वास दिलाया था कि वे विश्वविद्यालय में व्याप्त ग्रसंतोष के बारे में, जिसमें छात्रों की परीक्षाग्रों का मामला था, ग्रौर वहां के लेक्चरार्स के ग्रसंतोष का मामला था, दूसरे प्रशासनिक मामले थे, विश्वविद्यालय में व्याप्त ग्रापाधापी है, टीचर्स के टेम्प्रेरी ग्रपाइन्टमेन्ट का सवाल है, इन मामलों पर प्रतिपक्ष के नेता से बातचीत कर रहा हूं ग्रौर बातचीत करने के बाद सदन में एक वक्तव्य दूंगा । शिक्षा मन्त्री जी ने ग्राज तक सदन को यह जानकारी नहीं दी कि प्रतिपक्ष के नेता से, दूसरे ग्रौर लोगों के साथ उनकी क्या बातचीत हुई ग्रौर ग्राज क्या स्थिति है । इन सारी बातों पर ग्राज ग्रनिश्चितता बनी हुई है । तीन स्थगन प्रस्ताव ग्रा गए जिन पर लगभग 15 माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर थे । कल भी ग्राठ माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव दिया था, उससे पहले भी कुछ लोगों ने

Page No. 60

(60)

(श्री रामनारायण चौधरी)

दिया था, शिक्षा मन्त्री जी ने यह कहा था कि हम प्रतिपक्ष से बात कर रहे हैं । आपने अभी तक क्या बात की ? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रतिपक्ष से बात करने का कोई समय तो निश्चित होना चाहिए। पांच-सात दिन के बाद सदन स्थगित हो जाएगा, फिर आपकी छुट्टी हो जाएगी । मेरा आपसे अनुरोध है कि माननीय शिक्षा मन्त्री जी से इस विश्वविद्यालय के बारे में वक्तव्य दिलायें ताकि सदन को संतोष हो।

श्री श्योपत सिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के कुछ माननीय सदस्य यूनिवर्सिटी में गए थे । यूनिवर्सिटी में टीचर्स ने इकट्ठे होकर अपनी परेशानी बयान की। मैं आपके समक्ष क्या कहूं माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां के जो प्रेसीडेन्ट है टीचर्स एसोसियेशन के, वे सारी बातें बताते हुए रोने लगे ! उनका गला भर आया । क्या हालत होगी, एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर करने का कानून बनाया जा रहा है। इसके बाद में राजस्थान यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसके बारे में कल पांच सौ यूनिवर्सिटी के टीचर्स यहां विधान सभा के सामने आए थे। अब हैरानी का विषय तो यह है कि शिक्षा मंत्री जी यहां पर रोज आश्वासन देते हैं, कभी कहते हैं कि मैं विरोधी पक्ष के नेता से मिल रहा हूं, कभी कह देते हैं मैं एक कमेटी बना रहा हूं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं हैं। क्या वे ऐसा महसूस करते हैं कि उनकी इमदाद के लिए एक मजबूत सा आदमी और लगाया जाय, तथा यह उनके बस की बात नहीं है । मेरी समझ में बात नहीं आती, क्या वजह है ? क्या वे इनफिरिरिटी काम्पलेक्स के शिकार हो रहे हैं ? अगर यही बात है तो कालबी साहब जैसे आदमी को माननीय शिक्षा मंत्री जी के साथ लगा दिया जाय और इस मंत्रालय को जोइन्टली डील किया जाय तभी शिक्षा मंत्रालय अच्छी तरह से चल सकेगा । वरना रोज यह कहते हैं लेकिन उसका नतीजा कोई नहीं होता । उनकी बात कोई सुनता नहीं है, हम कुछ कहते हैं सदन में तो कोई बात नहीं होती, कह देते हैं कि मैं खुद कोशिश कर रहा हूं लेकिन होता कुछ नहीं । पंचों का कहना सर माथे पर परनाला वहीं का वहीं रहेगा । इस बात में वे बहुत ही चतुर हैं । इसका भयंकर नुकसान हमारी यूनिवर्सिटी के टीचर्स तथा छात्रों को होगा। आप रोज चुपचाप बैठे रहते हैं, मेहरबानी करके यूनिवर्सिटी में जाइये. उन टीचर्स की बात को सुनिये लेकिन यह भी नहीं । वहां पर आप जाते नहीं, उनकी बात सुनते नहीं अगर यहां आवे तो, और मसलों को हल करने की आपकी क्षमता नहीं । हम जानना चाहते हैं कि आपका क्या मानस है. आप क्या करना चाहते हैं ? इस तरह से चुप बैठ गए तो बहुत बड़ा नुकसान होगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मेरा स्थगन प्रस्ताव में सर्वप्रथम नाम था........

श्री अध्यक्ष : मैं पहले स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था तो दे दूं ।

श्री रघुनाथ विश्नोई ; अध्यक्ष महोदय, सबसे पहला नाम मेरा ही था........

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मंत्री यहां पर मौजूद हैं, पूछिये उनसे । अगर उत्तर देने की स्थिति में वे नहीं हैं तो मैं क्या करूं । उत्तर देने की स्थिति में हैं या नहीं, जानकारी करिये ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं प्रथम खड़ा हुआ था और कल स्थगन प्रस्ताव पर भी मेरा नाम प्रथम था । जिस समय कल शिक्षक, प्रोफेसर्स सदन के बाहर आए थे उसी वक्त जयप्रकाशजी के बारे में खबर आ जाने से सारा मामला ठप्प हो गया । इसके पहले भी मैंने स्थगन प्रस्ताव के जरिये राजस्थान विश्वविद्यालय का मामला उठाया था और दस पन्द्रह सदस्यों ने भी विचार व्यक्त किये थे तो माननीय मत्री जी ने खड़े होकर, अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत, शिक्षा मंत्री जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अध्यक्ष जी, वे बाते कर रहे हैं । माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी आपको याद है कि मैंने स्थगन प्रस्ताव के जरिये सरकार का ध्यान पहले दिलाया करीब 15 दिन पहले और आपने कहा था कि स्ट्राइक नहीं होने दूंगा ।

(व्यवधान)

माथुर साहब ने भी इस मामले में कुछ बातें कहीं थीं । यह धांधलबाजी है । अध्यक्ष महोदय, आपको सुन कर हैरानी होगी, यह क्या मखौल है, राजस्थान यूनिवर्सिटी एकमात्र उच्च शिक्षा की शिक्षण संस्था है । आपने इसकी क्या दुर्गति कर रखी है ? सितम्बर, दिसम्बर तक एडमीशन हो रहे हैं । आपने कहा था, शिक्षा मंत्री जी, दो दिन में इसको हल कर दूंगा । आज 15 दिन हो गये हैं । मत्री जी ने आज तक सन्तोषप्रद जवाब नहीं दिया । मंत्री जी आपने यह कहा था कि आपकी बनिस्पत मुझे ज्यादा चिन्ता है क्यों कि मैं शिक्षा मंत्री हूँ । आपने दो दिन के बजाय 15 दिन ले लिए । सर्वप्रथम मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था । कल यहां पर विधान सभा के समक्ष यूनिवर्सिटी के लेक्चरार, प्रोफेसर, टीचर्स आये थे । उन्होंने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था । परन्तु जे. पी. साहब का दुखद समाचार आने के कारण वे प्रदर्शन कर चले गये और यह मामला सदन में नहीं उठाया । मैं आपकी मार्फत, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करना चाहता हूं, मंत्री महोदय, आप ने यहां पर आश्वासन दिया था, अब इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं ? क्या आपने मीटिंग बुलाई है ? इसके बारे में क्या कर रहे हैं ? कोई सैटिस्फेक्ट्री जवाब आपने नहीं दिया है । सारी यूनिवर्सिटी में स्ट्राइक हो जाएगी और कहीं दुबारा त्यागी जी को डिलक्स वार्ड में जाना न पड़े । ऐसी अनियमित नियुक्तियां वहां पर हो रही हैं, बाहर से लोगों को ला ला कर अपाइन्टमेन्ट्स कर रहे हैं, यह अनियमितता है । इस यूनिवर्सिटी को भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है । लाखों रुपया कन्स्ट्रक्शन में खर्च किया जा रहा है । कुलपति का जो गेस्ट

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

रूम बनाया है उसमें 25 लाख रुपये खर्च कर दिये हैं। क्या यूनिवर्सिटी को अनुदान आयोग इसीलिए अनुदान देता है ? यूनियन के अध्यक्ष को एक टेलीफोन की फैसिलिटी दे रखी है। यहां पर जानबूझ कर अव्यवस्था फैला रखी है। मंत्री महोदय, कृपा करके आप इसका हल बता दीजिये। माथुर साहब ने कितने उपयोगी सुझाव दिये थे उन पर आपने कोई ध्यान नहीं दिया। वापस जवाब नहीं दिया। कल यहां पर प्रदर्शन हुआ था। यहां पर डिमान्स्ट्रेशन हुआ था, उसके बारे में आप क्या करेंगे जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, एक जोइन्ट मीटिंग बुला कर, उन सब को बुलाकर इसका हल निकालेंगे ? यह आपके हाथ की बात है।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विश्व विद्यालय के जो स्थानीय टीचर्स हैं, लेक्चरार्स हैं, उन में इस बात की बेचैनी है कि लिमिटेशन के पाइन्ट पर उन को एक जगह से दूसरी जगह कर देंगे। उन के बच्चे यहां पढ़ रहे हैं। इससे उनके लिए काफी अव्यवस्था हो जाएगी। सरकार यदि यह समझती है कि टीचर्स अव्यवस्था फैलाते हैं और उन को इस जगह से हटाना है तो ऐसा कहिए या मंत्री महोदय यह चाहते हैं कि किसी खास पार्टी के सदस्य यहां पर रहें और जो टीचर्स उनकी बात नहीं मानते हैं, उन को हटाया जाए। आपका यदि यह इरादा है कि ऐसे आदमियों को लेना है जो उनकी मर्जी के अनुसार, उनकी पार्टी की मर्जी के अनुसार काम करें, तो ऐसा साफ साफ कहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैंने सारी स्थिति को जाकर देखा है। वाइस चांसलर के लिए जो कुर्सी खरीदी गयी है वह दस हजार रुपये की है। हमारे आसन की जो कुर्सी है वह भी इतनी कीमती नहीं है। आपको ताज्जुब होगा एक चैयर दस दस हजार रुपये में खरीदी गयी है वाइस चांसलर के द्वारा। आप वहां की अव्यवस्था का मुलाहिजा कीजिए। सारे मामले की जांच करिए। सलेक्ट कमेटी में चर्चा आ रही है, उसके विपरीत कोई फैसला लीजिए ताकि इन लोगों की बेचैनी मिटे। आप इनका तबादला नहीं करें, उनको एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेजें ताकि वे अपना मानस बना कर बच्चों को पढ़ा सकें। 500 टीचर्स धरना देंगे। उनकी बात को अपोजीशन ने यहां पर उठाया था। और अपोजीशन को मंत्री महोदय द्वारा एश्योर किया गया था। उसके बाद भी कार्यवाही न हो। तो अध्यक्ष, महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह अपील करता हूं कि वे इसको स्पष्ट करें और जो समस्या है उसका हल निकालें।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा·······

श्री अध्यक्ष : माननीय, सदस्य हमेशा यह व्यवस्था रही है कि अध्यक्ष के द्वारा स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था सुनाई जाती है और व्यवस्था सुनाए जाने के पश्चात् माननीय सदस्य आपत्ति उठाते हैं, अपनी बात कहते हैं। अगर इस परम्परा की अवहेलना करनी है तो मैं यह सन्तोषजनक नहीं मानूंगा·······

(व्यवधान)

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, आज हमारे विश्वविद्यालयों में असन्तोष है। मंत्री महोदय आश्वासन देते हैं परन्तु उस पर अमल नहीं करते। वे इस समस्या को हल नहीं करना चाहते हैं। मैं अधिक नहीं कहना चाहता हूं। मंत्री महोदय जवाब दें।

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के सदस्यों ने यह तय कर लिया है कि वे आसन की अवहेलना करेंगे।

(व्यवधान)

आपने अभी तक स्थगन प्रस्तावों पर सूचना, व्यवस्था नहीं दी है और उसके पहले ही सदस्यगण ने बोलना शुरू कर दिया है। यह आसन के प्रति सम्मान नहीं है। इन लोगों के बारे में आसन की ओर से व्यवस्था की जानी चाहिए।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यहां पर आपके समक्ष दिये गये आश्वासन की अनुपालना नहीं की जा रही है। इस को उठाने का हमें अधिकार है। आपकी सदारत में जो कार्यवाही चले उसमें सरकारी पक्ष ने आश्वासन दिया जाय तो उस आश्वासन की क्रियान्विति होनी चाहिए अगर उस आश्वासन की क्रियान्विति नहीं होती है तो उस पर हम आपकी व्यवस्था चाहते हैं। आपका प्रोटेक्शन चाहेंगे, आपका हम संरक्षण चाहेंगे। यह प्रश्न है। वायालेशन की कोई बात नहीं है। जो परम्परा है वह कायम रहेगी।

श्री गुल मोहम्मद : अध्यक्ष महोदय, यह जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का मामला है

(व्यवधान)

हम भी बोलना चाहते हैं। सुनिए तो सही।

अध्यक्ष महोदय, मैंने और माननीय श्री बजरंगलाल जी ने एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया था यूनिवर्सिटी के बारे में। अध्यक्ष महोदय, यूनिवर्सिटी के सारे अध्यापक कल यहां पर आये थे। उनको इस प्रकार की दुखद सूचना मिल जाने पर वे वापस चले गये। मंत्री महोदय से मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक गंभीर समस्या है। इस पर वे गंभीरतापूर्वक विचार कर के वक्तव्य देने का कष्ट करें।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (शिक्षा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विश्व विद्यालय तथा अन्य विश्वविद्यालयों के बारे में इस सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है। इनमें जो समस्याएं हैं उनके बारे में चर्चा हुई है और उन पर सुझाव भी दिए गए हैं। जैसा कि मैंने निवेदन किया था और उस दिन भी चर्चा आई थी जोधपुर विश्वविद्यालय के बारे में कि वहां पर बड़ा असन्तोष है। मैंने यह निवेदन किया था कि माननीय विरोधी दल के नेता तथा अन्य कुछ माननीय सदस्यों से इस बारे में विचार विमर्श करूंगा, बात करूंगा। आपको यह जानकारी देना चाहता हूं, कि मैंने उन से बात की है। वाइस चांसलर

(श्री भंवरलाल शर्मा)
जोधपुर के साथ हमारी बात हुई है। उनकी समस्याओं को सुन कर हमने उनको सलाह भी दी है। उदयपुर विश्वविद्यालय का जहां तक मामला है, वहां जो सलेक्शन हुए वे ठीक नहीं हैं इसकी लोगों को चिन्ता थी। वे सलेक्शन अब नहीं हो रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय का जहां तक सवाल है।

(व्यवधान)

टीचर्स के मामले में एक बिल आया था कि तीनों विश्वविद्यालयों के अध्यापकों का अन्तर विश्वविद्यालयों में स्थानान्तरण किया जावे। इस संबंध में एक बिल विधान सभा में आया था और हम सब ने उसे प्रवर समिति में भेज दिया। इस संबंध में प्रवर समिति ने जो रिपोर्ट दी है वह रिपोर्ट सदन के सामने आयेगी और उस पर विचार होगा, माननीय सदस्य अपने विचार रखेंगे और सदन का जो निर्णय होगा और जो सबके हित में होगा वही निर्णय सदन लेगा। मामला अब राज्य सरकार के अधीन नहीं है इसलिये इसके बारे में राज्य सरकार कुछ कर सकती है ऐसा समझना सही नहीं है। वह सदन की प्रापर्टी है। सदन जैसा निर्णय लेगा वही होगा। जहां तक विद्यार्थियों की परीक्षाओं का सवाल है यह निश्चित रूप से विवाद का विषय है। कुछ विद्यार्थी मुझसे मिले, उप कुलपति से मिले। आज शाम को राजस्थान विश्वविद्यालय की सिंडीकेट की इस विषय पर विचार के लिए मीटिंग है। अभी भी वाइस चांसलर और कुछ लोग यहां पर आये हुये हुए है विचार विमर्श के लिये। शाम को होने वाली सिंडिकेट की बैठक में इसे अन्तिम रूप दिया जायेगा। परीक्षाओं के विषय में मेरा यह निवेदन है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विश्वविद्यालयों का विषय हम सभी का विषय है। इन समस्याओं के समाधान के लिये किस प्रकार के कदम उठाने चाहिये यह मैंने पहले भी निवेदन किया और आज भी करता हूं कि आप सब के सहयोग से उठाये जा सकते हैं। माननीय विरोधी दल के नेता और एक नाम मैं लेना चाहूं जिन पर कुछ माननीय सदस्यों को नाराजगी होती है, माननीय माथुर साहब–

श्री नूरा : हमको कोई नाराजगी नहीं है।

श्री भंवर लाल शर्मा: यह समस्या ऐसी नहीं है कि एक ही दिन में हल निकल जाय। लगातार अध्ययन करने के बाद ही समाधान किया जा सकेगा। विश्वविद्यालय एक ओटोनामस बोडी है। बहुत दखल सरकार दे भी नही सकती हैं लेकिन फिर भी जो विषय है उसके ऊपर विचार करेंगे। सलाह परामर्श से हम चल रहे हैं, उससे कुछ अच्छे परिणाम सामने आयेंगे।

श्री मूलचंद डागा: हम नहीं चाहते कि भ्रष्टाचार हो, नियमों का उलंघन हो। आपने जवाब तो दे दिया। सवा लाख चाय पानी में तीन महीने में खर्च करेंगे। चेम्बर बना लिया, फर्नीचर बना लिया दो लाख में। ३५०० वेतन, २५०० पेंशन, मकान की मेन्टीनेंस का खर्चा अलग। हम भ्रष्टाचार को बढ़ाना नहीं चाहते, सवाल यह है।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता: क्या माननीय सदस्य को उप कुलपति बनायेंगे?

श्री भंवरलाल शर्मा: माननीय अध्यक्ष महोदय यह जो आपने कहा, राजस्थान विश्वविद्यालय के जो उप कुलपति हैं उनके लिये....

श्री मूल चन्द डागा: सभी के लिये कहा है।

श्री भंवरलाल शर्मा: अभी तो आपने उनके ही लिये कहा है। उनको कानून के अन्तर्गत देय वेतन है, केवल वही दिया जाता है, वे अपने मकान में रहते हैं। रख-रखाव का पैसा लेते हैं यह कहना भी निराधार है।

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मकासर: अनियमितताएं हो रही हैं।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : रात को अपाइंटमेंट होते हैं।

(व्यवधान)

श्रीमान, 78-79 का बजट अभी पास नहीं किया।

श्री रघुनन्दन व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय क्या मंत्री महोदय यह नहीं चाहेंगे कि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर चरित्र की दृष्टि से श्रेष्ठ हों और उनका दामन साफ हो। इस प्रकार के व्यक्ति को राज्य सरकार, भारत सरकार नियुक्त न करे तो न वह चरित्र दे सकता है और न चरित्र पर किसी प्रकार का असर डाल सकता है। अगर ऐसा है तो उनको बचाने का मंत्रिमण्डल का, या शिक्षा मंत्री जी का प्रयास नहीं है, क्या वे ठीक हैं ?

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मकासर : आप जांच कीजिये।

(व्यवधान)

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता: उनके लिये बढ़िया कीमती कुर्सी मंगाई गई। कालीन बिछाये गये-

श्री मूलचंद डागा: उनके चेम्बर में सवा लाख का खर्चा फर्नीचर पर हुआ।

(व्यवधान)

सवा लाख का फर्नीचर लगाया है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय में भी ३ हजार नहीं मिलते। २५०० रुपये उनको पेंशन मिलती है। ५५०० रुपया वेतन मिलता है।

श्री रघुनन्दन व्यास : उप कुलपति राजस्थान सरकार में हीरालाल जी शास्त्री हुए जो मंत्री थे। सोदेवाजी में राजस्थान हाई कोर्ट में गये, अब वाइस चान्सलर बन गये उनके बारे में श्रद्धा किसी विद्यार्थी में हो सकती है और राजस्थान के छात्रों में कैसे श्रद्धास्पद बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करना मैं तो ठीक नहीं समझता हूं।

श्री श्योपत सिंह मकासर : 10–10 हजार 20–20 हजार कमरे की सजावट में लगे यह गुनाह है ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय अध्यक्ष जी, हमारी जनता सरकार चाहे कांग्रेस हो, चाहे राजनीति हो, माननीय माथुर साहब से एडवाइस लेगी । तो शिक्षा मंत्रालय उनको सौंप दीजिये । यह सारा भ्रष्टाचार है जयपुर से जोधपुर और उदयपुर में भी यह स्कीम है किसी हाई कोर्ट के जज को वाइस चांसलर बनाया जाय, उसको वाइस चांसलर के पद पर नियुक्त करें, युनिर्वसिटी में पालिटिक्स को अन्दर तक ले गये । जब तक यूनिर्वसिटी के अध्यापकों में से वाइस चांसलर नहीं बनायेंगे, तब तक यह रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजेज को वाइस चांसलर के पद पर नियुक्त करना अपने आप में भ्रष्टाचार और बदनियती का प्रतीक है आप इससे छुटकारा पाइये वरना जनता छुटकारा नहीं करेगी ।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : अध्यक्ष महोदय, दो बातें कहना चाहता हूं । मैं सलाह नहीं दे रहा हूं । सलाह देने से एतराज होता है । सदन के अन्दर मुझे उतना ही अधिकार है जितना माननीय सदस्यों को है । कुछ तजुर्बा है उससे कुछ सलाह दे सकता हूं और आप सुनते हैं यह आपकी मेहरबानी है । मैं प्रश्न पूछ रहा हूं आपने खुद ने इस बात को महसूस किया था तीनों यूनिर्वसिटीज में इर्रेगुलेरिटीज बराबर हैं इसलिये तीन कमीशन मुकर्रर किये, तीन जजेज मुकर्रर किये । जोधपुर में गट्टानी कमीशन मुकर्रर किया जिसमें बाद में गट्टानी नहीं रहे तो दो अफसरों को मुकर्रर किया । उस गट्टानी कमीशन की रिपोर्ट का क्या हुआ ? उसमें क्या कार्यवाही की गई ? हमसे सहयोग चाहते हैं तो उस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखें और हमको बतावें । दूसरे उदयपुर में सिंह कमीशन, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, की भी रिपोर्ट आ चुकी है । उस पर भी क्या कार्यवाही की, कौनसी बात मंजूर की, कौनसी नहीं की ? वह उदयपुर में मुकर्रर हुआ ।

तीसरा, लेट जस्टिस, जो रिटायर हो गये थे, जगतनारायणजी का कमीशन राजस्थान यूनिर्वसिटी के लिए मुकर्रर किया गया था । उनकी भी रिपोर्ट आ चुकी है । सदन को आपको कान्फीडेन्स में लेना चाहिए । हमारी सलाह लेना चाहते हैं तो इन रिपोर्टों को सदन में रखें और आपने क्या कार्यवाही की है वह बतायें ? यह रिपोर्ट जो वहां पर भ्रष्टाचार हुए हैं उनके बारे में है । आज भी जो वहां पर मर्जी आती है वह कर रहे हैं । कोई फाइनेन्सियल कन्ट्रोल नहीं है । जिसको चाहते हैं अलाउन्स दे दें, जिसका चाहें उसका एडहाक अपाइंटमेंट कर दें । इतनी सारी यह सब बातें हैं । आज भी एडहाक अपाइंमेन्ट होते जा रहे हैं । जोधपुर यूनिर्वसिटी के अन्दर जाते जाते वाइस चान्सलर साहब 100, 150 एडहाक अपाइंटमेंट करते गये हैं । यह स्थिति बनती है तो जो बीमारी पहले थी उसके लिए आपने कमीशन मुकर्रर किये । उसका इलाज न करें तो वह बीमारी बढ़ती ही चली जायगी है और फिर विद्यार्थियों में असन्तोष बढ़ता जायगा । आपको चुनाव कराने पड़ेंगे तो चुनाव यूनियन्स के कैसे कराये जायेंगे ? प्रेसीडेन्ट को क्या अधिकार मिलेगा ? यह नहीं कि जब चाहा वाइस

(श्री मथुरादास माथुर)

चान्सलर को घेर लिया ग्रौर कहा कि हमारी बात मानों। ग्रौर न मानी तो स्ट्राइक कर दी। इसका मतलब यह हुग्रा कि हम जो पैसे खर्च कर रहे हैं 5 करोड़ 22 लाख जिसका कि एप्रोप्रियेशन ग्रभी इस बजट सत्र में पास करवायेंगे, वह पैसा वेस्ट जा रहा है।

मेरा निवेदन करना है कि कमीशन्स ने जो इन्क्वायरी की है उनको बतायें ग्रौर हमको कान्फीडेन्स में लिया जाय। इस सदन में जो सुझाव दिये जायें उनको लागू करने की कोशिश करेंगे तो हम उसके भागीदार होंगे। ग्राप ग्रपनी मर्जी से कर रहे हैं, वाइस चान्सलर ग्रपनी मर्जी से चल रहा है ग्रौर स्टूडेन्ट्स ग्रपनी मर्जी से चल रहे हैं।

राजस्थान के इतिहास में यह पहली बार है कि यूनिवर्सिटी के टीचर्स ग्रौर प्रोफेसर्स साहब 500 ग्रादमी जुलूस में पैदल चल कर यहां पर ग्राये हैं। यह ग्रपने ग्राप में नई कहानी है। इससे क्या यूनिवर्सिटीज में डिसिप्लिन मैन्टेन होगा? यह सुझाव हम रख रहे हैं।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, यह 5 करोड़ का ही प्रश्न नहीं है, यह सारे राजस्थान के शिक्षा क्षेत्र में रहने वाले विद्यार्थियों का, सारे प्राध्यापकों ग्रौर सम्पूर्ण राजस्थान के जन-जीवन से सम्बन्धित प्रश्न है। तीनों कमीशनों की रिपोर्ट ग्राई हुई पड़ी है। सदन को कान्फी डेन्स में नहीं लिया जाय तो इसका मतलब यह है, स्थिति यह बन गई है राजस्थान सरकार की जैसे बिल्ली हमला करे तो कबूतर ग्रांखे बन्द कर ले, वैसी स्थिति राजस्थान सरकार ने ग्रपनी बना ली है। यह हास्यास्पद पोजीशन ग्रापने बना ली है। सारे कमीशनों की रिपोर्ट ग्राप सदन में रखें ग्रौर उनके ऊपर निर्णय ले कर निश्चित रूप से तीनों यूनिवर्सिटी में सुधार करें। इस सदन का सत्रावसान जो होने वाला है उससे पूर्व ग्राप सारा निर्णय लें, सारे सदन को कान्फीडेन्स में लें ग्रौर कुछ कार्यवाही करें तभी तो इस शिक्षा क्षेत्र के बारे में हम फैसला कर सकेंगे, वरना तो बहुत दुख दायी स्थिति है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय मंत्री जी कुछ बोलें।

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय मंत्री जी उत्तर दे दें। माननीय सदस्य श्री मथुरादासजी ने ने स्पष्टतया जो कुछ भी बातें कहीं है उनके बारे में सरकार को उत्तर देना हो तो दे। मैं सरकार को बाध्य तो नहीं कर सकता।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कर सकते हैं ग्राप बाध्य।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : माननीय ग्रध्यक्ष, यूनिवर्सिटी की समस्याग्रों को लेकर इस सदन के माननीय सदस्यों ने ग्रपने विचार बताये थे उस वक्त माननीय शिक्षा मंत्री जी ने सदन में यह ग्राश्वासन दिया था कि वह विरोधी पक्ष के नेता ग्रौर दूसरे माननीय सदस्यों से बात करके सभी यूनिवर्सिटीज की जो ज्वलन्त समस्याएं हैं उनके समाधान के लिये विचार-विमर्श करेंगे। वह ग्रभी तक नहीं किया गया है।

(श्री परसराम मदेरणा)

माननीय अध्यक्ष जी, कल कालेजेज के के टीचर्स, नहीं, यूनिवर्सिटी के टीचर्स, जिनमें प्रोफेसर्स, हैड आफ दी डिपार्टमेंट, रीडर्स, लेक्चरार्स करीब 500 की संख्या में मौन जुलूस में विधान सभा के सम्मुख आये थे पैदल चल कर। इस प्रकार का एक मौन जुलूस दिल्ली में भी जुडिशियल आफिसर्स का भी निकाला गया था। यह अच्छे सिम्पटम्स नहीं हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी में हायर एजूकेशन दी जाती है। तीनों कमीशनों की रिपोर्ट, इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट है, और उससे पूर्व भारत सरकार ने भी गजेन्द्र गड़कर कमीशन बैठाया था। तो गजेन्द्र गड़कर कमीशन ने यूनिवर्सिटी एजूकेशन में टीचर्स, स्टुडेन्ट्स, अन्य तरीकों के मामलों में और रिसर्च के मामलों में अपनी एक रिपोर्ट दी है। मैं यह भी पूछना चाहता हूं शिक्षा मंत्री जी से कि गजेन्द्र गड़कर कमीशन की कौनसी रिकमन्डेशन को राज्य सरकार ने यूनिवर्सिटीज के लिये माना है और उनको लागू करने आप जा रहे हैं? यह बहुत अहम प्रश्न है। इसके ऊपर आपको विचार करना पड़ेगा स्टेट के बड़े-बड़े विद्वानों से और शिक्षाविदों से। मुझे यह कहने में बिल्कुल ही हिचक नहीं है कि वे सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ही नहीं थे लेकिन संस्कृत के महान् विद्वान थे। कुछ लोगों को छोड़ कर जैसे सर्वपल्लि राधाकृष्णन् को छोड़ कर, एक दो को छोड़ कर, हिन्दुस्तान के अन्दर जिस व्यक्ति के बारे में यह सर्वमान्य राय और मत है कि यह आदमी जज होते हुए भी, जुडिशियरी का होते हुए भी बड़ा ही विद्वान आदमी है, हरएक व्यक्ति की उनके लिए यह धारणा है, उनका नाम लिया जाता है।

इसलिए मैं कह रहा था कि वह प्राध्यापक यहां पर मौन आते हैं तो मौन का मतलब यह है कि सरकार को मौन नहीं रहना चाहिए। मौन अपने आप में बहुत बड़ा डिमान्स्ट्रेशन है। यूनिवर्सिटीज में असन्तोष क्यों है? टीचर्स में असन्तोष क्यों है? कालेजेज जो यूनिवर्सिटीज के दायरे में हैं, और उसके रेजीडेन्शल करेक्टर के अन्दर हैं, उनमें नई टीचिंग्स शुरू करने जा रहे हैं, आज आप शिक्षा की प्रगति करना चाहते हैं, शिक्षा के मामलों को सुधारना चाहते हैं, यह सब प्रश्न इससे जुड़े हुए है। मैं किसी यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं कहता हुआ मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इन समस्याओं या वाइस चान्सलर·····

एक माननीय सदस्य : यहां आये हुए हैं।

श्री परसराम मदेरणा : वाइस चान्सलर यहां आये हुए हैं तो वाइस चान्सलर तो आयेंगे ही अगर आप बुलायेंगे तो।

वाइस चान्सलर और सिन्डीकेट में रखने के अलावा इनके बारे में सरकार को इस सदन में निर्णय लेना चाहिए। आप सिन्डीकेट के ही भरोसे न रहें। एक तरफ तो आप आटोनामी की बात करते हैं और दूसरी तरफ टीचर्स के ट्रान्सफर इन्टर-युनिवर्सिटी में करने की बात मान कर उनकी आटोनामी समाप्त करते हैं। इसको आप सिन्डीकेट पर मत छोड़िये। इस मामले पर मुख्य मंत्री जी से और आप

(श्री परसराम मदेरणा)
जिससे भी विचार-विमर्श करके उनके अनुभव का उपयोग करना चाहते हैं और उसकी उपादेयता समझें तो वह सलाह देने को तैयार हैं, लेकिन कोई नीति निर्धारित कर दें। सरकार नीति निर्धारित नहीं कर रही है। यह कोई प्राइमरी स्कूल के टीचर्स के वेतन और पे स्केल का मामला नहीं है। यह मामला शिक्षा से सम्बन्ध रखता है और शिक्षा का सम्बन्ध राजस्थान के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक तीनों विश्वविद्यालयों की रिपोर्टों का प्रश्न है मैं माननीय सदस्यों को यह सूचना देना चाहूंगा कि इस सत्र में इन रिपोर्टों को पेश कर दिया जावेगा।

दूसरा यह कहना है कि इस प्रकार की आर्थिक अनियमितताएं हो रही हैं। अगर कोई चार्जेज आप बतायेंगे तो उनके लिए कार्यवाही करेंगे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : दिये हैं आपको।

श्री बजरंगलाल शर्मा : जांच कराने की आवश्यकता होगी तो जांच करा देंगे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैंने लिख कर दे दिया है सब।

श्री रामनारायण चौधरी : आपने अभी कहा था कि आपकी विरोधी पक्ष के नेता से बात हो गई है और वह इन्कार कर रहे हैं तो आपकी कौनसी बात का विश्वास किया जाय।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप ठहरिये।

मैंने निवेदन किया कि परीक्षाओं को स्थगित किये जाने की बात को सिन्डीकेट में रखा गया है। और विषयों के लिए नहीं कहा।

विरोधी दल के माननीय नेता ने कहा कि अभी तक मेरी उनसे बात नहीं हुई है तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि बात तो मेरी और आपकी हुई है। जोधपुर विश्वविद्यालय के मामले में हुई थी और वाइस चान्सलर के साथ बैठ कर हुई है। यह हो सकता है कि तीनों विश्व विद्यालयों के बारे में क्या किया जाय, इसके बारे में विचार नहीं किया होगा। बात ही नहीं हुई है ऐसा नहीं है। यह तो हो सकता है कि राजस्थान को तीनों विश्वविद्यालयों को किस तरह से चलाया जाय, किस तरह से उनमें सुधार किया जाय, इस विषय में बात नहीं हुई हो, लेकिन जोधपुर और उदयपुर के विश्वविद्यालयों के मामले में आपकी और मेरी बातचीत अवश्य हुई है। कृपा कर उसको स्वीकार करें।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष जी, जोधपुर विश्व विद्यालय का प्रश्न था केवल। वहां के वाइस चान्सलर आये थे और वहां के बच्चों की पढ़ाई से उसका सम्बन्ध था। यूनिवर्सिटीज के दूसरे बहुत से मैटर थे जिनका उनसे सम्बन्ध था। टीचर्स का उस समय सलेक्शन किया जा रहा था। उदयपुर में उसकी बात आई थी तो आपने कहा कि बाद में बात कर लेंगे। वह बात तो आपने मुझसे जरूर की थी, लेकिन जो पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी

(श्री परसराम मदेरणा)

का प्रश्न आया था उस वक्त आपसे राजस्थान यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में ज्यादा चर्चा नहीं हुई। उसको आप इस तरह से कह रहे हैं जिससे ऐसा प्रतीत होता जा रहा है और हाउस में ऐसा आभास मिल रहा है कि आप कह रहे हैं वह ठीक है और मैं असत्य कह रहा हूं। आप गुपचुप में बात न रखें और सदन में स्पष्ट बात करें। एक-दो मुद्दे खड़े हुए उन पर बात हुई है। वाइस चान्सलर आपसे मिलने आये जोधपुर के तब आपने मुझे बुलाया था। उस पर विचार सदन में नहीं हुआ है। वाइस चान्सलर बात कर गये, जोधपुर यूनिवर्सिटी के लिए कहा था कि हल निकालेंगे तो उस पर आपने बुलाया था। यूनिवर्सिटी के एक होस्टल के सम्बन्ध में था कि किसको लगाया जाय और क्या कार्यवाही की जाय। यूनिवर्सिटीज के बहुत से मैटर हैं युनिवर्सिटी के जितने इश्यू है, उन पर आपकी और मेरी बात कहां हुई ?

श्री भंवरलाल शर्मा : तो आपके साथ फिर बैठकर बात कर लेंगे।

श्री बालकृष्ण थानवी : अध्यक्ष महोदय, जोधपुर डिवीजन के जितने भी कालेज हैं, उनको जोधपुर विश्वविद्यालय से जोड़ा जाये। यह वहां की मूल समस्या है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है कि आपकी व्यवस्था स्वीकार कर ली जाये।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हो चुकी है इस सम्बन्ध में, माननीय सदस्य।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) सर्वश्री रामकृष्णदास व श्योपतसिंह मकासर, सदस्य विधान सभा की ओर से श्री गंगानगर में छात्र आन्दोलन के सिलसिले में पुलिस द्वारा बदले की भावना से छात्रों के विरुद्ध गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत बनाये गये मुकदमों के विषय में।

(2) श्री रामनारायण चौधरी, सदस्य विधान सभा की ओर से चूरू जिले में शिक्षकों, छात्रों व अभिभावकों में जिला शिक्षा अधिकारी के प्रति व्याप्त असन्तोष के विषय में।

(3) श्री रणमलसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से ग्राम पंचायत कालाखो, पंचायत समिति दौसा, जिला जयपुर में काम के बदले अनाज के अन्तर्गत घोटाले और भ्रष्टाचार के विषय में।

इन प्रस्तावों को राज्य सरकार के पास सूचनार्थ भेजा जा रहा है और मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट सुन तो लें।

अध्यक्ष महोदय, कल स्थगन प्रस्ताव थे,

(श्री मती सुमित्रा सिंह)
उनके सम्बन्ध में सदन की कार्यवाही स्थगित किये जाने के बाद में मैं आपके चेम्बर में मिली थी। मैंने आप से पूछा था कि उनका क्या होगा ? तो आपने बताया था, रीड आउट कर दिये गये थे। बोलने का समय नहीं दिया गया था। इसलिये कम से कम बोलने का समय तो दें। आपने आश्वासन दिया था कि आपको निश्चित तौर से समय दूंगा। आश्वासन के बाद आपने मुझे सूचना ही नहीं दी। इसलिए कम से कम विचार व्यक्त करने का अवसर तो दें।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, एक मेरा भी स्थगन प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष : सारे स्थगन प्रस्ताव थे। चर्चा नहीं हुई। सदन की कार्यवाही स्थगित हुई। वह समाप्त हुए। यह परम्परा है। जब बिल्कुल चर्चा ही नहीं हुई तो अन्ततोगत्वा गुलेटिन की व्यवस्था में कालग्रस्त हो जायेंगे। और मैं क्या करूं।

श्री रामकृष्ण गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव था।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, ओला वृष्टि के कारण.......

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय कोई डाकुओं के सम्बन्ध में वक्तव्य देना चाहते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रस्ताव दिया था शिक्षकों की हड़ताल के सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष : आपने दो प्रस्ताव दिये थे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : एक ही प्रस्ताव था।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय.......

श्री रघुनाथ विश्नोई : मेरा प्रस्ताव था, माननीय अध्यक्ष महोदय, वह आपने रेफर नहीं किया है। इसलिए कहना है.......

श्री अध्यक्ष : किसके बारे में ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : सारे राजस्थान के शिक्षकों के सत्याग्रह के बारे में।

श्री अध्यक्ष : यह तो विषय नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मास्टरों, हैड मास्टरों.......

श्री रामनारायण चौधरी : जीरो आवर चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय वक्तव्य कैसे दे सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल मेरा एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष : दो स्थगन प्रस्ताव आये थे। एक पर चर्चा उठा सकते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, आज की जो सूची है, उसमें मेरा नाम ही नहीं आया है।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, ओलावृष्टि के कारण

(व्यवधान)

मेरा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष : आपका मामला था। मैंने कहा था। एक जो जे. पी. साहब के बारे में कहना चाहते थे, वह कह दिया।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कल तो अध्यक्ष महोदय.......

श्री रामकृष्ण : अध्यक्ष महोदय.......

श्री रघुनाथ विश्नोई : मेरा पाइण्ट आफ आर्डर है।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, ओला वृष्टि के कारण कोटा डिवीजन में.......

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिले की शान्ति खतरे में है। मैं आपके जरिये से गृह मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की है।

(व्यवधान)

एक बार नहीं, तीन बार ओला वृष्टि हुई है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह किसकी चर्चा है। विभिन्न विषय हैं। एक तो श्री रघुनाथ विश्नोई बोलें और उसके बाद में पांच मिनट के लिए श्रीमती सुमित्रासिंह बोलें।

(व्यवधान)

क्या आप सुनना नहीं चाहते हैं?

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, जीरो आवर में स्टेटमेण्ट नहीं होगा। सरकार जीरो आवर का उपयोग करना चाहती है।

श्री अध्यक्ष : मैं सोच रहा हूं। हो सकेगा वह प्रयास करूंगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, स्थान ग्रहण करें।

माननीय गृह मन्त्री जी महत्वपूर्ण विषय से अवगत कराना चाहते थे।

(व्यवधान)

हां तो फिर जीरो आवर खत्म हुआ। एक तो बज चुका है। अब आपको मैं कान्फीडेन्स में लेना चाहता हूं, जीरो आवर कितनी देर तक चलायेंगे, इसकी अवधि भी होनी चाहिए। जीरो आवर का निर्णय हो जाय। प्रश्नोत्तर काल के 25 मिनट ऐसे ही व्यतीत हो गए। इस तरह से जीरो आवर

(श्री अध्यक्ष)

चलाया जाय तो सरकार की कार्यवाही का क्या होगा ?

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : सरकार ने हमारा जीरो आवर खराब कर दिया । ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने स्थगन प्रस्ताव के जरिये–

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : एक मिनट सुन लीजिये—

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : गृह मन्त्रीजी, आप पहले मेरी बात सुन लीजिये । आपके पुलिस प्रशासन द्वारा गंगानगर जिले में जो कुछ भी किया गया वह बता रहा हूं । आपकी बात भी हम सुन लेंगे ।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल सदन में एडजोर्नमेंट मोशन नहीं हो सके । जिन स्थगन प्रस्तावों पर आपने व्यवस्था दी, उन पर चर्चा नहीं हो सकी । उनमें से एक माननीय सदस्या, जो झुन्झूनू से आई हैं, को आपने अभी अवसर दिया 5 मिनट के लिए और माननीय रघुनाथ जी, विश्नोई जी, जिन्होंने आज स्थगन प्रस्ताव दिया था, को अवसर दिया । इस प्रकार से दो स्थगन प्रस्तावों का मिश्रण होने से गलत फहमी रहेगी । उन पर अपने विचार करके समय दिया और आज जो स्थगन प्रस्ताव विचाराधीन हैं उस पर आपने व्यवस्था दी है । आप माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर देने जा रहे हैं । इसी बीच में अगर सरकारी स्टेटमेन्ट होगा । तो जीरो आवर से पहले कोई बिजनेस लिया जाय या नहीं लिया जाय, इस पर विचार करना चाहिए । कोई एक्स्ट्रा आर्डिनरी बात हो तो बात अलग है, लेकिन जैसे कल की सूचना आई और सरकार को काम्पीटेन्सी के बारे में मालूम हो गया । उसके बारे में सब जगह क्या चर्चा हुई इस बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता । लेकिन माननीय सदस्य अपने विचार नहीं रख सकते, आपने दो मिनट पहले व्यवस्था दे दी, फिर माननीय सदस्यों को अवसर कब मिलेगा ? कोई भी स्टेटमेन्ट अगर होता है तो जीरो आवर के बाद होना चाहिए ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : It will take an hour atleast.

श्री अध्यक्ष : ठीक है, विरोधी दल के नेता ने जो बात कही, वह स्पष्ट सुझाव है ।

श्री परसराम मदेरणा : मेरा कोई आग्रह नहीं है, मैं तो जनहित में कहना चाहता हूं । प्रश्न सुनने का नहीं है, कोई एक्स्ट्रा आर्डिनरी सूचना हो तो बात अलग है । जल्दी मत कीजिये, हैस्ट की बात........

श्री सूर्यनारायण चौधरी : जो सूचना मैंने दी थी वह आप भी लेकर आए थे ।

श्री परसराम मदेरणा : जब सूचना प्रधान मन्त्री महोदय को गलत है तो आपको भी गलत है। रेडियो से इस तरह की खबर....

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने स्थगन प्रस्ताव के जरिये—

श्री अध्यक्ष : आप क्या कहना चाह रहे हैं ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मेरा स्थगन प्रस्ताव है आज गंगानगर जिले में गुण्डा एक्ट के तहत में कार्यवाही करने के सम्बन्ध में। मैं बहुत कम समय लूंगा। आपकी अनुमति है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये, गृह मन्त्री महोदय का ध्यान गंगानगर जिले में प्रशासन और शासन के बीच में खाई पैदा हो गई है और जो जिले में असंतोष फैलता जा रहा है उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। किस प्रकार से अधिकारी अपनी गलत कार्यवाही को छिपाने के लिए, दोषी लोगों को पकड़ पाने की असफलता को छिपाने के लिए, अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए, अपनी असफलता को छिपाने के लिए और अपनी झूठी कार्यवाहियों पर पर्दा डालने के लिए किस प्रकार से शान्तिप्रिय छात्र नेताओं पर गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही कर रहे है। अध्यक्ष महोदय, इस हाउस को पता है कि गंगानगर जिले में गंगानगर शहर के हजारों स्टूडेण्ट अपनी जायज मांगों को लेकर आन्दोलन कर रहे थे, वे कालेज के होस्टल के लिए भूमि की मांग कर रहे थे, इसको लेकर उन्होंने आन्दोलन किया और आन्दोलन के दौरान कुछ ऐसी बातें हो गई जिनसे कि सारी स्थिति गम्भीर हो गई। अध्यक्ष महोदय, उस आन्दोलन के दौरान में पुलिस ने शान्तिप्रिय छात्रों पर लाठी चार्ज किया, उनको अरेस्ट करके उनके खिलाफ केसेज बनाये। इसी दौरान एक घटना हुई और वह यह हुई कि कुछ एन्टी सोशल एलिमेन्ट्स ने रेलवे इन्जिन ड्राइवर के साथ मारपीट करके रेलवे इन्जिन चालू कर दिया। इसी घटना पर जिला प्रशासन ने दोषी व्यक्तियों को नहीं पकड़ कर जो आन्दोलन को लीड करने वाले स्टुडेण्ट्स थे उनके खिलाफ मुकदमे तैयार किए। उस केस की दुबारा जांच करने के लिए मुख्य मन्त्री स्तर पर डी.आई.जी. सी.आई.डी. द्वारा जांच कराने का आश्वासन दिया गया। डी.आई.जी. सी.आई.डी. मिश्रा साहब गंगानगर पहुंचे उसके पहले ही तीन दिन के अन्दर इतने गम्भीर मुकदमों की तफतीश करके कोर्ट में चालान पेश कर दिये। यह राजस्थान के मन्त्रिमण्डल की आपसी गुटबन्दी, गुपबाजी और आपसी झगड़ों की जो वृत्ति है उसी का असर था कि गंगानगर शहर में वहां के माननीय विधायक, जो मन्त्रिमण्डल में मन्त्री भी हैं, प्रोफेसर केदार को नीचा दिखाने के लिए किया गया। जब कि कुछ मन्त्रियों ने आश्वासन दिया था कि केस की जांच कराई जायेगी उधर तीन दिन के अन्दर ही केसेज के चालान कोर्ट में पेश कर दिये गये। अध्यक्ष महोदय, यह अपने आपमें बहुत ही दुखद घटना है। यह क्यों और कैसे हुआ, इस ओर तो मैं नहीं जाऊंगा लेकिन आपकी अनुमति से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हू कि

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

स्टुडेन्ट लीडर, एक मिनिट ग्रौर, जिस पर जिन्दगी भर में कोई गुण्डागर्दी का चार्ज नहीं, महेश पेड़ीवाल समृद्ध परिवार का, एम. ए. का स्टूडेण्ट, उसके खिलाफ कोई केस नहीं। छात्र ग्रान्दोलन के दौरान उसके खिलाफ तीन मुकदमे बनाये ग्रौर विथड्रा भी हुए। एक झूठा मुकदमा इन्जिन चालू करने का कोर्ट में चल रहा है उसका जिलाधीश गुमानसिंह ने बदला लेने की नीयत से दुश्मनी निकालने के लिए गुण्डा एक्ट में चालान करवाया। उस पर किसी ग्राफेन्स का चार्ज नहीं है, उस पर चार मुकदमे लगाये गये, एक 27-3-70 को, एक मुकदमा 8-2-78 को, एक मुकदमा 14-12-78 को ग्रौर एक 2-7 को, इनमें से तीन मुकदमे विथड्रा कर लिये गये समझौता होने पर, केवल एक मुकदमा विचाराधीन है। यह वह मुकदमा है जिसकी सी. ग्राई.डी. द्वारा जांच करवाने का तय हुग्रा था। सारा मन्त्रिमण्डल मानता है, गंगानगर शहर की जनता यह मानती है कि छात्र नेता का इसमें कोई हाथ नहीं था, इसको पुलिस कस्टडी में रखकर मार पीट की गई। डाक्टरी मुग्रायना कराने पर मालूम हुग्रा कि उसके शरीर पर 23 नाजुक चोटें ग्रा गई हैं। ग्रफसोस है, दुर्भाग्य है, उसके साथ इतनी मारपीट की गई ग्रौर उसकी गुदा में लकड़ी डाली गई। भूतपूर्व गृह मंत्री जानते हैं कि किस प्रकार कस्टडी में महेश पेड़ीवाल के शरीर पर चोटें पहुंचाई गई, क्योंकि वह पुलिस का विरोध कर रहा था। स्टूडेन्ट्स की मांग थी कि जो ग्रपराधी हैं उनको पकड़ा जाए ग्रौर जो इन्नोसेंट हैं, उनको छोड़ा जाए। उसी महेश पेड़ीवाल व ग्रन्य 5-6 लड़कों के खिलाफ गुंडा एक्ट में कार्यवाही की गई। मैं गृह गृह मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि 18 महीने के शासन में गंगानगर जिलाधीश ने, एस. पी. ने कितने एन्टी सोशल एलीमेंट्स के खिलाफ गुंडा एक्ट में चालान किया? एक भी नहीं। स्टूडेंट एजीटेशन को कुचलने के किये ग्रापने इन्नोसेंट छात्रों को पकड़ा है। छात्रों ने ग्रापको शासन पर बिठाया। ग्रापको शासन में लाने के लिए जे.पी. की ग्रगुवाई में उन्होंने ग्रान्दोलन किया। ये जे. पी. की छात्रावाहिनी के सदस्य रहे हैं। ग्राप सत्ता में हैं, जिन्होंने ग्रापको शासन में बिठाया ग्राज उन्हीं के खिलाफ गुंडा एक्ट में कार्यवाही करते हैं। इसी तरह ग्राप जे. पी. के प्रति ग्रपना ग्रादर प्रकट कर रहे हैं? ग्रापकी सरकार को शर्म ग्रानी चाहिए। गुंडा एक्ट चोरों, जेबकतरों, रेपिस्ट्स, डाकुग्रों, मिलावटियों के लिए है न कि कोई ग्रपनी जायज मांगों के लिए सड़क पर ग्रान्दोलन करे उसका चालान करने के लिए।

ग्रफसोस है, हम ग्रपने जिन राजनेता के प्रति ग्रादर प्रकट करते हैं, उनके लिए सरकार गलत समाचार देती है। ग्रापकी मशीनरी इतनी कमजोर, निक्कमी मशीनरी है। छात्र नेता 20 तारीख को जिलाधीश से मिले हैं। छात्रों ने कहा है कि ग्रगर गुंडा एक्ट के तहत उनके केसेज को वापस नहीं लिया गया तो गंगानगर में दुवारा ग्रान्दोलन किया जाएगा, शान्ति भंग होगी, लाठियां चलेंगी, गोलियां चल सकती हैं, सब कुछ हो सकता है, जिम्मेदारी गृह मंत्री व

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

मुख्य मंत्री पर होगी, जनता सरकार पर होगी। छात्रों की जायज मांगों की ओर ध्यान देने के बजाय, उनको कुचलने के लिए, उन के घर वालों की बेइज्जती करने के लिए गुंडा एक्ट में कार्यवाही की जाए, यह शोभनीय नहीं है। अगर इस महेश पेड़ीवाल के खिलाफ गुंडा एक्ट में कार्यवाही चालू की गई तो गुजरात के छात्रों की तरह सब विद्यार्थी मिल कर राजस्थान मे ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे कि आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। मेरा चैलेंज है कि अगर मुख्य मंत्री खड़े होकर कह दें कि यह महेश पेड़ीवाल गुंड़ा है तो मैं विधान सभा की सीट से त्यागपत्र देने को तैयार हूं। मैं छात्र नेता महेश पेड़ीवाल के लिए कह सकता हूं कि वह एक प्रतिशत भी गुंडा नहीं है, उस पर कोई चोरी का आरोप नहीं, लड़कियों को छेड़ने का आरोप नहीं, मिलावट करने का आरोप नहीं, देशद्रोही नहीं की, कोई हैबीचुअल आफेंडर नहीं, सिवा इसके कि उसने मांग की कि हमारे होस्टल के लिए जमीन दी जाए। ऐसे आन्दोलन करने वाले छात्र नेताओं का जो गुंडा एक्ट में चालान किया गया है यह आप लोगों के लिए डूब मरने की बात है। आपके हाथ में अधिकारी नहीं हैं। बड़ी मुश्किल से गंगानगर जिलाधीश का तबादला किया। उसने जाते जाते पुलिस से कह दिया कि ऐसे छात्रों के खिलाफ गुंडा एक्ट में कार्यवाही करो। गुंडों को शासन नहीं करने दिया जाएगा। अगर महेश पेड़ीवाल के खिलाफ गुंडा एक्ट में कार्यवाही की जाती है तो मैं चाहूंगा कि हमारे गृह मंत्री का भी गुंडा एक्ट में चालान किया जाए। केशोराय पाटन में पुलिस कस्टडी में आपने एक व्यक्ति को मारा, विधायकपुरी थाने में माननीय सदस्य के लड़के की पिटाई की गई, बारां में गोलीकांड किया.......

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : आप अराजकता का वातावरण पैदा करना चाहते हैं, वह हम नहीं होने देंगे। आज राजस्थान की युवा पीढ़ी, छात्र इस सदन की ओर देख रहे हैं कि यह विधान सभा उसे नौजवान पीढ़ी के हजारों लोगों के विकास व रक्षा के लिए क्या कर रही है? अगर आप शांतिप्रिय छात्रों को गुंडा एक्ट में बदनाम करेंगे, उन पर केसेज बनायेंगे तो हम डरेंगे नहीं। 23 मार्च को ही भगत सिंह को फांसी हुई थी, चाहे इनको फांसी हो जाये हम डरेंगे नहीं। आप डाक्टर राम मनोहर लोहिया को याद करो, उसने क्या कहा था? अगर आपने राजस्थान की युवा पीढ़ी को इस प्रकार बेइज्जत किया, उसको तंग किया, उसके अधिकारों को कुचला तो यह नौजवान पीढ़ी मंत्रिमन्डल को माफ नहीं करेगी। जिंदा कौमे इन्तजार नहीं करतीं। अन्त में मैं यह दस्तावेज सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री श्योपत सिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, मेरा इस विषय में स्थगन प्रस्ताव है। गंगानगर के अन्दर विद्यार्थी नेता महेश पेड़ीवाल के खिलाफ पुलिस ने 110 का चालान पेश करने के लिए उसको नोटिस दिया। इस हालत में गंगानगर जिले में आंदोलन होगा तो मुझे मालूम नहीं, हमारी सरकार में कितनी शर्म बाकी है? हमारे अधिकारियों में कितनी गैरत बाकी है?

(श्री श्योपत सिंह मकासर)

इससे पूर्व मैंने रेलवे दुर्घटना के बारे में जिक्र किया, 126 व 127 के तहत 14 विद्यार्थियों और हमारी पार्टी के नेताओं के विरुद्ध चालान किये हैं। 26-1-79 को गंगानगर में जब मैं भूख हड़ताल पर था और वहां के दो नेता, एक जनता पार्टी के अध्यक्ष सरदार गुर दयाल सिंह और सी०पी०आई० के नेता एडवोकेट करनैल सिंह, हम तीनों भूख हड़ताल पर थे कि गलत मुकदमे बनाए है, उन्हें वापस लिया जाय तथा विद्यार्थियों की मांगें मानी जायं। उस समय मैंने मुख्य मंत्री को पत्र लिखा जिसका कुछ अंश पढ़ कर सुना रहा हूं।

"रेल दुर्घटना किसी के लिए खुशी का बायस नहीं थी मगर आपके जिला प्रशासन के लिए जरूर एक वरदान साबित हुआ।" हमारे लिए परेशानी की बात थी मगर प्रशासन के लिए वरदान साबित हुआ। "मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ लिख रहा हूं कि रेल दुर्घटना में जिलाधीश व एस० पी० गंगानगर ने जानबूझ कर बेकसूर लोगों के नाम लिखवाये हैं व उनको गिरफ्तार किया गया है व वारंट निकाले गये। मुख्य मंत्री जी, सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की है कि इतनी जल्दी सत्ता के नशे में आपके आन्दोलनों के मूल्यांकन बदल गए। अब आपकी नजर में शायद प्रशासन के अधिकार ज्यादा प्यारे हैं, वे हजारों विद्यार्थी व उनके परेशान अभिभावक तथा हमदर्द लोग गैर हो गए।"

यह पत्र मैंने उनको लिखा 26 तारीख को। केदार जी पहुंचे, वहां के नागरिकों से मिले, उनसे बात की, एडवोकेट्स से बात की, शहर के अन्य लोगों से मिले और जब इस नतीजे पर पहुंचे कि यह गलत है। जाते समय केदार जी यहां से मुख्य मन्त्री की अपील ले गये, हमारे सामने वह अपील रखी और शर्तें रखीं कि इस मुकदमे की जांच होगी, डी०आई०जी० मिश्रा द्वारा। डी०आई०जी० बीकानेर रेंज गंगानगर में उसी दिन मौजूद थे। हमसे कहा गया कि इस मुकदमे की जांच डी०आई०जी० करेंगे। छात्रों की तमाम मांगें पूरी कर दी जाएंगी आप लोग भूख हड़ताल खतम कर देवें।

मैं कह चुका हूं सारी बातें, धोखा दिया मंत्री महोदय, को जनता पार्टी के मुख्य मंत्री ने अपने ही एक साथी को धोखा दिया। यह पहली मिसाल है कि अपने किसी कुलीग को मुख्य मंत्री जी ने भेजा और फिर पीछे से कह दिया कि उनका चालान कर दो। केदार जी दूसरे दिन वापस जयपुर पहुंचे और वहां के जिलाधीश ने झूठे चालान बच्चों के पेश कर दिये। खैर, यह एक अलग बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं यह सरकार और इस सरकार के अधिकारी चाहे कितने झूठे मुकदमे दर्ज कर दें, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रेलवे के ड्राइवर, फायरमैन, गार्ड को जब जेल में ले गए तो कहा कि यह तो बड़े बड़े लड़के हैं वह तो स्कूलों के छोटे लड़के थे। मैं जानता हूं आप कितना ही जोर लगा लें, कितने ही उनके ऊपर झूठे मुकदमे चला लें आप उनको सजा नहीं करवा सकते। ज्यादा से ज्यादा उनको फांसी हो जायेगी, बस इससे तो ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। हो जाने दो मगर हम आपके अपने गिड़गिड़ायेंगे नहीं। आपके सामने दया की भीख नहीं मांगेंगे। यह डराना चाहते थे। हम भ्रष्ट अफसरों के कभी पैर नहीं पकड़ेंगे।

(श्री श्योरतसिंह मकासर)

सत्ता में बैठे हुए लोगों में सच्चाई नाम की कोई चीज नहीं है। एक मुलजिम को भी अधिकार है अगर उसे तफतीश में भरोसा नहीं है तो वह बदल सकता है लेकिन राजनैतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा भी नहीं होगा। इस केस में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, जनता पार्टी के महा मंत्री और युवा जनता का लीडर और प्रदेश का लीडर उसमें शामिल था। बाकी कालेज के विद्यार्थी एम. ए. और एल. एल. बी. के विद्यार्थी थे उनमें कोई गुण्डा नहीं था। खैर, यह घटना हुई। अब मैं 110 की बात करना चाहता हूं, सिर्फ महेश पेड़ीवाल को नहीं बाकी के विद्यार्थियों को भी नोटिस दिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्यों किया गया? महेश पेड़ीवाल को 26 अक्टूबर को गिरफ्तार किया तथा पुलिस हिरासत में उसे बुरी तरह से पीटा गया जिसका न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां महेश पेड़ीवाल ने एक डी.एस.पी., एक इन्सपैक्टर और 2 सब इन्सपैक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मेरे पास उसकी कापी है। जब महेश पेडीवाल ने उन चोटों के आधार पर मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर अदालत में मुकदमा कर दिया तो गंगानगर की पुलिस अब गुण्डा एक्ट में चालान कर धमकाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बता देना चाहता हूं कि ऐसे जुल्म करने वाले लोग हुकूमत में नहीं रहा करते हैं। हम उसके खिलाफ लड़ेंगे, हम चुपचाप नहीं बैठेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, महेश पेडीवाल ने जो मुकदमा दायर किया है उसके कुछ कान्टेक्स्ट यहां पेश करूंगा। महेश पेडीवाल और उसके साथियों को 26 तारीख को गिरफ्तार किया गया। उनको अन्देशा था कि पुलिस उनको पीटेगी। जब मजिस्ट्रेट के सामने 26 तारीख को पेश किये गये तो उन्होंने कहा कि हमारा डाक्टरी मुआयना होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, गिरफ्तार करने के बाद जब पेश किया गया अदालत में तो मजिस्ट्रेट ने डाक्टरी मुआयना करवाया और सबका करवाया। उनके शरीर पर कोई चोट नहीं थी। जब दिन में उनका मुआयना करा लिया तो 26 तारीख की रात को पुलिस के चार दरिन्दों, जिनमें एक डी एस पी., एक इन्सपैक्टर और दो थानेदार थे, आदमी नहीं दरिन्दे, ने उस बच्चे को रात को बुलाया और नंगा किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा नंगा करके पिटाई करने की बात पर पहले भरोसा नहीं होता था लेकिन जब मदेरणा जी के बच्चे को हास्पिटल में देखा और मैंने दूसरे लड़के को हास्पिटल में देखा, उसका शायद मदेरणा जी को भी पता नहीं था, मैंने जब उसकी चोटें देखीं तो मैंने मदेरणाजी को कहा उनको नंगा करके पीटा। मदेरणा जी अचम्भे से बोले कि क्या उनको नंगा करके पीटा। मैंने कहा, आपने कभी पुलिस की पिटाई की चोटें नहीं देखीं। शायद यह कभी अनुमान भी नहीं था या इत्तफाक नहीं हुआ। पुलिस ने नंगा करके उस बच्चे को पीटा। जाकर देखिये। देखिये किस तरह से इन बच्चों को पीटा गया। अब मैं गंगानगर की घटना की तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। महेश पेडीवाल को बुलाकर नंगा किया गया तो वह बहुत रोया। उसको नहीं छोड़ा गया माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्दी का मोसम था। सिपाहियों को बुलाया और कहा कि इसके मुंह में पेशाब करो। इसको मोरार जी

(श्री ज्योतिसिंह मकासर)

देसाई बनाओ। उसने यह अपने इस्तगासे में लिखा है—

यह कि तब श्री प्रहलाद मीणा ने वहां खड़े सिपाहियों से कहा कि इसके जबरदस्ती कपड़े उतार दो यदि वह स्वयं कपड़े नहीं उतारता है। इस पर परिवादी ने डरते हुए तमाम कपड़े अपने जिस्म से उतार दिये इस प्रकार पुलिस के दबाव से परिवादी को एक दम नंगा करवा लिया। इसके पश्चात् श्री जिले सिंह ने वहां पर खड़े सिपाहियों से कहा–इसे मोरार जी बनाओ और तुम इसके मुंह में पेशाब करो। उपस्थित सिपाहियों ने इस बेहूदा व खिलाफ कानून आदेश को मानने से इन्कार कर दिया। यह कि श्री प्रहलाद मीणा के पास उस समय पुलिस वाला डण्डा था, जिले सिंह के पास एक पट्टा था जिसमें एक हत्था लगा हुआ था तथा रत्नसिंह के हाथ में बैल्ट थी और ये तीनोंपुलिस अधिकारी परिवादी को इन हथियारों से पीटने लग गये तथा उसके पैरों के तलवों या शरीर के बाकी हिस्सों पर अनगिनत चोटें मारीं। यह बर्बरतापूर्ण तथा निर्मम मारपीट करीब आधा घन्टा तक उस बन्द कमरे में की गई। परिवादी दर्द से रोता चिल्लाता रहा लेकिन इन निर्दयी अभियुक्तगण पर इसका कोई असर नहीं हुआ और परिवादी के बार बार मारपीट न करने के कहने पर भी अभियुक्त गण के दिल में कोई दया नहीं आई और उन्होंने मारना पीटना बन्द नहीं किया।"

पहले उसको मोरारजी बनाया और उसके बाद फिर बोले कि इसको केदारजी बनाओ। केदारजी मंत्री कैसे बने। केदारजी सन् 43 से पहले कांग्रेस में थे। प्रोफेसर केदार साखू ठाकर के यहां चले गए थे। वहां इन्हें पकड़ कर इनकी गुदा में लकड़ी डाली थी। दरिन्दों ने भी उसी तरह महेश की गुदा में डंडा चढ़ाया और बोले अब मिनिस्टर बन जाओगे बहुत जल्दी। केदारजी भी मिनिस्टर बन गये अब तुम भी मिनिस्टर बन जाओगे। जमानत होने के बाद लड़के ने इस्तगासा कर दिया, श्रीमान् सम्पतराम जी की पुलिस इसलिए उनका 110 में चालान करती है। खैर, यह आपके सोचने की बात है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

क्या करना चाहते हैं, क्या करना नहीं चाहते लेकिन एक बात से खबरदार कर देना चाहता हूं कि आपने चोरों की तरह उसका इंजन के मुकदमे में चालान पेश कर दिया। क्यों नहीं उसको मौका दिया? क्यों नहीं केस की जांच हुई? कोई जवाब है आपके पास? एक मुकदमा नहीं चार मुकदमों के इन लड़कों के खिलाफ तीन दिन के बाद चालान पेश कर दिये गये। अभी भी वक्त है, आप इस पर विचार कीजिए वरना इसका नतीजा बहुत भयंकर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खतम करता हूं

श्री ईश्वर चन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनट का समय दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री ईश्वर चन्द्र : मैं यही कहना चाहता हूं यह गरीब आदमी है, बड़ा सही कार्यकर्ता है........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नियमों के अन्तर्गत आप नहीं बोल सकते। आपको अनुमति नहीं दे सकता। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री ईश्वर चन्द्र : मैं केवल यही कहना चाहता हूं........

श्री अध्यक्ष : मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता।

श्री ईश्वर चन्द्र : राजनैतिक कार्यकर्ता पर गुण्डा एक्ट मंत्री महोदय न चलायें....

श्री अध्यक्ष : मैं आपको अनुमति नहीं देता हूं।

श्री ईश्वर चन्द्र : गृह मंत्रीजी, यह राजनैतिक समस्या है, छात्रों का आन्दोलन है, पुलिस डण्डे के बल पर इसे हल करने की कोशिश न करे नहीं तो स्थिति गम्भीर हो जायेगी। उसके साथ गुण्डा एक्ट का कानून लागू करना गलत है।

श्री बहादुर सिंह (नोहर) : अध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिले में छात्र समस्या के बारे में भी सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। गंगानगर जिले में छात्रों के आन्दोलन को दबाने के लिये सत्ता का खुल कर दुरुपयोग किया गया है........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नियमों के अन्तर्गत आप नहीं बोल सकते। मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

श्री बहादुर सिंह : गंगानगर के छात्र आन्दोलन को दबाने के लिये न केवल छात्रों को पीटा गया बल्कि सत्ता का खुल कर दुरुपयोग किया गया। यह हमारी सरकार के लिये बहुत शर्मनाक बात है। इस प्रकार से छात्र आन्दोलन को कुचला जाये। छात्रों से मारपीट की जाये। गुदा में डंडा चढ़ा कर इस प्रकार के अन्य अपराध किये जाये। मैं मांग करता हूं कि प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाये। मैं सरकार का इस ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : माननीय गृह मंत्री जी, जवाब दीजिये। आज आप जवाब न देने के लिये नहीं उठेंगे, कल जनता आपको उठा लेगी।

श्री सम्पतराम (गृह मंत्री) : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहना था, वह सुन लिया। सरकार जब चाहेगी, तब जवाब देगी। आज मेरे पास फैक्ट्स नहीं हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : जब मर्जी आये जवाब दीजिये। देना चाहें तो दें, नहीं देना चाहें, न दें। आपको हाथ नहीं जोड़ेंगे। We accept your challenge.

श्री राम नारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने चूरू जिले के शिक्षकों और दूसरे सरकारी कर्मचारियों के संबंध में आज आपके समक्ष एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। आज चूरू जिले में, मान्यवर, स्थिति यह है कि औपचारिक तरीके से स्कूल खुले हैं लेकिन अनौपचारिक तरीके से चूरू जिले में पिछले 10 दिन से छात्रों की

(श्री रामनारायण चौधरी)

पढ़ाई एकदम सब बन्द है। जिले के सभी शिक्षक, राजस्थान शिक्षक संघ के नेताओं के नेतृत्व में वहां पर सत्याग्रह पर डटे हुए हैं। उनकी वाजिब मांगें हैं और मांगें भी इस प्रकार की हैं जो सरकार के मानने के लायक हैं मगर सरकार अपनी हठधर्मी पर प्रशासनिक मामले को लेकर अड़ी हुई है। मान्यवर, चूरू जिले में शिक्षकों की मांगों के बारे में 16 मार्च 1979 को धरना, क्रमिक अनशन 19 मार्च, 1979 चूरू जिला शिक्षक संघ द्वारा, 21 मार्च को चूरू के अन्दर विशाल प्रदर्शन शिक्षकों का हुआ। महासंघ के अध्यक्ष श्री बिशनसिंह शेखावत, महा मंत्री श्री कुलदीपसिंह ने वहां पर सम्बोधन किया। चूरू के सभी कर्मचारी साथियों ने अपनी मांगों के सबंध में राजस्थान सरकार को एक ज्ञापन दिया। समस्या यह है, मान्यवर, चूरू जिले के अन्दर वहां के जिला शिक्षक अधिकारी की दमनपूर्ण नीति, प्रशासनिक उत्पीड़न के खिलाफ अध्यापक लोग आन्दोलन कर रहे हैं। यह शिक्षा अधिकारी, माननीय शिक्षा मंत्री श्री भंवरलाल शर्मा, आर० एस० एस० के कार्यकर्त्ता ही नहीं, उनका संबंधी होने के कारण वहां पर अध्यापकों के ऊपर मनमाने तरीके से जुल्म ढाये जा रहे हैं। मान्यवर, मनमाने तरीके से अध्यापकों को, जो आर० एस० एस० में निष्ठा नहीं रखते हैं, न केवल निलम्बित किया जा रहा है बल्कि निलम्बित समय का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है। जिन शिक्षकों का आर.एस.एस. की फिलास्फी में विश्वास नहीं है, इस प्रकार के सैंकड़ों शिक्षक शिक्षा सत्र के दरम्यान के अन्दर, जब कि लिखित आदेश हैं, सत्र के बीच में स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा। परीक्षायें चल रही हैं और परीक्षायें सन्निकट हैं, आज स्थिति यह है कि ऐसे अध्यापकों, जो अध्यापक आर०एस०एस० फिलासफी में विश्वास नहीं करते, मान्यवर, का मनमाने तरीके से उत्पीड़न हो रहा है। मान्यवर शिक्षा मंत्री जी के सम्बन्धी, जिला शिक्षा अधिकारी ने गरीब शिक्षकों के खिलाफ और उसके अन्दर और सरकारी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराकर उनका उत्पीड़न किया है। जो एफ. आई. आर. दर्ज कराई उसमें लिखाया है कि मैंने यह स्थानान्तरण सनाढ्य गुट के शिक्षक संघ के कहने से किये थे। जिलाधीश ने मुझे इस सम्बन्ध में बताया था। चूरू जिला शिक्षक संघ के अध्यक्ष सनाढ्य गुट के कहने से मैंने यह स्थानान्तरण किये। इसके उपरांत शिक्षक संघ के लोग इन स्थानान्तरण को करवाने के लिये आये। मान्यवर, आज चूरू जिले के शिक्षा अधिकारी आर०एस०एस० से प्रभावित·······

श्री दाऊदयाल जोशी : रात को नींद भी आती है या नहीं ?

श्री रामनारायण चौधरी : जो जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा मंत्री के संरक्षण में इस प्रकार के शिक्षकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे, मान्यवर, चूरू जिले की जनसंख्या 9 लाख हैं। 9 लाख की जनसंख्या के अनुपात में आज गांवों के अन्दर प्राथमिक स्कूल, मिडिल स्कूल, सैकण्डरी स्कूल हायर सैकेण्डरी स्कूल जो जिला शिक्षा अधिकारी के अन्तर्गत आते हैं उन सब स्कूलों में शिक्षण का काम बन्द है। औपचारिक तरीके से स्कूलें खुले हुए हैं लेकिन अध्यापकों का जमघट चूरू में लगा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा·······

(श्री रामनारायण चौधरी)

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

9 लाख की जनसंख्या में, आम लोगों में भयंकर रोष, आक्रोष, असंतोष पूरे जिले के अन्दर फैला हुआ है। इसका असर पड़ोसी जिले सीकर, झुंझुनू और गंगानगर के अन्दर भी पड़ रहा है। आज भी काफी लोग जयपुर में आये हुए हैं और मुझे यह ज्ञापन दिया है कि मैं जिले के शिक्षकों की वाजिब मांगों के सम्बन्ध में आपके द्वारा शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूं और प्रार्थना करूं कि आप इस उत्पीड़न को बन्द कीजिये। आपसे निवेदन है भगवान के नाम पर, डेमोक्रेसी के नाम पर, लोकतन्त्र के नाम पर रहम खाइये और उनको इस आर०एस०एस० के कुचक्र से मुक्ति दिलवाइये। इसके कारण जो गांव गांव में झगड़े हो रहे हैं उनको बन्द करिये और शिक्षकों का जो उत्पीड़न है उसको आप तुरन्त बन्द कीजिये। अध्यक्ष महोदय, आप शिक्षा मंत्री जी को कहें कि वे वक्तव्य दें और जो कार्यक्रम उत्पीड़न के खिलाफ चला रखा है उसको तुरन्त बन्द करवायें।

श्री भंवर लाल शर्मा (शिक्षा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, चूरू में अध्यापकों की मांग को लेकर वहां कोई आन्दोलन चल रहा है, उसके बारे में माननीय रामनारायण जी ने कुछ कहा है। मेरे वक्तव्य के पूर्व मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं कि वहां जो अधिकारी हैं शिक्षा के वे मेरे रिश्तेदार हैं या नहीं, यह तो जब मैं वक्तव्य दूंगा, आप को बता दूंगा, उस सम्बन्ध में अभी जांच की जा रही है और उसके लिए वक्तव्य जल्दी ही दूंगा लेकिन मैं रामनारायण जी को आगाह करना चाहता हूं कि जब मैं वक्तव्य दूं उस समय यह बता दें कि मेरी उनसे क्या रिश्तेदारी है? अगर मेरी रिश्तेदारी नहीं है तो आप देख लें कि आपको क्या करना है, वह करें।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जिला शिक्षक संघ का मेरे पास पत्र है। आप चाहें तो मैं पढ़कर सुना दूं।

श्री भंवर लाल शर्मा : आप परसों या परले रोज तक और जानकारी कर लीजिये। अगर मेरी रिश्तेदारी नहीं है तो फिर आपको क्या कहना है वह सोच लीजिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आर.एस.एस. की फिलासफी से तो रिश्तेदारी है।

श्री भंवर लाल शर्मा : यह आपको ऐसी बीमारी है कि आपके दिमाग से जायगी नहीं।

श्री राम नारायण चौधरी : वक्तव्य कब देंगे, यह बता दें।

(व्यवधान)

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : इस घटना की जानकारी के बाद·······

(व्यवधान)

श्री राम नारायण चौधरी : मान्यवर, मैं आपके द्वारा सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूं यदि, माननीय शिक्षा मंत्री जी, अध्यापकों के इस उत्पीड़न को, आर. एस. एस. की फिलासफी को आगे बढ़ने से नहीं रोका और यदि इसे तुरन्त बन्द नहीं किया

(श्री रामनारायण चौधरी)
तो मैं यह घोषणा करता हूं कि मैं इस सदन में धरना दूंगा। तमाम स्कूलों का आपने सत्यानाश कर दिया हैं।

श्री परसराम मदेरणा: माननीय अध्यक्ष जी, मुझे अभी ऐसा आभास मिला कि मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने स्थगन प्रस्ताव के जरिये चूरू में हो रहे शिक्षकों के आन्दोलन/ के बारे में सदन में कुछ जानकारी दी उसके बाद ऐसा लगा कि माननीय मंत्री महोदय जो वक्तव्य दे रहे हैं वह वक्तव्य न देकर माननीय राम नारायण जी के सामने शर्त रख रहे हैं कि मेरी रिश्तेदारी नहीं हुई तो आप क्या करेंगे आप सदन में माफी मांगेंगे या क्या करेंगे, तो जो वक्तव्य देंगे उसके जरिये कोई शर्त रखना चाहते हैं क्या? मतलब जो बात माननीय रामनारायण जी ने कही उसमें तो कोई तथ्य नहीं है और शायद जो आप कहेंगे उससे जैसे कोई बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है। माननीय शिक्षा मंत्री जी, आप वक्तव्य दे दीजिये इस सदन में। हमारा अधिकार है और हमारे उस अधिकार को आप कुंठित करना चाहते हैं। हमारा अधिकार है अपनी बात रखने का और निश्चित तौर से जो हम समझते है वह रखेंगे। आप किसी वक्तव्य की पाबन्दी हमसे मत कीजिये और न ही यह सदन की गरिमा के अनुरूप है कि आप कोई शर्त रखें। यदि आप कोई रखते हैं तो मैं समझता हूं आप किसी भूल भुलैया में है। The so called disease about which whatever we see that seems to be inquired into.

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता: माननीय अध्यक्ष जी, इस सेशन के अन्दर मालीराम शर्मा का ट्रान्सफर इसलिये किया गया कि वे आर. एस. एस. की हां में हां मिलाने को तैयार नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, जो रिपोर्ट है उसमें लिखा है कि सनाढ्य ग्रुप के कहने से मैंने कुछ लोगों का ट्रान्सफर कर दिया था। शिक्षा विभाग ने यह माना है कि उसमें आर. एस. एस. के लोग हैं और उनके कहने से ट्रान्सफर किया गया है। मैं समझता हूं यह आपके भी पक्ष में नहीं है। मालीराम शर्मा का ट्रान्सफर बीकानेर में किस आधार पर किया गया है? वे भारत सरकार से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति हैं। भारत सरकार ने उनको बेस्ट टीचर अवार्ड दिया है। उस डिप्टी डाइरेक्टर का स्थानान्तरण करके आपने निष्ठावान, कर्त्तव्य परायण अध्यापक के तमाचा मारा है...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री लाल चंद: माननीय अध्यक्ष महोदय, चूरू के अध्यापकों के बारे में माननीय रामनारायण जी ने सदन में जो जानकारी दी है ....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप नियमों के विपरीत क्या बोल रहे है। सदन का समय भी इसी तरह से नष्ट हो रहा हैं।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी: अध्यक्ष महोदय, दो मिनट के लिये बोलना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कल हो लिया, फिर लैप्स हो गया।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां आदमी और जानवर भूखों मरने की स्थिति में आ गये हैं। आदमी भूखों मरते इधर से उधर भाग रहे हैं। अध्यक्ष महोदय खातून और बंजारा के जो गांव हैं ....

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा: माननीय अध्यक्ष जी, आपकी व्यवस्था सही है कि कल हाउस एडजोर्न होने के बाद ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो अतिवृष्टि से सम्बन्धित था वह समाप्त हो गया। इसको सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने रखा है और सही है कि यह समाप्त हो गया लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह बहुत ही इम्पार्टेंट मैटर है और लोक महत्व का भी है इसलिये कोई न कोई समय निर्धारित करने की कृपा करें।

•**श्री अध्यक्ष** : माननीय विरोधी दल के नेता महोदय मैंने सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित किया है चाहे ओलावृष्टि हो और चाहे अकाल की स्थिति हो, यह तो सदन की समस्या है, जन साधारण की समस्या है। इस सम्बन्ध में मेरी सरकार से गुजारिश है कि कोई एक दिन नियत करके कम से कम पूरी चर्चा होनी चाहिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, अकाल के कमिश्नर साहब शेर सिंह जी कोई डेढ़ महीने पहले गये थे,

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : छोड़ दे जनता पार्टी की सरकार को यदि आपकी सुनवाई नहीं होती है तो इधर आकर बैठ जाओ। छोड़ो, मारो इस सरकार को ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय दाऊ दयाल जी, पहले इनको हो लेने दीजिये.......

श्री नाथूलाल : अध्यक्ष महोदय, अकाल के सम्बन्ध में....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अकाल के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आएगा उस पर पूरी चर्चा होगी।

श्री रणमलसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव प्रजातन्त्र की बुनियादी जो नींव पंचायत है, उसके बारे में है। यह पंचायत, पंचायत समिति दौसा में कालाखोह है। वहां के सरपंच ने काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत 630 बोरियां ली हैं और उनमें से केवल दो सौ बोरी ही काम में ली बाकी का गोलमाल, घोटाला किया है। इसकी शिकायत की गई है। इसकी थोड़ी सी बात बताऊंगा। सरपंच को इरिगेशन डिपार्टमेन्ट की तरफ से मोती के बास में एक पुलिया का ठेका दिया गया था। यह ठेका सात हजार रुपये का था परन्तु जो पत्थर काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत डलवाये गये थे उनको उठवा कर उस सरपंच ने अपने ठेके के काम में ले लिया है। उन पत्थरों को उसने वहा पर लगवा दिया है। इसकी शिकायत वहां के एस. डी. एम. जिलाधीश को की गई है। सब जगह कोशिश की गई। मौके पर गाड़ी के अन्दर जो काम के बदले अनाज योजना का अनाज ले जाया जा रहा था,

(श्री रणमलसिंह)

वह बताया गया कि इस गाड़ी में अनाज ले जाया जा रहा है परन्तु उस पर कोई तवज्जह नहीं दी गई। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, यह आपाधापी एक जगह पर नहीं बल्कि राजस्थान के सात हजार गांवों के अन्दर जो इस योजना के अन्दर काम किया गया है, वहां पर भी है। किसी तरह का कोई काम नहीं किया। इस तरह से इस योजना का बंटाढार कर दिया गया है। इस तरह से इस योजना में जो करोड़ों रुपये व्यय किये गए हैं, इसके दुरुपयोग के कई मामले हैं। अगर चिकित्सालय या अन्य भवन इसके द्वारा बनाये जाते तो यह योजना जरूर कामयाब होती लेकिन इस आपाधापी के कारण काम नहीं हुआ है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। जहां पर रास्ते ठीक करवाये गये उसका कोई हिसाब किताब नहीं हुआ है। पूरा काम नहीं हुआ है। इस आपाधापी का एक नमूना मैं इस सदन में पेश करता हूं। ऐसे कई हजार घपले हैं। मैं आपकी सेवा में यहां के लोगों की दरख्वास्त पेश कर रहा हूं। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इसकी ठीक, सही ढंग से जांच होनी चाहिए।

श्री दिग्विजय सिंह (पंचायत मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत जिस सरपंच द्वारा गड़बड़-घोटाले की बात कही है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि इसकी जांच की जाएगी। यदि वह सरपंच दोषी पाया जाएगा तो पंचायत एक्ट के अन्तर्गत जो सजा उसको मिल सकती है, वह जरूर दी जाएगी।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा.......

श्री अध्यक्ष : आप क्या कह रहे हैं, माननीय सदस्य। दो विषय पर तो आप बोल चुके हैं। फिर तीसरा विषय। किस बात पर बोल रहे हैं ? यह क्या मामला है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह शिक्षकों का मामला है। गलत, झूठी सीनियोरिटी लिस्टें बना कर हैड मास्टरों का प्रमोशन कर रहे हैं.......

श्री अध्यक्ष : इसको मैंने व्यवस्था में नहीं लिया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने व्यवस्था तो नहीं दी है। आपने पांच मिनट बोलने के लिए देने को कहा था। शिक्षक हड़ताल के सम्बन्ध में मेमोरेन्डम दे चुके हैं। पांच मिनट में समाप्त कर दूंगा। यह महत्वपूर्ण विषय है।

श्री अध्यक्ष : महत्वपूर्ण तो सभी विषय हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : वहां की सारी शिक्षण संस्थाएं बन्द होने की सूरत पैदा हो रही है।

श्री अध्यक्ष : सदन के विचार के लिए

(श्री अध्यक्ष)

और भी कई विषय हैं। महत्वपूर्ण विषय कम आएंगे।

माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। मैं आपको नियमों के अन्तर्गत इजाजत नहीं दे सकता हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह शिक्षकों का विषय है। हड़ताल हो रही है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। यह शिक्षकों का मामला है। तीन मिनट में समाप्त कर दूंगा। अब तक तो बोल देता।

अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। शिक्षा विभाग में शिक्षकों की सीनियोरिटी लिस्ट बनाई गई है उसमें काफी घोटाला है। आपके विभाग में फर्जी तरीके से वरिष्ठता लिस्ट बनाई गई है सीनियोरिटी की। पी. एस. सी. के द्वारा जो शिक्षक सलेक्ट किये गये थे उनको रिजेक्ट कर दिया और जो पी. एस. सी. द्वारा रिजेक्टेड थे उनको सीनियोरिटी में गलत तरीके से लिया गया है। जो पी. एस. सी. से सलेक्ट हो गये हैं उनको 6 महीने में अपाइन्टमेंट दे देना चाहिए था, परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। यह मामला 1961 से लेकर 1972 तक ऐसे ही पड़ा है। पक्षपातपूर्ण तरीके से सीनियोरिटी लिस्ट बनाई गई है और उस आधार पर सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी के हैड मास्टरों पर अपाइन्टमेंट कर दिया गया है। इससे शिक्षक, जो शेखावत ग्रुप में है, जिन्होंने विधान सभा के सामने प्रदर्शन किया है और 22 सूत्री मांग भी पेश की है, असन्तुष्ट हैं। उनकी यह मांग है कि इस प्रकार से शिक्षकों के अधिकारों पर कुठाराघात किया गया है। इसमें घपलेबाजी की गई है झूठी वरिष्ठता सूची बना कर प्रमोशन किये जा रहे हैं। यह गम्भीर मामला है। इससे सारे शिक्षकों के हक पर कुठाराघात हुआ है। सरकार ने आश्वासन दिया था और शिक्षक संघ को लिखित में यह आश्वासन दिया था कि इस मामले को सुलझाया जाएगा परन्तु आज तक कार्यवाही नहीं की गई है। जांच नहीं कराई गयी है। शिक्षक संघ ने दुबारा हड़ताल करने का नोटिस दिया है। सरकार कम से कम इसकी जांच तो करे। पक्षपातपूर्ण तरीके से जो क्वालीफाइड टीचर्स हैं उनको तो आपने नियुक्त नहीं किया है और दूसरे को आप नियुक्त कर रहे हैं, पदोन्नति दे रहे हैं। आप पक्षपातपूर्ण तरीके से हैड मास्टर बना रहे हैं। एन्टीकरप्शन में यह मामला देना चाहिये और इसकी जांच करवायी जानी चाहिए। यह जो सीनियोरिटी लिस्ट है यह फर्जी है। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री सदन में नहीं हैं। गायब हो गये हैं। यह क्या व्यवस्था है? मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस लिस्ट के बारे में मंत्री महोदय भी नहीं बता सकते हैं कि इनका किस तरह से सलेक्शन किया है? यह लिस्ट फर्जी है। इसमें पी. एस. सी. को बाय पास कर दिया है। जो एम. ए., एम. एड. टीचर्स हैं उनके साथ पूरा न्याय नहीं किया गया है। इसलिए यह सवाल यहां पर उठाया है। सरकार इस पर ध्यान दे वरना टीचर्स यहां पर, विधान सभा पर घरना देंगे। इस समस्या की ओर, अध्यक्ष

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
महोदय, मैं आपकी मार्फत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, काम के बदले अनाज योजना का ढोल पीटने वाली सरकार है, इस ढोल के पीछे कितनी पोल है, इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी ।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि जयपुर जिले में शेखपुरा पंचायत है । यहां शेखपुरा से लेकर सराय तक एक सड़क दिसम्बर के महीने में बनाई गई थी । इस सड़क पर 7,250 लोगों की हाजरी लगी । दिसम्बर में काम हुआ किन्तु आज दिन तक अनाज का एक दाना भी वहां पर काम करने वाले मजदूरों को नहीं मिला है । जिलाधीश, अतिरिक्त जिलाधीश और मिनिस्टर के पास और न जाने किन किन के पास गांव वाले, गरीब अनुसूचित जाति के लोग गये ! जिनको खास तौर से इन गरीबों के प्रति हमदर्दी है । अब, अध्यक्ष महोदय, सरपंच शेखपुरा यह कहता है कि पहले दस्तखत करो कि पांच किलो अनाज मिल गया है तब तीन किलो अनाज मिलेगा । झगड़ा इस बात पर खड़ा हुआ है कि गांव वाले कहते हैं कि हमें 5 किलो अनाज दो और सरपंच कहता है कि पांच किलो पर तो दस्तखत करो, लेकिन मिलेगा तीन किलो । आज तीन महीने बीत गये हैं । जयपुर से लेकर शेखपुरा तक गांव के लोग अनेकों बार जिलाधीश के पास रिप्रेजेंटेशन लेकर गये लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं । इस लिये आपकी मार्फत मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि वे हिन्दुस्तान में काम के बदले अनाज योजना की नामवरी तो लेना चाहते हैं लेकिन उसका पांच प्रतिशत तो सही काम करें ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मिल गई हो तो ।

श्री मूलचन्द डागा : कहां मिली ?

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय सदस्या ने यह प्रश्न हाउस में पहले भी उठाया था । कल ही मैंने इस सम्बन्ध में विभाग को आदेश दे दिये हैं, जांच की जाकर उनको अनाज दिया जावे ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सात दिन के भीतर जिनकी मस्टररोल पर हाजरी है उनको पांच किलो के हिसाब से वितरण कर देंगे ।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने आदेश दे दिये हैं और पुनः आश्वासन देना चाहता हूं ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आदेश तो जांच के किये हैं ।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जांच तो एक साल भी नहीं होगी जो सही हो……

श्री अध्यक्ष महोदय : उत्तर आ गया ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कितने समय में, अध्यक्ष महोदय ।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : वहां समय लगता ही नहीं था। वहां तो एक मिनट में होता था।

श्री रामनारायण चौधरी : वहां तो फटाफट पेमेंट होता था। यह तो आपकी सरकार है जो जांच करवायेगी।

श्री बालकृष्ण थानवी : कांग्रेस राज्य में अकाल कार्यों का फटाफट पेमेंट होता था, यह आप कहते हैं मगर मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि सन् 1967–68 के अकाल कार्यों की मजदूरी का भुगतान हजारों गरीबों को आपने नहीं किया जिसमें फलौदी के लोगों का भी शुमार है।

(व्यवधान)

आठ आठ महीनों तक ....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी इतना स्पष्ट कर दें और यह आश्वासन सदन में दे दें कि 7 दिन के भीतर मस्टर रोल के आधार पर जिस लोगों की हाजरी लगी हुई है उनको पांच किलो अनाज का भुगतान कर दिया जायेगा।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है मैं भी जानकारी कर लूंगा। जांच करा करके यह भी जानकारी करना आवश्यक है कि मस्टररोल पर नाम सही है—

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, यह तो बिल्कुल ठीक है, मुझे विश्वास है जांच करायेंगे लेकिन विपक्ष में बैठ कर ऐसे प्रश्न पर मेरे से रहा नहीं जाता था। मैं माननीय उजला अरोड़ा को निवेदन करूं, मस्टर रोल में लिखा है घोतिया पुत्र पोतिया। इसके उपरान्त पेमेन्ट करने का कहेंगे तो आप कुछ ना कुछ करेंगे, मुझे विश्वास है। माननीय सदस्या को संतोष करना चाहिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : तीन महीने बीत गये, अध्यक्ष महोदय, सरकार कुछ करेगी। तीन महीने से रोजाना जयपुर और पंचायत के बीच गरीब अनुसूचित जाति व जन जाति के लोग घूम रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : शेखपुरा के मजदूर भूखों मर रहे हैं। मस्टररोल पर जिनकी हाजरी है उनको सरकार भुगतान नहीं करेगी तो, श्रीमान् ....

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अगर कोई गलती होगी तो माननीय मंत्री महोदय जब तक नहीं निकालेंगे, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी जितना गेहूं.... ...

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : 5 हजार तक के काम की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है जिसमें न बी. डी. ओ. आता है, न कलेक्टर आता है और न मंत्री जी आते है। यदि पांच हजार का काम ग्राम पंचायत ने कराया है और मस्टररोल सही है तो आपको भुगतान करना पड़ेगा।

श्री दिग्विजयसिंह : आपको कह दिया जांच करके कर देंगे।

श्री रघुनन्दन व्यास : काम फर्जी है तो उसकी जांच करनी पड़ेगी ।

(2.15 म. प.)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मेजर श्री फतहसिंह : मैं यह पूछना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, जिनकी हाजरी भरी हुई है मस्टर रोल में उन सभी को 5 किलो मिलेगा या जितना काम किया है उसके आधार पर मिलेगा ? जहां तक मेरे क्षेत्र का सवाल है जितना काम किया है उसके आधार पर मिला है । अगर कम काम किया है तो साढ़े तीन किलो, 4 किलो मिला है । और कम काम किया है तो ढाई किलो भी मिला है । क्या व्यवस्था है सरकार की ? नीति बताइये ?

श्री किशनसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, जहां मस्टररोल फर्जी है उसकी तो जांच हो ही और जिन्होंने सही काम किया है उनको भी पेमेन्ट नहीं किया उनकी रेस्पांसिबिलिटी फिक्स करनी चाहिये ।

श्री रघुनन्दन व्यास : पंचायतों को 5 हजार के अधिकार दिये । पंचायतों ने काम दिया और करवाया । पंचायतों ने काम का मूल्यांकन भी करवाया ताकि पैसे का, धन का दुरुपयोग न हो । जिस विवेक से पांच हजार का काम करवाने का अधिकार राज्य सरकार ने पंचायतों को दिया उस विवेक से पंचायतों ने काम करवाया और काम का मूल्यांकन भी किया । जिन्होंने काम नहीं किया उनको कम भुगतान किया । यह तो पंचायतों का राइट था, कर्त्तव्य था ।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, यह मानना सही है लेकिन इसमें स्थिति यह है, मान्यवर, अगर मस्टर रोल सही है—

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय कुछ उत्तर देना चाहते हैं । कृपया विराजें । कृपया मंत्री महोदय का उत्तर तो सुन लें ।

श्री राम नारायण चौधरी : एक मिनट । मस्टर रोल सही हैं, काम पूरा हुआ लेकिन सरपंच कहता है तीन किलो दूंगा, दो किलो मैं रखूंगा, पांच किलो पर हस्ताक्षर करो अन्यथा न तो आज दूं न कल दूं । यह स्थिति है, मान्यवर । जांच क्या करवायेंगे ।

एक माननीय सदस्य : सरपंच की हदबंदी का सवाल है ।

श्री रामनारायण चौधरी : सरपंच की बेइमानी का है ।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य प्रश्न शेखपुरा पंचायत का था । मैंने स्पष्ट कह दिया जो मस्टर रोल में है और जिनको मजदूरी नहीं मिली है, उनकी मैं जांच करवाऊंगा........

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, सारे राजस्थान का सवाल है । पेमेन्ट टाइमली नहीं होता इसकी रेस्पांसिबिलिटी फिक्स करनी चाहिये ।

श्री दिग्विजयसिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं जैसा श्री भाटी साहब ने कहा, सत्र पर 26 तारीख को चर्चा होगी, सारी चर्चा

(श्री दिग्विजयसिंह)
करेंगे। जवाब जो है वह दे देंगे। राजस्थान में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इसकी चर्चा करने का आपको भी मौका मिलेगा। जहां तक पांच किलो मिलने का प्रश्न है, पांच किलो तो मैक्जीमम है, इसमें दोनों ही चीजें देखी गयी हैं, काम भी देखा जायेगा। वैसे कम से कम पांच किलो अनाज का भुगतान करेंगे। काम के साथ अनाज के भुगतान का प्रावधान है।

मेजर श्री फतहसिंह : पूरा काम किया तो पांच किलो मिलेगा और कम काम किया तो कम देंगे ?

श्री दिग्विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मेजर साहब का प्रश्न है तो काम के बदले अनाज का अर्थ यह है कि जितना काम करेगा उसके अनुसार अनाज दिया जायगा।

श्री वृद्धिचन्द जैन : आपने नहीं दिया।

श्री रतनलाल वर्मा : जितना काम होगा उतना पेमेंट होगा। मैक्जीमम 5 किलो है। कम काम किया तो चार किलो, उससे कम काम किया तो 3 किलो और काम नहीं किया तो बिल्कुल नहीं मिलेगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरी नालेज के अनुसार काम के बदले अनाज का मतलब यह है कि काम के बदले मजदूरी का भुगतान अनाज में होगा, पैसों में नहीं होगा। इसका मतलब यह है।

श्री दिग्विजय सिंह : आप जाकर तो देखें कि कितना काम किया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी, माननीय रामनारायणजी का यह सुझाव है कि वितरण में गड़बड़ होती है इसकी देख-रेख के लिए किसी आदमी को भेजें और उसकी देखरेख में अनाज का वितरण किया जाए।

श्री दिग्विजय सिंह : इसकी पालना कर दी जायगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : उपाध्यक्ष महोदय, ओलावृष्टि के कारण ···

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अनाज के बदले जो काम हो रहा है उसमें गरीबों को मारा जा रहा है।

कई माननीय सदस्य शेम ! शेम !

श्री दाऊदयाल जोशी : कोई भी शिकायतों को सुनने वाला नहीं है। हम गरीब आदमियों को इसमें मारा जा रहा है। हम लोगों के यहां मस्टर रोल में हाजरियों का पता नहीं है। इसके बारे में मंत्रीजी सुनते नहीं, जिलाधीश सुनते नहीं····

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप विराज जाइये, दाऊदयालजी जोशी।

श्री गुल मोहम्मद : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ···

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं ओलावृष्टि की बात कर रहा था…… …

श्री रामनारायण चौधरी : कहां ओलावृष्टि की बात ले आये। फूड फार वर्क का मामला चल रहा है।

श्री दाऊदयाल जोशी : मुझे समय दिया गया है, माननीय रामनारायणजी। जैसी ओलावृष्टि इस वर्ष हुई है वैसी ओलावृष्टि आज तक कभी भी कोटा डिवीजन में नहीं हुई है। श्री मथुरादासजी………

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, आज जनता राज में हरिजनों पर अत्याचार किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री गुल मोहम्मद : उपाध्यक्ष महोदय, यह आज पहली बार सदन में खड़े हुए हैं। इनको कुछ समय भी बोलने नहीं दिया जा रहा है।

एक माननीय सदस्य : काम के बदले अनाज में शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों का बहुत सत्यानाश हुआ है। मेरे पास इसकी पचासों रिपोर्ट हैं। इसकी शिकायतें गवर्नमेंट को भेजी हैं। कई जिलाधीशों ने रिकमण्ड किया है तो भी कोई जांच नहीं हुई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, जनता राज में बड़ी ढिलाई है।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं ओलावृष्टि की बात कर रहा था….

एक माननीय सदस्य : आप ओलावृष्टि पर बोलना चाहते हैं और यहां पर ओले पड़े हैं उसकी कोई सुनवाई नहीं।

श्री रामनारायण चौधरी : श्रीमान, इसका जवाब आने दें।

श्री गुल मोहम्मद : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय से इनकी बात का जवाब दिलाना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : कोई कार्यवाही नहीं होती है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : कितनी रिपोर्ट दी हैं मंत्री महोदय को।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिये, इन्टरप्शन न करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : ओलावृष्टि की जो बात मैं निवेदन कर रहा था कि 14-1-79 …

एक माननीय सदस्य : दाऊदयालजी, आप बैठिये। मेरा जवाब तो आने दें।

श्री किशनसिंह भाटी : यह जातिवाद से बोलने की परम्परा कौन सी डाल रहे हैं ?

श्री दिग्विजयसिंह : इसमें एक बात कहना चाहता हूं कि इनकी जो कुछ कम्प्लेन्ट हैं किसी सरपंच ने घोटाले किये

(श्री दिग्विजयसिंह)

हों तो लिख कर दे दें तो जांच करा लूंगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : 16-1-79 को मेरे यहां 5 क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई है। सदन को मालूम होगा या सदन मेरी बात मानेगा कि 16-1-79 को मेरे खुद के गांव में ओलावृष्टि हुई। मैं 20-1-79 को गया तो वहां पर लोगों ने मुझे कहा कि आज तक ओले पड़े हुए हैं। मैंने ओलों को देखा। जब दुबारा 24-1-79 को सामोद क्षेत्र के गांव जामली, बन्जारी में गया तो·······

श्री किशनसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, इनसे कहें कि थोड़ा धीरे धीरे बोले ताकि हमको सुनाई दे।

श्री दाऊदयाल जोशी : अरे यार, मुझे कहने दो। 5 मिनट का ही समय मिला है।

24-1-79 को भी वहां पर ओले थे। इतनी भयंकर ओलावृष्टि हुई है कि जिसके कारण क्षेत्र में 208 गांवों में कलेक्टर की रिपोर्ट के अनुसार नुकसान है। उनमें से 96 गांवों में 60 प्रतिशत और 30 गांवों में तो सेन्ट पर्सेंट नुकसान हुआ है। श्रीमान, मैंने बराबर इस बारे में पत्र लिखे हैं मंत्रीजी को और कमिश्नर साहब को। अकाल राहत कमिश्नर साहब श्री शेर सिंह साहब मेरे क्षेत्र में गये और उन्होंने स्वयं ने अपनी आंखों से देखा है कि 70 प्रतिशत अलसी और चने में और 60 प्रतिशत गेहूं के अन्दर नुकसान है। मेरा निवेदन करना यह है कि आज तीन महीने होने को आये, तीन महीने व्यतीत हो जाने के बाद भी न तो वहां अकाल राहत का कार्यक्रम किया गया है, न किसी प्रकार के कार्यों की वसूली को रोका गया है और न अन्य रिकवरियों को रोका गया है। आखिर स्थिति यह आ पहुंची है कि मेरे गांव जालमा, नगर, कैथून, बड़ोदिया के सारे लोग लगभग भागकर कोटा की तरफ आ रहे हैं। वही नहीं आ रहे हैं उनके साथ उनके पशु भी चले आ रहे हैं। इसलिए इस प्रश्न पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार करें और उन क्षेत्रों को अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दें। मैं बराबर जिलाधीश को कहता हूं कि आप वसूली बन्द कर दो तो वह कहते हैं कि हम वसूलियां तो बराबर करते रहेंगे जब तक राज्य सरकार इन गांवों को अभावग्रस्त घोषित नहीं करेगी। वहां पर आज से तीन दिन पहले तक वसूलियां हो रही थीं डंडे के बल पर। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि तुरन्त वसूलियां स्थगित की जायं और अकाल राहत के लिए फूड फार वर्क के काम खोले जायं। वहां पर तुरन्त घास की व्यवस्था की जाय।

इसके साथ ही मेरा अन्तिम निवेदन यह है कि राज्य सरकार ने वहां पर समयोचित व्यवस्था नहीं की तो मुझे भय है, मुझे डर है कि कोटा जिले में कभी अकाल नहीं पड़ा है और बीकानेर, जोधपुर और मारवाड़ के लोग अकाल के दिनों में वहां आते रहे हैं, वहां इस कारण अकाल हो गया है इसलिए वे लोग न आयें। मेरा पुनः निवेदन है अकाल राहत मंत्रीजी से कि निश्चित रूप से अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित करेंगे। मेरे क्षेत्र में, कोटा के क्षेत्र में बारां, दीगोद, बूंदी और हिन्डौली इन

(श्री दाऊदयाल जोशी)

सारे क्षेत्रों में एक नहीं तीन तीन बार ओले पड़े हैं। पहली बार 14-1-79 को फिर 18-2-79 और फिर 3-3-79 को। इनकी गिरदावरी करा कर उसकी रिपोर्ट मंगा कर इन गांवों को अकालग्रस्त घोषित करने के अलावा अकाल राहत कार्य शुरू करे।

श्री हीरालाल आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पीपल्दा क्षेत्र ने 3-4 बार ओलावृष्टि हुई है जिससे फसल को भारी नुकसान हुआ है। मेरे क्षेत्र में 35 पंचायतें हैं जिनमें से 30 पंचायतें ओलावृष्टि के कारण बर्बाद हो गई हैं। 5-7 पंचायतें तो ऐसी हैं कि जिनमें 100 पर्सेन्ट नुकसान हुआ है। वहां फसल बर्बाद हो गई है। एक आदमी मर गया है, पशु मर गये है और पक्षी मर गये हैं। घरों के केलहूं तथा चद्दर फूट गई हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री हीरालाल आर्य : मैं थोड़ा सा ही बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित हो गया है। वह इन पर ध्यान देंगे। बाकी अन्य समस्याओं पर अकाल राहत मांग के समय अपने विचार रख सकते हैं।

श्री हीरा लाल आर्य : राहत के अभाव में लोग वहां से गांव छोड़ कर भाग रहे है। पशुओं के लिए चारा नहीं है। किसान परेशान है। कोई काम राहत के लिए नहीं किया गया है और वसूलियां बराबर हो रही है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि वसूलियां तुरन्त स्थगित की जायं और जिन क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई है उनमें कितना किसके यहां नुकसान हुआ है उसकी गिरदावरी नहीं हो रही है सही रूप से तो किसानों के नुकसान का सही मूल्यांकन किया जाय। मेरे क्षेत्र के किसनों ने इस बारे में शिकायतें की हैं कि पटवारी सही नुकसान नहीं लिख रहा है। मैं इसके लिए निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की व्यवस्था हो कि हमारा जितना नुकसान हुआ है उसको सही रूप से आंका जाय और नुकसान के लिए जल्दी से जल्दी राहत दी जाय ताकि जो किसान गांव छोड़ कर भाग रहे हैं वह सारे वहां पर रुक जायं। राहत के कार्य शीघ्र शुरू करें, सिंचाई तथा लगान माफ करें, सभी प्रकार की वसूलियां तुरन्त स्थगित हों तथा सहकारी ऋण को मध्यकालीन ऋण में परिवर्तन किया जाय। आशा है अकाल राहत मंत्रीजी शीघ्र उचित व्यवस्था करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि वहां के बारे में माननीय मन्त्री महोदय ध्यान दें। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराजें।

श्री बहादुरसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीस पैंतीस गांवों में, जहां ओलावृष्टि हुई है, ओला वृष्टि के कारण समस्त फसल चौपट हो गई है। पिछले साल भी इसी प्रकार से ओला वृष्टि के कारण फसल खराब हो गई थी। इसलिए लगातार दो साल से फसल खराब होती आ रही है। पिछले साल कोई कार्य राहत के नहीं खोले। इस साल भी कोई अकाल राहत कार्य नहीं खोले। पंजाब सरकार ने और हरियाणा सरकार ने जहां ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है, वहां पर

(श्री बहादुरसिंह)

300, 200 और 100 रुपया एकड़ के हिसाब से किसानों को क्षतिपूर्ति के रूप में देना तय किया है।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आपकी स्थिति भिन्न है। दो वर्ष से अकाल चल रहा है। इसलिए दो वर्ष का मुआवजा काश्तकारों को देना चाहिए। उनका लगान माफ करना चाहिए। वसूलियां बन्द करनी चाहिए। राहत कार्य जल्दी खोले जायें ताकि लोगों को काम मिले।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय ओमप्रकाश जी, चर्चा काफी हो चुकी है।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे समय दिया गया था। बून्दी जिले में इस वर्ष ओलावृष्टि तीन बार हुई। तालेड़ा पंचायत समिति में, जो कृषि प्रधान क्षेत्र माना जाता है, सारे काश्तकार भूखे मर रहे हैं। उनसे वसूलियां की जा रही हैं। उन वसूलियों को रोका जाये। काश्तकारों को जो ओलावृष्टि के कारण नुकसान हुआ, उसकी क्षति पूर्ति हो सकती है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

सरकार को ज्यादा से ज्यादा काश्तकारों को राहत पहुंचानी चाहिए।

सदन पटल पर रखा गया पत्र
विधेयक का शुद्धि पत्र

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

माननीय वित्त मन्त्री जी की ओर से माननीय कृषि मन्त्री जी राजस्थान वित्त विधेयक का शुद्धि पत्र सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री कल्याणसिंह कालवी (कृषि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान वित्त विधेयक, 1979 (1979 का विधेयक संख्या 3) का शुद्धि पत्र सदन की मेज पर रखता हूं।

समिति का प्रतिवेदन
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का तृतीय प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : समिति के प्रतिवेदन का उपस्थान।

मेजर श्री फतहसिंह (सभापति, अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं, अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, 1978–79 समिति के तृतीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
राज्य के विभिन्न भागों में अकाल से उत्पन्न स्थिति

श्री उपाध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। श्रीमती मदन कौर।

(व्यवधान)

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत होता है। श्री रघुनाथ विश्नोई के स्थान पर कोई भी रख सकता है।

(व्यवधान)

(श्री उपाध्यक्ष)

जिन्होंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा है, उनमें से कोई भी बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

अब माननीय मन्त्री महोदय चर्चा का उत्तर देंगे तो आपका ध्यान रखा जाएगा।

श्रीमती मदन कौर (पचमवरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अकाल की स्थिति राजस्थान में बनी हुई है। सारे राजस्थान की स्थिति का विस्तृत ब्यौरा देने के बारे में समय नहीं लूंगी। केवल पश्चिमी राजस्थान के जिलों पर ही अपनी बात सीमित रखूंगी। वहां के किसानों के साथ प्रकृति ने इस साल बहुत क्रूर खिलवाड़ किया है। तीन तीन बार बुआई की लेकिन फसल लोगों के हाथ नहीं लगी है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने कुछ गांवों को अभी अभाव ग्रस्त घोषित किया है। आपको यह जान कर आश्चर्य होगा कि जिन गांवों को इस विभाग ने अपने वार्षिक प्रतिवेदन में अकाल ग्रस्त होना माना था, उसमें से भी कई अकाल ग्रस्त घोषित नहीं किये गये। इसका क्या कारण है। उसके बाद वहां कोई वर्षा नहीं हुई। कोई नयी फसल वहां नहीं आयी। इसके बावजूद उन गांवों को अकाल ग्रस्त घोषित नहीं किया गया है। मैं राज्य सरकार के ध्यान में मेरे अपने क्षेत्र के तीन गांवों की जानकारी लाना चाहूंगी। जिनके आसपास 30-30 मील के क्षेत्र में सारे गांव अकाल ग्रस्त हैं। लेकिन उन तीन गांवों को अकाल ग्रस्त क्यों नहीं माना गया? वे तीन गांव है, कालेवा, सरवड़ी, नेवरी। ये तीन गांव ऐसे हैं जिनके आसपास सारे गांव अकाल ग्रस्त हैं। हो सकता है इसमें टैक्निकल गलती हो। मंत्री महोदय कृपया इस गलती में सुधार करने की व्यवस्था करें। माननीय मन्त्री महोदय, उसको ठीक करने का कष्ट करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई गांव ऐसे हैं, जहां पिछले साल अकाल था। आज हालत ऐसी है वहां लोग इधर उधर रोजगार के अभाव में भटक रहे हैं। लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। ऐसा लगता है कि राज्य सरकार ने काम के बदले अनाज योजना को ही अकाल ग्रस्त लागों को सहायता देने का एक मात्र माध्यम बना रखा है। बाड़मेर जिले में काम के बदले अनाज योजना बहुत कम चल रही है। जैसा कि आप प्रतिवेदन में देख सकते हैं। बाड़मेर जिले में काम के बदले अनाज योजना के बहुत कम काम चल रहे हैं, जो काम चल रहें हैं, वह निर्माण के काम हैं। पंचायत घर, स्कूल के काम पर पाच पांच, सात सात, आदमी लगे हुए हैं। इसका कोई इम्पेक्ट नहीं है। जहां अकाल की भयंकर स्थिति है वहां काम के बदले अनाज योजना से लोगों को राहत नहीं मिल सकती वहां अकाल राहत के काम तुरन्त शुरू करें। जहां आवश्यकता हो वहां काम की सुविधाएं दें। दूसरा सवाल यह है कि पीने के पानी की भयंकर समस्या है। बाड़मेर में इस साल जो वर्षा हुई वह इतनी कम हुई है कि तालाबों में टैंकस में पानी नहीं आया है। वहां पानी का भारी संकट पैदा हो गया है। माननीय मन्त्री महोदय ने 10 टैंकर उपलब्ध करा दिये हैं, बाड़मेर जिले के लिए। लेकिन मैं जानकारी देना चाहती हूं कि बाड़मेर जिले में उनका कोई उपयोग नहीं लिया गया है। मैं माननीय मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगी और

(श्रीमती मदन कौर)
इसके लिए मांग करूंगी कि आपका विभाग जलदाय विभाग से सम्पर्क स्थापित करके नल कूप जहां पम्पिग सेट लगे हैं वह पूरे समय पूरी क्षमता से चलें ऐसी व्यवस्था करें ताकि टैंकरों द्वारा पानी उन गांवों को दिया जा सके। जिन गांवों को नल योजना से जोड़ा जा चुका है उनके........

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सम्बन्ध में सहायता विभाग ऐसी व्यवस्था करे कि उन्हें निश्चित रूप में पानी नलों से मिले। यदि नल योजना व्यवस्थित रूप से नहीं चले तो यह सहायता विभाग का दायित्व हो कि वहां टैंकर्स से पानी उपलब्ध करावे। अगर नल योजना से पानी नहीं आ रहा है तो टैंकरों से पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए। परीक्षण के तौर पर ही सही, निश्चित रूप से आप टैंकरों से पानी की व्यवस्था करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वृद्धिचन्दजी, स्थगन प्रस्ताव हो चुके हैं माननीय सदस्यों के।

(व्यवधान)

श्री वृद्धिचन्द जैन : मैं रिपीट नहीं करूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, बाड़मेर जिले में....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री नवरंग सिंहजी।

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये माननीय अकाल राहत मन्त्री जी का ध्यान, जिस तरह का राजस्थान में अकाल पड़ा उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। पिछले सत्र में सितम्बर में भी माननीय मन्त्री महोदय ने रिपोर्ट दी थी तो 26 में से 24 जिलों को अकालग्रस्त घोषित किया गया था। अब तक माननीय मन्त्री महोदय ने जो पहले जवाब दिया और गजट नोटिफिकेशन जो निकला है उसमें केवल 11 जिलों को अकालग्रस्त घोषित किया गया है। मुझे जानकारी मिली है कि वे और दो जिलों को अकालग्रस्त घोषित करने जा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री को निवेदन करना चाहूंगा आपकी मार्फत कि राजस्थान में झुन्झुनूं जिले को लीजिये जहां पर अकाल घोषित नहीं किया गया है। मुझे यह यह जानकारी मिली है कि 698 गांवों में के केवल 210 गांवों को ही अकाल-ग्रस्त मानते हैं। मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि यह हो जिला है जहां पिछले वर्ष भी अकाल था और इस साल भी अकाल है। कलेक्टर ने भी रिपोर्ट दी है कि 50 और 60 प्रतिशत नुकसान हुआ है। इसके बावजूद इस जिले को अकालग्रस्त घोषित नहीं किया गया, यह एक दुखद घटना है। इसके साथ ही साथ मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहूंगा, यह तर्क दिया जाता है कि काम के बदले अनाज योजना के तहत वे गांवों में काम कर रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन कामों में ज्यादातर काम हरिजनों और आदिवासियों को नहीं मिल रहा है, जो कि कमजोर तबके के लोग हैं। मैंने माननीय मन्त्री

(श्री नवरंगसिंह)

महोदय से एक सवाल भी पूछा था और उन्होंने कहा कि हरिजनों और आदिवासियों को काम दिया गया है वे उनकी संख्या बताने में असमर्थ हैं, यह संभव नहीं है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह इसलिए सम्भव है कि आदिवासियों और हरिजनों को काम नहीं मिलता है। इसलिए मैं माननीय अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि काम के बदले अनाज योजना·······

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

की लोगों को जरूरत नहीं है, आप उनको मजदूरी दिलावें। इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वसूली के बाबत यह आश्वासन दिया था कि आदेश जारी कर दिये गये हैं लेकिन आज भी मौके पर पटवारी लोग गांवों में वसूली कर रहे हैं और को-आपरेटिव की वसूली के लिए नवलगढ़ में 60 व्यक्तियों के पास कुर्कियों के आदेश पहुंचे हैं, वे लोग मेरे पास आए थे। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप जो आदेश देते हैं, आप जो घोषणाएं करते हैं उनका जिलाधीश की मार्फत गांवों में जाकर जब तक पालन नहीं होगा तो आपकी घोषणाओं की कोई कीमत नहीं रहेगी इसलिये आपको इस बात की कोई सक्षम व्यवस्था करनी चाहिये और यह घोषणा करें कि वसूली न करने के आदेश जारी हुऐ हैं और को-आपरेटिव सोसायटीज की जो वसूलियां हैं उसके संबंध में तत्काल आदेश जारी करावें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप बार बार घण्टी दे रहे हैं, आपके आदेश को स्वीकार करता हूं लेकिन दो मिनट का समय और दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नवरंग सिंह जी, माननीय मन्त्री महोदय उत्तर देंगे फिर आप कह लीजिए, बीस सदस्य हैं और इसी तरह से कब तक पूरा होगा ?

श्री नवरंग सिंह : मैं दो मिनट में समाप्त करता हूं।

मैं यह कहना चाहूंगा कि चारे की झुंझुनूं, सीकर और चूरू में खास तौर से बड़ी भारी कमी है। और कलेक्टर ने राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजी है, चूरू में 10 हजार मैट्रिक टन, सीकर में 17395 मैट्रिक टन और झुंझुनूं में 50 लाख मैट्रिक टन चारे की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, पशुओं की स्थिति खराब होती जा रही है। यहां पर पहले भी अकाल था, कुट्टी का यहां कोई प्रवन्ध नहीं है और पहले से भी यहां अकाल की स्थिति थी, राज्य सरकार को चाहिये कि चारे और पानी की व्यवस्था करे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर चारे पानी की व्यवस्था नहीं है जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली, सीकर, झुंझुनूं, चूरू, नागौर और जोधपुर में अकाल की भयंकर स्थिति है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप बार बार

Page No. 98

(98)

(श्री नवरंगसिंह)

कहते हैं कि टैंकर भेज देंगे और व्यवस्था कर देंगे, मैं माननीय मन्त्री महोदय को एलानिया तौर पर बता देना चाहता हूं कि जो पंचायत समिति हैडक्वार्टर पर गांव हैं, वहां तो कुछ स्थानों पर टैंकरों की व्यवस्था है लेकिन और दूसरे गांवों में इसका कोई इन्तजाम नहीं है और वहां पर उस समय करते हैं जब पानी वहां पर मुहैया हो जाये। इसके संबंध में मैं पुन. अकाल राहत मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि 26 में से पिछली बार आपने 24 जिलों को अकालग्रस्त माना है उन सबके सब जिलों में भी और झुंझुनू जिले में 698 गांवों में जो नीति निर्धारित है वहां पर 50 पर्सेन्ट नुकसान हुआ है, आप इन सब गांवों को अकालग्रस्त घोषित करने की कृपा करें। कलेक्टर ने भी कहा है कि 50 हजार टन चारे की व्यवस्था की जाय। धन्यवाद।

•**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य श्री जिथिंग।

श्री जिथिंग (कुशलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अकाल के सम्बन्ध में मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है और इसके द्वारा मैं माननीय अकाल राहत मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करने जा रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...

मेजर श्री फतह सिंह : श्रीमान्, माननीय सदस्य बोल रहे हैं, परन्तु नवरंग सिंह जी के बाद में मेरा नाम था।

श्री जिथिंग : आपकी आज्ञा हो तो....

मेजर श्री फतह सिंह : नहीं, आप बोलिये प्लीज।

श्री जिथिंग : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा बाँसवाड़ा का जो जिला है, यह माननीय मन्त्री महोदय अच्छी तरह से जानते हैं कि 80, 85 प्रतिशत जनसंख्या आदिवासियों की है और यह भी सरकार के पास में रिकार्ड है कि हर साल वहां अकाल की स्थिति बनी रहती है और खास तौर से कुशलगढ़ और दानपुर के इलाके में जो पहाड़ी इलाका है और सिंचाई का कोई साधन नहीं है, एक फसल होती है और पहले भी फसल को मोला की बीमारी लगने से फसल बिल्कुल नष्ट हो गई। लगातार दो वर्ष से बरसात होने से सड़ गई और गल गई और भयंकर नुकसान हुआ, गश्त गिरदावरी रिपोर्ट में बांसवाड़ा जिले के 825 गांव प्रभावित माने गए हैं। मुझे कल ही मंत्री द्वारा सूचना मिली है कि बांसवाड़ा जिले में 346 गांव अभावग्रस्त माने गए हैं। खरीफ व रबी दोनों फसलों का भयंकर नुकसान हुआ है और पहले कह चुका हूं कि ऐसे इलाके हैं जहां सिर्फ एक ही फसल होती है और बांसवाड़ा जिले में 1400 से ऊपर गांव है जिनमें 246 को ही अभावग्रस्त माना। यह दुख की बात है। या तो जिलाधीश ने गलत रिपोर्ट दी या कलेक्टर की सही रिपोर्ट आपके पास नहीं पहुंची होगी। तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि बासवाड़ा की वस्तु स्थिति का पता लगाने के लिए आप स्वयं पहल करें और अभाव की स्थिति में जो गांव हैं उनको तत्काल अभावग्रस्त घोषित

(श्री जिथिग)
करें, अकाल सहायता कार्य चालू करने की व्यवस्था करें।

उपाध्यक्षजी, यह मानवीय प्रश्न है और हमेशा से पीड़ित लोग, वह अपना इलाका खाली करते जा रहे हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि मंत्रीजी या अधिकारी उस इलाके में जाकर देखे कि आज कितने लोग हैं और कितने लोग वहां से भागकर निकल चुके हैं। सारा इलाका खाली हो रहा है, कई वार मैंने मुख्य मंत्री और मंत्री व अधिकारियों को लिखित रिप्रेजेन्टेशन्स दिए हैं उसके बावजूद भी कोई व्यवस्था नहीं हुई है। आज स्थिति यह है कि जनता पार्टी के लोग जनता पार्टी की ओर से जुलूस व प्रदर्शन करने जा रहे हैं, धरना व आन्दोलन की तैयारियां की जा रही हैं। 25 तारीख को कुशलगढ़ में प्रदर्शन किया जा रह औरा है आप लोग इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मंत्रीजी जवाव देते समय जहां भयंकर स्थिति वनी हुई है तत्काल रकम अलाट करके राहत पहुंचाएं।

माननीय सदस्य ने काम के वदले अनाज योजना का जिक्र किया उस पर जो मजदूर आप लगा रहे हैं वे एकदम गरीब हैं क्योंकि न वहां खेती के लिए उपजाऊ जमीन है न साधन हैं। सारा का सारा एक ही फसल पर निर्भर करने वाला इलाका है। आप काम के बदले अनाज योजना में सारे इलाके को राहत पहुंचायें, यह संभव नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज की तारीख में इस इलाके के लिए तत्काल घोषणा करें और वहां के लोगों को राहत पहुंचायें।

श्री उपाध्यक्ष : मेजर फतह सिंह।

मेजर श्री फतहसिंह (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सन् 1938 से जितने दुर्भिक्ष पड़े और सरकार ने क्या-क्या काम खोले और कब कब खोले ? उसकी मुझे पूरी जानकारी है। मैं राजनैतिक क्षेत्र में हमेशा कांग्रेस और कांग्रेस शासन का विरोधी रहा हूं सिद्धान्त रूप से। लेकिन मैं यह कहने में संकोच नहीं करूंगा कि कांग्रेस शासन में जब जब अकाल पड़े, सरकार ने समय पर राहत कार्य खोलकर जनता को राहत पहुंचाई। लेकिन इस वर्ष यह दुर्भाग्य की बात है कि मार्च का महीना निकलता जा रहा है लेकिन अभी तक राहत कार्य नहीं खोले गए हैं। सरकार की तरफ से कहा जाता है कि काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत काम चल रहे हैं। बजट पर वाद विवाद के समय भी मैंने अपने विचार रखे थे कि काम के वदले अनाज योजना के अन्तर्गत काम होना और अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत काम होना, दोनों भिन्न हैं। मुझे जो काम के वदले अनाज के संबंध में यह पुस्तिका मिली है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह भयंकर सूखे और फसल के मारे जाने पर शुरू किए जाने वाले सहायता कार्य से पूरी तरह अलग है। खैर हम को अपने खाने से मतलब है, आम गिनने से मतलब नहीं है।

जहां तक मेरे इलाके भीम तहसील का सवाल है, 23 गांव अकाल से प्रभावित हैं जिनकी आबादी सरकारी आंकड़ों के अनुसार 33665 है। यह आबादी 1971 की मुर्दमशुमारी के अनुसार है। या ने

(मेजर श्री फतहसिंह)

33665 की जनसंख्या प्रभावित है लेकिन 3 मार्च, 1979 को जो आंकड़े मैंने विकास अधिकारी से प्राप्त किये उनके अनुसार इस अकाल से प्रभावित गांवों में काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत केवल 473 मजदूर काम पर लगे हुए हैं। ये आंकड़े आपके अधिकारियों ने मुझे उपलब्ध कराए हैं। आप हिसाब लगायें, इस विभीषिका की ओर सरकार कितनी जागरूक है। 33665 की जनसंख्या पर 473 मजदूरों को काम देना याने 100 के पीछे 1। जिस सरकार और जिस दल से सम्बन्ध है, उसके लिए यह शर्म की बात है। रोजाना मुझे पत्र मिलते रहते हैं कि अकाल सहायता कार्य कब खुलेंगे? मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि हम उनको क्या उत्तर दें? काम के बदले अनाज योजना अथवा अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत इस सरकार की छवि कुछ ऊंची उठी थी लेकिन अकाल सहायता कार्य न खोलने के कारण सारी छवि धूमिल होती जा रही है। और मैं तो यह समझता हूं कि जब 10–15 दिनों के बाद विधान सभा का सत्रावसान होगा और हम अपने इलाके में जायेंगे तब तक काम नहीं खोले तो लोग कपड़े फाड़ेंगे, हमारी बेइज्जती होगी। यह तो केवल भीम तहसील की बात है। इसी तरह से देवगढ़ तहसील का भी यही हाल है। वहां बहुत कम मजदूरों को लगाया गया है। इसलिए आप इस अकाल की विभीषिका को समझें और तत्काल अकाल राहत कार्य खोलने के लिए आदेश प्रसारित करें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री वृद्धिचंद जैन।

श्री वृद्धिचंद जैन (बाड़मेर): अभी भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने अकाल के बारे में अपने विचार सही तौर पर रखे ....

मेजर श्री फतह सिंह: मेरे पास जो सरकारी आंकड़े उपलब्ध थे, वे मैं सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: मैं समझता हूं मंत्री महोदय को आपत्ति नहीं।

मेजर श्री फतह सिंह: अक्सर चैलेंज किया जाता है कि मेजर गलत बोलता है।

श्री उपाध्यक्ष: आपके आंकड़ों को मंत्री जी चुनौती नहीं देंगे।

श्री वृद्धिचन्द जैन : भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने जो विचार सदन के समक्ष रखे, मैं उनसे शत प्रतिशत सहमत हूं। मैं उनकी सच्चाई और ईमानदारी से भी प्रभावित हूं। उन्होंने यह स्थिति रखी कि कांग्रेस राज में जो अकाल सहायता के बारे में जिस ढंग से कार्य किये जाते थे, वह वास्तव में प्रशंसनीय था और इस जनता सरकार ने दो वर्षों के अन्दर मैंने बराबर देखा है कि अकाल राहत कार्य खोलने में बिल्कुल अवहेलना की है।.......

पहले भी अवहेलना की थी। मैं मेरे जिले की बात कहता हूं कि अप्रेल में कार्य स्वीकृत किये थे और कुछ कार्य तो सैंक्शन ही नहीं हुए और कुछ कार्य सैंक्शन हुए तो बिल्कुल अनकम्पलीट वर्क्स हुए और एक भी कार्य सम्पन्न नहीं हुआ। अभी जो फूड फॉर वर्क्स में फिगर्स बताये गये मेरे डिस्ट्रिक्ट में भी इसी प्रकार के फिगर्स हैं। 855 गांवों में से 434 गांवों के लिए रीकमन्डेशन की ओर

(श्री वृद्धिचन्द जैन)
इसमें से 409 गांव ग्रकालग्रस्त घोषित हुए। यह मैं, सूचना वजट के ग्राधार पर दे रहा हूं। मैं यह नहीं कहता कि मेरा सारा जिला ही प्रभावित था लेकिन इसमें भी 50 गांव रह गये ऐसे जिनकी सूची मैं मंत्री महोदय को दे दूंगा क्योंकि ग्रभी सूची प्रस्तुत करूं उतना समय नहीं लेना चाहता हूं। 50 गांव जो ग्रकाल से प्रभावित हैं उनको उस सूची में नहीं लिया गया है तो 50 गांवों की सूची में, श्रीमती मदन कौर ग्रौर श्री गंगाराम जी चौधरी को दे देंगे जो कि ग्रकालग्रस्त हो गए ग्रौर उनकी स्वीकृति नहीं हुई।

दूसरी बात, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं कि मैं वसूलियों को स्थगित करने के बारे में मंत्री महोदय से जानकारी चाहता हूं। पहले तो ग्रनुसूचित जाति ग्रौर ग्रनुसूचित जन जाति ग्रौर ग्रलाभकारी जाति के बारे में वसूली स्थगित हुई ग्रौर ग्रबकी बार गवर्नमेन्ट ने किस प्रकार वसूली स्थगित की है? मेरा यह दृढ़ मत है कि जो गांव ग्रकाल से प्रभावित हैं सब गांवों में सम्पूर्ण वसूलियां स्थगित की जानी चाहिए। इसके बारे में डिस्कशन चला था ग्रौर मैंने कहा था कि 5 प्रतिशत ग्रादमी मुश्किल से ऐसे होंगे उन ग्रकालग्रस्त गांवों में जो पैसा दे सकते हैं ग्रौर जिनसे वसूलियां की जा सकती हैं। वह ग्राज देते ही नहीं हैं, वह बेईमान हैं। हर साल ग्रच्छे जमाने में भी गड़बड़ियां करते हैं। उनके साथ ग्राप सख्ती से पेश ग्रायें इसके लिए मुझे एतराज नहीं है लेकिन कानून के ग्रन्दर इस प्रकार का प्रोवीजन नहीं हो सकता कि उनके लिए ग्रलग कानून बनाया जाये। इसलिए वसूली उन गांवों में सम्पूर्ण रूप से बन्द कर दी जाये जहां कि ग्रकालग्रस्त क्षेत्र हैं। शिड्यूल्ड कास्ट ग्रौर शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की ही नहीं बल्कि जहां जिन गांवों में नुकसान 50 प्रतिशत से ज्यादा हो गया है ग्रौर हमारे जैसे क्षेत्र में जो कि एक फसली इलाका है ग्रौर एक ही फसल जहां होती है तो वहां वसूली सम्पूर्ण रूप से स्थगित की जानी चाहिए क्योंकि उनके जीवन यापन का कोई सहारा नहीं रहता। इसलिए यह घोषणा कर दी जाये कि सभी गांवों के किसान जो ग्रकाल से प्रभावित हैं उनसे वसूली नहीं ली जाये।

तीसरी बात पानी की समस्या के बारे में है। मेरे क्षेत्र पचपदरा क्षेत्र ग्रौर शिव क्षेत्र पानी की समस्या से ग्रधिक प्रभावित हैं। इस क्षेत्र के लिये ग्रापने टेंकर भेजे हैं परन्तु यह स्थिति है कि ग्रामीण जलप्रदाय योजना जिस प्रकार से चल रही है उन नलकूपों के ग्रन्दर पानी का संकट है। उन नलकूपों से पानी लेने के लिये वहां की जनता जिला प्रशासन को ग्रलाउ नहीं करती है कि वहां से पानी भरकर ग्रकाल ग्रस्त क्षेत्रों में पहुंचाया जाये। वह कहते हैं कि हमारी योजना से हमें ही पानी नहीं पहुंच रहा है इसलिए मेरा यह निवेदन है कि जन स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर ग्रौर दोनों सामंजस्य बिठायें ग्रौर इस पानी की समस्या को हल करने का ग्रभी से प्रयास करें।

यही दो तीन बातें मैं कहना चाहता था।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जगदीश चंद्र शर्मा।

श्री जगदीशचंद शर्मा (रतनगढ़): मान-

(श्री जगदीश चन्द्र शर्मा)

नीय उपाध्यक्ष महोदय, चूरू जिले में अकाल का यह तीसरा वर्ष है जिसमें इस वर्ष भी जैसा कि आप सुपरिचित है कि अतिवृष्टि से चूरू जिले में फसलों को नुकसान पहुंचा, फिर कातरा खा गया, मकान ढह गए, ऐसी विषम स्थिति में इस बार गांव का निवासी जो खेती पर निर्भर करता था उसको दो तरफा मार पहली बार चूरू जिले में व्यापक रूप से पड़ी है। मुझे यह सरकार को जानकारी देने में अत्यधिक दुख होता है कि चूरू जिले में जिस ढंग से वसूली की जा रही है इससे पूर्व सामन्ती समय की तो मैं कहता नहीं लेकिन पहले कभी इस स्तर की वसूलियां नहीं की गयीं। यहां तक कि 300 पर्सेन्ट तक लगान की वसूली अधिक की गयी और जो पहले स्थगित थी उसकी 8 साल की एक साथ वसूली आरम्भ कर दी गयी और स्थिति यहां तक है कि वसूली के दौरान अन्त्योदय परिवारों को भी नहीं छोड़ा गया। सरकार ने इस प्रकार की घोषणा की कि ऐसी व्यवस्था कर दी गयी है कि अन्त्योदय वालों से जबरन वसूली नहीं होगी लेकिन चूरू जिले में श्री मालाराम पुत्र ऊदाराम चमार, गांव लाखाऊ, श्री स्वरूप राम पुत्र रामचन्द्र चमार ग्राम लाखाऊ, श्री मामराज पुत्र पोकर राम चमार ग्राम लाखाऊ, श्री केशरनाथ पुत्र मालनाथ जोगी ग्राम लाखाऊ इनसे 200/100 और 50 रुपये की वसूलियां जबरन की गयी हैं और ऐसी स्थिति पैदा हो गयी कि जबरन वसूलियां हो रही हैं और इससे भयभीत होकर लोग गांव छोड़ कर चले गये और उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं हो रही है और छोटे किसान और अलाभकारी किसान विषम स्थिति में जी रहे हैं।

पानी की समस्या बहुत गम्भीर है। जहां 180 हाथ पर नीचे पानी है याने 200–250 फुट पर पानी है और अब मौसम आ रहा है इसमें खारा पानी हो जाता है और जिसके पीने से पशु मर जाते हैं ऐसे गांवों की तरफ सरकार को तुरन्त ध्यान देना चाहिये और अकाल राहत कार्य प्रारम्भ किये जाने चाहिए।

इन दो मांगों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कटारिया जी, आपका तो नाम ही नहीं है। अब मन्त्री महोदय को उत्तर देने दें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1465 गांवों में फसल की खराबी के कारण उनको अकाल में लिया गया लेकिन श्रीमान, अभी रबी की फसल में यह कह कर कि वह ठीक हुई है और इस कारण केवल 117 गांव उदयपुर जिले के अकाल में रखे। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो गरीब हैं उनके पास तो पहले से ही खेत ऐसे हैं कि जहां एक फसल होती है और उदयपुर में जो एग्रीकल्चर लैण्ड है उसमें से 25 प्रतिशत जमीन पर रबी की फसल होती है और यह जमीन आदिवासियों के पास नहीं है। वह तो उसमें आते हैं जिसमें खरीफ की फसल बिगड़ चुकी थी और यदि सारे गांवों को अकाल में से निकाल देंगे तो सारे आदिवासियों को भूखों

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मरने के लिए मजबूर कर देंगे और जब वह भूखों मरने लगेंगे तो फिर चोरी करेंगे और तरह तरह के गांव लूटेंगे। मैं आपसे विनम्र रूप से प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह मापदण्ड आदिवासियों पर लागू नहीं करें जिसके पास दो फसली जमीन नहीं है।

मुझे इतना ही निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रणमल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

श्री राम नारायण चौधरी : बोलने दीजिए साहब। कभी कभी तो बोलते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा कहिये।

श्री रणमल सिंह (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सीकर जिले में 480 गांव, जिनमें फतहपुर के 114 गांव, सीकर के 139 गांव, लक्ष्मणगढ़ के 145, दांतारामगढ़ के 81 गांव इस तरह से 480 गांवों में अकाल है। इसके बारे में व्यवस्था करें और कार्य शीघ्र शुरू करायें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राम नारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट लूंगा। मैं मंत्री महोदय का ध्यान आपके माध्यम से इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। झुंझुनूं जिले में 700 गांव हैं। जिनमें 698 गांवों के अन्दर आबादी है और दो गांव गैर आबाद हैं। इन 698 गांवों में से कोई भी गांव ऐसा नहीं है जिस गांव के अन्दर 60 प्रतिशत से कम फसल का खराबा आया हो। करीब तीन चार महीने पहले जिलाधीश की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी। वहां सब अधिकारी उपस्थित थे। सर्वसम्मति से यह रिपोर्ट हुई कि सभी गांवों के अन्दर अकाल है और अकालग्रस्त एरिया घोषित करने की सिफारिश की गई। सारे राजस्थान में केवल झुंझुनूं जिला ऐसा जिला है जहां पर कि पशुओं के लिये कोडर की मांग की गई थी। मंत्री महोदय ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें भी इन्होंने माना है कि सिर्फ झुंझुनूं जिला ऐसा जिला था जिसने कोडर की मांग की। इसकी गम्भीरता को आप स्वयं देखेंगे, मान्यवर। जिस जिले में पूरे के पूरे गांव अकाल की चपेट में हों, कोडर की मांग की गई हो, वहां अकाल घोषित करें और गांवों के अन्दर अकाल राहत कार्य हाथ में लें।

जो फूड फार वर्क की योजना है, उसमें पेमेंट हुए नहीं। एक करोड़ का पेमेंट झुंझुनूं जिले का बकाया है। अकाल होने के कारण और फूड फार वर्क में पेमेंट न होने के कारण, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि रिलीफ वर्क जल्दी चालू करें और फेमिन में जो-जो काम होते हैं उन सभी कामों को प्रारम्भ करें।

श्री मेघराज पंवार (चूरू) : उपाध्यक्ष

(श्री मेघ राज पंवार)

महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां 8 साल से 14 लाख की बकाया थी, राज्य सरकार से रोकी हुई थी उसमें से 5 लाख रुपया वसूल कर तीन वर्ष से बराबर अकाल ग्रसित लोगों से सख्ती से लिये। दो अढ़ाई महीने के अन्दर वसूल करने के लिये हुकम दे दिया। राजस्व मंत्री जी के आदेश हुए वसूलियां 3 किश्तों में कर ली जायें लेकिन एक मुश्त वसूलियां कर ली गई। आप कहते हैं कि आप लखपति किसानों से वसूलियां करेंगे। मैं लिस्ट पेश करता हूं जो गरीब आदमी थे, जो अनुसूचित जाति के लोग थे, अन्त्योदय के आदमी थे उनसे वसूलियां की गई हैं। हमारे यहां कोई राहत के कार्य नहीं कराये गये हैं। जागीरों के जो गांव होते थे वहां सख्ती से वसूलियां होती थीं, कांग्रेस गवर्नमेंट का मुकाबला ही नहीं है। यह तो स्टेट के राज से भी बुरा राज किसानों के हक में आ गया है।

•

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक दो प्रश्न पूछना चाहूंगा। क्या अकाल सहायता मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि काम के बदले अनाज योजना जो चल रही है उसमें आपने अभावग्रस्त क्षेत्र में कितने काम प्रारम्भ किये? कितने काम सम्पूर्ण हो चुके और कितने प्रगति पर हैं? और जो कार्य प्रगति पर हैं उस पर कितने श्रमिक कार्यरत हैं? एक तो यह बताने की कृपा करें।

दूसरा, आपने स्थगन प्रस्ताव के वक्त यह बताया था कि अकाल घोषित करने और गांवों को गजट नोटिफाई करने के वक्त जो अलाभकारी जोतें हैं उनको एक्सक्लूड रखेंगे। तो राज्य सरकार ने क्या निर्णय लिया है? अलाभकारी जोतों को किस तरह से अलग रखा है?

तीसरा, जो गजट नोटिफाइड किये हैं, कुछ जिलों के अन्दर आपने नोटिफाइड कर दिया है। आप का जो प्रतिवेदन है उसमें 10,885 गांव प्रभावित हैं। सभी गांवों को नोटिफाइड करने का क्या कारण है? इतने गांवों को इनआर्डीनेट डिले से घोषित करने जा रहे हैं। आज कई माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारे यहां पर वसूलियां हो रही हैं, जबरन कोआपरेटिव लोन की। अगर आप पहले घोषित कर देते और समय पर घोषित कर देते तो रिजर्व बैंक की इन्सट्रक्शन्स के अनुसार तमाम जो शार्ट टर्म लोन थे, मीडियम टर्म लोन में कन्वर्ट हो जाते। इधर डंडा मारकर वसूलियां की गई। अब घोषित करने जा रहे हैं? कोआपरेटिव लोन की जबरन वसूलियां कर ली गई, अब उनके साथ कोई न्याय नहीं हो सकता। हमेशा सरकार, कोआपरेटिव लोन को छोड़ कर जो ऋण बकाया है, राज्य सरकार प्रशासनिक आदेश से हमेशा स्थगित करती है। यह इस प्रकार का कोई आदेश प्रसारित किया है? यह भी बताने की कृपा करें कि अफेक्टेड एरियाज़ ससपैन्शन आफ प्रोसिडिंग्स एक्ट जो दो क्लाजेज का बना हुआ है उसके अन्तर्गत, मैंने उस दिन भी निवेदन किया था, पहले घोषणा कर दी जाये, उसकी नोटिफिकेशन निकाल कर जो स्टेज चल रही है, वह स्थगित होगी। यह भी बताने की कृपा करें की जिन गांवों के अन्दर कार्य प्रारम्भ नहीं किये हैं, आपने जो अलग अलग जिलों

(श्री परसराम मदेरणा)
के ग्रन्दर ग्रलग ग्रलग कामों की योजना बनाई है वह ग्रलग ग्रलग तहसीलों के ग्रन्दर किस किस गांव में कितनी कितनी संख्या सामने रखकर योजना बनाई है ? ग्राप क्या रोजगार देना चाहते हैं ? उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से ग्रापके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जैसा कि ग्राप स्वयं की बात थी, माननीय सदस्यों ने कहा, यह बड़ी शर्मनाक स्थिति ग्रापने पैदा की है। राहत के काम खुलाना चाहते नहीं हैं। लोग भूख से मर रहे हैं इससे ज्यादा सरकार की ग्रकर्मण्यता ग्रौर हो नहीं सकती। यह सरकार कई प्रकार के बहाने लेकर जो उसकी नीति है कि हमें वसूली करनी है, रिसोर्सेज इकट्ठे करने हैं, योजना का ग्राकार बड़ा करना है...

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

इधर ग्रार्डर देते हैं, सी.ग्राई.डी. इन्क्वायरी करेगी, उधर पालना कराते हैं। मिनिस्टर से बात कर लेते हैं। मिनिस्टर के विरुद्ध कार्यवाही का षड़यन्त्र रचते हैं। सदन को कान्फीडेन्स में लेकर स्पष्ट बात कह दीजिये कि नहीं खोलना चाहते हैं लोगों को भाग्य के ऊपर छोड़ दीजिए। इसको ग्राप तिलांजलि दे दें तो ज्यादा ग्रच्छा है। ग्रापने इस प्रकार से मखौल किया है।

मेजर श्री फतह सिंह : सच कहना ग्रपराध तो नहीं है।

श्री हरजीराम बुरड़क: उपाध्यक्ष महोदय, ग्रापकी मार्फत, मंत्री जी का ध्यान ग्राकर्षित करूंगा। ग्राप फेमिन कोड के ग्रनुसार चलते हो कि नहीं ? जो काम करने होते हैं, उसमें फेमिन कोड का सहारा लेते हैं जहां नहीं करने होते हैं, कहते हैं फेमिन कोड में प्रोवीजन नहीं है। ग्रापके प्रगति विवरण में बताया गया है कि फेमिन कोड में संशोधन के लिये एक समिति बनाई गई है। इसका मतलब ग्राप फेमिन कोड को महत्वपूर्ण समझते हैं लेकिन जब तक इसमें संशोधन नहीं कर लेते हैं जो प्रोविजन्स उसमें हैं उनका ग्रापको पालन करना चाहिये। फेमिन कोड के ग्रनुसार ग्रापको कब राहत कार्य खोलने चाहिये, कब वसूली स्थगित करनी चाहिये ग्रौर दूसरे जो फेमिन कोड में प्राथमिकता देने के वर्क्स हैं उनको कब शुरू करना चाहिये, इस बात का पूरा ध्यान रखें। दूसरे फेमिन कोड में कितने साल तक ग्रकाल है, जिसकी बिगोड़ी माफ होगी, इसका भी पूरा ध्यान रखना चाहिये। दो साल से ग्रधिक समय का ग्रगर फेमिन एरिया है तो वहां पर ग्राप क्या क्या प्राथमिकताएं देंगे– पानी की, लगान की, ग्रादि की। इस सारी स्थिति का उत्तर देते हुए माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि फेमिन कोड में किन किन नियमों का पालन किया है ग्रौर किन किन नियमों का पालन नहीं किया है ?

श्री रतन लाल वर्मा: उपाध्यक्ष महोदय, में ग्राधे मिनट में ....

श्री उपाध्यक्ष: कृपया ग्रब चर्चा समाप्त करें।

श्री रतन लाल वर्मा: उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्राधे मिनट में वह बात बताना चाहता हूं जो ग्रभी तक किसी ने नहीं कही है। मैं ग्रापके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं जब इनकम टैक्स में 10 हजार की

(श्री रतन लाल वर्मा)

छूट है खर्चा निकालने के बाद तो उस किसान ने क्या नुकसान किया है ? उसकी तो रखवाली चली गई, उसका बीज चला गया, उसकी फसल नष्ट हो गई, उसकी सारी मेहनत चली गई तो यह अन्याय उस किसान पर कहां तक वह चुकायेगा ? राजाओं के जमाने में भी यही होता था, बादशाहों के जमाने में भी यही होता था, कांग्रेस के जमाने में भी यह होता था और आज भी यही हो रहा है तो फिर फायदा क्या ? आपको इस फेमिन कोड में अमेन्डमेंट करना पड़ेगा तो करिये। फेमिन हो जाय तो उस क्षेत्र का लगान माफ करिये। यह मेरा बहुत नम्र निवेदन है। अगर ऐसा नहीं किया तो यह सरकार किसानों की हितैषी सरकार नहीं होगी।

श्री जय नारायण पूनिया (अकाल राहत मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष बाढ़ अतिवृष्टि एवं अनावृष्टि के कारण राज्य में सभी 26 जिलों में खरीफ की फसल में नुकसान होने की रिपोर्ट जिलाधीशों से समय-समय पर प्राप्त हुई है। जिलाधीशों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार ऐसे गांव जिनमें आठ आना या आठ आना से अधिक नुकसान हुआ है राज्य भर में उनकी संख्या 10,880 है।

पूर्व वर्षों में अभाव ग्रस्त गांवों की सूचना प्राप्त होने के बाद उन्हें अभाव ग्रस्त घोषित किया जाता था तथा जनता को राहत पहुंचाने के लिये परीक्षण राहत कार्य शुरू कर दिये जाते थे लेकिन इस वर्ष राज्य भर में काम के बदले अनाज योजना तथा राज्य के अन्दर अन्य योजनाओं पर शुरू से ही व्यापक पैमाने पर कार्य शुरू कर दिये गये थे। करोड़ों रुपयों के कार्य अब भी राज्य में निर्माणाधीन हैं। इस स्थिति में इन योजनाओं पर प्रतिकूल असर न पड़े इस तथ्य को मध्य नजर रखते हुए ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया था। लेकिन अब राज्य सरकार ने उपरोक्त अभावग्रस्त गांवों में से इस वर्ष ऐसे गांवों को जिनमें खरीफ की फसल प्रमुख है एवं जहां पर खरीफ फसल में नुकसान 50 प्रतिशत तथा उससे अधिक है उन्हे अभावग्रस्त घोषित करने का निर्णय ले लिया है परन्तु उसके साथ यह भी निर्णय लिया गया है कि जिन उपरोक्त गांवो में खरीफ व रबी दोनों फसलें होती हैं उनमें यदि रबी फसल खरीफ की फसल के क्षेत्रफल के मुकाबले 25 प्रतिशत तक हो तो ऐसे गांवों को भी प्रमुखतः खरीफ फसली माना जावे और उन्हें भी अभावग्रस्त घोषित किया जावे। निर्धारित नीति के अनुसार हार्ड केसेज में व्यक्तिगत मामलों में ऐसे गांवों के कृषकों को भी शामिल कर लिया जावेगा जिन गांवों में रबी की फसल की बुआई खरीफ की फसल की बुआई के मुकाबले 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच हो तथा खरीफ सम्वत् 2033 में भी 50 प्रतिशत या उससे अधिक खराबा रहा हो। नव निर्धारित नीति के अनुसार पुनः रिपोर्ट प्राप्त की जा रही है और अब तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने 11 जिलों की 49 तहसीलों के 2851 गांवों में अभाव की स्थिति की घोषणा राजपत्र में प्रकाशित कर दी है तथा 8 जिलों की 26 तहसीलों के 1228 गांवों को अभावग्रस्त घोषित करने के लिये राजपत्र में प्रकाशनार्थ भेज दी गई है व इस नीति के अनुसार अलवर

(श्री जयनारायण पूनिया)
जिले में कोई गांव अभावग्रस्त के मापदण्ड में नहीं आता है तथा बाकी 6 जिलों की सूचना आनी शेष है। राज्य सरकार ने भू-राजस्व एवं अन्य सरकारी ऋणों की वसूली के स्थगन आदेश जारी कर दिये हैं तथा सहकारिता विभाग के अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित करने हेतु सहकारिता विभाग को लिख दिया गया है।

उक्त अभाव ग्रस्त गांवों में राहत कार्य शुरू किये जाने के लिये उचित कदम उठाये जा रहे हैं। जहां रोजगार की व्यवस्था अन्य योजनाओं द्वारा समुचित नहीं है और काम खोलने की आवश्यकता है वहां राज्य सरकार पर्याप्त संख्या में कार्य खोलकर रोजगार उपलब्ध करायेगी।

इस वर्ष वर्षा की कमी से पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में पेयजल की समस्या है। राज्य सरकार ने ऐसे क्षेत्र जहां के सामान्य पेयजल साधना स्रोत सूख गये हैं, पेयजल व्यवस्था हेतु रोड टैंकरों से पेयजल पहुंचाने का प्रबन्ध कर दिया है। अब तक निम्न लिखित जिलों को उनके सम्मुख उल्लेखित संख्या में पेयजल टैंकर आवंटित कर दिये हैं जिनसे पानी की व्यवस्था की गई है :—

जैसलमेर में 40 के मुकाबले 14, बाड़मेर में 20 के मुकाबले 10, जालौर में 4 के मुकाबले 2, बीकानेर में 5 के मुकाबले 2, चूरू में 18 के मुकाबले 5, पाली में 12 के मुकाबले 2, नागौर में दो के मुकाबले दो और जोधपुर में 13 के मुकाबले 4। और जहां जहां आवश्यकता होगी अतिरिक्त टैंकर सप्लाई कर दिये जावेंगे।

बाड़मेर जिले के भीमरलाई, गोल तथा जयसिवर स्टेशनों पर रेल टैंकर से पानी की व्यवस्था की मन्जूरी भी दे दी गई है।

अतिवृष्टि तथा बाढ़ के कारण सीकर, चूरू, झुंझनूं जिलों से चारे की कमी होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। चूरू ने 10,000 मै० टन, सीकर ने 19395 मे० टन तथा झुंझनूं ने 50,000 मै० टन चारे की मांग की थी। चूरू जिले के जिलाधीश ने अपनी पूर्व प्रस्तुत मांग को दुबारा जांच कर बतलाया है कि उनको चारे की आवश्यकता नहीं है। जिलाधीश सीकर ने अप्रेल, 1979 के पश्चात् रबी फसल के चारे को ध्यान में रखकर सही स्थिति बताने के बाबत सूचित किया है। जिला झुंझनूं को इस वित्तीय वर्ष में 6.25 लाख रुपये चारा क्रय करने हेतु आवंटित कर दिये गये हैं।

श्री दाऊ दयाल जोशी : श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, कोटा जिले में चारे की व्यवस्था का नहीं आया है।

श्री जय नारायण पूनिया : जिलाधीश से मांग नहीं आई है।

श्री हीरा लाल : उपाध्यक्ष महोदय, ओलावृष्टि के बारे में कुछ नहीं बोले हैं।

(व्यवधान)

श्री जय नारायण पूनिया : उपाध्यक्ष महोदय, जहां राहत कार्य खोलने के लिये जो बताया है कि हम पूरी व्यवस्था करेंगे।

(श्री जयनारायण पूनिया)
खरीफ की फसल में जहां खराबी की रिपोर्ट हुई है उसके साथ ही हमने यह कार्यवाही की है।

मेजर श्री फतहसिंह : इसका मतलब है आप तैयार नहीं हैं····

श्री मदनसिंह दांता : There is no plan.

श्री परस राम मदेरणा : No blueprint.

श्री जय नारायण पूनिया : अब जो नई नीति है उसके अनुसार जिन गांवों को अभाव ग्रस्त घोषित किया जा रहा है, उसके अनुसार····

(व्यवधान)

• सुनिये तो सही, हम क्या कर रहे हैं, यह बताना चाहता हूं।

श्री रघुनन्दन व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, क्या दो अप्रेल से जो अभावग्रस्त, अकाल ग्रस्त या ओला पीड़ित क्षेत्र हैं, उनमें काम शुरू कर देंगे ?

श्री जयनारायण पूनिया : अगर आप बतायें कि इस प्रकार से प्रभावित हैं और जिलाधीश महोदय का प्रस्ताव आया है तो मैं आज ही काम शुरू करवा सकता हूं। मैं तैयार हूं और मैंने रिपोर्ट मांग रखी है। अभी मेजर साहब ने जो बताया कि तैयार नहीं है तो ऐसी बात नहीं है। यदि हमारे पास प्रस्ताव आया हुआ है तो हम तैयार हैं। सभी जिलों से हमने रिपोर्ट मांगी है। दस हजार कुछ गांवों की जो हमारे पास रिपोर्ट आ गई है। सब जिलों से प्रपोजल्स मंगाये हैं और जहां जहां अभाव की घोषणा होगी हम क्या क्या राहत कार्य खोल सकते हैं, उससे हम अवगत हैं और जिनके प्रपोजल्स हमारे पास हैं उनके लिए आप बता दें। चूरू जिले में रबी फसल के अनुसार गांवों की जो घोषणा की है, उसके अनुसार थोड़ा बहुत अन्तर करना पड़ेगा। अभी हम सभी जिलाधीशों से रिपोर्ट मांग रहे हैं और वे आ रही हैं। मेजर साहब कहते हैं वे अपने यहां का प्रस्ताव ले आयें। मेरे पास कार्यों का मसौदा पड़ा है और मैं आज ही घोषणा कर दूंगा।

श्री रघुनन्दन व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह बताया जाय कि क्या दो अप्रेल से अभाव ग्रस्त, अकालग्रस्त, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि के गांवों में काम शुरू करा देंगे ?

(व्यवधान)

आप तुरन्त काम कराने के आदेश दीजिए........

(व्यवधान)

श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सारी फसलें खराब हो गई हैं। दो महीने से ज्यादा समय हो गया है। कोई कार्यवाही, काम नहीं हो रहा है। लोग वहां पर भूखे मर रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : ग्रान ए पाइन्ट ग्राफ क्लेरिफिकेशन।

उपाध्यक्ष महोदय, जब मंत्री महोदय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मेरे पास लिस्ट ग्रा चुकी है। ग्रब ग्रापके कौन से गांव बाकी रह गये हैं तो ग्राप मंत्री महोदय को ग्रौर लिस्ट दे दीजिए।

श्री रघुनन्दन व्यास : मंत्री महोदय यह ग्राश्वासन दे दें कि 2 ग्रप्रेल, 1979 से काम शुरू करवा देंगे। यह ग्राश्वासन दे दें।

श्रीमती नारंगी देवी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में गरीब लोग भूखे मर रहे हैं।

श्री रतनलाल वर्मा : ग्रभी तो प्रपोजल मांगें हैं। वे कब ग्रायेंगे ? ग्रा गये हैं तो सैंक्शन करिए। एक तारीख से काम शुरू करवाने की ग्राप घोषणा करिए।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय, माननीय सदस्यों ने यहां पर सदन में जो चिन्ता व्यक्त की है, क्या ग्राप यह बतलाएंगे कि प्रशासनिक स्वीकृति ग्रौर जो प्रक्रिया ग्रपनाई जा रही है राहत कार्यों के बारे में, वह कितने समय में पूरी हो जाएगी ग्रौर कब से काम शुरू करवा दिए जाएंगे ?

श्री जयनारायण पूनिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह स्पष्ट कहा है कि मेरे पास में प्रपोजल्स हैं दस हजार गांवों के, ग्रभाव ग्रस्त गांवों के, जो प्रपोजल्स हमारे पास में हैं, उस हिसाब से है लेकिन चूंकि रबी की फसल के नाते कुछ गांवों को काट रहे हैं तो उसमें सुधार करना पड़ेगा। जो घोषित गांव हैं, उसके ग्रनुसार ग्राप बता सकते हैं तो उस प्रपोजल के ग्रनुसार ग्राज ही मन्जूरी दे दूंगा।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, भीलों के घर में खाने का एक दाना नहीं है। ग्राप हर पंचायत में एक दो काम खोलने के ग्रादेश दे दें।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं.......

एक माननीय सदस्य : ग्राप दूसरों को भी पूछने दीजिए। लगान की वसूली हो रही है। इस लगान की वसूली को तो रोकिए।

श्री जयनारायण पूनिया : यह लगान की वसूली तो स्थगित कर दी है। पहले ही कह दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य विराजिए। लगान स्थगन के बारे में जानकारी दे दी गयी है।

श्री परसराम मदेरणा : मन्त्री महोदय, ग्रापने यह बताया है कि 10850 गांव तो पहले से ही ग्रफेक्टेड थे। ग्रब ग्रोलावृष्टि से कितने ग्रौर गांव ग्रफेक्टेड हुए हैं, यह बता दीजिए। ग्रापके पास जिन्सवार गिरदावरी की रिपोर्ट ग्रा गई है। पचास प्रतिशत से ज्यादा कितने गांव के ग्रन्दर हैं, यह ग्रापने नहीं बताया

(श्री परसराम मदेरणा)

है। अब तक जो 10850 गांवों की सूचना थी उसमें से आपने 4000 गांव घोषित किए हैं। आपने यह बात कही है कि अब खराबे की सूचना दी जा रही है। आपने यह भी घोषणा की है कि बाड़मेर जिले में तीन रेल टैंकर भेजे जा रहे हैं। इन तीन रेल टैंकर से समस्या का हल नहीं होगा। 10850 गांवों में जो जनता अफेक्टेड है वह 85 लाख जनता है और ओलावृष्टि से जो जनता अफेक्टेड हुई है वह करीब 30 लाख है। इस प्रकार आप 1 करोड़ 10 लाख लोगों के राहत कार्यों के लिए आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ तीन गांवों में पानी देने की बात कही है। यह शर्मनाक बात नहीं तो क्या है? माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न उठाये हैं उस सम्बन्ध में आपके कोई प्रपोजल्स नहीं हैं। इसको आपने प्लान, नान प्लान, डी. पी. ए. पी, ट्राइबल एरिया, और इसके साथ आपकी जो काम के बदले अनाज योजना है, इसका कोई कोआर्डिनेशन आपने नहीं किया है। इसके बाद भी आप घोषणा कर रहे हैं। आप क्या समझा रहे हैं? हम जानते हैं घोषणा किस तरह से होती है और काम किस तरह से होता है? यह तो साफ टालमटोल है। सदन को निश्चित तौर से झांसापट्टी दी जा रही है। जो खराबे के क्षेत्र हैं, जहां पर पचास फीसदी खराबे का क्षेत्र है, वहां दुबारा प्रस्ताव बनाये जाएं। जिस गांव का क्षेत्रफल 51 प्रतिशत खराबे के अन्दर है, वह घोषित हो। यह गलत है। पूर्व में यह नीति रही है। यह नई अड़चन डाल कर सदन को गुमराह किया जा रहा है। कपड़े फट जाएंगे। यह कपड़े फाड़ने, खुलवाने की बात तो छोड़िये परन्तु इस सदन के अन्दर आप निश्चित घोषणा काम के बारे में करिये। किन किन गांवों, तहसीलों, जिलों के अन्दर तो योजनागत काम होंगे और किन किन गांवों में, तहसीलों, जिलों में गैर योजनागत काम आप ले रहे हैं? कितने लोगों को आप रोजगार देंगे और कितने समय तक देंगे और इसके लिए कितनी धनराशि का प्रावधान आपने किया है? फेमिन वर्क्स के अन्दर कितना प्रावधान है? यह स्थिति नहीं बताएंगे तो सदन अन्धकार में है और यह केवल झांसा-पट्टी है। इसलिए जिस काम, कदम के लिए फाइनेंशियल सेंक्शन नहीं है वहां पर केवल राहत मंत्री महोदय की घोषणा से कोई राहत लोगों को नहीं मिलेगी। जो लोग विभीषिका में आ गये हैं उनका तो भगवान ही मालिक है।

श्री रघुनन्दन व्यास : राहत कार्य 2 अप्रेल से खोलने की मंत्री महोदय घोषणा कर दें। सदन में सस्पेन्स की स्थिति है, वह घोषणा कर देने से समाप्त हो जाएगी? चार, पांच हजार की घोषणा तो आपने की है बाकी के लिए आप क्या कर रहे हैं? मेरा यह निवेदन है कि चालू सत्र के सत्रावसान के पहले इसका सारा चित्र सदन के सम्मुख रखें ताकि यह जो सन्देह की स्थिति बन रही है, वह समाप्त हो सके।

श्री जयनारायण पूनिया : यह जो तीन टैंकर की बात कही गयी है, यह तीन टैंकर ही नहीं हैं बल्कि जितनी डिमाण्ड थी, आई थी, उसके अनुसार सभी जिलों के लिए टैंकर की व्यवस्था की गई है। बाड़मेर के अन्दर रेल टैंकर और भेजे जा रहे हैं। यह तो एक्स्ट्रा व्यवस्था की जा रही है।

श्री ईश्वर चन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़ के गांवों के खराबे की लिस्ट आ चुकी है। इसके बाद जो सूची गजट नोटिफिकेशन हुआ है उसमें झालावाड़ रोड, दूसरे सारे गांवों का उस सूची में उल्लेख नहीं है। तो इस पर आप पुर्नविचार करिये और उन गांवों में जहां खरीफ और रबी की दोनों फसलें नष्ट हो चुकी हैं, जहां पर ओला वृष्टि से नुकसान हुआ है, उनके बाबत में विचार करके निर्णय करें, घोषणा करें।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा पूरा जिला अकाल से प्रभावित है।

श्री नवरंग सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो लिस्ट बतायी है, तो इसमें आपने फेमिन कोड, उसकी धाराओं के अनुसार यह घोषणा नहीं की है। मान्यवर, झुंझुनूं जिले में 698 गांव अभावग्रस्त हैं किन्तु 210 गांवों की ही घोषणा की गई है। इस प्रकार झुंझुनूं जिले के साथ अन्याय किया गया है। यह स्पष्ट बात है। 698 गांवों के लिए क्या आप प्रशासनिक स्वीकृति दे रहे हैं? क्या आप घोषणा कर रहे हैं? इनकी प्रशासनिक स्वीकृति कब ली है, यह बतावें?

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि 1979–80 के बजट में आपने फेमिन के अन्दर लोगों को काम देने के लिये बजट में क्या प्रावधान रखा है। 7 वें वित्त कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 7 करोड़ की मार्जिन मनी राजस्थान सरकार को अपने बजट में रखनी पड़ेगी। अब पुराना छठा वित्त कमीशन समाप्त हो गया। पहले 50 करोड़ का था अब तो 7 करोड़ मार्जिन मनी बजट में रखनी पड़ेगी। फिर दूसरी बात, जो फेमिन में आप मजदूरों को काम कराने के लिये करेंगे तो भी भारत सरकार की कमेटी आयेगी, उसे देखेगी और उसका आधा खर्चा तो लोन में देगी और आधा खर्चा बजट में रखना पड़ेगा। तीसरी बात, जो फेमिन या ओलों के जरिये से जो नुकसान हुआ सड़कों का, कुओं का, बन्धों का, उनके बारे में कमेटी जो आयेगी वह बतायेगी। इसके बाद में जो खर्चा होगा वह राज्य सरकार को भुगतना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो जानकारी आवश्यक है वह मंत्री महोदय, स्वयं दे देंगे।

श्री मथुरादास माथुर : आवश्यक इसलिये है कि बजट में प्रोवीजन नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : वे विभाग के मंत्री हैं। सभी आवश्यकताएं जानते हैं, उन्हें कार्यवाही करनी पड़ेगी।

श्री मथुरा दास माथुर : अभी तो भारत सरकार से कमेटी बुलाने के लिये कहा है कि वो आ रही है। वह कब तक आयेगी, यह तो बताइये?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय मंत्री महोदय, मार्च का महीना बीतने जा रहा है। अक्टूबर में हमने जिला स्तर की कमेटी में रिकमण्ड करके भेजा था।

श्री जयनारायण पूनिया : यह दस बार तो कह दिया लेकिन....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कार्य प्रारम्भ आपके हुए नहीं। कब तो आप प्रारम्भ करेंगे, कब शुरू होगा और कब खतम होगा? कितने दिन आप काम करेंगे। अभी जैसा कि माननीय विरोधी दल के नेता कह रहे थे केवल सदन को झांसापट्टी देने की बात है। काम करना चाहते नहीं और केवल काम के बदले अनाज योजना के साथ जोड़ कर जनता को धोखा दिया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

श्री जयनारायण पूनिया : उपाध्यक्ष महोदय, यह पैसा कहां से आयेगा, क्या व्यवस्था होगी, यह इतनी चिन्ता की बात नहीं है। लोगों को काम देने की चिन्ता की बात लीजिये। इसके लिये कुछ भी करना पड़ेगा। सरकार को काम खोलने पड़ेंगे। दूसरे ओलावृष्टि के बारे में जो इससे नुकसान हुआ है फसल का उनमें वसूली राजस्व की स्थगित कर दी गई है। जहां 75 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान हुआ है उनको अनाज-की व्यवस्था की जायेगी अनाज के बदले काम दिलाया जायेगा।

याचिका का उपस्थापन
लाडनूं-डीडवाना रोड पर
खतरनाक मोड़

श्री उपाध्यक्ष : अब याचिकाएं प्रस्तुत होंगी। श्री लालूदास सदस्य विधान सभा एक याचिका प्रस्तुत करेंगे। श्री लालूदास।

(अनुपस्थित)

श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री हरजीराम बुरड़क : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहवा लाडनूं में लाडनूं-डीडवाना रोड पर खतरनाक मोड़ को समाप्त करवाने सम्बन्धी याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : याचिका उपस्थापित हुई।

श्री मथुरादास माथुर : ये खतरनाक मोड़ खतम करवाइये।

व्यवस्था
अनुदान की मांग पर विचार का समय

श्री उपाध्यक्ष : बजट पर मंत्री महोदय जो उद्योग की मांग रखेंगे उस पर चर्चा होगी, इसके साथ ही माननीय मंत्री महोदय उत्तर देंगे और मांग को पारित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। फिर प्राइवेट मैम्बर बिजनेस भी रखा है। उसकी भी सूची काफी लम्बी है।

श्री मूलचन्द डागा : इसमें टू एंड हाफ आवर्स का प्रोवीजन है।

श्री रघुनन्दन व्यास : नान आफिशियल बिल 8 बजे के बाद में लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा, मांग पर चर्चा करने का बहुत सीमित अवसर मिलेगा। मैं चाहूंगा कि मांग पर जल्दी चर्चा हो जाय। माननीय मंत्री महोदय मांग पारित करवा लें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री उपाध्यक्ष : बाद में सुनूंगा। मांग को प्रस्तुत करने दीजिये।

व्यवस्था का प्रश्न
प्रशासकीय कार्य दिवस
पर अन्य कार्य

श्री रघुनाथ विश्नोई : पाइन्ट आफ आर्डर यह है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी द्वारा आज नान आफिशियल डे रखा गया है। पिछले सत्र में भी पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने एतराज किया था। अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी। बजट सत्र शुरू हुआ उस समय भी पाइन्ट उठाया था। सरकार ने, मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि बाद में लेंगे। नान आफिशियल डे के दिन दूसरा कार्य, सरकारी बिजनेस नहीं रख सकते हैं, यह शुरू से परम्परा रही है। अगर ऐसी कोई परम्परा, कोई रूलिंग है तो मेरी नजर में नहीं आई है। नान आफिशियल डे के दिन सरकारी जवाब का काम पहले हो जाता है —

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : नियमावली है विधान सभा में भी।

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बात होने के बाद....

(व्यवधान)

उसकी रिपोर्ट स्वीकार की। फिर भी मांग रखी है और कटौती प्रस्ताव भी ?

(व्यवधान)

यह पहले रखे है और बाद में प्राइवेट मेम्बर्स बिल रखा है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पाइन्ट आफ आर्डर सर। यह बहुत महत्वपूर्ण है। पहले बजट प्रस्तुत किया उस दिन यह मालूम हुआ था कि आज का दिन गैर सरकारी कार्य के लिये है। सरकारी बैंच ने मंजूर कर लिया था। बीच में यह किस प्रकार से परिवर्तन कर देते हैं, आज डिमाण्ड रखी है। यह कोई आपका जस्टिस है क्या ? हमारा प्राइवेट मेम्बर डे रखने का राइट है........

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : रूल 2, 3....

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष जी, पहले के जितने शुक्रवार आये उनमें बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने बजट की इम्पार्टेन्स समझ कर प्राइवेट मेम्बर्स डे नहीं रखा। उसके बावजूद ढाई घण्टे का समय देते हैं इससे माननीय सदस्य अपने गैर सरकारी कार्य पर अपने विचार नहीं रख सकते। यह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, उपाध्यक्ष महोदय, कब तय हुआ, मुझे याद नहीं पड़ता। जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के मेम्बर हैं उनको खुद पता नहीं है कि कब तय कर लिया गया। 27 तारीख को गुलेटिन वाला मामला रखा है, 27 तारीख को सिचाई मन्त्री जी लम्बी छलांग लगा गये, कई जानते हैं कि 4 बजे गुलेटिन लागू होगा। यह, उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह प्राइवेट मैम्बर्स डे रखने का औचित्य नहीं है। आज शुक्रवार के रोज दूसरा बिजनेस रखा गया था इस सम्बन्ध में

(श्री परस राम मदेरणा)

पहले भी एतराज किया था। नियम 27 रूल्स ग्राफ बिजनेस की अवहेलना की है। ग्राप यह कहें कि भविष्य में नहीं करेंगे या अगला शुक्रवार आयेगा वह दिन पूरा का पूरा प्राइवेट मैम्बर्स बिजनेस के लिये रखा जायेगा। हमेशा से प्रैक्टिस रही है। पूरा शुक्रवार नान-ग्राफिशियल डे का रखते हैं सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। उनकी बात में बहुत दम है इन नियमों के अनुसार। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में मुझे याद नहीं पड़ता, उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का कोई निर्णय हुआ। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती जाती है याद दाश्त भी बढ़ती जा रही है, जो मुझे धोखा नहीं दे सकती। फिर किस तरह से दूसरा बिजनेस रख दिया इन्होंने ? आप इनसे चर्चा कर व्यवस्था दें और गैर सरकारी कार्य के लिये सदस्यों को समय दें।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान मैंने पहले आब्जेक्शन रेज किया था उस आब्जेक्शन का यह उत्तर मिला था कि 26 फरवरी से सेशन चलेगा Then it will be taken और आज आ गई है 23 मार्च। एक दिन के लिए भी प्राइवेट मेम्बर्स डे नहीं रखा गया है। आपने आश्वासन दिया था कि फुल डे इसके लिए रखा जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागाजी, आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ....

श्री मदन सिंह दांता : No talking please, there.

श्री सूर्य नारायण चौधरी : I am sorry.

श्री उपाध्यक्ष :....का प्रतिवेदन सारे सदन द्वारा स्वीकृत हुआ है उसके बाद कार्य सूची बनाई गई है उस कार्य सूची में (1) अनुदान की मांगों पर मतदान और (2) गैर सरकारी सदस्य कार्य। यह बहुमत से स्वीकृत कर लिया गया है। भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जायगा कि गैर सरकारी सदस्य कार्य होल टाइम के लिए रखा जाय।

श्री मूलचन्द डागा : हाउस के सामने नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष : प्राइवेट मैम्बर्स बिजनेस के लिए पूरा समय दिया जाय, ऐसी व्यवस्था करूंगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : केवल एक दिन प्राइवेट मैम्बर्स बिजनेस के लिये रखने का हम लोगों को आश्वासन दिया गया था।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 42 एक बहुत ही मुख्य मांग है और यह इस प्रसंग में मुख्य है कि 1978 में भारत सरकार ने अपनी उद्योग-नीति की घोषणा की और उसके अनुरूप माननीय उद्योग मंत्रीजी ने राजस्थान की उद्योग नीति की घोषणा की। इसलिए हम डेढ़ या दो घन्टों के अन्दर इतने इम्पार्टेन्ट मैटर पर विचार नहीं कर सकते। राजस्थान के इन्डस्ट्रियल प्लान का जो वायदा कर चुके हैं और घोषणा कर चुके हैं उस सम्बन्ध में हमको बहुत समय चाहिए सारे कट मोशन्स

(श्री परसराम मदेरणा)

पर बोलने के लिए। यह ऐसी मांग है कि इस मांग पर कम से कम 10 घण्टे की बहस होनी चाहिए। उसमें राजस्थान के औद्योगीकरण का ही प्रश्न नहीं है उसमें औद्योगीकरण की नीति का प्रश्न है, गांवों में स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज के जरिये जो लाभ पहुंचाना चाहते हैं उस सम्बन्ध में सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं, सरकार क्या करने जा रही है। यह बहुत महत्वपूर्ण मांग है उसको नान आफिशियल बिजनेस के दिन रखा गया है। तो आपने जो बुलेटिन जारी किया है वह रेशम के रूमाल में लपेट कर किया ताकि हम उद्योग की मांग पर पूरी तरह से विचार न कर सकें और 3–4 सदस्य ही बहस में भाग ले सकें। इसलिए मेरा निवेदन है कि राजस्थान सरकार की जो औद्योगिक नीति नवम्बर 1978 को घोषित की गई है, उस पर बहस करने के लिए पूरा एक दिन निर्धारित किया जाय ताकि माननीय सदस्य उसके ऊपर पूरी तरह से विचार कर सकें, और आज जो डिमाण्ड रखी है उसको 27 तारीख, जो गुलेटिन के लिए कायम हुई है, को ले लिया जाय।

श्री रघुनन्दन व्यास : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की प्रोसीडिंग्स 5 दिन पहले ही सभी माननीय सदस्यों को बांटी गई हैं और 5 दिन तक माननीय सदस्य बोले नहीं प्राइवेट मैम्बर्स बिजनेस के नाम पर। उद्योग सम्बन्धी ऐसा मामला है कि जिसकी वजह से राजस्थान का काया कल्प होने वाला है। इस प्रश्न को टाला जा रहा है और टालने की नीयत से ही पहले प्राइवेट मैम्बर्स बिजनेस को लेने के लिए कहा जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि रविवार के दिन सदन को रख दें और उस दिन प्राइवेट मैम्बर्स बिजनेस को ले लें और आज उद्योग विभाग की मांग को जैसा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने निर्णय लिया है उसी आधार पर इस प्रोग्राम को लें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इतने माननीय सदस्यों ने प्राइवेट मैम्बर्स बिजनेस रखा है तो उसको पूरे दिन के लिये रखा जाना चाहिए।

श्री मनोहर सिंह मेहता : मैं निवेदन करता हूं कि नान-आफिशियल बिजनेस के लिए पूरा दिन मिलना चाहिए, इन्डस्ट्रीज के लिए अलग रख दें। इसको बाद में लें या न लें लेकिन इसके लिए पूरा दिन मिलना चाहिए।

श्री श्योपत सिंह मंकासर : बिजनेस एडवाइजरी के अन्दर यह तय हो गया था कि पिछले शुक्रवार को पूरा दिन रखा जायगा। आज तक आप उससे परहेज करते आ रहे हैं और किसी नान-आफिशियल बिजनेस पर आज तक बहस नहीं करा रहे हैं। पिछले सदन में भी यह शिकायत थी और इस सदन में भी यह बात रखी गई है तो समय में क्यों कोताही की जा रही है? आखिर में आपने यह तय किया तो संसदीय मंत्री ने बड़ी चालाकी के साथ अपने विभाग की इस मांग को नान-आफिशियल डे के साथ रखा ताकि जल्दी ही बिना किसी बहस के पास हो जाय और इस पर कोई तमाशा न हो। यह राजनैतिक बेईमानी है। मेरा इलजाम

(श्री श्योपत सिंह मकासर)

है संसदीय मंत्री के ऊपर कि आपने बेईमानी करके अपने विभाग की मांग को गैर सरकारी दिन रखा है। नान-आफिशियल डे पूरा होना चाहिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में उद्योग विभाग की मांग राजस्थान को एक नई दिशा देने वाली है। इसको इस तरह से कुछ ही समय में बिना सोचे और बिना सरकार की मन्शा जाने पास करा लेना चाहते हैं तो इससे तो अच्छा यह है कि बिना डिस्कशन के ही इसको पास करा लें।

श्री मदन सिंह दांता : पास करवा लें।

(व्यवधान)

• **श्री श्योपत सिंह मकासर** : कल सारा दिन खराब कर दिया और जिन्दा आदमी को मरा बता दिया.......

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज बजट की मांग पर हम विचार करके पास करा रहे हैं और यहां इस तरह का हाल हो रहा है कि महत्वपूर्ण मांग पर मुखबन्द करा रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से अगर सरकार इस हाच पाच स्थिति में पास कराना चाहती है तो इस तरह से तो एक दिन में ही सारा बजट पास करा ले। इसको इस तरह से प्रोसीजर में रखने का कोई महत्व नहीं है। जब तक कि हमारी भावनाए सरकार तक न पहुंचे तब तक बजट की मांग का कोई औचित्य नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा जी।

श्री मूलचन्द डागा : एक सैकिण्ड।

इन्डस्ट्रियल पालिसी आफ स्टेट चाहे आपने पास कर दी हो कभी सदन की मेज पर इन्डस्ट्रियल पालिसी आफ दी स्टेट नहीं रखी गई है।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : रखी गई है।

श्री मूलचन्द डागा : कौन सी तारीख को रखी गई है, बताइये। हमको कोई कापी नहीं मिली है।

श्री सूर्य नारायण चौधरी (उद्योग मन्त्री) विपक्ष के एक प्रश्न के उत्तर में यह रखी गई है। वह सदन की मेज पर रखी गई है।

श्री मूलचन्द डागा : सदन की मेज पर कोई नहीं रखी। मैं यह नहीं मानता हूं। आपने कभी भी सदन की मेज पर नहीं रखी है।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : आप पहले सुन लें। माननीय उपाध्यक्ष, सबसे पहले मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय परसराम, जो विपक्ष के नेता हैं, ने एक सुझाव दिया है कि इन्डस्ट्रियल पालिसी पर बहस करने के लिए एक दिन रखा जाय, मैं इसका स्वागत करता हूं। इसमें मेरा कोई एतराज नहीं है। बिजनेस

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

एडवाइजरी कमेटी यदि इसको एक दिन के लिए रख ले तो मैं तैयार हूं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में माननीय मथुरादास जी, जो आपकी बगल में बैठे हुए हैं, बैठे थे। उसमें विपक्ष के कई लोग बैठे हुए हैं और हमारी पार्टी के लोग भी एक अच्छी। खासी कमेटी बनाई थी उसमें सब लोगों को बुलवाया था। इसके बाद में विपक्ष के माननीय नेता ने इसको स्वीकार किया होगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इस इश्यू को तय कर लिया जाय।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मेरी बात तो सुनिये।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : आप तो आसन पर आकर बिराजती हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : मिनिस्टर फार पार्लियामेंट्री अफेयर्स होकर ऐसी बात कर रहे हैं यह नहीं हो सकता है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के नाम पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री यह बात कह रहे हैं।

ऊपाध्यक्ष महोदय, पहले भी ऐसा कहा गया हैं।

(व्यवधान)

श्री सूर्य नारायण चौधरी : आप मेरी बात सुन लें पूरी।

श्री रामनारायण चौधरी : दो तारीख के बाद........

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामनारायण जी, विराजें।

(व्यवधान)

श्री सूर्य नारायण चौधरी : आप सुन तो लीजिए।

(व्यवधान)

हमेशा भेजी है।

श्री रामनारायण चौधरी : कहां भेजी है?

श्री गुल मोहम्मद : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले सैशन के अन्दर भी यह कहा गया था।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं निवेदन करूंगा।

(व्यवधान)

जो ऐसी शब्दावली से सम्बोधन करें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : संसदीय मंत्री होने के नाते आपने रखी है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह फलां तारीख को रखी गई है। मुझे सब बताया भी नहीं गया है। आपकी शंकायें आपकी कार्य विधि के हिसाब से निर्मूल नहीं होंगी। लेकिन जैसा भी आसन निर्णय दे.........

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने कहा है जे. पी. के सम्बन्ध में, यह मैं मानता हूं। उसके सम्बन्ध में तो भारत सरकार को भी विरोधी पक्ष के आक्रोश का सामना करना पड़ा था लेकिन जैसा कि प्रश्न है, इस सदन में इस पर चर्चा हो जाये।

Page No. 118

118

श्री सूर्य नारायण चौधरी : मैं मांग नहीं कर रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : पालिसी का संशोधन करने में आपको सुविधा होगी इसलिए आज चर्चा करें।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : मेरे को उसमें क्या है ?

श्री परसराम मदेरणा : डिमाण्ड पास करने के लिए गैर सरकारी काम की बात की जाये। दूसरे माननीय सदस्य यह कह रहे थे, शायद कोइन्सीडेंस हो गया है। चेयर पर बैठने वाले को, आसन पर बैठने वाले को हाउस में आप इस तरह से सम्बोधित करें।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : वह बोलने ही नहीं देती हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : जनता पार्टी वालों को क्या और कोई नहीं मिलता है। इनको मन्त्री पद से हटाना चाहिए।

श्री टीकमचन्द कान्त : हमारे तो यही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : काफी देरी हो गयी है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : इन मन्त्री महोदय को बदलो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति पैनल पर बैठने वाले सदस्य अपना बोलने का अधिकार खो नहीं बैठते हैं। संसदीय मामलात मन्त्री जी।

श्री गुल मोहम्मद : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह था, पिछले सैशन में यह तय किया गया था कि एक दिन होम डिपार्टमेंट पर डिबेट चलेगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त की रिपोर्ट पर भी इसी प्रकार से एक दिन नियुक्त करने के लिए कहा गया था लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, न होम डिपार्टमेण्ट पर बहस चली, न कोई दिन नियुक्त किया गया और न ही अनुसूचित जाति के आयुक्त की रिपोर्ट पर डिबेट चली तो क्या आज उद्योग मन्त्री जी जो कह रहे हैं, एक दिन की डिबेट रख ली जाये तो क्या उनकी बात पर यकीन कर लें कि वाकई वह उद्योग की डिबेट एक दिन रखेंगे? नहीं तो हम अपनी बात आपके सामने नहीं रख सकते हैं हम इस बात का यकीन कैसे कर लेवें ?

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : ये भाग जायेंगे।

श्री गुल मोहम्मद : जैसा कि पहले किया गया था क्या वैसा ही होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामनाराण जी।

श्री रामनारायण चौधरी : पिछले सैशन में कांग्रेस दल के माननीय नेता ने इतनी उग्रता धारण की कि लीडर आफ दी हाउस, पार्लियामेण्ट्री अफेयर्स मिनिस्टर बैठे हुए थे, यह कहा गया था कि आगे बजट सत्र चलेगा तो एडजस्टमेण्ट किया जाएगा। यदि याद हो तो, मान्यवर, जो मिनिस्टर आफ पार्लियमेन्ट्री अफेयर्स थे, उन्होंने यह घोषणा की थी कि एक दिन हम इस पर विचार करना चाहते हैं।

(व्यवधान)

(श्री रामनारायण चौधरी)
आज हमारी डिमाण्ड........

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामनारायण जी, आप यह कह चुके हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : इस तरीके से बजट की मांगें हम अप करना चाहती है, सरकार। ये भागना चाहते हैं। हम इसका विरोधी करते हैं।

श्री मथुरादास मायुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं, और हमारे विरोधी पक्ष के सदस्य हैं, हम इस सदन के अन्दर बैठते हैं। उद्योग मन्त्री जी अपनी डिमाण्ड पास कराना चाहते हैं। हो सकता है, पास हो जायें। आज के दिन टाइम की बन्दिश लगायें, उद्योग की मांग पास करायें हमें ऐसी स्थिति में औद्योगिक नीति की सूचना देनी चाहिए। उद्योग डिपार्टमेण्ट के द्वारा आर. आई. एम. डी. सी. की रिपोर्ट 1977–78 सदन की मेज पर प्रस्तुत नहीं की गई है। हम क्या बहस करेंगे? नीति तो सभी अच्छी होती है। स्माल स्केल इण्डस्ट्री कार्पोरेशन की रिपोर्ट कहां है? अभी इण्डस्ट्री डिपार्टमेण्ट का बजट है। आपने जो किया है, उसका रिजल्ट कहां है? यह हम देखते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, हम आपकी बात मान सकते हैं। आप तो कहेंगे, हम तैयार हैं। पालिसी के लिये मुख्य मंत्री जी कहें फिर भी हमारे पास आये नहीं तो फिर बताइये, हम क्या करें?

(व्यवधान)

यह आसन से फैसला हो। एक दिन पूरा हम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इसके लिये रखते हैं। वह दो तारीख को खतम करना चाहते हैं। आप भले ही पूरा महीना चलायें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : डेढ़ सौ हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने कार्य सूची पेश की। जो डेट फिक्स की थी। यह बिल्कुल निराधार बात है। पूरा समय माननीय सदस्यों को मिलना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से एक दिन निश्चित करायेंगे, यह आश्वासन मैं देता हूं। एक दिन उद्योग विभाग की चर्चा के लिये निश्चित कर लें।

(व्यवधान)

कृपया आज के लिए व्यवस्था करने दीजिए। मैं चाहूंगा कि पहले मांग प्रस्तुत करें। आज यह विशेष परिस्थितियों में व्यवस्था करनी पड़ रही है प्राइवेट मैम्बर्स डे के कारण।

(व्यवधान)

माननीय सदस्या, कृपया विराजें।

श्री वृद्धि चन्द जैन : इसमें नहीं लिखा हुआ है।

(व्यावधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मै एक और बात कहना चाहती थी

श्री उपाध्यक्ष : इसलिए मैं चाहूंगा कि जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग

(श्री उपाध्यक्ष)

रखी जाय, चाहे कल रख ली जाय या कभी भी और एक दिन उद्योग विभाग की चर्चा के लिए निश्चित कर दिया जाय।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : उद्योग नीति के लिए.......

श्री उपाध्यक्ष : हां उद्योग नीति के लिए। आज उद्योग मंत्रीजी द्वारा मांग प्रस्तुत की जायेगी और पारित की जायेगी ताकि माननीय सदस्यों को प्राइवेट मैम्बर्स बिल पर चर्चा करने का अवसर मिले और सदन की कार्यवाही आगे बढ़े।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 42–उद्योग की प्रस्तुति

श्री सूर्य नारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 42–उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 8,44,00,000 रु० तक की राशि प्रदान की जाय ?

(व्यवधान)

श्री गुलमोहम्मद : बजट की और भी भी मांगें हैं। उनको भी पारित करवा लें तो अच्छा होगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री गिरधारी लाल भार्गव।

श्री मूलचन्द डागा : There should be no discussion.

(व्यवधान)

नहीं, आगे डिस्कशन नहीं होगा।

श्री रघुनन्दन व्यास : डिस्कशन हो तो सभी पर हो वरना मांग पारित कर दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिये, माननीय सदस्य अगर यह चाहते हैं कि प्रस्तुत मांगों पर चर्चा नहीं हो तो मुझे एतराज नहीं है।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : मेरे को कोई एतराज नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय कोई वक्तव्य देना चाहें तो –

श्री मूलचन्द डागा : नहीं, कोई वक्तव्य नहीं होगा।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : मुझे तो एतराज नहीं है। मैं तो तैयार हूं।

मांग संख्या 42 का पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 42–उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 8,44,00,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग पारित की गई।

अशासकीय विधायी कार्य

अशासकीय विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान विधान सभा

(अधिकारियों एवं सदस्यों के परिलाभ तथा पेन्शन (संशोधन) विधेयक, 1979

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान अनुपयुक्त व्यक्ति बन्ध्यकरण विधेयक, 1978 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री ईश्वरचन्द्र : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले मेरा नाम है

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जो लिस्ट ऑफ बिजनेस मेरे सामने हैं उसमें श्री मूलचन्द डागा का का नाम पहले है

(व्यवधान)

श्री ईश्वरचन्द्र : विधेयकों में नाम पहला मेरा है।

श्री रघुनन्दन व्यास : ईश्वरचन्द्रजी को पुकारो साहब पहले।

श्री परसराम मदेरणा : पहले नाम होने के नाते क्यों? जब एक का नाम पहले पुकारा गया है तो·······

(व्यवधान)

इनका भी इन्ट्रोड्यूस हो जाय -

श्री बजरंगलाल शर्मा : जब कार्य सूची में पहले नम्बर पर है -

श्री मूलचन्द डागा : आप दस नम्बर पर हैं, आप बैठ जावें।

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : उपाध्यक्ष महोदय, ये डागा जी बीच में नाम घुसेड़ लेते हैं, यह कोई अच्छी बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : विधायी कार्यमाननीय श्री ईश्वरचन्द्र।

श्री मूलचन्द डागा : मेरा पाइन्ट ऑफ आर्डर है। मैंने जो यह विधेयक पेश कर रहे हैं इस बिल को पढ़ा, इसके रीजन्स, स्टेटमेन्ट ऑफ आब्जेक्ट्स को देखा। आप भी गौर फर्मायें, मैं आपके सामने

श्री ईश्वरचन्द्र : आप किसके लिए बोल रहे हैं? मेरे बिल के लिए ?

श्री मूलचन्द डागा : जी हाँ।

श्री ईश्वरचन्द्र : अभी तो इसके इण्ट्रोड्यूस ही नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष : अगर कोई माननीय सदस्य चाहे तो पाइन्ट ऑफ आर्डर पर बोल सकते हैं?

श्री मूलचन्द डागा : अच्छी बात है-इसमें लिखा है- "........it does not seem reasonable to grant pension to the members of the legislative assembly."

मैंने कहा, यह कहीं बिल में नहीं है लेजिस्लेटिव असेम्बली के मैम्बर को कोई

(श्री मूलचन्द डागा)

पेन्शन नहीं देता। लेजिस्लेटिव असेम्बली के मैम्बर्स नहीं रहते हैं तब–आप स्टेटमेन्ट ऑफ आब्जेक्ट्स पर गौर फर्माइये, मैंने उनको पढ़ा तो यह मालूम हुआ, यह आप क्या लिख रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा जी, आप आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स पढ़ चुके हैं। आपको कोई आपत्ति हो तो ठीक है, लेकिन ये उनके अपने विचार हो सकते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : यह प्रावीजन है कि जब कभी स्टेटमेन्ट दें तो वह कैसा हो। काल और शकधर की किताब में से मैं पेश कर रहा हूं–

"The statement is explanatory of the contents and objects of the Bill and helps in understanding the necessity and scope of the Bill."

यह साहब बिल पढ़ा तो मालूम हुआ कि यह बिल क्या है ? इसमें लिखा है–

"Looking to the appalling poverty and the fact that 56 of our people are living below poverty line. it does not seem reasonable to grant pension to the members of the Legislative Assembly.

तो मैं अभी इस सम्बन्ध में फैक्ट पेश करूंगा। मैंने प्रिएम्बल पढ़ा, उसमें भी नहीं मालूम हुआ कि आप क्या चाहते हैं। प्रिएम्बल में लिखा कि–

" to amend the Act to provide for the emoluments and pension to be paid to the officers and members of the Legislative Assembly of the State of Rajasthan."

एक्ट के अन्दर साफ नहीं है, स्टेटमेन्ट्स आफ आब्जक्ट्स में नहीं है, प्रिएम्बल में नहीं। मुझे मालूम नहीं कि जनता पार्टी की पालिसी में क्या है ?

श्री ईश्वरचन्द्र : जिन प्रोवीजन्स को आप बतला रहे हैं उसके हैडिंग्स आप देख लीजिये, आप सुन लीजिये। राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों एवं सदस्यों के परिलाभ तथा पेन्शन) (संशोधन) विधेयक, 1979........

श्री मूलचन्द डागा : वह तो अलग है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं एक बात पूछना चाहूंगा, इण्ट्रोडक्शन स्टेज पर आप किस नियम के तहत आपत्ति उठा सकते हैं.......

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय डागा जी पहले भी बिल लाये तब इनको इण्ट्रोड्यूस भी नहीं करने दिया। पहले 21 साल से परम्परा थी, बिल लाते थे तो इण्ट्रोड्यूस करने दिया जाता था और आप कहते हो कि आपत्ति भी नहीं उठा सकते। ये तो खुद भुक्त भोगी हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मैं रूल 64 के आधार पर आब्जेक्शन कर रहा हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : दलबदल का बिल भी इन्होंने पास नहीं होने दिया।

श्री मूलचन्द डागा : रूल 64 यह कहता है कि यह लिखा होना चाहिए प्रिएम्बल, स्टेटमेन्ट ग्राफ ग्राब्जेक्ट्स में। अगर ये दोनों चीजें साफ नहीं हो तो यह बिल कैसा ?

श्री ईश्वर चन्द्र : माननीय सदस्य, जब मैं पेश करने के लिए अनुमति का प्रस्ताव कर लूं तब आप आपत्ति कर सकते हैं।

श्री मूलचंद डागा: परमिशन ले ली न आपने ?

श्री ईश्वरचंद्र : मैंने अभी तक पढ़ा ही नहीं। मैं राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों एवं सदस्यों के परिलाभ तथा पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1979 को पुरः-स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री मूलचंद डागा: अब मेरी आपत्ति है। मैं अपनी आपत्ति नियम 64 के तहत करते हुए निवेदन करता हूं कि इस बिल से कोई बात मालूम नहीं होती कि वे क्या चाहते हैं ? न मुझे स्टेटमेंट ग्राफ ग्राब्जेक्ट्स व रीजन्स से न प्रीएम्बल से मालूम हुआ। कहीं भी सदस्यों को पेंशन देने का प्रावधान नहीं है और प्रीएम्बल में लिख दिया मैंम्बर्स। यह लिखते कि जो सदस्य नहीं रहे हैं। पहले का जो प्रोवीजन है उसमें है जो सदस्य नहीं रहते हैं, जो विधान सभा या संसद के सदस्य नहीं रहते हैं तो उनको 250) रु. मिलते हैं। इन्होंने प्रेस कर दिया एक सेन्टेंस पर। जनता पार्टी ने अभी निर्णय नही लिया है, जनता पार्टी की नीति नहीं, अपनी तरफ से रख रहे हैं, यह घटकवाद है इनके अन्दर।

श्री ईश्वरचंद्र; आप वकालपत कर रहे हो कि गैर सरकारी काम को प्राथमिकता दी जाए। इसलिए आप कांग्रेस पार्टी और जनता पार्टी की बात मत करो। आप एकेडेमिक डिस्कशन करें तो मैं तैयार हूं लेकिन जो आपका ओरिजिनल एक्ट है उसके प्रिएम्बल में साफ है:

"An Act to provide for the emoluments and pension to be paid to the officers and members of the Legislative Assembly of the State of Rajasthan."

उसी आधार पर मैंने आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स बनाए हैं। इसलिये आपका कथन कि मैम्बर्स आफ असेम्बली कवर नहीं होते, यह जायज नहीं है। It is objection for the sake of objection. उपाध्यक्ष महोदय, आप इसे ओवर रूल करें।

श्री मूलचंद डागा: इस बिल का पर्पज यही था कि पेन्शन सदस्य कब उठा सकता है ? इसके अंदर पर्पज यह है कि:

"Looking to the appalling poverty and the fact that 56% of our people are living below poverty line, it does not seem reasonable to grant pension to the members of the Legislative Assembly."

मैं कहता हूं मैम्बर्स आफ असेम्बली को कोई पेंशन नहीं मिलती।

श्री परसराम मदेरणा: नियम 64 में सदन काम्पीटेंट है क्योंकि पहले ही अधिनियम बना हुआ है। आपने कहा है कि 56 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा की सीमा के नीचे है। सप्तम वित्त आयोग कह रहा है कि राजस्थान में 43 प्रतिशत लोग हैं गरीबी

(श्री परसराम मदेरणा)

की रेखा के अन्दर राजस्थान 12 वे नम्बर पर है। 11 राज्य और नीचे हैं। तो आपकी बात को सरकार की बात को और मुख्य मन्त्री के कथन को सप्तम वित्त आयोग नहीं मान रहा है जिसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे उसने डांडेकर की इकानामिक सर्वे को सही माना है। आप जो आंकड़े ला रहे हैं वे गलत हैं। तो 56 प्रतिशत वाली बात हवा में उड़ गई। हिन्दुस्तान का कोई अर्थशास्त्री नहीं मान रहा है। इसका परिणाम यह हुआ है कि आपने पिछले 20 महीनों में राजस्थान की जनता को भुलावे में रखा और....

श्री ईश्वरचंद्र: मैं मान रहा हूं कि 56 प्रतिशत....

श्री परसराम मदेरणा: कांग्रेस पर आरोपों की बौछार करते रहे हैं कि आपको हमने इतना भूखा नंगा राजस्थान दिया है। यह बात इतनी विस्फोटक है कि शायद मैं समझता हूं, गोएबेल की तमाम टेक्टिक्स को मात कर गई है। इसलिये इसको 43 प्रतिशत कर दिया जाए।

श्री ईश्वरचंद्र: इन्ट्रोड्यूस तो होने दीजिए।

श्री मथुरादास माथुर: आपके बिल से यह समझ में आता है जैसा कि डागाजी ने एतराज उठाया है कि राजस्थान विधान सभा के जो 200 सदस्य हैं उनको कोई पेंशन मिलती है तो बंद की जाए। हम को तो नहीं मिलती है।

श्री अयूब खां : पेन्शन केवल रिटायर्ड लोगों को मिलती है जो सदन के सदस्य नहीं हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मिल सकती है। अगर कोई पुराना सदस्य रह चुका हो और प्रावधान ऐसा हो तो मिल सकती है। सरकार किसी कर्मचारी को रीएम्पलाय करती है तो उसको तनख्वाह व पेन्शन दोनों मिलती हैं। अपन को पेन्शन मिल सकती है अगर पहले सदस्य रहे हों, वह प्रावधान नहीं है। आपके स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स व रीजन्स में है कि असेम्बली के मैम्बर्स को पेन्शन नहीं मिलनी चाहिए। इससे हम सहमत हैं। अभी क्यों परेशान होते हो ?

श्री ईश्वरचंद्र: जो मेरे बिल का उद्देश्य है, जिन कारणों से बिल पेश किया है, वह सारा सदन जानता है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : इसमें नहीं लिखा हुआ है।

श्री ईश्वर चन्द्र : लेकिन मेरा उद्देश्य साफ है, बार बार मैंने आपके सामने पढ़ा है सैक्शन 4 ए, 4 बी, उसका उद्देश्य यह है कि मैम्बर्स आफ असेम्बली जो पेंशन के लिए एन्टाइटल्ड हैं, यह जरूरी नहीं है कि आज भी सदस्य हों। मैम्बर आफ असेम्बली होना जरूरी है पेंशन मिलने के लिए। पेंशन वही लेगा जो मेम्बर आफ असेम्बली रहा हो। पूरा स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स को देखने की कृपा करें और अनुमति प्रदान करें। डागा साहब ने जो आपत्ति की है वह तर्कसंगत नहीं है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : भावनाओं से कोई काम नहीं चलता। यह जो आब्जेक्ट लिखा हुआ है उससे पर्पज सर्व होगा। आब्जेक्ट जो लिखे हुए हैं उनमें मैम्बर आफ दी

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

लेजिस्लेटिव असेम्बली लिखा हुआ है उनको पेंशन नहीं मिलती है।

श्री मूलचन्द डागा : आप हाई कोर्ट के बड़े वकील हैं। वकालत मत करना।

श्री मदन सिंह दांता : लॉ को जानने वालों ने कहा है कि हर एक्शन का रीएक्शन होता है। तो इनके एक्शन का रीएक्शन हम पर हो रहा है।

श्री बजरंग लाल शर्मा : चूंकि यह पेंशन का मामला है, कोई भी सरकारी अधिकारी रिटायर होता है उसके बाद उसको पेंशन मिलती है। कोई मिलिट्री का सैनिक है, पेंशन उसे तब मिलती है जब उस हैसियत में नहीं रहता है। इसलिए जो पेंशन शब्द लिखा है ठीक तरीके से लिखा है। मैम्बर इन्चार्ज ने जो कहा है।

"........it does not seem reasonable to grant pension to the members of the Legislative Assembly."

तो निश्चित रूप से पेंशन उस समय पे की जाती है जब एक्चुअल असाइनमेंट समाप्त हो जाता है, तब पेंशन दी जाती है।

इसलिए आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में कोई गलती नहीं है, कोई भ्रम डालने वाली बात नहीं है। सैक्शन 4 A में साफ कहा गया है।

"........there shall be paid a pension of two hundred and fifty rupees per mensem to every person who has served as a Member of Rajasthan Legislative Assembly........"

तो निश्चित रूप से यह पेन्शन के नियम उस व्यक्ति से ताल्लुक रखते हैं जो कि सदस्य रहा है। मैम्बर की हैसियत से रहा है इस लिए उसको पेन्शन दी जाती है। There is nothing wrong if the objects and reasons provide for a pension to the members when they cease to be members of the House.

श्री मदनसिंह दांता : आन ए पाइन्ट आफ क्लैरिफिकेशन, सर। यह पेन्शन शब्द निकला कब है। नौकरशाही के लिए निकला था, मैम्बर्स के लिए नहीं ?

श्री बजरंग लाल शर्मा : ओल्ड ऐज पेन्शन क्या नौकरशाही के आधार पर मिल रही है ?

श्री मदनसिंह दांता : आप भारत के कान्सटीट्यूशन को देख लीजिए। हम या कोई भी मन्त्री गवर्नमेंट सर्वेन्ट की कैटेगरी में नहीं आता। We are not pension holders.

श्री बजरंगलाल शर्मा : रिटायरमेंट के बाद पेन्शन मिलती हैं वह नौकरशाही में आ गए। नौकरशाही को ही पेन्शन लेने का हक है। इस संदर्भ में इसे समझा जाना चाहिए। पेन्शन निश्चित रूप से उस स्थिति को इंगित करती है जिसमें हमारा असाइनमेन्ट समाप्त हो जाता है और उसके पूरा करने के कारण से जो देय धनराशि होती है उसका नाम पेन्शन है। इसलिए माननीय सदस्य ने बिल के आब्जेक्ट में भाषा इस्तेमाल की है उस भाषा को भ्रामक कहा

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

जा सके या गलत भावना को अभिव्यक्ति देने वाली भाषा कही जा सके यह नहीं है

Pension is paid to a member who has completed his assignment as a member.

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष जी, बनीपार्क से आने वाले माननीय विधिवेत्ता ने पिड़ावा से आने वाले माननीय सदस्य की लचर दलील को समर्थन दिया और काफी इन्होंने उसमें आरगूमेन्ट्स भी दिये । पहले इनका आर्गूमेंट यह है कि इस प्रकार की पेन्शन गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स को मिलती है और गवर्नमेंन्ट सर्वेन्ट के पेन्शन के जो नियम बने हुए हैं 'गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स पेन्शन रूल्स' उसके अन्तर्गत मिलती है । पेन्शन गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट को नहीं मिलती है वह तो रिटायर्ड गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स को मिलती है । तो कोई भी राज्य का अधिकारी या कर्मचारी जब तक गवर्नमेन्ट सर्विस में है उसको पेन्शन कभी नहीं मिलती और न मिली होगी । हिन्दुस्तान में तो नहीं मिलती किसी दूसरे मुल्क में मिलती हो तो पता नहीं·······

श्री बजरंगलाल शर्मा : मैं थोड़ा पार्ट अंग्रेजी में बोल गया था । आपकी समझ में आ जाये इसलिए फिर दोहराता हूं । मैंने यह कहा, on completion of assignment····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बजरंगलाल जी, चाहे आपने अंग्रेजी में कहा हो या हिन्दी में कहा हो, वह समझ गये ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : समझ नहीं पाये इसीलिए दिक्कत हुई, माननीय उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री परसराम मदेरणा : ईदी अमीन के साम्राज्य में मिलती हो तो पता नहीं । यह भ्रामक नहीं है आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स । भ्रामक इसलिए नहीं है कि पेन्शन मैम्बर्स आफ लेजिस्लेटिव असेम्बली के लिए है । लेजिस्लेटिव असेम्बली के मैम्बर्स को पेन्शन नहीं मिलती, एक्स एम०एल०ए० को मिलती है । जो आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स हैं उसमें बहुत साफ है, उपाध्यक्ष महोदय

"Looking to the appalling poverty and the fact that 56% of our people........"

I would rather substitute this "56%" with the "43%" as has been conceded by the 7th Finance Comission,

"are living below poverty line, it does not seem reasonable to grant pension to the members of the Legislative Assembly."

But the members of the Legislative Assembly are not getting any pension. हमें कोई पेन्शन नहीं मिल रही है ।

श्री मदनसिंह दांता : Don't insult us.

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए मेरे श्रार्गूमेन्ट का दांता से श्राने वाले माननीय सदस्य ने समर्थन दिया है, उनका मुझे बहुत मोरल सपोर्ट मिला है। श्राप जो बिल इन्ट्रोड्यूज कर रहे हैं इसके रीजन्स एण्ड श्राब्जेक्ट्स के भ्रामक होने का प्रश्न नहीं है यह बेसलेस है। हम पेन्शन ले नहीं रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। माननीय सदस्य, श्रापने इस श्रमेन्डमेन्ट बिल में सैक्शन 4 (ए) को डिलीट करने की व्यवस्था की है श्रौर सैक्शन 4 (बी) में the expression "Not with standing any thing contained in section 4A, but" shall be omitted.

तो क्या श्राप यह नहीं समझते हैं कि फेमिली पेन्शन जारी रखने के लिए सहमत हैं ?

श्री ईश्वर चन्द्र : जी हां।

श्री उपाध्यक्ष : बिना किसी कन्सीडरेशन के फेमिली पेन्शन तो दें श्रौर एम०एल०ए० हैं उनको श्राप डिस्कन्टीन्यू करवा रहे हैं।

श्री मदनसिंह दांता : रेवेन्यू बोर्ड के वकील हैं इसलिए ज्यादा नहीं समझते।

श्री ईश्वरचन्द्र : वर्ड्स यही कहते हैं।

"(1) Not withstanding anything contained in section 4A, but subject to such rules as may be prescribed, where on or after the 22nd day of June, 1977, any Member of the Legislative Assembly dies before the expiry of the term of his office, his or her spouse shall be paid family pension of five hundred rupees per mensem for the unexpired portion of the term of office of such deceased member" :

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य 4 (बी) में भी कहीं कन्सीडरेशन के लिए नहीं रखा है।

श्री ईश्वरचन्द्र : पेन्शन का हक केवल उन माननीय सदस्यों के परिवार को दिया है जो कि चुनाव में जीत कर श्रा गए, यहां जोइन कर लिया श्रौर उसके बाद उनकी मृत्यु हो गयी। फेमिली को श्रनन्त काल तक पेन्शन नहीं मिलेगी, केवल 5 वर्ष के लिए मिलेगी।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसे ही वह एक्स हो जायेगा उसके स्पाउज को कैसे दे देंगे ? जब पेन्शन ही बन्द कर रहे हैं तो उसको कैसे दे देंगे ? किस प्रावीजन से दे देंगे ? फेमिली को कैसे दे देंगे ? एक्स तो हो गया as soon as he or she dies, he or she becomes "ex". जब एक्स हो गया तो पेन्शन कैसे दे देंगे ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : मेरी बात सुनने के बाद सुमित्रा जी को सन्तोष होगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पहले मेरी बात सुन लीजिए। जैसे ही मर जायेगा कोई भी वैसे ही वह एक्स हो जायेगा और जब एक्स हो जायेगा तो फेमिली को कैसे दे देंगे ? जब आप उसको ही नहीं देना चाहते हैं तो फेमिली को कैसे देंगे ?

श्री मदनसिंह दांता : कोई भी गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट रिटायर होने के बाद क्या अपनी जाब पर जा सकता है ? फिर यह तो पेन्शन पाने वाले जा सकते हैं । The I. G. P. cannot become I.G.P. again after his retirement, whereas a M.L.A. can become a M.L.A. again.

श्री बजरंगलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मान लीजिए कि एक आदमी 25 साल की उम्र में एम०एल०ए० होकर आता है और 30 साल की उम्र में उसके 5 साल पूरे हो जाते हैं और फिर 70 साल की आयु तक जिन्दा रहता है तो 40 साल तक बैठे बैठे 250 रुपये प्रति माह के हिसाब से 3000 रुपये साल के होते हैं और 40 साल तक 1 लाख 20 हजार रुपये पेन्शन सिर्फ एम०एल०ए० होने के नाते लेगा।

श्री गुल मोहम्मद : इस बात की क्या गारंटी है, इससे पहले खतम नहीं होगा....

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : 70 साल, 60 साल, 55 साल कुछ भी हो, आप रुपया देते चले जायेंगे।

दूसरा, यदि कोई सदस्य मर जाय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको ध्यान होगा जब उमरावसिंह जी की मृत्यु हुई तब यह बात आई थी उनके परिवार के लिये कुछ न कुछ रिलीफ देना चाहिये। प्रेक्टिकली इस आधार पर बहुत जरूरी है। जो कुछ हटाना चाहते हैं वह ऐसा भार है जो गरीब प्रदेश के ऊपर डाल रहे हैं। 50 साल तक पेन्शन देते रहेंगे।

श्री मदनसिंह दांता : आप हमारे पर रोक लगा रहे हैं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : आपने पांच साल काम किया। आगे जनता ने पसंद नहीं किया, चुन कर नहीं भेजा तो आप 250 रुपया पेन्शन पाते रहेंगे।

श्री मदनसिंह दांता : नहीं नहीं, मैं इसके फेवर में नहीं हूं।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : जीतने वाले को 600 रुपया, और हारने वाले को 500 रुपया मिल रहा है।

श्री मदनसिंह दांता : मैं यही कह रहा हूं, आप स्टेटमेंट रांग दे रहे हैं। मैंने यह कभी नहीं कहा, मैंने कहा लॉ ठीक बनाइये........

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष जी,........

श्री बत्तीलाल मीणा (टोडाभीम) : जैसा बनीपार्क से आने वाले माननीय विधायका ने

(श्री बत्तीलाल मीणा)

कहा, मैं उन माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि किसी मूर्ति का पुजारी मर जाता है तो क्या उस मूर्ति को दीवार में चुनवा लेना पसंद करेंगे ? जिसको जनता सम्मान देती है, वह सदस्य है ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय श्री ईश्वरचन्द्र जी का हार्दिक अभिनन्दन करना चाहूंगा और बधाई देना चाहूंगा। आज डा० राम मनोहर लोहिया के जन्म दिवस पर........

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : यह × × × नहीं चलेगी ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मुख्य मंत्री के × × × और मेरे लिये × × × कहते हो।

श्री गुलमोहम्मद : आन ए पाइट आफ आर्डर........

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : Shut up.

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आपस में बात न करें ।

श्री गुल मोहम्मद : आन ए पाइंट आफ आर्डर ।

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : जब दो राजनीतिज्ञ एक मत नहीं हो सकते तो मान लो, वे समाजवादी हैं ।

श्री गुल मोहम्मद : उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पाइट आफ आर्डर । माननीय सदस्य ने अभी सदन के सामने कहा है यह सी. एम. के × × × वाले सदस्य हैं । यह चीफ मिनिस्टर के × × × हैं, इस तरह की भाषा अशोभनीय है ....

(व्यवधान)

इसको कार्यवाही से निकाला जाये । आपसे इस बात की व्यवस्था चाहता हूं । माननीय सदस्यों के लिये ऐसी भाषा यह प्रयोग कर सकते हैं ? इतना नीचे गिर सकते हैं मुझे अफसोस है इनकी बात के ऊपर । इन शब्दों का आज की कार्यवाही से निकाला जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजिये । सदन में चर्चा की जा सकती है लेकिन शिष्ट शब्दों के साथ चर्चा की जाये । कोई गरिमा भी होती है । बड़ी शिष्ट भाषा में चर्चा करें ।

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : जो शब्द माननीय सदस्य ने कहे हैं उनको आज की कार्यवाही से निकाला जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं प्रोसीडिंग्स देख लूंगा ।

× × × शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुशार अपलोपित किये गये ।

व्यवस्था का प्रश्न

22 मार्च, 1979 की कार्यवाही के श्रद्धांजली अंश का अपलोपन

श्री बजरंगलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ आर्डर । मैं एक प्रश्न पूछने की इजाजत चाहता हूं । कल का प्रश्न है । हमें ऐसी भाषा, जो इस सदन के सदस्यों की गरिमा के अनुकूल न हो, का उपयोग नहीं करना चाहिये, यह बात करते हैं । कल जो कुछ हुआ, इस सदन में हमने जीवित लोकनायक को श्रद्धांजली दी अगर ऐसी चीज रिकार्ड में है तो इस सदी का सबसे बड़ा मजाक होगा, हाक्स होगा । रिकार्ड में ऐसी चीजें महत्वपूर्ण अंग बन कर रह सकती हैं तो इन छोटी मोटी बातों के लिये सदन का समय क्यों नष्ट किया जाये ? यदि एक्सपंज करना है तो कल जो श्रद्धांजली जीवित लोकनायक को दी है उसको इस रिकार्ड से एक्सपंज करने का कोई प्रयत्न करें । इससे बड़ा मजाक कोई नहीं हो सकता । आने वाली पीढ़ी इस रिकार्ड को पढ़ेगी कि 22 मार्च, 1979 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि दी गई । इसको एक्सपंज कीजिये........

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री बजरंग लाल जी

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य जो श्रद्धांजली को हॉक्स कह रहे हैं, हॉक्स है कि नहीं, इस सदी की सबसे बड़ी जोक जरूर है ।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : जो भारत सरकार का दीवालियापन है........

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामनारायण जी, बिराजिये ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : कल की बात रिकार्ड में है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिये ।

माननीय बजरंगलाल जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, मैं कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय के सम्मुख यह प्रश्न उठा था, शायद उनके विचाराधीन हो सकता है । मैं अपनी ओर से व्यवस्था नहीं देना चाहूंगा । चूंकि अध्यक्ष महोदय के सम्मुख प्रश्न उठाया गया था वे स्वयं इस पर विचार करेंगे, स्वयं व्यवस्था देंगे ।

(व्यवधान)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

सदन का समय बढ़ाने के लिये मुख्य सचेतक महोदय कुछ कहना चाहते हैं ।

श्री नवनीत पालीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, सदन की कार्यवाही का समय 6–00 बजे तक के लिये बढ़ा दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि सदन की कार्यवाही का समय 6–00 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाय ।

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

सदन की कार्यवाही का समय 6–00 बजे तक के लिये बढ़ाया गया।

(व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न
22 मार्च, 1979 की
कार्यवाही के श्रद्धांजली
अंश का अपलोपन

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन आवर से पूर्व चर्चा उठी श्रद्धांजली के प्रश्न को लेकर और यह मांग हुई कि उस सब को एक्सपंज किया जाय किन्तु उसके ऊपर व्यवस्था नहीं दी और एक्सपंज करने की रूलिंग को भी रिजर्व रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा होक्स तो यह है कि यहां पर जो श्रद्धांजली का प्रस्ताव रखा था वह तो अखबारों में आ गया है, हमने जो कुछ कहा है वह नहीं आया है। तो अखबारों में भी पहले जो कहा है, उसका कान्ट्रेडिक्शन करें या एक्सपंज करें।

श्री उपाध्यक्ष : सदन में कोई कार्यवाही हुई है वह एज ए फैक्ट कार्यवाही हुई है। एक्सपंज करने के नियम हैं कि किन किन सरकमस्टान्सेज में एक्सपंज किया जा सकता है। जब कि एज ए फैक्ट वह इस सदन में हैपिन हुई है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, मैंने अपने विचार सदन के सामने रख दिये हैं।

श्री किशन सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन ने जो कल गलती की है वह एक्सपंज नहीं होनी चाहिये। वह तो गलती का एक रिकार्ड है जिससे भावी पीढ़ी नसीहत लेगी।

राजस्थान विधान सभा
(अधिकारियों एवं सदस्यों
के परिलाभ तथा पेंशन)
(संशोधन) विधेयक, 1979.

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे अपने विचार रखने की अनुमति दे दी है और अनुमति के आधार पर मैं अपने विचार सदन के सामने रखना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में कह दें और शान्ति से कहें, आवाज के वाल्यूम को भी कम कर दें।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : सर्व प्रथम तो, उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे किसी कथन ने माननीय सदस्य को हर्ट किया हो तो मैं उस सारे कथन को वापस लेने को तैयार हूं।

श्री किशन सिंह भाटी : ये आज पहली बार कह रहे हैं।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : उपाध्यक्ष जी, मैं कह रहा था आज डाक्टर राम मनोहर लोहिया को जन्म दिवस पर यह संयोग है, एक ऐसा बिल माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है। मैं इस अच्छे कदम के लिये उनकी सराहना तो करना चाहूंगा....

(व्यवधान)

श्री सूरज पाल सिंह : आज के ही दिन भगत सिंह को फांसी लगी थी।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : फांसी लगी थी, वह अशुभ दिन नहीं होता है। देश के लिये फांसी लगती है तो वह बड़ी शुभ होती है, क्योंकि लाखों लोग उससे प्रेरणा ले रहे हैं।

जहां तक उपाध्यक्ष महोदय पाइन्ट आफ आर्डर का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने इस बिल के प्रिएम्बल में लिखा है....

श्री गुल मोहम्मद : इनके लिये माइक दूसरा लगा दिया जाय नहीं तो हमारे कान खराब हो जायेंगे। या इनका वाल्यूम कम कर दिया जाय।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : उपाध्यक्ष जी, इनके कान में अंगुली नहीं है, अपने दिमाग के पर्दे पर अंगुली लगाई है। यह इनकी गलती नहीं है।

उपाध्यक्ष जी, जहां तक पाइन्ट आफ आर्डर का प्रश्न है, उसके प्रिएम्बिल में लिखा हुआ है मैम्बर्स को जो पेन्शन दी जा रही है। जहां तक अभिव्यक्ति 'मैम्बर' का प्रश्न है यह तो जनरल क्लाजेज एक्ट में दिया होता है। इसका जो इन्टरप्रिटेशन है और जो आज तक होता आया है उनमें यह मान्यता रही है और उसी स्प्रिट से हमें उसका प्रयोग करना चाहिये। जहां तक शब्द 'मैम्बर' है पेन्शन उन लोगों को मिलती है जो मैम्बर रहे हों। जिस कान्टेक्स्ट में इस भाषा का प्रयोग किया गया है उसका तात्पर्य यह है कि जो मैम्बर रह चुका है और एज ए मैम्बर पेन्शन मिलने का अधिकारी है, मैं समझता हूं प्रिएम्बल में ऐसी कोई भी भूल नहीं है जिससे इस बिल को रोका जा सके। मैं अपने विचार अपने कुछ साथियों को दो शब्द के रूप में कहना चाहूंगा कि इस विधान सभा ने पार्लियामेंट के कान्स्टीट्यूशनल अमेन्डमेंट के एक्ट को रेटिफाई किया है और राजाओं को प्रिविपर्स स्टेट्स और सैन्ट्रल गवर्नमेंट के बीच समझौता होकर दिये जा रहे थे, उनको विथड्रा किया। एक तरफ हमने आपकी समाजवादी व्यवस्था में जो कि गरीबों की भलाई के लिये अपनी नीति बनाई उससे राजाओं को दिये हुये वचन को खतम करके प्रिविपर्स को समाप्त किया। इस सदन ने राजनैतिक व्यवस्था के लिये अपने वचन से पीछे हटकर कान्स्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन के द्वारा रिवाइज करके राजाओं की पेंशन बन्द की तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम अपनी पेंशन के बिल कोई कानून पास करें, क्योंकि एक विधान सभा का सदस्य राजनैतिक कार्यकर्त्ता होने के कारण से राजनैतिक सत्ता में भागीदार हो सकता है। किसी धन्धे की इन्टेन्शन से या आर्थिक इन्टेन्शन से एम०एल०ए०, एम०पी० बने और यह सोचे कि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, सुख सुविधा मिलेगी तो यह एक कोई प्रोफेशन नहीं है। सदन का मैम्बर रहते हुए हर मैम्बर अपनी जीविका के लिये दूसरे प्रोफेशन को कर सकता है।

एक सरकारी कर्मचारी को इसलिये पेंशन दी जाती है कि वह अपने सेवा काल में कोई भी प्राइवेट काम नहीं करेगा। उस

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

पर बन्धन है, राज्य कर्मचारी कोई भी पार्ट टाइम व्यक्तिगत आर्थिक उपलब्धि के लिये कार्य नहीं करेगा। तो यह उस पर कानूनी पाबन्दी लगाई है। उसको मीट करने के लिये राज्य सरकार के कर्मचारी को पेंशन दी जाती है जब कि विधायक को कोई दूसरा काम करने के लिये बन्धन नहीं है। कोई विधायक अपना धन्धा, अपना कामकाज कर सकता है तो विधायकों को राज्य के कर्मचारियों के समकक्ष लेना अनुचित है। राजनैतिक दृष्टि से हमारा जो थिंकिग होना चाहिये वह नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया चर्चा समाप्त करें।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : आपके माध्यम से मैं यह चाहूंगा इस पाइन्ट आफ आर्डर को रद्द करके माननीय भटनागर साहब जो बिल इन्ट्रोड्यूस करने के लिये....

(व्यवधान)

श्री मदन सिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने मुझ से कहा है कि तुम तो फकीरी में ही गुजर कर लोगे लेकिन हमें तो पेंशन लेने दो।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : ये झूठ बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

झूठ बोल रहे हैं और बिल्कुल असत्य है......

(व्यवधान)

श्री किशन सिंह भाटी : वह तो सदन के बाहर कहा है। सदन के अन्दर और तरह का आचरण है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया माननीय सदस्य विराजें।

श्री मदन सिंह दांता : मुझे ऐसी आशा नहीं थी कि आप इन्कार करोगे।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : यह असत्य है।

(व्यवधान)

श्री बंसी लाल सारस्वत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने और विरोधी पक्ष के नेता महोदय ने जो तथ्य रखे हैं और यह कहा है कि जो बिल पेश किया जा रहा है, इसके टाइटल में डिफेक्ट है इसलिये सामान्यतः इसका पुरः स्थापन अलाउ नहीं किया जा सकता। मेरा अनुभव है बिल के आब्जेक्ट का जो प्रश्न है और रीजन्स का सवाल है इसके आधार पर बिल की क्या इन्टेन्शन है। जनरल एक्ट के जो प्रोविजन्स हैं उनमें केवल आब्जेक्ट जो हैं वह स्पेसिफिक हैं और उनमें कोई विरोधाभास नहीं हो तब तक सामान्यतः मान लिया जाना चाहिये इस पर वाद विवाद भी होगा। यह जो स्टेज है वह तो प्रारंभिक है। साथ में यह बताया गया है कि केवल अपवाद मात्र है, यहां पर सदस्य बैठता है और वह रिटायर हो जाता है बाद में मौजूद रहता है तो उसको पेन्शन मिलती है। गवर्नमेन्ट सर्वेंट एक

(श्री वंसीलाल सारस्वत)

बार रिटायर हो जाता है और बाद में गवर्नमेन्ट सर्विस में आता है तो उसमें इस तरह का अपवाद नहीं है। यहां पर जो मौजूदा प्रश्न है, यहां पर तो खुद ही परोसने वाले हैं और खुद ही जीमने वाले हैं। इसलिए हमारा बड़ा उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है। यह जो विरोधाभासी कानून पेश किया गया इसमें से यह एक था। इसलिए इस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह मेहता।

श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल माननीय भटनागर साहब ने रखा है, उसकी गम्भीरता को देखते हुए हमें इस बिल को यहां पर इन्ट्रोड्यूज करने देना चाहिए। अगर हम इसमें पहल करेंगे तो राजस्थान विधान सभा पहली विधान सभा होगी जिसने यह शानदार काम किया होगा। आप महरबानी करके इस पर विचार होने दीजिए। अगर कानूनी रूप से इसमें कोई गलती रह गई है तो भावना की दृष्टि से विचार करिये। इस भावना को समझ कर इसको प्रस्तुत होने दीजिए और इसको सर्वसम्मति से पास करिये।

श्री राम नारायण चौधरी : कोई भाषण की जरूरत नहीं है। आप तो इसको पास कराइये। कोई विरोध नहीं कर रहा है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आप भटनागर साहब को पेश करने दीजिए।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : माननीय सदस्य भटनागर साहब, आप यह नहीं समझें कि हम आपका कोई विरोध कर रहे हैं। नियमों में विरोध करना और बात है। हम तो आपके प्रस्ताव से सहमत हैं। आप तो इस पर वोट करा लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। माननीय ईश्वर चन्द्र जी को भी भी कुछ कहने का मौका मिलना चाहिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप अनुमति दीजिए और साथ ही साथ पास भी करा दीजिए।

श्री श्रवण लाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय भटनागर जी ने जो बिल पेश किया है, उसमें उनको एक गलतफहमी है। गलतफहमी इस तरह से है कि माननीय सदस्यों को पेन्शन मिल रही है। उपाध्यक्ष महोदय जो हाउस के अन्दर सदस्य हैं उनको कोई पेंशन नहीं मिलती है और जिनको पेन्शन मिलती है, वे हाउस के अन्दर नहीं हैं, जो डिफिटेड हैं। माननीय सदस्य को यह डाउट है कि जो सदस्य इस सदन के सदस्य हैं उनको तनख्वाह और पेन्शन दोनों साथ साथ मिल रही हैं, परन्तु ऐसा नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इनको यह कहना चाहता हूं कि मैं जब बीच में सदस्य नहीं था तो मुझे पेन्शन मिली है और जिस दिन मैं विधान सभा के लिए निर्वाचित हो गया तो जो पेन्शन मिल रही थी वह बंद हो गई और तनख्वाह मिलनी शुरू हो गई। तो इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय मैं यह कहना चाहता हूं कि वह जो विधेयक ला रहे हैं इसमें स्पष्ट नहीं है......

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, मुझे तो हैरानी है इस बात की।

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

माननीय भटनागर साहब ने इस पेन्शन को बंद करने का बिल रखा है, यह बहुत अच्छी बात है मगर, भटनागर साहब, आपकी सरकार और आपके मुख्य मंत्री महोदय लोगों को और करप्ट कर रहे हैं। जो लोग मीसा में बन्द किए गए थे, उनको 500–500 रुपये महीना भत्ता दे रहे हैं। उनको कारखाने लगाने के लिए सुविधा दे रहे हैं। उनके बच्चों को तरजीह देकर नौकरियों में लगा रहे हैं। इन्दिरा गांधी ने राजा-महाराजाओं के प्रिवीपर्स बंद कर अपने राजाओं को पेन्शनें दीं और आज तुम्हारा मुख्य मंत्री वही पेन्शन अपने शहजादों को दे रहा है। यह क्या है ? जो भी इस तरह से करप्ट करने का तरीका है, व्यवस्था है ऐसा करप्ट तरीका बन्द होना चाहिए।

श्री जय कृष्ण शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का नहीं है। माननीय सदस्य यह समझते हों कि इधर बैठने वाले सदस्यों को इस बिल से दुःख है, ऐसा नहीं है। दुःख इस बात का नहीं है कि आप पेन्शन बंद करना चाहते हैं। सवाल इस बात का है कि विधान सभा में कोई कानून लाया जाए तो यह देखा जाता है कि इसमें कोई लेकूना न रह जाए, वह समझने में नहीं आवे। आप पेन्शन बन्द करना चाहते हैं तो पेन्शन बंद कर दीजिए। आप यह समझते हैं कि ज्यादातर पेन्शन लेने वाले हम हैं। यह बात आपके दिमाग में आई है। परन्तु पूरे हिन्दुस्तान में यह कानून है। आज पूरे हिन्दुस्तान में बदले की भावना से आपकी पार्टी काम कर रही है। बदले की भावना से आप यह कर रहे हैं। जो भी आप काम करना चाहते हैं वह बदले की भावना से करना चाहते हैं

(व्यवधान)

कांग्रेस ने यह कानून पास किया है। बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, राजा महाराजाओं का प्रिवीपर्स बंद किया। अगर आप चाहते हैं तो यह प्रिविपर्स वापस शुरू कर सकते हैं, बैंक्स का नेशनलाइजेशन तोड़ सकते हैं। आपका जो दृष्टिकोण है वह धीरे धीरे जनता के सामने आता जा रहा है। इसमें कोई सन्देह नहीं है। मैं उन लोगों में से हूं जो पहले भी विधान सभा के लिए चुन कर आये हैं। मैं तो यह चाहता हूं कि पेन्शन लेने की बात बंद हो। मैं यह चाहता हूं कि मुझे मेरी जिन्दगी में पेन्शन लेने का अवसर नहीं आए। मैं तो सदस्य की हैसियत से तनख्वाह लेता रहूं। मैं व्यक्तिगत तौर से इस बिल का स्वागत करता हूं। परन्तु, जनता पार्टी के सदस्य, आप अपने दिल को टटोलिये। आप क्या चाहते हैं ? आप में समानता नहीं है। हमारे यहां पर एक भद्दी कहावत है। दादी, सास और पोती बहू–तीनों कभी न कभी बहू होती है और कभी न कभी दादी सास भी बनती है। तो बहू अपने सास को ठीकरे में रोटी देती थीं। सास उसको एक कोने में रख देती थीं। एक दिन बहू ने देख लिया और पूछ लिया तो उसने अपनी बहू से कहा किसी दिन तेरे भी बहू आएगी तो वह देखेगी कि सासू को ठीकरे में रोटी दी जाती है। वह भी तेरे को इसी प्रकार ठीकरे में रोटी देगी। इसी प्रकार की कार्यवाही आप कर रहे हैं। आपके साथ भी ऐसा ही होगा। इसमें हमारा कोई सवाल नहीं है। यह आपकी पार्टी का सवाल है। पहले आप इसको अपनी पार्टी के अन्दर तय कीजिए। क्या

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

आपकी पार्टी ने ऐसी घोषणा की है ? नहीं की है तो क्यों अपनी इमेज बिगाड़ रहे हो जनता के सामने ? पहले आपको यह अपनी पार्टी के अन्दर तय करना है कि हम पेन्शन को बंद करना चाहते हैं । हमारे पास मेजोरिटी थी तो हमने देश के लिए, समाज के लिए काम करने वालों के जीवन यापन के लिए पेन्शन दी। हम मेजोरिटी में थे और हमने यह उचित समझा था तो हमने इस बिल को पास किया । लोक सभा ने भी इसको पास किया है । यह आपकी पार्टी का सवाल है । आपकी पार्टी के कितने ही सदस्य इसके पक्ष में नहीं हैं तो आपका यह कानून कहां जाएगा ।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, प्रिएम्बल आफ दी बिल, कन्टेन्ट्स आफ दी बिल, आब्जेक्ट एण्ड रीजन्स में काफी अन्तर है, जबर्दस्त अन्तर है ।.इसलिए मेरा यह सुझाव है आपकी मार्फत कि या तो माननीय सदस्य इस बिल को संशोधित कर दें और संशोधित नहीं करते हैं तो नियमों में इस बात का प्रावधान है कि एडवोकेट जनरल को काल किया जाए । पहले भी उनको सदन में काल किया जाता रहा है और वह सदन के सदस्य की तरह हैं । वे सदन में बैठ सकते हैं और अपनी लीगल ओपीनियन दे सकते हैं । उनकी ओपीनियन ली जाए, यह मेरा सुझाव है ।

श्री केदारनाथ (श्रम मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, बिल के इंट्रोडक्शन की स्टेज पर कन्टेंशन के बारे में, प्रिएम्बल के बारे में एतराज का वक्त नहीं है । इंट्रोक्डशन आफ दी बिल के वक्त देखने की बात यह है कि काम्पीटेंट है या नहीं, पेश कर सकते हैं या नहीं । केवल ये बातें हैं । विरोधी दल के नेता भी मेरे से ज्यादा यहां रहे हैं । 20–25 साल के इतिहास में देखा होगा । इंट्रोडक्शन के वक्त एतराज क्यों, इस स्टेज पर एतराज क्यों ? आप ही उत्तर दें । आप पूरे बिल को अमेण्ड कर सकते हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : आज श्रम मंत्री जी उपदेश दे रहे हैं कि इंट्रोडक्शन के वक्त एतराज नहीं होगा और 25 साल का उल्लेख कर दिया । पहले भी सारे माननीय सदस्य कांपीटेंट थे तो भी इंट्रोडक्शन नहीं करने दिया ।

श्री केदारनाथ : हमने उसको अच्छा समझा ।

श्री परसराम मदेरणा : हमने इतनी रिक्वेस्ट की थी, इतनी प्रार्थना की थी कि उसको इंट्रोड्यूज करने दीजिये लेकिन उस वक्त तो आपने बिल इंट्रोड्यूज नहीं करने दिया ।

श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी विधायक बनने के बाद राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के वक्त अपने विचार व्यक्त किये थे और स्पष्ट राय जाहिर की थी कि आपातकाल के दौरान विधायकों के लिये जो पेंशन लागू की गई यह कतई उचित नहीं है ।

(व्यवधान)

मुझे बोलने दीजिये । आज यदि पेंशन की व्यवस्था इस उद्देश्य से की जाती है कि

(श्री गुरुशरण छाबड़ा)
हमारी विधान सभा के भूतपूर्व माननीय सदस्य, उनके परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था के लिये यह आवश्यक है कि वे विधान सभा के सदस्य नहीं रहें इसके बाद भी दवा और दारु में कहीं कमी न हो जावे यदि इसलिए किया जाता तो मैं इसका स्वागत करता लेकिन मुझे खेद है कि यह व्यवस्था सभी विधायकों के लिये की गई है और आपातकाल के दौरान इस उद्देश्य से की गई कि आपातकाल के बाद जब भी कभी चुनाव होंगे तो जो मौजूदा आपातकालीन शासक थे वे जानते थे कि हम सत्ता में नहीं आयेंगे इसलिये पेंशन की व्यवस्था उन्होंने की। खेद की बात है कि जब विधान सभा को भंग करके नये चुनाव कराने की घोषणा के केवल डेढ़ मास की अवधि के दौरान, विधान सभा को भंग होने और नये चुनाव कराने की स्थिति में डेढ़ मास की अवधि के अन्दर आपातकालीन मुख्य मंत्री श्री हरिदेव जोशी........

श्री उपाध्यक्ष : माननीय छाबड़ा जी, चर्चा जल्दी समाप्त करें।

श्री गुरुशरण छाबड़ा : यह कतई उचित नहीं है। मैं चाहूंगा जो बिल आ रहा है उसको प्रस्तुत करने की इजाजत दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष : काफी चर्चा हो गई। कृपया श्री ईश्वरचन्द्र भटनागर को उत्तर देने दीजिये।

श्री ईश्वरचन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का बहुत खेद है कि माननीय सदस्यों ने इस बिल की तकनीकी खामियों की बाबत काफी ज्यादा आपत्तियां और चर्चा की। कई बिल आये और चले गये। यह बिल बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। यह हम सबको प्रभावित करता है इसलिये मैं माननीय सदस्यों की चिन्ता समझ सकता हूं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो बिल है राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली (आफिसर्स एंड मैम्बर्स एमाल्युमेंट्स एण्ड पेंशन) एक्ट, 1956 इसमें मैम्बर की डेफिनेशन दी गई है—Member means a Member of the Legislative Assembly तो मेरा निवेदन है कि इसमें जो मैम्बर की डेफिनेशन है—A Member of the Parliament or any State Legislature.

आप सुनिये। यह इसका मतलब है। मैं पढ़ता हूं—

एक माननीय सदस्य : यह बिल है या नहीं।

श्री ईश्वरचन्द्र : बिल है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं— Member of the Legislative Assembly means whethere he may be ex-member or a sitting member.

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको बाद में सुन लूंगा।

श्री ईश्वरचन्द्र : कंटेंशन यह है मैंने अमेंडमेंट पेश किया है। मैं कोई नया बिल नहीं ला रहा हूं यह बिल नं० 1/ 1979 है। इसमें लिखा है—"A Bill to amend the Act to provide for the emoluments and pension to be paid to the officers and members of the Legislative Assembly of the State of Rajasthan.

(श्री ईश्वरचन्द्र)

इसके अन्दर यह भी साफ तौर से अंकित किया गया है, यह जो 4–ए है। दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहले में प्रपोज्ड अमेंडमेंट किया है दूसरे में स्टेटमेंट आफ दी रीजन्स एंड आब्जेक्ट्स हैं। इसके पीछे क्या भावना है, The Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 पढ़ेंगे, एक्ट को देखेंगे तो यह होगा, यह हर जगह पेंशन का प्रोवीजन है। इसके तहत—

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : यह ठीक है, आप पब्लिसिटी चाहते हैं। Alright. You do it.

श्री ईश्वर चन्द्र : मैं पब्लिसिटी नहीं चाहता। 19 लाख रुपया 413 माननीय सदस्य राजस्थान लेजिस्लेचर के पेन्शन के रूप में उठा रहे हैं। इस प्रकार का प्रावधान हिन्दुस्तान में हर जगह नहीं है। मोरारजी भाई, चरण-सिंह, जयप्रकाश, डा० लोहिया ने हमेशा से इस तरह के राजनैतिक संरक्षण और भिक्षा-वृत्ति का विरोध किया है। आज यह नैतिक मूल्यों का, सामाजिक मूल्यों का सवाल है। आज जयप्रकाश जीवन-मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं। हमारी विधान सभा इस तरह का कीर्तिमान स्थापित करेगी तो निश्चित रूप से उनकी उम्र घटेगी। राजस्थान में ऐसे लोग हैं जो भीख की राजनीति नहीं चाहते। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो लीगल, टैक्निकल—

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : आज मैं 13 वर्षों से देख रहा हूं डा० लोहिया और गांधी जी के क्या विचार थे और क्या हो गये हैं?

श्री ईश्वर चन्द्र : यह भी मैं बता देता हूं। मैं दारुबन्दी का समर्थक हूं। मैंने विधान सभा में, पार्टी में इसका समर्थन किया है।

श्री मदनसिंह दांता : After hearing your aruments we totally agree with you.

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : आपके आर्गूमेंट से मुझे खुशी है I totally agree with you. इसमें प्रोवीजो होना चाहिये other than scheduled castes.

(व्यवधान)

श्री ईश्वरचन्द : मैं विनम्र निवेदन करूंगा, मेरी कमजोरियां, खामियां क्या रही हैं, इस बारे में विचार न करें। बिल को देखते हुए, इसके गुण दोषों को देखते हुए आप अमेण्डमेंट प्रस्तुत करिये। अभी इसे मंजूरी दें, क्योंकि यह विधि संगत है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बृजेन्द्रपाल सिंह।

श्री बृजेन्द्र पाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मै इतना ही करना चाहता हूं कि

(श्री बृजेन्द्र पाल सिंह)

इन्ट्रोडक्ट्री स्टेज पर इसको अलाउ नहीं किया जायगा तो गलत होगा। इसमें पेन्शन का शब्द यह जाहिर करता है कि पेन्शन उसको मिलती है जो आफिस में नहीं जाता है और जो आफिस में जाता है उसको पेन्शन नहीं मिलती है। यह साफ जाहिर करता है, कि इसको इन्ट्रोडक्ट्री स्टेज पर अलाउ करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराजिये। इस पर काफी विचार हो सकता है। माननीय गुल मोहम्मदजी आप बैठ जाइये। माननीय सदस्य को उत्तर देने दें।

श्री गुल मोहम्मद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको भी नाम चाहिये।

श्री नूरा : हम तो फैक्ट कहते हैं। नाम की तो माननीय मैम्बर भटनागरजी और गुल मोहम्मदजी को जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से पेन्शन लेने के लिए आप तैयार हैं जिस पार्टी से आप हैं आपके साथी—

एक माननीय सदस्य : साथी नहीं सदस्य।

श्री नूरा : आप अपने साथियों को दोस्त मानें, हम सब साथी हैं पार्टियां अलग अलग हो सकती हैं।—

एक माननीय सदस्य : कामरेड।

श्री नूरा : कामरेड कह दें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी पार्टी जब पावर में आई तो आपकी पार्टी ने 19 महीनों का पैसा देना शुरू कर दिया और वही पार्टी आज एम. एल. एज. को पेन्शन न देने की बात करती है। एम. एल. ए. की डैथ हो जाय तो फैमिली को तो आप देना चाहते हैं उसको तो लाभ मिले और एम. एल. ए. को नहीं। दूसरी बात यह है कि आप उसके परिवार पर महरबानी कर रहे हैं। वह एम. एल. ए. नहीं होता तो न आप देते और न मैं देने जाता। तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो यह कहा जाता है कि जिस एम. एल. ए. को पेन्शन मिलती है वह बन्द की जानी चाहिए तो आपने अपनी पार्टी के सदस्यों को लाखों कैसे दे दिये? जो यह बिल लाये हैं वह अपनी पार्टी के साथियों से भी कह सकते हैं। हम कोई तनख्वाह के हिसाब से, पेन्शन के हिसाब से नहीं आये हैं। हम सेवा करने के लिए आये हैं और जितनी कर सकते हैं, उतनी कर देते हैं। एक तरफ तो आपने अपनी पार्टी के साथियों को 2 लाख रुपये दे दिये और दूसरे माननीय सदस्यों को दूसरे लाभ की बात करते हैं तो यह पक्षपातपूर्ण तरीके से लाया हुआ बिल है। यह जो बिल आप लाये हैं इसमें आपकी नीयत साफ नहीं है। एक पोलिटिकल लाभ उठाने की बात करते हैं। आप उन्हें दो लाख देने को तैयार हो गये, इसके पीछे क्या बात है?

श्री गुल मोहम्मद : उपाध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं अगर आप उचित समझें तो सीक्रेट वोटिंग करा लें। सीक्रेट वोटिंग में इनका मत भी इस बिल के खिलाफ जायेगा।

श्री नूरा : खुले में कराना चाहिए हमें किसी का डर नहीं है। विधान सभा में खुले रूप से कहेंगे।

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि इस बिल को प्रवर समिति को सौंप दिया जाना चाहिए। वह इस पर विचार करे।

(व्यवधान)

श्री नूरा : आप लाभ उठाने वाले लोग हो।

श्री रघुनन्दन व्यास : माननीय उपाध्यक्ष, मेरा सुझाव है कि माननीय ईश्वर चन्द्र जी ने जो विधेयक सोच-समझकर रखा है इस पर गम्भीरता से विचार हो इसलिए इस बिल को प्रबर समिति को सौंप दिया जायें।

श्री माणकचन्द ठाकोर : माननीय उपाध्यक्ष, यह बिल इन्ट्रोड्यूज किया जाय या नहीं इस पर सदन में वोटिंग ले लिया जाय।

श्री गुल मोहम्मद : इस पर वोटिंग ले लिया जाय कि यह बिल लिया जाय या नहीं तो आपको मालूम हो जायगा। इस बिल पर माननीय सदस्य बोल कर ऊपर वालों को बता रहे हैं ताकि उनकी भी खबरें अखबारों में छप जायं।

श्री नूरा : गुल मोहम्मद जी, ऊपर का लालच तो आपको है।

(व्यवधान)

श्री पदम सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक पुरानी बात कह दूं। आंधो बांटे रेवड़ी और घरकां ने दे। रेवड़ी घर घर कानें कोनी मिले। अच्छा काम की शुरुआत करणी है तो जी तरीका सूं ठीक हो जाय इसो करणो चाहिए। आ ही मारो निवेदन है कि अमुक बिल इन्ट्रोड्यूस हो रहयो है तो होवा दो।

श्री मदन सिंह दांता : कहता कौन है ? डिस्कशन होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर काफी चर्चा हो चुकी है।

क्या सदन की सहमति है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों एवं सदस्यों के परिलाभ तथा पेंशन) (संशोधन) विधेयक 1978 को पुरः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय।

(ध्वनि मतदान)

श्री गुरुशरण छाबड़ा : माननीय सदस्यों से पूछिये कि वे पक्ष में हैं या नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : आप इन्ट्रोड्यूज करिये। Let him introduce this Bill हमें कोई आब्जेक्शन नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इसे सदन की राय जानने के लिए फिर रखता हूं। सदन का

(श्री उपाध्यक्ष)

बहुमत किस तरफ है। जो इन्ट्रोडक्शन के पक्ष में हों वे हाथ खड़े करें।

श्री मूल चन्द डागा : इसमें बहुमत लेने की जरूरत ही नहीं है। यह आपका सवाल है। हम कोई आब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं सदन में।

श्री उपाध्यक्ष : जो पक्ष में हों वे हाथ खड़े कर दें। और जो विरोध में हों वह भी हाथ खड़े कर दें।

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री ईश्वरचन्द्र : माननीय उपाध्यक्ष, मैं राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों एवं सदस्यों के परिलाम तथा पेन्शन) (संशोधन) विधेयक, 1979 को पुरः स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

राजस्थान अनुपयुक्त व्यक्ति बन्ध्यकरण विधेयक, 1978

श्री मूलचन्द्र डागा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान अनुपयुक्त व्यक्ति बन्ध्यकरण विधेयक, 1978 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा दी जाय।

श्री किशनसिंह भाटी : डागाजी के डिफेक्टिव शब्दों को हमने सुना नहीं इसलिए दुबारा रखा जाय।

श्री उपाध्यक्ष : इन्ट्रोडक्शन पर माननीय सदस्य कोई एतराज करना चाहते हैं तो एतराज करें।

श्री किशनसिंह भाटी : No, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रस्ताव को वापस पढ़ दें।

श्री डूंगर राम पंवार : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो वही बात हुई। वही पेन्शन के बारे में बात हो गई।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराजिये।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान अनुपयुक्त व्यक्ति बन्ध्यकरण विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है? माननीय सदस्य कोई एतराज करना चाहें तो कृपया खड़े होकर भाषण कर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री रघुनन्दन व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मूलचन्दजी ने जो बिल पेश किया है, वह किसी प्रकार से स्पष्ट नहीं है। न भाव से स्पष्ट है, न भाषा से स्पष्ट है। वह कल्पना करके चलते हैं कि

(श्री रघुनन्दन व्यास)

जैसे सारे देश में कोढ़ी हैं । यह देश जैसे कोढ़ियों का है । उनकी सन्तानें जो पैदा होंगी वह भी कोढ़ी होंगी । जैसे कि सारे देश में लूले लंगड़े ही बसते हैं । यह देश के सम्पूर्ण स्वास्थ्य को चैलेंज करने वाला है इसलिए यह बिल भ्रामक है । दुर्भावनापूर्ण है । इससे इन्सानियत को कोई लाभ होने वाला नहीं है इसलिए यह कम्पलसरी स्टेरला-इजेशन करने वाला बिल उचित नहीं है ।

श्री मूलचन्द डागा : रूल में है कि इन्ट्रोडक्ट्री स्टेज पर एतराज किस स्थिति में किया जा सकता है—

"Provided that where a motion is opposed on the ground that the Bill initiates legislation outside the legislative competence of the House, the Speaker may permit a full discussion thereon."

मुझे समझ में नहीं आता है कि आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा जी, कोई भी माननीय सदस्य आपत्ति करते हैं तो उनको कहने का अधिकार है । अगर कोई एतराज करने वाली बात कही जाती है तो इन दी स्कोप आफ डिस्कशन है ।

श्री रघुनन्दन व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई प्रक्रिया के तौर पर ही विरोध नहीं है, इस सम्पूर्ण पर ही हाउस का विरोध है ।

श्री उपाध्यक्ष : रूल 64 में यह है—

"If a motion for leave to introduce a Bill is opposed, the Speaker, after permitting, if he thinks fit, a brief explanatory statement from the member who moves and from the member who opposes the motion, may without further debate put the question:

Provided that where a motion is opposed on the ground that the Bill initiates legislation outside the legislative competence of the House, the Speaker may permit a full discussion thereon."

इसमें यह है ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मुझे एतराज है ।

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में कह दें ।

श्री कौशल किशोर जैन : यह भी उसी श्रेणी में आ जायेंगे ।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन की इस बिल को पास करने की कोम्पीटेन्सी नहीं है । पर्सनल एक कोढ़ी की सेफ्टी की जिम्मेदारी इस राजस्थान सरकार की नहीं है बल्कि रूल्स के तहत संसद की है । इण्डियन पैनल कोड में ऐसा प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर की क्षति पहुंचाई जाती है तो वह दण्डनीय है ।

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

(व्यवधान)

आई. पी. सी. में है। कानून में इस विधान सभा को यह अधिकार है कि अगर किसी भी कानून की पालना नहीं की जाये तो उसको जेल की सजा का प्रावधान कर सकती है। उसकी पर्सनल फ्रीडम को रेस्ट्रेन कर सकती है। लेकिन किसी की बाडी को इंजरी पहुंचाई जाये यह अधिकार संसद को है। किसी को फांसी देने का अधिकार संसद को है। भारतीय दण्ड संहिता में है। इस विधान सभा को नहीं है। अगर यह कानून पास किया जाता है तो इससे व्यक्ति की इन्द्री काट दी जाएगी। यह कानून इन्फेक्शियस डिसीज से पीड़ित पर लागू होगा। इसलिए इस कानून को पास करने का अधिकार इस विधान सभा को नहीं है। दूसरे इसका कोई औचित्य भी नहीं है। मेडिकल साइन्स के इमत्य डा० हरीसिंह जी यहां पर बैठे हैं।

श्री मदनसिंह दांता : यह तो डाक्टर ही जानता है कि कौनसा पार्ट काटना चाहिए।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : इस बिल को कानून बनाने में कुछ निहित इण्ट्रेस्ट हो सकता है। इसके पीछे यह भावना होगी कि उनके जो बच्चे होंगे वह बीमार होंगे। वह बीमार पैदा हो सकते हैं। मैं यह कहूंगा कि मां बाप की जो बीमारियां होती हैं, वह उनकी सन्तान में आ जाती हैं। जैसे सिफलिस है, गेनोरिया है। ये काम्पीटेन्सी में नहीं है। लेप्रोसी जिनको है वह उनके बच्चों को भी हो जाती है। तो जहां यह करना चाहते हैं वहां यह सम्भावना नहीं है।

(समय-समाप्ति सूचक-घण्टी)

श्री अयूब खां : ये बीमारियां क्या आपकी जानकारी में हैं ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आज दुनिया में हर बीमारी का इलाज सम्भव है।

(व्यवधान)

इस कानून को पास करने का आपको अधिकार नहीं है। यह बिल मेडिकल साइन्स के अनुसार नहीं है।

एक माननीय सदस्य : इन बातों का ज्ञान आपको कैसे हुआ ?

श्री मदनसिंह दांता : This is not the point.

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय डागा जी ने जो बिल पेश किया है, मैं भी उसका विरोध करता हूं। इस में डागा जी ने यह लिखा है—

"In our country the idea of sterlisation has taken root and is being implemented for the control of population. The measure is resorted to on an entirely voluntary basis. Those suffering from leprosy, tubercuilosis and mental diseases are however paying little head to the scheme of planned

(श्री रामनारायण चौधरी)

parenthood, and as a result, while the normal and healthy persons in society are planning and limiting their families, the sub-normal, unhealthy and irresponsible individuals go on proceating in on unrestricted manner........"

यह कम्पलसरी करना चाहते हैं। आज, मान्यवर, साइन्स काफी डवलप हो गई है। यह सन् 30–40 की बात करते हैं। जब हिटलर ने जर्मनी में यह किया था कि कोई लम्बी बीमारी में चले तो उसको मार दिया जाये। आज विज्ञान के अन्दर कुछ ही ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज नहीं हो सकता है। इलाज नहीं होने वाली बीमारियां कुछ ही हो सकती हैं। डागा साहब लेप्रोसी के लिए ऐसा कहते हैं। मेरे पास एक नहीं दो उदाहरण हैं। ऐसे एक दो ही नहीं कई उदाहरण हैं। मां बाप लेप्रोसी से पीड़ित है लेकिन उनके लड़के आज भी ठीक हैं। यह कम्पलीटली क्योरेबल है। माहात्मा गांधी भी भंगी बस्ती में जाकर रहे थे। वे परचुरे शास्त्री, जिनको कोढ़ था, की सेवा करते थे। गांधी जी को कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ।

(समय-समाप्ति सूचक-घण्टी)

आज यह आणविक युग है। आज का विज्ञान चन्द्रमा में बस्ती बनाने की सोचता है। आज डागा साहब हिटलर वाला कानून लाना चाहते हैं यह मर्सीलेस और इन्सानियत के खिलाफ है।

श्री मदन सिंह दांता : Doctors can do with the consent of the patient.

श्री रामनारायण चौधरी : यों नहीं काट सकते। अगर किसी का हाथ सड़ जाता है तो विद दी कन्सेन्ट आफ दी पेशेन्ट उसको काट सकते हैं।

श्री मदनसिंह दांता : मैं भी इसका विरोध करता हूं। इसमें एक ही तर्क दिया जाता है, जिसे आप समझ जायेंगे। आपका जो लक्ष्य है वह फेमिली प्लानिंग से पूरा हो जाता है, उल्लू पैदा होंगे ही नहीं, उनके बच्चे पैदा होंगे ही नहीं तो इसकी नौबत ही नहीं आयेगी। इस बिल में यह है, डागा जी, आप उन अंगों को काटना चाहते हैं—

श्री मूलचन्द डागा : कहाँ काटना चाहते हैं?

श्री कल्याणसिंह सांखला : उपाध्यक्ष महोदय, यह समझ में नहीं आता कि डागाजी इस बिल को क्यों लाना चाहते हैं? डागाजी महसूस करें तो आपरेशन करवा सकते हैं। आप लोकतन्त्र में आदमी को अपने अधिकारों को पाने से वंचित करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं? माननीय डागा साहब, आपको कौनसी बीमारी है? किसी भी बीमारी का आज इलाज हो सकता है। अगर आपको डाक्टर नहीं मिल रहा हो तो मैं ला सकता हूं। इसलिए इसको वापस लेना चाहिए।

श्री जगदीशचन्द्र शर्मा (रतनगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का बहुत बड़ा विरोध करता हू। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आखिर दुनिया के इतिहास में डागाजी जैसे दिमाग के लोग.......

(श्री जगदीशचन्द्र शर्मा)

(व्यवधान)

उस समय भी इस प्रकार के दिमाग हुआ करते थे, जिन्होंने कहा कि........

(व्यवधान)

यदि स्टेण्डर्ड से छोटे अंग होते तो पहाड़ से गिरा देते थे या उसका सर काट देते थे। यदि इस प्रकार के बिल आने शुरू हो गये तो आप यह मान कर चलें कि जिनमें मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से शक्ति नहीं है वे लोग और जिनमें विवेक है, ज्ञान है, जो पागल नहीं हैं, उनके बच्चे पैदा नहीं हों—

(व्यवधान)

श्री कौशलकिशोर जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक भी समर्थन में नहीं है। यह बिल इण्ट्रोड्यूज कैसे होगा, 10 समर्थक होने चाहिए—

(व्यवधान)

श्री जगदीशचन्द्र शर्मा : मैं प्रार्थना करूंगा कि इस बिल को वापस ले लें।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आधा मिनट में.......

श्री उपाध्यक्ष : आप समर्थन करेंगे, डागाजी का।

श्री रतनलाल वर्मा : डागाजी ने अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग किया है, मैं डागाजी से निवेदन करना चाहता हू कि वे उपयुक्त हैं या अनुपयुक्त पहले यह सिद्ध करें।

श्री हीरालाल आर्य : उपाध्यक्ष महोदय,

(व्यवधान)

जो बिल डागाजी लाये हैं—

(व्यवधान)

श्री गुरुशरण छाबड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, डागाजी स्वयं जानते हैं कि यह उचित नहीं है, इससे इनका उद्देश्य केवल यही है कि समाचार पत्रों में इनका नाम आए।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया इस प्रकार की चर्चा नहीं करें।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, डागाजी ने जो बिल रखा है, मैं उसका समर्थन कर रहा हूं.......

एक माननीय सदस्य : डागाजी को एक ही मिले हैं जिन्दगी में........

(व्यवधान)

श्री रामरघुनाथ चौधरी : सदन में जितने भी माननीय सदस्य बैठे हैं उनको हंसी इस बात की आ रही है कि

(व्यवधान)

लेकिन पूर्व सरकार ने फैमिली प्लानिंग का कार्यक्रम रखा उस कार्यक्रम को इस जनता सरकार ने रिजेक्ट किया।

श्री कल्याणसिंह सांखला : यह गलत है।

(व्यवधान)

श्री रामरघुनाथ चौधरी : माननीय सदस्य, सुनिये तो सही।

श्री कल्याणसिंह सांखला : आप गलत बयानी क्यों कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिये।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : इतना धैर्य क्यों नहीं है आप लोगों में कि शान्ति से सुन सकें। मैं निवेदन कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, अब इस सरकार ने रियलाइज किया कि बढ़ती हुई जनसंख्या पर अगर ध्यान नहीं दिया तो आने वाली दुनिया में सरकार के सामने एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जायगी

(व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : भूत और लगाइये, भूतपूर्व सरकार

श्रीमती सुमित्रासिंह : भूत तो गये।

(व्यवधान)

श्री रामरघुनाथ चौधरी : आप में सुनने की क्षमता भी नहीं है। मैं निवेदन कर रहा था कि अब यह महसूस किया गया कि वास्तव में बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह आवश्यक है कि फैमिली प्लानिंग के कार्यक्रम को तेजी से लागू किया जाय।

श्री गुरुशरण छाबड़ा : पाइन्ट ऑफ आर्डर, सर। एक भी मंत्री यहां नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आज तो प्राइवेट मैम्बर्स का दिन है

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : मन्त्री की जरूरत नहीं है, डागाजी बैठे हैं।

(व्यवधान)

श्री रामरघुनाथ चौधरी : जब सदन में कोई बिल प्रस्तुत होने जा रहा है या उसकी इजाजत मांगी गयी है, हाउस में उस पर डिस्कशन चल रहा है तो आप गौर से सुनिये, माननीय सदस्यों को मैं वह बात कहूंगा जो किसी के दिमाग में नहीं है·······

(व्यवधान)

आप धैर्य से सुनिये। आप किसी को बोलने से रोकते हैं, यह उचित नहीं है।

(व्यवधान)

श्री गुलमोहम्मद : आप अपने को अकेला मत समझिये। और भी आपके साथ हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपातकाल के दिनों में·······

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिए।

श्री रामनारायण चौधरी : आपातकाल में कोई ज्यादती नहीं हुई थी। यह कार्यक्रम देश के हित में था और माननीय सदस्या आपातकाल की बात कह रही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : जनता पार्टी के सदस्य अपना धर्म समझते हैं कि कोई भी बात शुरू करें तो 30 वर्ष का नाम लेकर शुरू करें। हालांकि अभी मैं 30 साल के संदर्भ में कोई बात नहीं करता, मैं कह रहा हूं कि सरकार ने अब यह महसूस किया है कि बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए परिवार नियोजन लागू करना आवश्यक है और यही भूतपूर्व सरकार करती थी। फर्क इतना है कि आपने शब्द जोड़े हैं "उनकी इच्छा से"। उनकी इच्छा के विपरीत पहले कब था ? इसलिए डागाजी जो अपना बिल प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें भी स्टेरलाइजेशन शब्द है। कई माननीय सदस्य गलत समझते हैं कि किसी का कोई हिस्सा काट दिया जाएगा। डागाजी ने तो उसी बात को दोहराया जिसको मौजूदा सरकार करना चाहती है। मौजूदा सरकार भी कहती है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को जोर शोर से लागू किया जाए। डागाजी ने जो बिल प्रस्तुत किया उसमें यह जोड़ा है कि वे लोग जो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से इस तरह की बीमारियों से ग्रस्त हैं जिनके अगर बच्चे होंगे तो वे रोगग्रस्त होंगे जिसके कारण परिवार पर आर्थिक भार पड़ेगा। किसी परिवार में अगर ऐसी बीमारी हो जाये कि अपना पेट भी नहीं पाल सके तो इस तरह की बीमारी से आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। तो या तो वह भूखा मरने पर मजबूर हो जाता है या जीते जी मर जाता है। इस तरह के जिन लोगों को ऐसी लंबी बीमारी लग जाएं जिनके पास अपना जीवन चलाने के लिए कोई सहारा न हो, बीमारी ठीक होने वाली नहीं हो, उनके लिए सुझाव रखा है कि उनका स्टरलाइजेशन किया जाए जिसमें उनकी सहमति भी हो सकती है तो उनका आगे परिवार नहीं बढ़ेगा, वह बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी और रोगी जो मल्टीप्लाई होते हैं वे मल्टीप्लाई नहीं होंगे। इस तरह के परिवारों को आर्थिक दृष्टि से बरबाद होने से रोका जाए और रोका जा सकता है। अतः श्री डागा जी प्रभारी सदस्य को बिल प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान करें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अपना यह प्राइवेट मेम्बर बिल सदन में रखा है, मैं उसके पक्ष में अपने विचार प्रकट करना चाहती हूं। किसी को अगर गलतफहमी हो कि इस बिल के जरिए कोई आबादी पर नियंत्रण रखने की बात है तो वह नहीं है, इसके पीछे उनकी निश्चित मन्शा है। यह नहीं जैसे कि मंडावा से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे कि किसको टी. बी. होगी। किसी को भी हो सकती है लेकिन सवाल यह है कि ये तीन बीमारियां कभी भी ऐसी स्टेज पर पहुंचती है जब ठीक होना मुश्किल होता है चाहे कितना ही साइंटिफिक तरीके से बीमारियों को कन्ट्रोल किया हो। ये तीनों बीमारियां ऐसी हैं कि एक स्टेज ऐसी आती है जब डाक्टर ....

श्री रामनारायण चौधरी : मैंने क्या कहा ? You have mentioned my name.

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अच्छा मैं अपने शब्द वापस लेती हूं। कई बार बीमारी इस तरह की हो जाती है कि मेन्टल पेशंट होता है, जयपुर के मेन्टल अस्पताल के बाहर जाकर दृश्य देखो, कई लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है लेकिन हालत उनकी इतनी खराब होती है कि घर वाले भी नहीं ले जा सकते। क्या देश की भावी संतति को आप रुग्ण, अस्वस्थ एवं अर्द्ध नग्न रूप में देखना चाहते हैं ? उसी तरह एक बार लेपर होने के बाद जिन्दगी भर वह ऐसा ही नहीं रहता है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जब लेपर बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता। इसी तरह टी.बी. का मरीज जो इन्क्योरेबल हो, मेंटल पेशंट जिसका इलाज नहीं हो सकता, ऐसे मरीज के लिए जब डाक्टर की रिपोर्ट होगी कि अब मरीज क्योरेबल नहीं रहे हैं तब उसका स्टरलाइजेशन किया जाना आवश्यक हो जाता है।

इसके पीछे मन्शा यह है कि हिन्दुस्तान में आने वाली पीढ़ी में हम कोई मेंटल पेशंट लेपर या टी. बी. पेशंट प्रोड्यूस नहीं करेंगे भावी संतति को इन भयानक रोगों से बचाने के लिए, अस्पताल के चिकित्सक के प्रमाण पत्र के बाद ही उस मरीज का स्टरलाइजेशन होगा। इसलिए हिन्दुस्तान की भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए, स्वस्थ हिन्दुस्तान बनाने के लिए, शिक्षित और मेंटली साउंड देश बनाने के लिए, डागा जी ने जो यह बिल रखा है उसके पीछे स्वस्थ और सुखी भारत की कल्पना की है अतः बिल का विरोध नहीं करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : मैं सदन का समय बढ़ाने के लिए सहमति ले लूं।

सदन की कार्यवाही विधान सभा की बैठक के समय में वृद्धि

श्री नवनीत पालीवाल (मुख्य सचेतक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही का समय 6।। बजे तक के लिए बढ़ाया जाए ?

कई माननीय सदस्य : No. No.

श्री नवनीत पालीवाल : मैंने आश्वासन दिया था कि प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस के लिए थोड़ा सा समय बढ़ाया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि सदन की कार्यवाही का समय 6।। बजे तक के लिए बढ़या जाए ?

(स्वीकृत)

सदन की कार्यवाही का समय 6।। बजे तक के लिए बढ़ाया गया।

श्री परसराम मदेरणा।

राजस्थान अनुपयुक्त व्यक्ति बन्ध्यकरण विधेयक, 1978

श्री परसराम मदेरणा (नेता प्रतिपक्ष) : रूल 202 का जहां तक प्रश्न है यह सदन काम्पीटेंट है इस बिल को पास करने में। दूसरे जो आबजेक्शन्स किए प्रभारी सदस्य के दिमाग में हैं मेंटली डिरेल्ड'

(श्री परसराम मदेरणा)
मेन्टली डिसील्ड, उन्होंने लिखा है "इर्रेस्पान्सिबल"। ऐसे लोग प्रोक्रिएट करना चाहेंगे तो रोगियों की फौज खड़ी हो जायेगी।

श्री श्योपत सिंह मकासर : कल की जो घटना हुई····

श्री परसराम मदेरणा : आप पर छोड़ता हूं। प्रभारी सदस्य मेन्टली साउंड हैं हालांकि थोड़ी बहुत और बीमारी इनको है। इसलिए जैसा कि श्रम मंत्री कह रहे थे, इस सदन की परम्परा रही है इन्ट्रोडक्शन स्टेज पर एतराज कर सकते हैं लेकिन किसी को बोलने से रोका नहीं गया। आप इस स्टेज पर रोक कर इस बात का सबूत देना चाहते हैं कि यह सदन जिम्मेदार लोगों का नहीं है और मेंटली हेल्दी लोगों का नहीं है, तो यह बहुत अनुचित होगी। इसलिए इस विधेयक को इन्ट्रोड्यूज करने दिया जाए।

श्री गुलमोहम्मद : जो विरोधी पक्ष के नेता महोदय ने कहा है मैं उसका समर्थन करता हूं। इसे विचारार्थ जरूर लिया जाना चाहिए। इनका पहले भी बिल नहीं लिया गया। तो इनकी हिम्मत अफजायी हो इसलिए इन्हें जरूर इजाजत दी जाये नहीं तो और कोई बिल नहीं लायेंगे।

श्री वृद्धिचन्द जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो यह बिल प्रस्तुत किया है वह बहुत ही प्रगतिशील बिल है। मैं यह कह रहा हूं कि यही एक सदस्य हैं अपने सदन में जो कि प्राइवेट बिल के अन्दर इतने इन्ट्रेस्टेड हैं और इन्ट्रेस्ट लेकर इन्होंने इतना अच्छा बिल पेश किया है। अपनी भावी संतति और अपने देश की जो सन्तान हो उसका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा हो इसके लिए वह कितने चिन्तनशील हैं यह इस बिल से मालूम होता है। वह यह नहीं चाहते कि तपेदिक के रोगी की संख्या बढ़े। वह नहीं चाहते की जो मेंटल डिसीज के लोग हैं उनकी संख्या बढ़े। जितने भी इस बिल में प्रावीजन्स दिये हैं वह बहुत ही सोच कर समझ कर स्टडी करके दिये हैं। यह बिल इन्ट्रोडक्शन की स्टेज पर है इसलिए इन्ट्रोड्यूज किया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वस्थ नागरिक होने से देश बनता है। आप कुछ भी कहें मैंने अपनी बात रखी है। इसकी तीन स्टेजेज हैं। एक तो इन्ट्रोडक्शन की स्टेज, दूसरी कन्सीडरेशन की स्टेज और तीसरी पारित होने की। यदि आप इस पर मेरी बात सुन लेंगे तो सन्तुष्ट हो जायेंगे। मुझे जरूरत नहीं है कि इस बिल को आप पास करें लेकिन आपसे प्रार्थना है, आपने जो विचार प्रकट किये उनके लिए तो मैं आप सब का आभार मानता हूं लेकिन मैं चाहता हूं कि कृपा करके इसकी थोड़ी गहराई में आप जायें। सभी को आगे अवसर मिलेगा और इस पर पूर्ण विचार होगा तीन बार। आप चाहेंगे तो इसको रिजेक्ट भी कर सकेंगे। यह आपको अधिकार है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर आप गौर फर्मायें। यह विषय किसी का

(श्री मूलचन्द डागा)

काटने का या नुकसान पहुंचाने का नहीं है। इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें एक सवाल है कि हमारे यहां पर कुल बीमार भिखारियों की संख्या करीब 2।।। करोड़ है। अब कुछ ऐसे भिखारी हैं जो ऐसे रोग से पीड़ित हैं उनका स्टरलाइजेशन हो जाना चाहिए। उनसे जो संतान पैदा होती है वह आज देश को जो हम बना रहे हैं उसके लिए लाभप्रद नहीं होगी। कई डाक्टरों के द्वारा जांच करने के बाद यह तसल्ली हो जाये कि यह बात सही है तो उसका स्टरलाइजेशन होगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप इस बिल को इन्ट्रोड्यूज करने दें तो बड़ी कृपा होगी। जब मैं संसद में था तो इसी बिल को इन्ट्रोड्यूज करने का मौका मिला और सारे विश्व से मुझे कांग्रेचुलेशन्स के लैटर मिले I got 30 letters from the countries all over the world. और उन लैटर्स में लिखा था कि हमने एक गांव केलीफोर्नियां में बनाया था। अगर आज आप बिल फेंक भी देंगे तो मुझे तकलीफ नहीं होगी लेकिन मुझे इतनी तो तसल्ली होगी कि I did my duty

कुछ भी आप कहें। मेरी बात का चाहे आप मजाक उड़ायें लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस बिल पर गम्भीरता से सोचने की कृपा करें। आप को अवसर मिलेगा, सोचने के बाद आपके दिमाग में आ जाये तो मान लेना। इसको चाहे तो रखिये नहीं तो फेंक सकते हैं। मेरी प्रार्थना है कि इसके ऊपर विचार करने की कृपा करें और मुझे इन्ट्रोड्यूज करने की इजाजत दें।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि माननीय श्री डागा जी को बिल इन्ट्रोड्यूज करने की इजाजत दी जाये ?

(स्वीकृत)

बिल इन्ट्रोड्यूज करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान अनुपयुक्त व्यक्ति बन्ध्यकरण विधेयक, 1978 को पुरः स्थापित करता हूं।

अशासकीय संकल्प
राज्य में दिनांक 2 अक्टूबर, 1977 से शराबबन्दी

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रघुनाथ विश्नोई, आपका बहुत पुराना संकल्प है, और भी काफी संकल्प हैं........

श्री रघुनाथ विश्नोई : जब तक सरकार इसका जवाब नहीं दे देती, मेरा रिजोल्यूशन 5 साल तक चलेगा, अभी इस प्रस्ताव पर तीन साल हुए हैं........

एक माननीय सदस्य : बहस तो काफी हो चुकी है........

श्री मूलचन्द डागा : इसमें 1977 से लागू करने का है। 1977 में इन्ट्रोड्यूज हुआ, आज 1979 आ गया। हम लोगों ने अपने संकल्प रखे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, एक

(श्री मूलचन्द डागा)
बात चाहता हूं। हमें अपने संकल्प रखने का अवसर दे दें ताकि लैप्स न हो जायें। आप चर्चा करने का मौका दीजिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सरकार इसका जबाब दे दे, 1 अप्रेल 79 से हम शराबबन्दी लागू कर देंगे। मेरा संकल्प इसी बात का है, शराब बन्दी का है। विषय ताजा का ताजा है।

श्री गुल मोहम्मद : आपका संकल्प सही है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैंने संकल्प रखा है, सरकार से निवेदन करना चाहता हूं....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रश्न पर पहले भी शायद आपत्ति उठाई गई थी। इसी प्रस्ताव के लिये व्यवस्था दी गई थी। जो पहले व्यवस्था दी गई है वह कायम रहेगी।

श्री ईश्वरचन्द्र : तीन साल बाद भी यही रहेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यही रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत से माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा राइट है, चर्चा को प्रारम्भ करूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल जी भार्गव, आप कितना समय लेंगे?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं एक मिनट बोला था....

(व्यवधान)

अगर वे बोल सकते हैं तो मैं भी ज्यादा बोल सकता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : आप इस पार्टी में आ जायें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा राइट है। मैं बोल रहा था। मैं बोलूंगा और किसी को नहीं बोलने दूंगा....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इनका भाषण पहले अपूर्ण रहा था।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं तो आपकी पैरवी कर रहा हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं आपको नहीं बोलने दूंगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : नये रजनीश हैं, बोलने दीजिये।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य इस बात की पैरवी कर रहे हैं, बोलने का आपको अवसर दिया जाये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं खड़ा हो रहा हूं। बीच में क्यों डिस्टर्ब करते हैं?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री गिरधारी लाल जी।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, शराबबन्दी का मामला बहुत दिनों से चर्चित है । आज सौभाग्य से, सौभाग्य तो क्या कहूं, दुर्भाग्य से श्री जय प्रकाश नारायण जी का स्वास्थ्य खराब है, मुख्य मंत्री जी और मास्टर आदित्येन्द्र जी वहां चले गये । आज इस विषय पर इस प्रकार की घोषणा हो जाती तो जिस प्रकार का वातावरण बनाया जा रहा है, मैं समझता हूं वह वातावरण शायद समाप्त हो जाता । मैं निवेदन करना चाहूंगा, पुरजोर शब्दों में, जब मुख्य मंत्री जी ने यह मनः स्थिति बनाई कि 2 अक्टूबर, 1980 से वह राजस्थान में पूर्ण शराब बन्दी कर देना चाहते हैं तो मैं यह निवेदन करूं कि श्री गोकुल भाई भट्ट, जिनके प्रति लोग चाहे किसी प्रकार की चर्चा करें, को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, मुख्य मंत्री जी की गोकुल भाई भट्ट के प्रति कम श्रद्धा नहीं है । मुख्य मंत्री जी गोकुल भाई भट्ट की शायद ज्यादा श्रद्धा करते हैं । मेरा निवेदन करना यह है जब 2-10-80 से आप करना चाहते हैं, मुख्य मंत्री जी यहां पर होते तो मेरे विचार से यह घोषणा करते कि 30 मार्च से राजस्थान में शराब बन्दी की घोषणा करता हूं । उससे बहुत बड़ी चर्चा समाप्त हो जाती । न किसी को भूख हड़ताल पर बैठने की आवश्यकता होती और इस आधार पर जो चर्चा का विषय बनाया जा रहा है, वह विषय भी समाप्त हो जाता । यह मेरी मांग है....

एक माननीय सदस्य : यू० आई० टी० से खतम कीजिये····

(व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : इस संबंध में मैं बहुत कम पड़ता हूं । कांग्रेस के लोगों को कह देना चाहता हू, डिस्टर्ब करेंगे तो मैं भी बोलूंगा । मैं कोई अननेसेसरी एलीमेंट नहीं हूं ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन का मुंह बन्द कर दिया गया है ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा मुंह बन्द नहीं किया गया है····

(व्यवधान)

मजदूरों के पैसे खाते होंगे आप....

श्री श्योपतसिंह मकासर : धन्य हो रजनीश ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं निवेदन कर रहा था····

श्री नूरा : मैं यह कहना चाहूंगा कि आप जिस भाषा में बोल रहे हैं, हम लोग मजदूरों के लिये जितना करते हैं, भार्गव साहब····

(व्यवधान)

आप गाड़ियों में घूमते हैं····

(व्यवधान)

तेल में मिलावट करते हैं, दवाओं में मिलावट करते हैं और उन लोगों को प्रोत्साहन देते हैं........

(व्यवधान)

श्री मूल चन्द डागा : नियम 272 और 273 में कोई माननीय सदस्य दूसरे माननीय सदस्य पर यह दोषारोपण नहीं लगा सकता है कि वे मजदूरों के पैसे खाते हैं। यह नियमों के विरूद्ध है। इसको एक्सपंज किया जाय या फिर माननीय सदस्य विथड्रा कर ले।

(व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मेरे कहने का अधिकार है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं ये सेठों के पैसे तो अकेले खा जाते हैं, हमारे रजनीश, फिर हम क्या खायें।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : ऐसा लगता है कि जो मुख्य लक्ष्य है, उसको सुनना नहीं चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह सांखला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्योपत सिंह जी ने भार्गव साहब को रजनीश कहा है। उनका नाम रजनीश नहीं है- गिरधारी लाल भार्गव है।

श्री श्योपत सिंह (मकासर) : सदन के रजनीश भाई।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नूरा जी, आप विराजे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो बोलने वाला वक्ता है उसको प्रोटेक्शन आपको देना चाहिये। यह सदन की परम्परा रही है।

एक माननीय सदस्य : आप आ जाइये, प्रोटेक्शन हो जायगा।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : आप कुर्सी पर विराजमान होते तो बड़ा अच्छा होता।

(व्यवधान)

मैंने कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं किया है।

श्री राम रघुनाथ : उजला जी करती हैं।

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : क्या उजला जी का बदला भार्गव साहब से लिया जा रहा है?

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने इनके 10 मिनट तो ऐसे ही खराब कर दिये हैं।

श्री मूल चन्द डागा : आप क्यों वकालत करती हैं। वे खुद अपनी वकालत कर लेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष जी, किसी को प्रोटेक्शन देने में

(श्री परसराम मदेरणा)
चैयर सक्षम है और चैयर से सदन को नियंत्रित रखने की सभी की भावना है लेकिन जो आज गैर सरकारी रिजोल्यूशन चल रहा है यह पिछले दो साल से चल रहा है। माननीय सदस्य की भी यही भावना है, माननीय मुख्य मन्त्री जी और प्रोहिबिशन मन्त्री जी आज यहां नहीं है, नहीं तो निश्चित रूप से कोई घोषणा होती। घोषणा न करके इस सदन में गैर सरकारी प्रस्ताव को टाक आउट करना है और भी दूसरे गैर सरकारी प्रस्ताव इस सदन में आयेंगे। तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि भार्गव साहब की भावना को देखते हुए आज ही इसका उत्तर दिला जाए।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : गिरधारी लाल जी का पूरा भाषण सुन लेने दीजिए।

श्री परसराम मदेरणा : आपको भाषण की जो अनुराग पैदा हो गया है वह भी इतना स्पष्ट नहीं है कि आपकी भावना साफ हो। इसलिए इसको आप टाक आउट मत करिये ताकि कभी दूसरे प्रस्ताव को भी लिया जा सके। जहां तक मद्य निषेध का प्रश्न है योजना मन्त्री जी अभी बैठे हुए हैं........

एक माननीय सदस्य : गये।

श्री परस राम मदेरणा : पार्लियामेन्ट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं। सरकार का कोई भी मिनिस्टर सरकार की ओर से उत्तर दे सकता है। एक दो मिनट में वे समाप्त कर दें। फिर सदन का समय और बढ़ाना हो तो बढ़ा दें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करने जा रहा था सन् 77–78 में राजस्थान सरकार ने तीन करोड़ 33 लाख 747 रु. इसकी बिक्री से वसूल किये हैं और यदि इसकी सारी तुलना करें तो 90 प्रतिशत लाभ होगा, केवल 10 प्रतिशत नुकसान होगा। अभी भी 26 जिलों में से 13 जिलों में शराबबन्दी करदी गई है। यदि आप ड्राई एरिया करना ही चाहते हैं तो फिर सम्पूर्ण राजस्थान में शराबबन्दी करनी पड़ेगी। गुजरात सरकार और मद्रास सरकार ने की है। दो राज्य हम से आगे बढ़ गये। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं मुख्य मन्त्री जी ने जिस प्रकार अन्त्योदय योजना में श्रेय लिया है, काम के बदले अनाज की योजना में उन्होंने श्रेय लिया है, मंहगाई रोकने में श्रेय लिया है तो फिर राजस्थान सबसे पहले पूर्ण शराबबन्दी की घोषणा एक अप्रेल से ही कर दें तो मैं समझता हूं राजस्थान राज्य अग्रणी होगा। हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय हृदय से चाहते हैं और वे राजस्थान को आगे ले जाना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वे केन्द्रीय मंत्रियों से भी मिले हैं और केन्द्र ने अगले 4–5 साल मुआवजा देने की भी बात कही है। बार बार सलाह करने के लिये मुख्य मंत्री दिल्ली भी जाते है और वहां मोरार जी भाई से मिलते हैं, चरणसिंह जी से मिलते हैं तो मैं समझता हूं वे हृदय से चाहते हैं कि गोकुल भाई एक अप्रेल से भूख हड़ताल पर नहीं बैठे। मेरा निवेदन है, उपाध्यक्ष जी, हमारे मुख्य मंत्री जी की नियत में भी यह नहीं है। वे गोकुल भाई को श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं इसलिए

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

मेरा निवेदन यह है कि आखिरकार शराबबन्दी की ही जानी है। सारे हाउस का जो मत है, मैं समझता हूं निश्चित रूप से इस शराब को बन्द करना आवश्यक है।

आपने देखा होगा सचिवालय में और बाहर कई जगह पोस्टर लगे हुए हैं, शराब पीने के बारे में लगे हुए हैं, उनमें लिखा हुआ है शराब की जो आय है वह वेश्यावृति से भी खराब है। कई प्रकार के स्लोगन उन पोस्टरों में लिखे हुये हैं। महात्मा गान्धी जी ने इसके बारे में बहुत बुरा कहा है। आपको मालूम होगा चन्दन मल जी के जमाने में 13 आदमी रेगरों की कोठी पर खराब शराब पीने के कारण मर गये थे। मैं आज पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्री जी का यह मत है, राजस्थान के विधायकों का यह मत है, राजस्थान के मंत्रिमण्डल का यह मत है और अधिकांश लोगों का यह मत है कि मुख्य मंत्री जी पहल करेंगे और इस राजस्थान को आगे ले जायेंगे तो निश्चित रूप से करिए, क्यों कि आखिर शराब जो है वह बुरे व्यसन पैदा करती है, बुरे विचार पैदा करती है और शराब के कारण, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गरीबी बढ़ती है, भ्रष्टाचार पनपता है.......

(व्यवधान)

कृपया डिस्टर्ब न करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शराब के कारण गरीबी पनपती है, शराब भ्रष्टाचार पनपाती है, शराब के कारण रोजाना घरों में क्लेश होता है। ड्राइवर लोग पीकर गाड़ी चलाते हैं इसलिये एक्सीडेंट होते हैं, क्राइम बढ़ते हैं और शराबबन्दी पर जब ज्यादा खर्च हो रहा है, माननीय वित्त मंत्री जी ने स्वयं दलील दी है कि जो आय होती है उपाध्यक्ष महोदय, उस आय के अनुपात में नुकसान ज्यादा मात्रा में होता है, स्वास्थ्य खराब करती है, इसलिये विचार करके केवल थोड़े से जिलों में ही इसकी पाबन्दी न करें सम्पूर्ण राजस्थान में शराबबन्दी करके जो शराब का कलंक है उसे धो डालिये और एक साथ सारे राजस्थान में शराबबन्दी की घोषणा तुरन्त कर दीजिये।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक का समय समाप्त हुआ। सदन की बैठक कल प्रातः 11–00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 6.30 बजे शनिवार दिनांक 24 मार्च, 1979 के म. पू. 11–00 बजे तक के लिये स्थगित की गई)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 493 की सूची)

तहसील सांचोर के उन ग्रामों की सूची जिनमें अकाल राहत के समय पोषाहार कार्यक्रम चलाया गया

क्र०स०	नाम
1.	सांचोर
2.	गाकोल
3.	हरियाली
4.	जाकल
5.	गुदाऊ
6.	पवातला
7.	दियावाडी
8.	गोपालन
9.	पांचला
10.	बाडोला
11.	डोरा
12.	ऊंटवा
13.	दालेसर
14.	जाव
15.	सुराचंद

परिशिष्ट 2

समयाभाव के कारण सदन में नहीं दिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

व्यापारियों पर बिक्री कर की बकाया राशि

494. श्री विज्ञान मोदी (सुमेरपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में रुपये 50 लाख वार्षिक से अधिक टर्न ओवर वाले वाणिज्यिक, व्यापारिक व औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सैल्स टैक्स के रूप में कुल कितनी धन राशि बकाया है ? प्रतिष्ठानों का नाम, स्थान, असेसमेंट का वर्ष व बकाया राशि का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त बकाया राशि की वसूली के लिये राज्य सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

(3) क्या राज्य सरकार इन बकाया राशियों की वसूली के लिये सख्ती बरतने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बिक्री कर की कुल बकाया राशि रुपये 1, 53, 76, 208/–है। विस्तृत विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) अधिकतर मामलों में स्थगन आदेश हैं। कुछ मामलों में विभागीय कार्यवाही चालू है।

(3) राज्य सरकार ने विभागाध्यक्ष को समय–समय पर बैठकों में, व परिपत्र भेजकर यथा संभव शीघ्र बकाया राशि वसूल करने के आदेश दिये हैं। साथ ही अधिनियम व नियमों में प्रावधित प्रणाली अपना कर दण्डनीय ब्याज एवं सख्ती भी लगाई जाती है।

क्रम संख्या		फर्म का नाम	कंर निर्धारित वर्ष	बकाया राशि
1		2	3	4
1.	मैसर्स	चतुर्भुज भंवरलाल, पाली	76-77	67,040-00
2.	,,	चतुर्भुज भंवरलाल, पाली	77-78	39,827-00
3.	,,	जोधपुर सहकारी उपभोक्ता भण्डार, जोधपुर	76-77	17,826-00
4.	,,	बिड़ला सीमेन्ट वर्क्स, चित्तौड़गढ़	68-69	50,925-00
5.	,,	बिड़ला सीमेन्ट वर्क्स, चित्तौड़गढ़	70-71	1,48,324-00
6.	,,	चिरंजीलाल फूलचन्द, बांसवाड़ा	77-78	60,000-00
7.	,,	मेवाड़ आयल मिल्स, उदयपुर	65-66	33,965-00
8.	,,	हिन्दुस्तान शुगर मिल्स, उदयपुर	71 से 75 तक	3,62,125-00
			71-72	28,990-00
9.	,,	मुरारीलाल आहूजा एण्ड सन्स, श्री गंगानगर	66-67 ब्याज	2,259-00
10.	,,	नियारतराय मुरारीलाल, श्री गंगानगर	67-68 ,,	1,045-73
			68-69 ,,	207-50
11.	,,	नरेश इण्डस्ट्रीज, श्री गंगानगर	73-74 आर० एस० टी०	5,115-67
			सी० एस० टी०	4,230-49
12.	,,	भोलाशंकर एण्ड ब्रदर्स, बून्दी	75-76	34,248-77
			77-78	23,435-05

1		2	3	4
13.	मैसर्स	महालक्ष्मी मिल्स कम्पनी लि०, ब्यावर	64–65	9,452–57
			65–66	2,747–60
			68–69	566–49
			70–71	18,499–08
			71–72	9,014–07
			72–73	4,699–17
14.	,,	अशोक साइकिल, स्टेशन रोड, जयपुर	74–75	0,000–00
			75–76	7,516–00
15.	,,	महेश दाल एण्ड राइस मिल, हनुमानगढ़	75–76	12,000–00
16.	,,	ईश्वरदास शोभाराम, धुला हाउस, बापू बाज़ार, जयपुर	75–76	11,936–56
17.	,,	धनेश काटन जीनिंग एण्ड आयल मिल, सांगरिया	75–76	
			76–77	20,118–92
18.	,,	बहादुरचन्द विद्यारत्न, हनुमानगढ़	75–76	10,122–94
19.	,,	नेशनल इन्जीनियरिंग इण्डस्ट्रीज, जयपुर	प्रोविजनल	30,000–00
20.	,,	,, ,,	,,	19,000–00
21.	,,	स्पिनिंग एससेरीज प्रा० लि०, जयपुर	69–70	17,999–34
22.	,,	कमल एण्ड कम्पनी, मिर्जा इस्माईल रोड, जयपुर	प्रोविजनल	39,000–00
23.	,,	केसरलाल चन्दालाल, जयपुर	73–74	11,547–58
24.	,,	नाथानी ट्रेडिंग कार्पोरेशन, जयपुर	प्रोविजनल	3,592–00
25.	,,	ओरियन्टल एजेन्सीज, मिर्जा इस्माईल रोड, जयपुर		93,480–65

1		2	3		4
26.	मैसर्स	राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज, जयपुर	71–72		28,000–00
27.	,,	,, ,,	,,		10,000–000
28.	,,	शिवनाथ राधाकिशन, ब्यावर	70–71		11,783–22
29.	,,	छोटूलाल शंकरलाल, जयपुर	72–73		8,713–35
30.	,,	जे० के० सिन्थेटिक लि०, कोटा	72–73	अस्थाई	68,864–79
			72–73	,,	1,36,093–05
			73–74	,,	5,69,451–00
			74–75	,,	20,20,862–00
			75–76	,,	19,61,536–00
31.	,,	राजस्थान टेक्सटाइल मिल, भवानीमण्डी	68–69		73,500–00
32.	,,	एसोसियेटेड सीमेन्ट कम्पनी, लाखेरी	70–71		2,63,045–62
33.	,,	शाह एण्ड कम्पनी, कोटा	69–70		2,700–00
			69–70		19,942–00
			69–70		8,000–00
			70–71		54,685–47
			70–71		83,192–93
34.	,,	मंगलराम मूलचन्द, मण्डावर	70–71		21,500–00
			71–72		1,900–00
35.	,,	बांरा को–आपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, बारां	71–72		22,032–25

1	2	3	4
36.	मैसर्स इन्डो इन्जिनियरिंग (कोटा) प्रा० लि०, कोटा	71–72	52,014–00
		72–73	23,000–00
		73–74	18,619–16
		73–74	12,679–00
37.	,, इन्डियन ग्राईल कारपोरेशन, कोटा	72–73	1,57,000–00
38.	,, एलविन मार्केट लि०, सवाईमाधोपुर	70–71	1,25,790–00
		71–72	1,85,726–91
39.	,, राजीव ट्रेडिंग कम्पनी, सवाईमाधोपुर	71–72	1,96,767–80
		76–77 अस्थाई	2,45,472–30
		75–76 ,,	3,89,880–75
		76–77 ,,	1,535–89
40.	,, भारत ग्रोवरसीज प्रा० लि०, सवाईमाधोपुर	68–69	6,520–66
		69–70	3,65,565–73
		70–71	1746,232–70
		71–72	16,53,264–30
		74–75 अस्थाई	2,99,758–26
		75–76 ,,	2,55,846–37
		75–76 ,,	5,55,388–33
		75–76 ,,	24,856–80
		75–76 ,,	16,867–52

1	2	3	4
41.	मैसर्स जयपुर उद्योग लि०, सवाईमाधोपुर	68–69	4,047–77
		74–75 अस्थाई	1,250–00
		74–75 ,,	10,500–00
		78–79	31,33,589–94
42.	,, जयपुर मेटल एण्ड इलैक्ट्रिकल्स लि०, जयपुर	1–10–76 से 31–12–76 अस्थाई	3,56,218–00
		,,	1,19,795–00
		,,	27,168–00
		,,	52,710–00
		,,	49,162–00
		,,	91,395–00
		,,	32,650–00
		,,	1,66,712–00
		,,	1,64,278–00
43.	,, उदयपुर मिनरल डवलपमेन्ट सिंडिकेट प्रा० लि०, जयपुर	1–11–77 से 30–9–77 तक	59,984–00 किश्तों में
			31,573–00 ,,
		1–10–77 से 31–12–77 तक	37,373–00 ,,
44.	,, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ, जयपुर	71–72	253–00
45.	,, श्रीकिशन राधेश्याम, खेड़ली, अलवर	70–71	3,357–00
46.	,, विद्यनदास दुलीचन्द, भरतपुर	73–74	307–00

1		2	3	4
47.	मैसर्स	बाबूलाल उत्तमचन्द, बांदीकुई	71–72	2,853–00
			73–74	618–00
			74–75	3,721–00
			,,	259–00
48.	,,	सांगानेर दाल एण्ड फ्लोर मिल्स, सांगानेर	73–74	24,550–00
49.	,,	मुकुट ट्रेडिंग कम्पनी, जयपुर	1–4–75 से 30–6–75 तक	2,24,007–00
			70–71	1,40,030–00
			71–72	2,13,357–00
			66–67	5,200–00
50.	,,	बालाबक्ष भौरीलाल, जयपुर	70–71	22,337–00
			71–72	30,866–00
			72–73	1,99,000–00
			73–74	49,011–00
				1,53,76,200–00

महाअधिवक्ता, एवं राजकीय अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर व जोधपुर के कार्यालयों में रोस्टर पंजिकाएं

495. **श्रीमती नारंगी देवी** (किशनगंज): क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि महाअधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता कार्यालय, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर एवं जोधपुर के यहां सीधी भर्ती की नियुक्तियां तथा हर प्रकार की पदोन्नतियां सम्बन्धी रोस्टर पंजिकाएं तैयार कर रखी है ? यदि हां तो कब कब से और यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि दिनांक 10–2–75 से अब तक सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में किस प्रकार के पद रिक्त एवं सृजित हुये हैं ? यदि हां, तो किस किस श्रेणी में व कितने कितने तथा उनमें से कितने पद भरे गये हैं ? इनमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के कितने व्यक्ति लिये गये हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि जिन आरक्षित पदों को इन वर्गों से नहीं लिया गया है उन आरक्षित बिन्दुओं को अगले तीन वर्ष तक अग्रेनीत (कैरिड फार्वर्ड) किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? और हां, तो कितने पद ?

(4) क्या इन कार्यालयों में सीधी भर्ती एवं पदोन्नतियों में अग्रेनीत (कैरिड फार्वर्ड) किये गये पदों को आरक्षित व्यक्तियों से भरने का राज्य सरकार का इरादा है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

1. वर्ष 1978 से रोस्टर पंजिका तैयार कर रखी है।

2. दिनांक 10–2–75 से अब तक निम्नानुसार पद सृजित/रिक्त हुए जिनमें से उनके आगे अंकित निम्नानुसार पद भरे गये :—

क्रम संख्या	नाम पद	रिक्त/सृजित पदों की सं.	भरे गये पदों की संख्या	अनु०जाति कर्मचारी	अनु.जनजाति कर्मचारी
1.	च. श्रे. कर्मचारी	10	10	1	1
2.	कनिष्ठ लिपिक	11	11	1	–
3.	व. लिपिक	2	2	1	–
4.	प्र. लिपिक-कम-शीघ्रलिपिक	3	1	–	–
5.	शीघ्रलिपिक	8	6	–	–
6.	कार्यालय सहायक	1	1	–	–
7.	कार्यालय अधीक्षक	1	1	–	–
	कुल पद	36	32	3	1

(विधि एवं न्याय मन्त्री)

(3) शीघ्रलिपिकों, वरिष्ठ लिपिक कम शीघ्रलिपिकों, कनिष्ठ लिपिकों व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आरक्षित बिन्दुओं को अग्रेनीत (कैरिड फार्वर्ड) किया गया है जिनमें से कनिष्ठ लिपिकों व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आरक्षित बिन्दुओं की पूर्ति नियमित भर्ती के समय अगले दो माह में कर ली जाएगी तथा शीघ्रलिपिकों के लिये योग्य आशार्थी मिलने तक नियमानुसार निर्धारित बिन्दु अनुसार पद आरक्षित रखे जायेंगे।

(4) सीधी भर्ती व पदोन्नतियों में अग्रेनीत (कैरिड फार्वर्ड) किये गये पदों को आरक्षित व्यक्तियों से नियमानुसार भरा जाएगा। योग्य आशार्थी नहीं मिले तो इसके लिये प्रयास किया जाएगा।

ग्राम पंचायत, कोलुआ के सरपंच के विरुद्ध गबन के केस

496. श्री जगदीश सिंह (धौलपुर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या श्री मनोहर सिंह, सरपंच, ग्राम पंचायत, कोलुआ (तह.धौलपुर) के खिलाफ कितनी रकम का गबन पाया गया है ?

(2) उक्त सरपंच के विरुद्ध कितनी शिकायतें मन्त्रीजी को मिलीं ? क्या उक्त सरपंच के खिलाफ पूछताछ चल रही है ? अगर हां, तो कब से और आयन्दा कब तक कार्यवाही पूरी हो जावेगी ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त सरपंच के विरुद्ध 28,000 रु. का गबन साबित है ? यदि हां, तो इस मामले में देरी क्यों हो रही है और यह मामला पुलिस को क्यों नहीं सौंपा गया ?

उत्तर

(1) जिलाधीश भरतपुर द्वारा जांच करवाई जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

(2) पांच शिकायतें मिली थीं। शिकायतों के आधार पर जिलाधीश को जांच करवाने हेतु दिनांक 11-4-78 को निर्देश दिये गये हैं जिसके अनुरूप जांच करवाई जा रही है। जिलाधीश ने सूचित किया है कि जांच करीब एक माह में पूर्ण कर ली जावेगी।

(3) जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी एवं उसके पश्चात् ही अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।

साप्ताहिक एवं पाक्षिक पत्रों को विज्ञापन देने का मामला

497. श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : क्या जन सम्पर्क मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या निदेशालय जन सम्पर्क विभाग (विज्ञापन शाखा) द्वारा साप्ताहिक एवं पाक्षिक पत्रों को विज्ञापन देने में पक्षपात बरता जाता है ?

(2) क्या जन सम्पर्क निदेशालय की विज्ञापन शाखा बड़े पत्रों को विज्ञापन देते

(श्री श्रवणलाल)

समय विज्ञापन छापने की सीमा निर्धारित नहीं करती हे ग्रौर छोटे पत्रों की विज्ञापन सीमा निर्धारित की जाती है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

(3) क्या सरकारी विभागों द्वारा विज्ञापन जन सम्पर्क निदेशालय के माध्यम से प्रकाशित कराये जाते हैं जिससे कि विज्ञापन प्रकाशन में काफी देरी एवं ग्रार्थिक हानि होती है ? विज्ञापन शाखा द्वारा मनमाने तरीके से बड़े बड़े पत्रों को विज्ञापन भेजे जाते हैं ग्रौर छोटे साप्ताहिक/पाक्षिक पत्रों के साथ विज्ञापन देने में पक्षपात बरता जाता है ? यदि हां, तो राज्य सरकार छोटे समाचार पत्रों को विज्ञापन सम्बन्धी क्या सुविधा देना चाहती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी नहीं ।

बूंदी नगर में पीने के पानी की पाइप लाइनें एवं टंक

498. **श्री ग्रोम प्रकाश शर्मा** (बूंदी) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जलदाय विभाग द्वारा बूंदी नगर में पीने के लिये पानी की पाइप लाइनें डाली थीं ? यदि हां, तो कौन कौनसी ?

(2) क्या यह सही है कि जो जलदाय विभाग ने पीने के पानी की लाइनें डाली थीं वह ग्राज ग्रधिकांशतः खराब हो गई हैं जिससे शहर एवं गलियों में पाइप टूटे हुये हैं ग्रोर पानी पीने के लिये पर्याप्त रूप से नहीं पहुंच पाता ?

(3) बून्दी नगर में कितना गैलन पानी रोजाना इकट्ठा किया जाता है ग्रौर कितना टूटे हुये पाइपों के कारण खराब होता है एवं कितना नागरिकों को पर्याप्त रूप में मिल पाता है ?

(4) क्या यह सही है कि बून्दी में छोटे तालाब के पास की पहाड़ी पर दो वर्ष पूर्व एक पीने के पानी को इकट्ठा करने के लिये टैंक बनाया था जिसका बाद में एक हिस्सा गिर गया ? यदि हां, तो किन ग्रधिकारियों की लापरवाही से तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ग्रौर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां, जल वितरण हेतु कास्ट ग्राइरन, ए. सी. पी. वी. सी. व जी. ग्राई. की पाइप लाइनें डाली गई है ।

(2) जी नहीं जब कभी पाइप लाइन टूट जाती है उसकी शीघ्र ही मरम्मत करा दी जाती है ।

(3) दस लाख गैलन पानी प्रतिदिन इकट्ठा कर पूरे शहर को वितरित किया जाता है ।

(जन स्वास्थ्य मंत्री)

(4) जी हां, टैंक का कोई हिस्सा नहीं गिरा था।

उदयपुर विश्वविद्यालय में मीरा पीठ व रीडर हिन्दी विभाग का रिक्त पड़ा पद

499. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या उदयपुर विश्वविद्यालय में चयन समिति का गठन अभी तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो अब कब तक गठन कर दिया जावेगा ? अब तक चयन समिति का गठन नहीं होने के कारण क्या हैं ? यदि गठन हो चुका है, तो अब तक उसकी कितनी बैठकें कब कब हुई ? बैठकों में हुई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या चयन समिति के गठन के अभाव में विश्वविद्यालय में मीरा पीठ एवं रीडर, हिन्दी विभाग का पद पिछले कई सालों से रिक्त चला आ रहा है ? यदि हां, तो कब से और उक्त पद को कब तक भर दिया जावेगा ?

(3) क्या मीरा पीठ पद का कार्यभार किन्हीं अन्य प्रोफेसर को सौंप रखा है ? यदि तो किन को एवं कितने समय से और क्या उन्हें इस कार्य हेतु अपने वेतन के अलावा भी कोई भत्ता दिया जाता है ? यदि हां, तो कितना एवं अब तक कितनी राशि अतिरिक्त भत्ते के रूप में उन्होंने उदयपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त की ?

(4) क्या उपरोक्त भत्ते की राशि अधिक रूप से प्राप्त करने के विचार से ही उक्त मीरा पीठ का पद अभी तक किसी योग्य व्यक्ति का चयन कर भरा नहीं जा सका है ? यदि हां, तो क्या यह न्यायोचित है ?

(5) क्या यह सही है कि गत चयन समिति ने उक्त रीडर के पद के चयन हेतु किसी व्यक्ति की सिफारिश की थी ? यदि हां, तो वह क्या थी ? उक्त सिफारिश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। क्या राज्य सरकार उक्त सिफारिश को क्रियान्वित करना चाहती है ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) चयन समिति का गठन फरवरी, 1979 में पूर्ण हो गया है। गठन होने के बाद पहली चयन समिति की बैठक 19–3–79 को हुई है। पहली बैठक की कार्यवाही मीरा पीठ के आचार्य पद एवं हिन्दी में रीडर पद की नियुक्ति के लिये हुई। नियमानुसार चयन समिति अपनी सिफारिशें कार्यकारिणी समिति को करती है। चयन समिति की बैठक के बाद कार्यकारिणी समिति की बैठक अभी नहीं हुई है।

(2) जी हां। मीरापीठ के आचार्य का पद 1976 से व रीडर हिंदी का पद दिसम्बर, 1973 से रिक्त है। उक्त पदों के चयन के लिये 19–3–79 को बैठक हो चुकी है जिसकी सिफारिशें नियमानुसार कार्यकारणी समिति के समक्ष रखी जावेगी।

(168)

(शिक्षा मन्त्री)

(3) जी नहीं।

(4) यह सही नहीं है।

(5) जी हां, सिफारिश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। सिफारिशें 24–7–72 को ही क्रियान्वित की जा चुकी हैं।

UNIVERSITY OF UDAIPUR : UDAIPUR

MINUTES OF THE MEETING OF THE SELECTION COMMITTEE FOR THE POST OF READER IN HINDI AT THE SCHOOL OF BASIC SCIENCES & HUMANITIES (M.B. COLLEGE), UDAIPUR HELD ON WEDNESDAY, JUNE 28, 1972 AT 11.00 A.M. AT THE UNIVERSITY OFFICE, UDAIPUR.

PRESENT :

1, Shri S.P. Singh Bhandari, Vice–Chancellor–(Chairman)

2. Dr. L.S. Varshneya, Prof. & Head,
Deptt. of Hindi, University of
Allahabad, Allahabad (EXPERT).

3. Dr. Bhagirath Misra, Prof. & Head,
Deptt. of Hindi, University of Saugar,
Saugar (Expert).

4. Dr. Udai Pareek, Director, SBSH.

5. Shri L.R. Shah, Registrar .... (Secretary)

of the Nine candidates called for interview, **Eight** were present.

The committee found the following candidates suitable, in order of merit, for the post :

1. Dr. Ram Gopal Sharma 'Dinesh'
2. Dr. Krishna Kumar Sharma.

Grounds for recommending advance increment/s, if any.

The Committee recommends, in view of Dr. Krishna Kumar Sharma's performance and qualifications, that he should also be appointed 'Reader' as early as possible, if one more post of 'Reader' is created. This may be done without fresh interview.

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
(BHAGIRATH MISRA)	(UDAI PAREEK)	(S.P. SINGH BHANDARI)	(L.S. VARSHNEYA)
28-6-72	28-6-72	28-6-72	28-6-72

सेवा निवृत्त अधिकारियों को पुनः सेवा में रखे जाने का मामला

500. **श्री बजरंगलाल शर्मा** (बनीपार्क) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राजस्थान में जनता पार्टी के शासन में सरकारी सेवा में किसी राजपत्रित अधिकारी को उसकी अवकाश प्राप्ति की आयु के बाद भी सरकारी सेवा में रखा गया? यदि हां, तो वे कौन कौन हैं और किन कारणों से उन्हें रखा गया है ?

(2) क्या राजपत्रित अधिकारियों को अवकाश प्राप्ति के पश्चात् पुनर्नियुक्ति करार के आधार पर या दूसरे प्रकार से दी गई है ? यदि हां, तो किस किस को और क्यों ?

(3) क्या अराजपत्रित अधिकारियों को भी सेवा काल में वृद्धि अथवा पुनर्नियुक्ति दी गई है ? यदि हां, तो कुल कितनों को और क्यों ?

(1) जी हां। जिन अधिकारियों को अधिवार्षिकी आयु के पश्चात् जनहित में सरकारी सेवा में कार्यरत रखा गया उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) पुनर्नियुक्ति करार के आधार पर नहीं दी गई। इन अधिकारियों को प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जनहित में पुनर्नियुक्ति/सेवावृद्धि में रखा गया।

(3) अराजपत्रित कर्मचारियों के सेवाकाल में वृद्धि अथवा पुनर्नियुक्ति की सूचना एकत्रित की जा रही है। प्राप्त प्रश्न केवल राजपत्रित अधिकारियों के विषय में ही था जिनकी सूचना प्रश्न (1) में दे दी गई है।

अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने के पश्चात् राजकीय सेवा में रखे गए अधिकारियों की सूची।

सेवा वृद्धि	अधिकारियों के नाम
1	2
	(1) श्री एस. अडियप्पा, मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग।

1	2
	(2) श्री अर्जुन कोटवानी, विशेषाधिकारी, वित्त विभाग।
	(3) श्री काशी प्रसाद त्रिपाठी, निजी सचिव, मुख्य मंत्री।
	(4) श्री एम. पी. कल्ला, विशिष्ठ सहायक, वित्त मंत्री।
	(5) श्री मदनलाल बावेजा, मैनेजिंग डायरेक्टर, राज. कोग्रोपरेटिव स्पिनिंग मिल्स, लिमिटेड, गुलाबपुरा।
पुर्ननियुक्ति	(1) श्री एम. पी. कल्ला, विशिष्ठ सहायक, वित्त मंत्री।
	(2) श्री बलवंत सिंह, निजी सचिव, वन राज्य मंत्री।
	(3) श्री जयसिंह, अतिरिक्त मुख्य वन्य जीव प्रति पालक।

मकराना में हड़ताल

• 501. **श्री अब्दुल अजीज** (मकराना) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मकराना में किन किन कारणों से दिनांक 6,7,8 व 9 फरवरी, 1979 को आम हड़ताल हुई ? राज्य सरकार ने ऐसी स्थिति न होने के क्या उपाय किये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि मकराना एक्शन कमेटी ने हड़ताल खान नीलामी के संबंध में मुख्य मंत्री जी को तार द्वारा सूचित किया था ? यदि हां, तो दिनांक 3-2-79 के तार की प्रति सदन की मेज पर रखें तथा सामान्य जीवन व्यवस्था संबंबी क्या उपाय किये गये ?

उत्तर

(1) दिनांक 6,7,8 व 9 फरवरी, 79 के चार दिनों में से गृह विभाग से प्राप्त जानकारी के आधार पर दो दिन 7 व 8 फरवरी 79 को हड़ताल हुई। मकराना मारबल खानों की नीलामी को लेकर व अपनी नाराजगी बताने के लिये कुछ लोगों ने इकट्ठे होकर मकराना में हड़ताल की। उन्हें राज्य सरकार के निर्णय के औचित्य से अवगत कराया गया।

(2) हां। दिनांक 3-2-79 के तार की प्रति जो खनिज विभाग को प्राप्त हुई वह सदन की मेज पर है। जन जीवन की सामान्य व्यवस्था एवं सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रबन्ध कर लिये गये थे।

भारतीय डाक तार विभाग
तार 1038
दिनांक 3-2-79

पता :—

खनिज मंत्री,
राजस्थान सरकार,
जयपुर।

म 1600 अ 6 मकराना 3

आपसे बातचीत अनुसार खान नीलामी बन्द कर शीघ्र सूचित करें आय बढ़ाने बाबत बात करने को तैयार 5 फरवरी तक नीलामी निरस्त न कराने पर 6 फरवरी को मकराना बन्द रहेगा।

एक्शन कमेटी मकराना की
समस्त जनता एवं संस्थाओं की
ओर से

पंचायत समितियों के मुख्यालय

502. श्री किशन सिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार विकास खण्डों (समिति मुख्यालयों) के कार्यालय, जो अपने क्षेत्राधिकार से बाहर स्थित हैं, को विकास खण्डों के क्षेत्र में स्थापित करने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या राज्य सरकार भूतपूर्व शासन द्वारा एक से अधिक तहसीलों के क्षेत्र की पंचायतों को मिलाकर बनाई गयी पंचायत समितियों की व्यवस्था को प्रशासनिक व जन सुविधा की दृष्टि से उपयुक्त मानती है ? यदि नहीं, तो क्या आगामी पंचायत समिति एवं जिला परिषदों के चुनावों से पूर्व राज्य सरकार उनका जन सुविधा व प्रशासनिक आधार पर पुनर्गठन करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) उक्त चुनावों से पूर्व आज तक राज्य सरकार ने जिला विकास योजनाओं में ग्राम पंचायतों की भागीदारी किस तरह से प्राप्त की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) अशोक मेहता समिति की सिफारिशों व प्रधान मंत्री की मान्यता तथा जन प्रतिनिधियों की आकांक्षाओं के अनुकूल क्या राज्य सरकार पटवारी को ग्राम पंचायत के

(श्री किशनसिंह भाटी)
अधीनस्थ कार्य करने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं, क्योंकि इससे अत्यधिक वित्तीय भार पड़ेगा जिसे राज्य सरकार के लिये वर्तमान वित्तीय स्थिति में वहन करना संभव नहीं होगा।

(2) जी हां। प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट नीति नहीं थी किन्तु फिर भी जिला स्तर पर जो विकास योजनाएं बनती थीं उनमें पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों से सुझाव प्राप्त करने की परम्परा रही है।

(4) अशोक मेहता कमेटी की सिफारिशें राज्य सरकार के विचाराधीन हैं। निर्णय होने पर ही इस मामले में विचार किया जाना संभव हो सकेगा।

ग्राम आईपुरा एवं बेडिया आदि की सम्मिलित पेयजल योजना हेतु केन्द्र से धनराशि

504. **श्री गोपाल सिंह** (आहोर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या ग्राम आईपुरा, बेडिया, नोसारा, वाखड़ी, सांडवा, खांबी इत्यादि ग्रामों की सम्मिलित पेयजल योजना पिछले वर्ष राज्य सरकार द्वारा पास की जाकर केन्द्र को भेजी गई है जहां से पेयजल योजनाओं के लिए धनराशि राज्य सरकार को दे दी जाती है ? अगर हां, तो इन योजनाओं के तहत राज्य सरकार को कितनी धनराशि प्राप्त हुई है ? उपरोक्त पेयजल योजना का कार्य अभी तक शुरू क्यों नहीं किया जा रहा है ?

उत्तर

यह योजना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 78–79 में स्वीकृत की गई है जिसकी लागत 45.70 लाख रुपये एवं 12.50 लाख रुपये इस वर्ष का आवंटित किए गए हैं। कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

जिलाधीश कार्यालय जयपुर के अधीनस्थ कार्य कर रहे कर्मचारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार का मामला

505. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिलाधीश कार्यालय में जनवरी, 1979 के दूसरे सप्ताह में कोई कर्मचारी भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया ? यदि हां, तो उससे कितने रुपये बरामद किये गये ?

(2) क्या यह सही है कि इस घटना के समय जयपुर जिला कार्यालय के कुछ और कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के कर्मचारी पर धावा बोल दिया और सबूत मिटाने का असफल प्रयत्न किया ? यदि हां, तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

Page No. 173

(173)

(श्री मूलचन्द डागा)

(3) क्या यह भी सही है कि इस प्रकार की घटना होने के बाद वहां के ट्रेजरी व कलेक्टर कार्यालय के कर्मचारियों ने हड़ताल रखी ? यदि हां, तो उसका क्या कारण था ? जिन लोगों ने हड़ताल की उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? और नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां । यह सही है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा श्री राजेन्द्रकुमार ओझा, वरिष्ठ लिपिक को ट्रेप द्वारा पकड़ा गया और मुकदमा नं० 3/79 दिनांक 8–1–79 को दर्ज हुआ । प्रथम सूचना में 400/रु.– बरामद होना दर्शाया गया है ।

(2) जी हां, यह सही है कि इस घटना के समय जयपुर जिला कार्यालय के कर्मचारियों की भीड़ ने भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के कर्मचारियों के काम में बाधा डालने का का प्रयत्न किया । भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना वनीपार्क ने सात कर्मचारियों पर मुकदमा नं० 9/79 दर्ज किया व इस मुकदमे की जांच, अधीक्षक आरक्षी, जयपुर के तत्वावधान में की जा रही है व अनुसंधान पूर्ण होने पर सही स्थिति स्पष्ट होगी । जिन 7 कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ उनको गिरफ्तार भी किया गया ।

(3) जी हां, शेष सूचना का विवरण संलग्न है ।

सूचना

दिनांक 9–1–79 को मध्यान्ह पश्चात् जयपुर जिलाधीश कार्यालय के कर्मचारीगण हड़ताल पर चले गये । यह हड़ताल 16-1-79 तक रही (दि. 13 व 14 जनवरी राजकीय अवकाश था) इस प्रकार साढ़े पांच दिन की हड़ताल रही । राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ-विभागीय समिति जिलाधीश कार्यालय का यह कथन था कि दिनांक 8–1–79 को श्री राजेन्द्र कुमार ओझा वरिष्ठ लिपिक को एक षडयन्त्र बनाकर जबरदस्ती फंसाया गया था । विभागीय समिति का यह भी आरोप था कि भ्रष्टाचार विभाग के अधिकारी के कार्य में बाधा डालने तथा सबूत आदि नष्ट करने को झूठी एफ. आई. आर 6 कर्मचारियों के विरुद्ध दर्ज करवाई गई । इस प्रकार कर्मचारियों का यह कथन था कि समस्त कार्यवाही अन्यायपूर्ण है एवं पुलिस द्वारा निर्दोष लोगों को पकड़ा जा रहा है । इसी कारण दिनांक 9–1–79 को मध्यान्ह पश्चात् कर्मचारीगण हड़ताल पर चले गये । क्योंकि जिलाधीश कार्यालय के कर्मचारीगण सामुहिक रूप से हड़ताल पर रहे अतएवं सभी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना व्यवहारिक नहीं था । अधिकांश कर्मचारियों को वास्तव में यह विश्वास था कि उनके निर्दोष साथी जिनकी आम तौर से शोहरत अच्छी है, के विरुद्ध एक सुनियोजित षडयन्त्र द्वारा अन्याय पूर्ण कार्यवाही की जा रही है । कर्मचारियों का यह मानना था कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग संबंधित अधिकारी अपना व्यक्तिगत ऋण स्वीकृत न होने के कारण रंजिश रखते थे एवं ट्रेप की कार्यवाही के दौरान श्री ओझा की जेब में जबरदस्ती नोट डाले गये । कर्मचारियों में यह भी अंदेशा था कि भ्रष्टाचार

निरोधक विभाग के कार्य में बाधा डालने के आरोप में भी निर्दोष व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार कर्मचारियों ने एक आक्रोषपूर्ण वातावरण में ऐसा कदम उठाया था। अधिकांश कर्मचारी वस्तुस्थिति के बारे में अनभिज्ञ थे। इस हड़ताल से राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ द्वारा समर्थन प्राप्त हुआ। इस अवधि के दौरान विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों को समझाने का प्रयास किया गया। हड़ताल के कारण आम जनता को असुविधा हुई एवं कर्मचारियों को समझाने के प्रयास के दौरान यदि सभी हड़ताल पर गये कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है तो स्थिति और अधिक भड़क सकती थी। हड़ताल अन्य विभागों में फैलने की आंशका थी। इस हड़ताल के दौरान कर्मचारियों ने मुकदमों को वापस लेने की भी मांग की थी। यह मांग अस्वीकार कर दी गई। अंत में कर्मचारियों ने अपनी गलती महसूस की एवं बिना शर्त हड़ताल वापस ली। इस परिप्रेक्ष्य में जब कि रिश्वत लेने के तथा सबूत नष्ट करने के मामलों में अलग से कार्यवाही की जा रही थी, हड़ताली कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई औचित्य नहीं था। हड़ताल के दिनों को अनुपस्थिति में सम्मिलित करते हुए कर्मचारीगणों को देय अवकाश दिया गया।

ग्राम खजूरी, जिला भीलवाड़ा में एक लाख रु. की चोरी

506. **श्री कौशल किशोर जैन** (भीलवाड़ा) : क्या गृह मन्त्री यहबताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है 12 अक्टूबर, 1977 को खजूरी तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा में मोतीसिह सुजानसिंह कोठारी के यहां 1 लाख रु. की चोरी हुई ?

(2) श्री ईश्वर सिंह एस. एच. ओ. से बिना फरयादी के शिकायत व फाइल ट्रांसफर करने का क्या कारण था ?

(3) 4 जनवरी, 1978 को एस. एच. ओ. श्री बहादुरसिंह ने मोतीसिंह/सुजानसिंह के मकान का घेराव क्यों किया तथा उसका परिणाम क्या निकला ?

उत्तर

(1) जी हां। करीब 87 हजार की चोरी हुई थी।

(2) उप निरीक्षक ईश्वर सिंह को इस मुकदमे की तफतीश नहीं दी गई थी। उन्हें केवल अनुसंधान कर्ता थाना प्रबन्धक शकरगढ़ को सहयोग देने हेतु लगाया गया था। अतः फाइल ट्रान्सफर करने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

(3) कोई घेराव नहीं किया। अतः परिणाम का प्रश्न पैदा नहीं होता।

राजस्थान में उर्दू एकेडमी का गठन

507. **श्री गुलमोहम्मद** (जौहरी बाजार, जयपुर)

श्री मोहम्मद जहूर (कांमा) : क्या भाषायी अल्प संख्यक मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य में उर्दू एकेडमी का गठन वैधानिक तरीके से किया जा चुका है? यदि हां, तो इसके विधान की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उर्दू एकेडमी का राजस्थान में गठन किया गया है? यदि हां, तो उसके गठन का मापदंड क्या है? इसमें कितने मैम्बर हैं एवं कितने पदाधिकारी हैं? उनके पद सहित सूची सदन की मेज पर रखने की की कृपा करें।

उत्तर

(1) उर्दू अकादमी का गठन तदर्थ रूप से छः माह के लिये किया गया है। अकादमी का विधान अभी तैयार किया जा रहा है।

(2) जी हां, अकादमी के गठन के आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(176)

राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ /8/9 शिक्षा–4/78 जयपुर, दिनांक 12 फरवरी, 79

आदेश

राज्य सरकार ने राजस्थान उर्दू अकादमी की तदर्थ साधारण सभा तथा मैनेजिंग कमेटी का निम्न प्रकार गठन किया है :—

तदर्थ साधारण सभा—

1–श्री खरतार पकरानवी, नूरबलख मस्जिद, मकराना ।

2—श्री मनपूर चूरवी, निवासी चूरू

3—श्री हाफिज अब्दुल रहीम सालीक, मोहल्ला परिजातगान, झुंझुनूं ।

4—श्रीमती कलसम वानों, उर्दू व्याख्याता, राजकीय महाविद्यालय, सीकर ।

5—श्री अब्दुल करीम अलारखां, अलारखां बिल्डिंग रेल्वे स्टेशन के पास, अजमेर ।

6—श्रीमती प्रेमा भनोत, 52 सवाई रामसिंह रोड, जयपुर ।

7—श्री मिलापचन्द राही, 3ज–20 जवाहरनगर, जयपुर ।

8—श्री फिरोज अहमद, उर्दू व्याख्याता राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।

9—श्री कलीमुदीन तजली उस्मानी मोहल्ला विपातीयन, रामगंज बाजार, जयपुर

10—सैयद इनामल हक, 2527 वेतुल फजल आगरा रोड, जयपुर ।

11—श्री रियासत हुसैन फारूकी, उर्दू व्याख्याता, उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर ।

12—श्री खलील तनवीर, क्यूरेटर, राजकीय संग्रहालय, उदयपुर ।

13—कुमारी हुसैना वानों, रैजीडेन्सी हायर सैकण्डरी स्कूल, उदयपुर ।

14—श्री मोहम्मद युसुफ अजीज, मौहल्ला चुनग्राम, बीकानेर ।

15—श्री अन्तार महसर, नगर आयोजना विभाग, नगर विकास न्यास बिल्डिंग, बीकानेर ।

16—श्री नन्दकिशोर आचार्य, व्याख्याता रामपुरिया महाविद्यालय, बीकानेर ।

17—श्री एस० के० निजाज, कल्ला स्ट्रीट, जोधपुर ।
18—श्री अबुल अपरार रम्जी, अशरफ मंजिल मेड़ती गेट के बाहर, जोधपुर ।
19—डा० अबुल फैज उस्मानी, राजकीय महाविद्यालय, टोंक ।
20—मौलाना मनजरूल हुसन बरकाती, मदरसा खलीलिया, टोंक ।
21—श्री अकील शादाब, श्रीपुरा कोटा ।
22—श्री मफतो टवी, हिरन बाजार, इमला चौक, कोटा ।
23—वित्त आयुक्त, राजस्थान या उनके प्रतिनिधि
24—शिक्षा आयुक्त, राजस्थान या उनके प्रतिनिधि ।
25—उप-शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
26—श्री के० डी० खान, आर०ए०एस० सदस्य सचिव

तदर्थ कार्यपालक बोर्ड—

1—श्री हाफज मोहम्मद अयूब कमर वाहिदी	अध्यक्ष
2—वित्त आयुक्त या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
3—शिक्षा आयुक्त या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
4—उप-शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	सदस्य
5—सैयद ईनामुल हक	सदस्य
6—डा० अबुल फैज उस्मानी	सदस्य
7—श्री मिलापचन्द राही	सदस्य
8—श्री के० डी० खान	सदस्य सचिव

उपर्युक्त तदर्थ समितियों का कार्यकाल छः माह या अकादमी का विधान तैयार होने तथा उसके अनुसार अकादमी का पुर्नगठन होने तक, जो भी पहले हो, तक रहेगा ।

3. उर्दू अकादमी की शक्तियां एवं कृत निम्न प्रकार होंगे :–

1. उर्दू भाषा तथा साहित्य के क्षेत्र में अध्ययन एवं शोध कार्य को प्रोत्साहन देना तथा उन्नत करना ।

2. राज्य में उर्दू संगठनों के कार्यकलापों में समन्वय स्थापित करना ।

3. साहित्य के क्षेत्र में रत पुरुष एवं महिला साहित्यकारों में और साहित्यिक संगमों में परस्पर सहयोग को बढ़ावा देना तथा ऐसे संगमों की स्थापना एवं विकास में प्रोत्साहन प्रदान करना ।

4. राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलनों में सेमीनार के आयोजनों द्वारा उर्दू साहित्य की विभिन्न विचारधाराओं के मध्य साहित्यिक विचार विनिमय को प्रोत्साहन देना ।

5. उर्दू में पत्रिकाओं सहित साहित्य प्रकाशित करना तथा प्रकाशन को प्रोत्साहन देना ।

6. विभिन्न सम्बद्ध उर्दू संगठनों की आवश्यताओं की पूर्ति हेतु पुस्तकालय की स्थापना करना एवं उसे बनाये रखना ।

7. उर्दू भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे अनुमोदित संगमों को मान्यता देना तथा अन्यथा रूप से सहायता प्रदान करना।

8. पुस्तक प्रदर्शनियों, मुशायरों तथा साहित्यिक कार्यक्रमों के आदान प्रदान के माध्यम से देश के भीतर सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना।

9. योग्य उर्दू-लेखकों को छात्रवृत्तियां तथा इनाम देना।

10. उत्कृष्ठ उपलब्धियों के लिये उर्दू लेखकों को मान्यता प्रदान करना।

11. सर्वेक्षण में तथा कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा उर्दू साहित्य के अध्ययन में प्रोन्नति करना।

12. इसके उद्देश्यों एवं कार्यों को अग्रसरित करने के लिये, सरकार के पूर्वानुमोदन से भूमि खरीदना, सभी प्रकार की सम्पति पर स्वामित्व रखना तथा इसका रख रखाव, विक्रय, बंधक अथवा अन्यथा रूप से व्ययन करना, तथा

13. कोई आरक्षित निधि, निक्षेप निधि, बीमा निधि या कोई अन्य विशेष निधि सृजित करना जो चाहे अवक्षयण के लिये हो या मरम्मत के लिये या अकादमी का किसी सम्पति या अधिकारों में सुधार, विस्तार या बनाये रखने और/या नष्ट आस्तियों की प्रतिपूर्ति के लिये और किसी अन्य प्रयोजन के लिये, जिसके लिये कि अकादमी ऐसी निधि या निधियों का सृजन करना या बनाये रखना समीचीन या उचित समझती हो, परन्तु राजस्थान सरकार से प्राप्त अनुदानों का कोई भार अथवा राजस्थान सरकार के अनुदानों से पूरित व्यय में से व्युत्पन्न आय, आय का कोई भाग, राजस्थान सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना ऐसी निधि को अंतरित नहीं किया जायेगा।

4. कार्यपालिक बोर्ड के निम्नलिखित कृत्य होंगे—

क—साधारण परिषद के पर्यवेक्षण के अध्यधीन रहते हुए, अकादमी के कार्यपालक प्राधिकार का प्रयोग करना।

ख—अकादमी और उसके कार्यालय के कार्य के पर्यवेक्षण एवं नियत्रण के लिये उत्तरदायी होना।

ग—साधारण परिषद के अनुमोदनार्थ एवं विचारार्थ अकादमी के कार्यक्रमों को तैयार करना।

घ—वित्तीय अज्ञ समिति द्वारा विहित की गई कुल वित्तीय परिसीमा के अध्यधीन रहते हुए साधारण परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाने वाला अकादमी का वार्षिक बजट तैयार करना।

ङ—साधारण परिषद के विचारार्थ अकादमी के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखों को तैयार करना।

च—अकादमी से मान्यता प्राप्त करने योग्य महत्वपूर्ण उर्दू संगठनों एवं संस्थाओं के नामों पर विचार करना और साधारण परिषद में प्रस्थापित (प्रस्ताव) करना।

छ—साधारण परिषद की बजट संबंधी परिसीमाओं तथा नीति संबंधी निर्देशों,

यदि कोई हो के अध्यधीन रहते हुए, अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त संगठनों एवं संस्थाओं को वित्तीय सहायता मंजूर करना ।

आज्ञा से,
ह०/–
(के०के० भटनागर)
विशिष्ठ शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1—निजी सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, सरकार ।

2—निजी सचिव, मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।

3—निजी सचिव, शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।

4—निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर ।

5—समस्त सम्बन्धित सदस्य गण ।

6—निजी सहायक, शिक्षा आयुक्त, राजस्थान, जयपुर ।

7—निजी सहायक,विशिष्ठ शासन सचिव शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।

8—निजी सहायक, विशिष्ठ शासन सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, कार्मिक क–1 विभाग, राजस्थान, जयपुर ।

9—समस्त अकादमी ।

ह० /–
रामस्वरूप शर्मा
उप शासन सचिव

आवासन मण्डल द्वारा मकानों के निर्माण की योजना

508. **श्री बंसीलाल सारस्वत (नागौर)** : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में आवासन मण्डल के मकान किन-किन स्थानों पर निर्माण करने की योजना बनाई है ?

(2) प्रत्येक स्थान पर अलग-अलग कितने-कितने मकान बने हैं ?

(3) इनमें से जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर एवं बीकानेर में कितने-कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हो चुके हैं ?

(4) प्रत्येक नगर में अभी किस श्रेणी में किस वर्ष तक के आवेदन-पत्र वालों को आवंटन हो गया है ?

(5) क्या इस गति में तीव्रता लाने की कोई गुंजाइश है ?

(6) इसके समाधान में मुख्य बाधायें क्या हैं ?

उत्तर

(1) आवासन मण्डल द्वारा जयपुर, अजमेर, भरतपुर, झुन्झुनूं, दौसा, सीकर, ब्यावर, नीमकाथाना, किशनगढ़, धौलपुर, अलवर, जोधपुर, पाली, बीकानेर, श्री गंगानगर, नागौर, मकराना, बालोतरा, हनुमानगढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, सागवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, रामगंज मन्डी, रावतभाटा, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर में मकान बनाने की योजना बनाई है।

(2) अलग-अलग स्थानों की सूची संलग्न है।

(3) जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर एवं बीकानेर आदि शहरों में विभिन्न पंजीकरण योजनाओं के अन्तर्गत 1978–79 तक संलग्न सूची के आधार पर आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं ?

(4) जयपुर शहर के अलावा उपरोक्त सभी शहरों में 1977 तक के पंजीकृत आवेदकों को मकानों का आवंटन किया गया है जिन्होंने कि आवंटन पत्र भरा है।

(5) प्रयत्न जारी है।

(6) भूमि का समय पर उपलब्ध नहीं होना इत्यादि।

PROGRESS CHART–II

Rajasthan Housing Board : Jaipur

Houses Construction Activity Quarter Ending December, 1978

S. No.	Name of City		JANTA	EWS	LIG	MIG	HIG	TOTAL
1	2		3	4	5	6	7	8
1.	Jaipur	(a)	1094	20	1302	358	21	2795
		(b)	46	841	1753	1128	176	4044
2.	Jodhpur	(a)	515	109	238	48	—	910
		(b)	260	503	783	199	—	1745
3.	Ajmer	(a)	—	—	—	—	—	—
		(b)	369	249	332	292	—	1242
4.	Udaipur	(a)	328	88	—	—	—	416
		(b)	426	488	674	269	10	1867
5.	Bhilwara	(a)	—	133	37	7	—	177
		(b)	244	102	25	16	—	387
6.	Kota	(a)	1571	486	1091	321	50	3519
		(b)	670	679	1598	727	10	3684
7.	Alwar	(a)	36	58	7	15	—	116
		(b)	—	112	142	99	—	353
8.	Bikaner	(a)	—	—	—	—	—	—
		(a)	146	205	198	43	—	592

1	2		3	4	5	6	7	8
9.	Banswara	(a)	—	126	107	13	—	246
		(b)	—	295	125	—	—	420
10.	Sagwara	(a)	—	—	84	17	—	101
		(b)	—	—	386	14	—	400
11.	Jhunjhunu	(a)	216	—	—	—	—	216
		(b)	—	—	—	—	—	—
12.	Pali	(a)	100	70	61	—	—	231
		(b)	100	—	—	—	—	100
13.	Nagore	(a)	128	10	5	—	—	143
		(b)	—	—	—	—	—	—
15.	Bharatpur	(a)	49	—	37	28	—	114
		(b)	116	—	—	—	—	116
16.	Chittorgarh	(a)	42	—	37	3	—	82
		(b)	—	—	—	—	—	—
	GRAND TOTAL	(a)	3806	1100	2804	729	71	9066
		(b)	2377	3474	6016	2887	196	14950

Notes :–(i) Details as per progress chart–I

(ii) Houses in progress are shown in group (a) and houses completed are shown in group (b)

(iii) Progress is inclusive of all G. R. S. and S. R. S.

(iv) Total houses in progress are 9066 and total houses completed are 14,950

पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुये उनकी सूची

शहर	आवेदन प्राप्त	आवंटन व राशि की वापसी	शेष
जयपुर	20244	9036	11208
जोधपुर	4759	2413	2346
कोटा	12508	4629	7879
उदयपुर	3712	2058	1654
अजमेर	2750	1900	850
बीकानेर	1828	1271	557

झालावाड़ जिले में हाउसिंग बोर्ड द्वारा मकान बनाकर गरीबों को कम दर पर देने की योजना

509. **श्री बालचन्द आर्य (डग)** : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) झालावाड़ जिले में ऐसे कितने परिवार हैं, जिनके पास रहने हेतु मकान नहीं हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार ने उनके रहने की कोई व्यवस्था की है ?

(3) क्या वहां पर राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की ओर से मकान बनाने और गरीबों को कम दर पर देने की राज्य सरकार की कोई योजना है ?

उत्तर

(1) इस विभाग में यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

(2) नगरपालिका एवं आवासन मंडल के सामूहिक प्रयासों से चेष्टा की जा रही है।

(3) झालावाड़ जिले में अगले वित्त वर्ष में आवासन मंडल द्वारा मांग का सर्वेक्षण प्रारम्भ किया जा रहा है और समुचित मांग होने पर यह योजना शुरू की जायेगी।

जयपुर नगर विकास न्यास के पास आवंटन हेतु भूमि

510 **श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर नगर विकास न्यास के पास वर्तमान में कुल कितनी भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या नगर विकास न्यास भूमि को नीलामी से बेच सकता है ? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत कितनी भूमि बेच सकता है ?

(3) क्या राज्य सरकार जयपुर के

(श्रीमती उजला अरोड़ा)
विकास हेतु नगर विकास न्यास को भूमि उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि नगर विकास न्यास, जयपुर की कई योजनाएं राज्य सरकार के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो उनको अन्तिम रूप कब तक दे दिया जावेगा ?

(5) क्या नगर विकास न्यास गरीब लोगों को निश्चित दर पर भूमि आवंटन करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) मास्टर प्लान में रिहायशी उपयोग हेतु दर्शाये गये क्षेत्र में मालवीया इन्जीनीयरिंग कालेज के आगे सैक्टर नं. 2 में नगर विकास न्यास द्वारा 1024 बीघा भूमि की अवाप्ति की गई है। इसमें मालवीया नगर नामक योजना विकसित की जाकर 1/3 भाग में नगर विकास न्यास द्वारा नियमानुसार भू खण्ड आवन्टन की कार्यवाही की जावेगी। 2/3 भूमि आवासन मण्डल को दी गई है जिसमें वह रिहायशी भवन निर्मित कर आवन्टन करेगा। दिल्ली बाई पास पर गलता दरवाजे के निकट 30 बीघा भूमि में न्यास द्वारा तीन सौ पचास रुपये से कम मासिक आय वालों को भू खण्ड दिये जावेंगे।

(2) राजस्थान नगर सुधार अधिनियम की धारा 74 के अन्तर्गत शहरी भूमि निस्तारण नियम, 1974 के नियम, 14 के अनुसार जो भू खण्ड आवन्टन हेतु सुरक्षित नहीं हों उन्हें न्यास नीलामी द्वारा निस्तारित किया जा सकता है। इन्हीं नियमों के नियम 15 में गैर आवासीय भू खण्डों की नीलामी का प्रावधान किया गया है।

(3) न्यास द्वारा आवासीय योजनाओं के लिए भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जा रही है। इस सम्बन्ध में न्यास की ओर से निदेशक, शहरी भूमि सीमा विभाग से कहा गया है कि सीलिंग कानून के अन्तर्गत भूमि अवाप्त कर न्यास को उपलब्ध करवाई जावे इसमें से लगभग 9043 बीघा भूमि टोंक रोड़ से गोपालपुरा सोड़ाला सड़क व अजमेर रोड़ क्षेत्र में तथा लगभग 4396 बीघा ग्राम झोटवाड़ा व चौमू रोड़ पर स्थित भूमि 45 बीघा 10 बिस्वा भूमि चकसुन्दर का वास योजना, 16 बीघा 15 बिस्वा भूमि अटल जी का बाग योजना के लिए उपलब्ध कराने हेतु अवाप्ति की कार्यवाही शुरू कर दी है। इसके अतिरिक्त अम्बाबाड़ी योजना के आगे विद्याधर नगर नामक योजना के लिए प्रतिरक्षा विभाग से चांदमारी की भूमि लेकर न्यास को दिये जाने के सम्बंध में मामला केन्द्रीय प्रतिरक्षा मंत्रालय के विचाराधीन है। चांदमारी की भूमि प्राप्त हो जाने के बाद विद्याधर नगर योजना लगभग 1833 बीघा भूमि में बन सकेगी।

(4) जी नहीं।

(5) जी हां। रिहायशी भू खण्डों के लिए अवाप्त की गई मालवीया नगर योजना व अन्य भूमि उपलब्ध हो जाने पर बनाई जाने वाली योजनाओं में शहरी भूमि निस्तारण नियम, 1974 के प्रावधानों के अनुसार 70% भू खण्ड अल्प आय के व्यक्तियों को, 20% भू खण्ड राजस्थान सरकार के कर्मचारी, नगर निकायों के कर्मचारी और राज्य की अन्य वैधानिक संस्थाओं के कर्मचारी और

(स्वायत्त शासन मंत्री)
10% फौजी सेवा के आदमियों को निश्चित या रियायती दर पर दिया जाता है। अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए निर्धारित कोटा 70% में से 15% भू खण्ड अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों को दिया जाता है।

विश्व खाद्य कार्यक्रम परियोजना को राजस्थान नहर परियोजना में लागू करने का मामला

511. **श्री राम कृष्ण दास गुप्ता** (कोलायत) : क्या राजस्थान नहर परियोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) राजस्थान नहर परियोजना पर विश्व खाद्य कार्यक्रम परियोजना कब से लागू है ? इसमें नहर पर लगे मजदूरों को क्या–क्या खाद्य सामान मिलता है और अब तक कितने करोड़ रुपये का इस परियोजना में वितरण हो चुका है ?

(2) क्या विश्व खाद्य परियोजना व राज्य सरकार के बीच में यह करार है कि इन खाद्यान्न को बेचने, वितरण करने व उससे प्राप्त राशि का हिसाब रखा जावेगा और प्रत्येक वर्ष उस हिसाब का आडिट करवाया जावेगा ?

(3) यदि हां, तो क्या सन् 1968 से आज तक इस परियोजना के अन्तर्गत चल रही दुकानों के हिसाब का आडिट नहीं हुआ है और सारा रिकार्ड बिना आडिट कराए नष्ट कर दिया गया है ? यदि हां तो इसके लिए कौन दोषी है और राज्य सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राजस्थान नहर पर विश्व खाद्य कार्यक्रम खाद्य सहायता अक्टूबर, 1968 से लागू है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान नहर पर काम करने वाले मजदूरों को परियोजना के प्रथम चरण (अक्टूबर, 1968 से सितम्बर, 1973) में गेहूं, बटर आयल, दुग्धचूर्ण एवं बीन्स वितरित किये गये थे। परियोजना के द्वितीय चरण (दिसम्बर, 75 से मई, 1979) में केवल गेहूं और बटर आयल वितरित किया जा रहा है। जनवरी, 1979 तक कुल रु. 5,23,83,985-09 का खाद्य सामान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वितरित हो चुका है।

(2) विश्व खाद्य कार्यक्रम एवं राज्य सरकार के बीच कोई करार नहीं है। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ कृषि एवं खाद्य संगठन/विश्व खाद्य कार्यक्रम एवं भारत सरकार के बीच करार हैं जिनके अनुसार खाद्य पदार्थों एवं उनके वितरण करने से प्राप्त धनराशि का हिसाब रखा जाकर प्रत्येक वर्ष उसका आडिट करवाया जाता है।

(3) करार के अनुसार सन् 1968–69 से सन् 76–77 तक के वार्षिक लेखे इस हेतु विशेष रूप से अधिकृत वरिष्ठ लेखाधिकारी द्वारा आडिट किये जाकर प्रमाणित कर दिये गये हैं तथा भारत सरकार एवं विश्व खाद्य कार्यक्रम अधिकारियों को भेजे जा चुके हैं। अधिकृत दुकानदारों को दिये गये खाद्यान्न एवं प्राप्त की गई रकम से सम्बन्धित सभी स्टाक रजिस्टर, तक पट्टियां, चालान आदि पूरी अवधि के लिऐ सुरक्षित हैं एवं नष्ट नहीं किये गये हैं।

बेगार प्रथा की समाप्ति के प्रयास

512. श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) राज्य में कुल कितनी बेगार है और राज्य में बेगारी किन किन रूप में ली जाती है ? जिलानुसार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राज्य सरकार ने बेगारी प्रथा समाप्त करने के लिए क्या प्रयास किये हैं और कितने बेगारों को अब तक रोजगार में लगा दिया है ?

(3) क्या यह सही है कि बेगारी प्रथा में लिप्त व्यक्तियों की आवासीय समस्या को भी हल किया गया है ? अभी तक आवास समस्या के हल करने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

(4) क्या इस समस्या को समाप्त करने के लिए केन्द्र सरकार ने भी सहायता देने का आश्वासन राज्य सरकार को दिया है ?

उत्तर

(1) विभाग को जानकारी नहीं है क्योंकि विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

(2) विभाग को जानकारी नहीं है।

(3) विभाग को जानकारी नहीं है।

(4) विभाग को जानकारी नहीं है।

राजस्थान राज्य क्रय विक्रय संघ लि. जयपुर के लीगल एडवाइजर

513. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनू) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लि., जयपुर ने अपने कार्य के लिए वकील नियुक्त किये हैं ? यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों में किन किन को कब कब वकील नियुक्त किया तथा उनको क्या क्या कार्य सौंपे ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) अब तक किस किस वकील को कितनी कितनी राशि का भुगतान कब कब किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। सर्व श्री सूर्यनारायण चौधरी, शमीकुमार गुप्ता, एन. एल. टीबीवाल एवं बाबूलाल गोयल को क्रमशः 13 अगस्त, 1969 1, सितम्बर, 1975, जनवरी, 75, एवं जनवरी, 78 में नियुक्त किया गया। विधि सलाहकारों की राय निम्न मामलों पर ली जाती है:–

1– कान्ट्रेक्टस् आदि के बारे में।

2– कान्ट्रेक्टस् से सम्बन्धित अथवा उनसे उत्पन्न विवादों के बारे में।

3– औद्योगिक एवं श्रम कानूनों के तहत कर्मचारियों से सम्बन्धित

4–आयकर एवं वाणिज्य कर के बारे में। वर्तमान में सौंपे गए कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) सूची सदन की [illegible] र दी गई है।

वर्तमान में विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन मुकदमों की सूची

क्र० सं०	दावे का नाम	अदालत का नाम	वकील जो पैरवी कर रहे हैं
1	2	3	4
1.	राममोहन डवनिया बनाम संघ	राज० उच्च न्यायालय	श्री श्योकुमार गुप्ता
2.	मिकियत सिंह बनाम संघ	,,	,,
3.	संघ बनाम नवभारत इन्जिनियरिंग	अति० जिला जज	श्री कृष्णकुमार सैनी
4.	संघ बनाम मूल चन्द मोदी	अति० मुन्सिफ मजिस्ट्रेट	,,
5.	संघ बनाम हिन्दुस्तान स्टील	जिल जज	,,
6.	संघ बनाम डेस्मेट	,,	,,
7.	संघ बनाम भादरमल जवाहरमल (इजरा)	सिविल जज	श्री श्योकुमार गुप्ता
8.	संघ बनाम माधोलाल ,,	,,	,,
9.	संघ बनाम भावर मल सूंडा ,,	,,	,,
10.	संघ बनाम आर० टी० ओ० जयपुर	आर० टी० ओ० जयपुर	,,
11.	गुमानाराम बनाम संघ	अति० मुन्सिफ मजिस्ट्रेट	,,
12.	लक्ष्मण राम बनाम संघ	वेतन भुगतान अधिकारी	,,
13.	मूलचन्द चौधरी बनाम संघ	,,	,,
14.	विशनदास सतन मल बनाम संघ	अति० जिला संघ	,,
15.	लक्ष्मी आलू भण्डार बनाम संघ	,,	,,
16.	बलवन्त सिंह गुरबचनसिंह वेश	सहकारिता मंत्री	,,
17.	सुमेरगंज मण्डी समिति बनाम संघ (2 केश)	सहकारी न्यायाधीकरण	,,
18.	सुनील कुमार बनाम संघ	अति० मुन्सिफ मजिस्ट्रेट	,,
19.	संघ बनाम सहायक निदेशक भूमि एवं भवन कर (2 केश)	जिलाधीश जयपुर	,,
20.	संघ बनाम सांवलसिंह रामसिंह	राज० उच्च न्यायालय	श्री एल० एन० टिब्रीवा
21.	पदमपुर समिति बनाम संघ	अति० रजिस्ट्रार	(सह० स० संघ प्रतिनिधि)
22.	संघ बनाम लक्ष्मीनारायण धीया	मध्यस्थ महोदय	,,

1	2	3	4
23.	संघ बनाम धनकड़ ब्रदर्स	मध्यस्थ महोदय	श्री एल. एन. टिन्नीवा
24.	संघ बनाम मनोराम छाजा	,,	(सह० स० संघ प्रतिनिधि)
25.	संघ बनाम बीकानेर होलसेल भंडार	,,	,,
26.	संघ बनाम जयपुर फलसब्जी सह० स०	,,	,,

संघ द्वारा संचालित अलवर शीतागार के विवादों की सूची जो अलवर स्थित न्यायालयों में विचाराधीन हैं।

क्र० सं०	दावे का नाम	अदालत का नाम	वकील का नाम
1.	शिवधनी	सिविल कोर्ट	श्री बाबूलाल गोयल
2.	राम चन्द्र सिंह	,,	,,
	हरीश चन्द्र सिंह	,,	
3.	गंगाचरण, रामधन	,,	
4.	जमादार सिंह	,,	,,
5.	राधाकिशन	,,	,,
6.	गंगाराम पूरणमल	,,	,,
7.	सुरेन्द्र कुमार	,,	,,
8.	भगवान सिंह	,,	,,
9.	हरबंश लाल	,,	,,
10.	मुकन्द सिंह, जगजीत सिंह	,,	,,

क्र. सं.	नाम वकील	नियुक्ति की तिथि	वर्षवार दी गई फीस 74–75	75–76	76–77	77–78	78–79 फरवरी 79 तक	योग	विशेष विवरण
1.	सूर्यनारायण चौधरी	13–8–69	5715–25	375–00	1040–00	375–00	6730–00	14235–25	
2.	शशी कुमार गुप्ता	1 सितम्बर 75 से विधिवत	–	1382–86	3687–00	1342–86	11133–00	17505–72	
3.	बाबू लाल	जनवरी 78	–	–	–	–	2090–00	2090–00	
4.	एन. एल. टीबीवाल	जनवरी 75	200–00	–	130–00	–	–	330–00	

नोट :—सर्व श्री सूर्यनारायण चौधरी एडवोकेट, श्री गयाकुमार गुप्ता एडवोकेट को 300/–प्रतिमाह रिटेन्सज फीस के रूप में दिया जाता है । इसके अलावा मुकदमों में पैरवी करने का मेहनताना पृथक से दिया जाता है ।

शीतागार से सम्बन्धित उत्पन्न मामलों के कार्य हेतु पैरवी के लिए श्री बाबू लाल गोयल को नियुक्त किया गया है । इनका दर्जा कानूनी सलाहकार का नहीं है । उन्हें सिविल के रूप में मेहनताने के रूप में पैसा दिया जाता है ।

इटावा ग्राम के गरीब व्यक्तियों को बेकार पड़े टीलों की जमीन का आवास हेतु आवंटन

514. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इटावा ग्राम में जनसंख्या की अधिकता तथा मकानों की कमी होने की वजह से वहां के गरीब व्यक्तियों ने बेकार पड़ी टीलों वाली जमीन पर मकान बना लिए हैं क्योंकि वहां जनता के आग्रह के बाद भी आवासीय भू-खण्ड अलाट नहीं किये गए थे ?

(2) क्या वर्षों से रह रहे इन गरीबों पर अभी नायब तहसीलदार उपनिवेशन ने उन पर भारी जुर्माने तथा सजाएं की हैं, जो अनुचित तथा अमानवीय है ?

(3) क्या राज्य सरकार इन भारी जुर्माने तथा सजाओं को मानवीय आधार पर माफ कर उक्त टीलों वाली जमीन की वाजिब कीमत लेकर उन गरीबों के नाम नियमन करने के आदेश प्रदान करेगी जिन्होंने मेहनत कर टीलों को समतल कर वहां मकान बनाए हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। परन्तु भूमि आवंटन के बाबत कोई आग्रह नहीं किया गया।

(3) जी नहीं। केवल 11 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया है एवं सिविल सजा किसी को नहीं दी गई है।

(3) जुर्माना माफ किए जाने के लिए सक्षम अधिकारी के पास अपील करने के प्रावधान है जहां से ही जुर्माना माफ हो सकता है। सजा की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। नियमन हेतु मण्डी कमेटी द्वारा प्रार्थना पत्र आमंत्रित कर 33 व्यक्तियों को नियमन किया जा चुका है। शेष व्यक्तियों के प्रार्थना पत्रों पर नियमन कार्यवाही मण्डी कमेटी, कोटा के यहां विचाराधीन है।

संजीवन सहकारी समिति फतहनगर की जांच

515. श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी (मावली) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) संजीवन सहकारी समिति, फतहनगर, तहसील मावली की जांच की क्या प्रगति है ?

(2) क्या यह सही है कि संजीवन सहकारी समिति फतहनगर द्वारा एक सहकारी तेल उद्योग की स्थापना की गई है ? यदि हां, तो किस वर्ष में व उस पर कुल कितना रुपया व्यय हुआ है ? कुल खर्चे में से राज्य सरकार द्वारा कितना ऋण एवं कितना अनुदान दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि इस तेल उद्योग से सहकारी समिति को लाभ के बजाय घाटा हुआ है ? यदि हां, तो कितना व किस वर्ष तक ?

(4) क्या यह सही है कि यह तेल उद्योग घाटे में होने से बंद है ? यदि हां, तो इसको

(श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी)

पुनः चालू करने हेतु राज्य सरकार के पास क्या योजना है? उसे अब कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

उत्तर

(1) अभी संजीवन सहकारी समिति फतहनगर तहसील मावली की जांच राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 74 के अन्तर्गत चल रही है। आगामी सुनवाई की तिथि 21–3–79 को है।

(2) जी हां। इसकी स्थापना वर्ष 73–74 में की गई। उक्त प्लाट पर 33·55 लाख रुपये व्यय हुआ है। राज्य सरकार ने 5·40 लाख हिस्सा राशि, 19.00 लाख का ऋण एवं 3.16 लाख अनुदान दिया है। राज्य सरकार द्वारा दी गई राशि की तफसील संलग्न सूची में अंकित है।

(3) जी हां। वर्षवार 73–74 से 77–78 तक कुल 3127292 = 21 हानि हुई है।

(4) जी हां। इसे चालू करने के लिए राज्य सरकार ने अपने आदेश क्रमांक फा० 11/15 को 70 पार्ट 2 दिनांक 27–11–78 द्वारा इस मिल एवं प्लांट को पुनः चालू करने के लिए समिति से लीज पर राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लि० को देने का निर्णय लिया है। प्लाट के मरम्मत एवं सफाई के बाद, आगामी सीजन तक चालू होने की संभावना है।

राज्य सरकार से प्राप्त राशि का ब्योरा

दिनांक	राशि	मद
8–5–72	4·00	हिस्सा राशि
31–3–75	1·40	,,
21–3–75	3·16	अनुदान
20–12–75	2·00	ऋण
27–3–76	17·00	,,

सहकारी समिति ग्राम डोराई में अनियमितताएं

517. **श्री एच. एन. शर्मा** (वेगूं) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम पंचायत डोराई की सहकारी समिति में किसी प्रकार की अनियमितताएं हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम डोराई की सहकारी समिति के अध्यक्ष बड़ी

(श्री एच. एन. शर्मा)
रकम का गबन करके भाग गये हैं? अगर हां, तो सरकार की कुल कितनी रकम का गबन किया गया है तथा किस किस मद में? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त गबन के बारे में सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है? अगर नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। समिति के ऋण वितरण में अनियमिततायें हुई हैं।

(2) जी नहीं, ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. डोराई में रु. 1,14,300.63 पैसे की रकम का गबन की जानकारी मिलने पर अध्यक्ष। कोषाध्यक्ष व व्यवस्थापक के विरुद्ध राजस्थान राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 74 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। ब्यौरा परिशिष्ट 'अ' में अंकित है।

(3) जी नहीं, जानकारी मिलने पर संस्था की जांच करवाकर राजस्थान राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 74 के अन्तर्गत दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही जारी कर दी गई है।

परिशिष्ट "अ"

डोराई ग्राम सेवा सहकारी समिति डोराई, तहसील बेंगू की जांच रिपोर्ट के आधार पर निम्न व्यक्तियों पर गबन का आरोप है :—

1. श्री लक्ष्मण सिंह, भूतपूर्व व्यवस्थापक	40,951–75
2. श्री हीरालाल धाकड़, भूतपूर्व अध्यक्ष	71,458–90
3. श्री मूलचन्द धाकड़, कोषाध्यक्ष	1,800–00
	1,14,300–63

इसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :—

1. सूची श्री हीरालाल धाकड़—अध्यक्ष द्वारा किया गया गबन :—

(1) दिनांक 19–8–77 को 18,600/– का ऋण उठाया जाकर, उसका विवरण स्टेट मेन्ट में प्रस्तुत न कर, गबन करना।	18.600–00
(2) 78 सदस्यों को 51,486/– रुपये का ऋण देना अंकित है परन्तु बैंक ऋण प्राप्ति सदस्य स्वीकार नहीं करते।	51,486–00
(3) समिति के तीन सदस्यों को खाद देकर, उन्हीं के पास रखना, एस. पी. के तीन बैग सुपुर्द नहीं करना।	463–00
	334–50
(4) रोशन नामें लिखकर, गबन करना,	305–40
	योग 71,548–90

सूची श्री लक्ष्मण सिंह–भूतपूर्व व्यवस्थापक द्वारा गबन :—

1. बनोमी सदस्यों नाम 10 सदस्य	16,820–00
2. रसीदें जारी कर, राशि का जमा खर्च संस्था के रेकार्ड में व बैंक में न कर, गबन कर 126 सदस्य	4,619–00
3. बिना रसीदें दिये राशि वसूल कर, गबन 6 सदस्य	3,280–00
4. दिनेशचन्द्र श्रीवास्तव के नाम माण्डे	1,489–00
5. वर्ष 77–78 में अमानत सदस्यों का लेनदेन बिना स्वीकृति के करने से संस्था की राशि का गबन	7,550–93
6. खाद स्टाक का गबन	5,737–70
7. रेकार्ड में कांट छांट कर, गलत वेतन बता कर गबन	750–00

8. रोकड़ पृष्ठ 38, 45, 47 दिनांक 10–1–78, 2–2–78, 26-2-78 रोकड़ में वसूली की राशि कम जमा कर, गबन किया	21–00
9. आडिट नोट वर्ष 76–77 के अनुसार पोता	9–10
10. दिनांक 30-6-77 को बैंक के ऋण खाते में 3870/– जमा किये, जबकि संस्था की रोकड़ में दिनांक 31–8–77 को 4000/– बैंक खाते में माण्डे गये। अतः 130/– रुपये का गबन है। इसी प्रकार 30-12-77 को बैंक के ऋण के ब्याज के खाते में 1,505–35 पैसे बैंक खाते में जमा है जबकि रोकड़ वही में 2,005–35 पैसे नामें मान्डे अतः 500/– रु० का गबन है। इस प्रकार कुल रुपया 630/– का गबन है।	630–00
	40,951–73

श्री मूलचन्द धाकड़ द्वारा गबन

श्री भुवाना पिता श्री लालूजी धाकड़ के नाम से 1,200/– दिनांक 6-8-77 को एवं हजारी पिता मानाजी मीणा के नाम से 600/– रुपये झूठा बोण्ड भरवाकर तथा उक्त पेटे 1,800/– की राशि वसूली दिखाकर पैसे का दुरुपयोग 1,800–00

मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोटड़ा का झाड़ोल में प्रति माह कैम्प

518. **श्री लालूदास** (फलासिया) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कोटड़ा अदालत मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट नं. 3 फलासिया और झाड़ोल से काफी दूर है और वहां तक जाने में 2 दिन का समय लगता है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार मजिस्ट्रेट के कोर्ट का प्रतिमाह 10 दिन का कैम्प झाड़ोल में रखेगी ?

(3) क्या इसके लिये पूर्व में कई प्रतिवेदन राज्य सरकार के पास आ चुके हैं, किन्तु अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया ? अब राज्य सरकार कब और क्या निर्णय इस सम्बन्ध में ले रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। फलासिया की दूरी कोटड़ा से 65 किलोमीटर है।

(2) जी नहीं। झाड़ोल न्यायालय हेतु उपयुक्त भवन पीठासीन अधिकारी के आवास गृह व लाक अप आदि की व्यवस्था नहीं हो सकने के कारण झाड़ोल मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट का कैम्प कोर्ट करना सम्भव नहीं है। उपरोक्त व्यवस्थायें उपलब्ध हो जाने पर आदिवासी क्षेत्र झाड़ोल में पूर्णकालीन कोर्ट का ही विचार किया जाना सम्भव है।

(3) जी हां। ऊपर वर्णित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये कैम्प कोर्ट लगाना सम्भव नहीं है ?

गोगुन्दा क्षेत्र में आदिवासी राजकीय छात्रावास

519. **श्री भूरालाल** (गोगुन्दा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में आज दिन तक एक भी आदिवासी राजकीय छात्रावास नहीं है, जबकि सरकार की नीति आदिवासियों को छात्रावास की पूर्ण सुविधा देने की है ? यदि हां, तो गोगुन्दा में आदिवासी छात्रावास कब खोला जायेगा ?

उत्तर

जी हां। यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में कोई राजकीय आदिवासी छात्रावास नहीं है और यह भी सही है कि सरकार की नीति आदिवासियों को, जहां तक सम्भव हो छात्रावास सुविधा देने की है। गोगुन्दा में आदिवासी छात्रावास खोलने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है, क्योंकि वहां एक अनुदानित आदिवासी छात्रावास पहले से ही चल रहा है।

परिशिष्ट–3

अतारांकित प्रश्न सं० 558 की सूची

सीकर जिले के दांता रामगढ़ तहसील में खोले गये, क्रमोन्नत किये गये **विद्यालयों की सूची**––

सत्र 1977–78

प्राथमिक विद्यालय

1. नांगल
2. मन्डा सुरेरा (कन्या)

उच्च प्राथमिक विद्यालय

1. मोटलावास
2. जगतपुरा
3. लिखमा का वास
4. मेई राजनपुरा

माध्यमिक विद्यालय

1. मंडा सुरेरा
2. दांता रामगढ़ (कन्या)

सत्र 1978–79

प्राथमिक विद्यालय

1. लक्ष्मण पुरा
2. भीमपुरा
3. रघुनाथपुरा
4. चैनपुरा
5. खातीवास
6. रेशमा की ढाणी तनभीमा
7. स्वामी की ढाणी
8. अहीरों का वास
9. भंवरिया की ढाणी
10. अहीरों की ढाणी

उच्च प्राथमिक विद्यालय

1. रामपुरा
2. सुल्यावास
3. खूड़ (कन्या)

माध्यमिक विद्यालय

1. लोसल (कन्या)

परिशिष्ट–4

अतारांकित प्रश्न सं. 560 की सूची

1977–78 में सीकर जिले में खोली गई प्राथमिक शालाओं की सूची

(1) जुझारा का मठतन बाजोट (प. स. पीपराली
(2) भीलों की ढाणी तन भिरण्ड
(3) मलसीवास तन जाजोद (लक्ष्मणगढ़)
(4) सिगडोली छोटा (लक्ष्मणगढ़)
(5) जैतपुरा (लक्ष्मणगढ़)
(6) पचारों की ढाणी तनडालूभास (लक्ष्मणगढ़)
(7) जलालपुर (श्रीमाधोपुर)
(8) नई ढाणी रतनपुर (नांगल-नाथुसर)
(9) दिवाराला (कन्या)
(10) श्योपुरा (त. श्रीमाधोपुर)
(11) ढाणी लाम्बावाली तनपोधवपुरी (त. नीम का थाना)
(12) देवीपुरा (त. श्रीमाधोपुर)
(13) काला खांटा (नीम का थाना)
(14) बुझा (नीम का थाना)
(15) चलेकी ढाणी तन माहवा (नीम का थाना)
(16) डाबला (कन्या) नीम का थाना
(17) जीजारा का तन बाजोट (धौद)
(18) ढाणी अजीतपुरा (धौद)
(19) नागल (प. स. बाय)
(20) मन्ढा (सुरेश) (कन्या) पं. स. दांता रामगढ़
(21) हरीपुरा (त. नीम का थाना)

सूची प्राथमिक विद्यालय जिन्हें जुलाई, 1977 से उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया–

जिला–सीकर–

1. सांगरवा (दांता रामगढ़)
2. मगतपुरा (पं०स०–दांता रामगढ़)
3. मोहलावास (दांता रामगढ़)
4. नेवटिया (कन्या) फतेहपुर।
5. खोटिया (त.–फतेहपुर)
6. ग्राम–लिखमा का वास (पं. स.–बाय)
7. त्रिलोकपुरा (पं.सं.–पिपराली)
8. करजी खरकड़ा (पो.–रामपुरा–वाया–पाटन)
9. किशोरपुरा (नीम का थाना)
10. राजस (लक्ष्मण गढ़)
11. चाचीवाद (फतहपुर)
12. चूड़ी मिजाज (लक्ष्मण गढ़)
13. बगड़ी
14. बींदसर
15. जाचास (घोंद)
16. टाटामवां
17. गुढ़ा (श्री माधोपुर)
18. गोमावाली (सिहोड़ी)
19. ज्यानकी पुरा (त.–श्री माधोपुर)
20. ठिकरिया (त.–नीम का थाना)
21. गुहाता (कन्या)
22. नीम का थाना (सीकर)
23. अल्पसर (सीकर)
24. मेई राजपुरा (सीकर)
25. बाजौर (सीकर)

सूची उन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों की जिन्हें माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया गया—

जिला–सीकर—

1. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, ढाढण–त.–फतेहपुर।
2. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, हाथदेय (श्री माधोपुर)
3. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, मंडा (सुरेश–दांता रामगढ़)
4. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, दांता रामगढ़ (कन्या)
5. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, खण्डेला (कन्या)
6. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, जाजोद (श्री माधोपुर)
7. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, टेटेरा (नीम का थाना)
8. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, रघुनाथ गढ़ (दांता रामगढ़)
9. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, चूड़ौली खाखोली (धोंद)
10. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, जाजोद (लक्ष्मण गढ़)
11. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, दांता (कन्या)
12. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, गोरिया (सीकर)
13. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, चला (सीकर)
14. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कटराथल (दांता रामगढ़–सीकर)
15. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, तारपुरा
16. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, नांगल
17. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, अलपसर (निरस्त)

सत्र 78–79 सीकर जिले में खोले गये प्राथमिक विद्यालयों की सूची

1. नारसरा	फतेहपुर	2, वागास	फतेहपुरा
3. कुन्डाला	नीम का थाना	4. चक मण्डोली	नीम का थाना
5. खारी ब्राह्मणान	पीपरालीं	6. शोभ	पिपराली
7. भगतपुरा	,,	8, मौजा की ढाणी	,,
9, कँवरपुरा	घोंद	10. बामरडा	खण्डेला
11. खेडी चारण	खण्डेला	12. वहादुरपुरा	,,
13. देवोपुरा	,,	14. सीलकीवांड़ा	,,
15. लक्षमणपुरा	दांतारामगढ	16, नासणवा	लक्षमणगढ़
17, फतेहपुरी	खण्डेला	18. लुहारवास (कौटरी)	खण्डेला
19. चैनपुरा	दातां रामगडु	20. खाती का बास	दातांरामगढ़
21. घीजपुरा	,,	22. रघुनाथपुरा	,,
23. वाला काबास	फतेहपुरा	24. बरगडी की ढाणी	पीपराली
25. न्यागरली	,,	26. दीपपुरा चारनाडा	घोंद
27. गुजरीक ढाणी सैंवद वडी	घोंद	28. शेशमाकी ढाणी तन मीमा	दातांरामगढ़
29. बासपी मूपाबड़ा	लक्षमणगढ़	30. खुडी छोटी	लक्षमणगढ़
31. झाडेवा	,,	32. स्वामी की ढाणी तनधूल्यावास	दातांरामगढ़
33. छीलावालीब्राचं	श्रीमाधोपुर	34. डोरासुरा	लक्षमणगढ़
35. मूवरिया कीढाणी मगर तक करड	दातांरामगढ़	36. आहारों की ढाणी	खूंड
37. आहारा काबास	दातांरामगढ़		

वर्ष 78–79 में क्रमोन्नत उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची

1, कौटडी	श्रीमाधोपुर	2. सरगौर	श्री माधोपुर
3. गाहवा	नीमका थाना	4. मण्डोली	नीमका थाना
5. अजमेर	,,	6. कासली	घोंद
7. नीमेडा	खाण्डेला	8. जुगलपुरा	खण्डेला
9. रैनावा माधोपुर	लक्षमणगढ़	10. दौलतपुरा	पिपराली

Page No. 201

(201)

11. बिराणिया	फतेहपुर	12. राजपुरा	फतेहपुर
13. मोरडूंगा माडोली	धोद	14. सुल्यावास	,,
15. खुण्ड (कन्या)	दातांरामगढ़	16. जयतुसर मालका वाली	श्रीमाधोपुर
17. मौजासर बड़ा	लक्ष्मणगढ़	18. राजपुरा	दातांरामगढ़

सत्र 1978–79 में उच्चप्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत विद्यालयों की सीकर जिले की सूची

1. मुड़
2. दादियारामपुरा
3. महरौली
4. गटकनेत
5. श्रीमाधोपुर ग्रामीण नं० 1
6. ग पेश्वर
7. पीतमपुरी
8. पीपलदा
9. सिररेही
10. गावड़ी
11. कोटड़ी लुहारबास
12. गूगारा
13. बेरी धर्मशाला
14. लोसल (कन्या)

202

सत्र 1977-78 में नव क्रमोन्नत उच्चप्राथमिक विद्यालय

क्र० स०	राजविद्यालय		स्वीकृत पद ।। ग्रेड	अध्यापकों की नियुक्ति संबंधी विवरण
1.	रा. उ. प्रा. विद्यालय,	माटुलावास	1	श्री मोहन लाल (1–8–77)
2.	रा. उ. प्रा. विद्यालय	भगतापुरा	1	श्री चांदमल (1–8–77)
3. ,,	,,	लिखमाकावास	1	श्री प्रतापसिंह (1–8–77)
4. ,,	,,	खोटिना	1	श्री हनुमानसिंह (1–8–77)
5. ,,	,,	त्रिलोकपुरा	1	श्री कल्याणबक्स माथुर (11–8–77)
6. ,,	,,	किशोरपुरा	1	श्री रामेश्वर प्रसाद (11–8–77)
7. ,,	,,	करजा खड़खड़ा	1	श्री ब्रज किशोर (1–8–77)
			1	श्री माधोसिंह (5–3–78)
8. ,,	,,	राजास	1	श्री जगमालसिंह (20–11–78)
			1	श्री सीताराम (11–8–78)
9. ,,	,,	चाचीवाद बड़ा	1	श्री मणिराम (11–8–77)
10. ,,	,,	चूड़ीमियान	1	श्री रामबक्स सिंह (16–12–78)
			1	श्री बनवारी लाल (11–8–78)
11. ,,	,,	बगड़ी	1	श्री जवाहर सिंह (20–11–78)
			1	श्री राधेश्याम (11–8–77)
12. ,,	,,	बीदसर	1	श्री गागराज (11–8–77)
			1	श्री नारायण सिंह (11–8–77)
13. ,,	,,	जांचास	1	श्री जगनाराम (31–12–78)
14. ,,	,,	टाटनवा	1	श्री माली राम (11–8–77)
15. ,,	,,	गुढ़ा	1	श्री भंवर सिंह (11–8–77)
16. ,,	,,	गोमावाली	1	श्री प्रभुदयाल (11–8–77)
			1	श्री चिरंजीलाल (14–8–78)
17. ,,	,,	ज्यानकीपुरा	1	श्री विश्वनाथ (1–8–77)
18. ,,	,,	ठिकरिया	1	श्री प्रीतम सिंह (11–8–77)
19. ,,	,,	बाजोर	1	श्री भोलूराम (1–7–78)
			1	श्री गणेश प्रसाद (17–9–77)
20. ,,	,,	नीम का थाना नं. 6	1	श्री मोहन लाल (11–8–77)
21. ,,	,,	मैई राजनपुरा	1	श्री शिव भगवान (11–8–77)
22. ,,	,,	अलफसर	1	श्री रामदेव (16–11–77)

सत्र 1977–78 में नवक्रमोन्नत माध्यमिक विद्यालय

क्र० सं०	नाम विद्यालय	स्वीकृत पद II ग्रेड	III ग्रेड पी० टी० आई०	अध्यापकों की नियुक्तियां सम्बन्धी विवरण
1	2	3	4	5
1.	मा० वि० कटराथल	5	1	श्री सोभाराम (16–12–77) श्री रतन सिंह (5–11–77), श्री अशोक कुमार (4–10–77) श्री जोनाराम (15–10–77) श्री बजरंग लाल (21–12–77) श्री जगदीश प्रसाद (19–11–78) श्री पावर मल ( ) पी० टी० आई।
2.	,, ,, रघुनाथ गढ़	5	1	श्री केशरमल (1–2–78) श्री सुभाषचन्द (8–9–78) श्री पितराम (11–8–77) श्री राधेश्याम (8–12–77) श्री दुर्गा प्रसाद (26–8–78) श्री बलदेव पी० टी० आई० (18–3–77)
3.	,, ,, चूडौली खाखोली	5	1	शबीर हुसैन (16–11–77) श्री प्रभुदयाल (1–2–78) श्री जगवीर सिंह (28–8–78) श्री भागीरथमल (8–8–77) रघुनाथ राम पी० टी० आई० (7–10–77) सेवाराम (2–10–78)
4.	,, ,, तारपुरा	5	1	श्री अर्जुन सिंह (10–10–77) श्री भंवरसिंह (21–12–77) श्री मूदेवसिंह (27–9–77) श्री गोपाल शर्मा (1–2–78) श्री महेन्द्र कुमार (23–8–78) श्री रामेश्वरलाल पी० टी० आई० (24–8–78)

203

Page No. 204

204

1	2	3	4	5
5.	,, ,, मण्डासुरेरा	5	1	श्री मन्शाराम (2–8–77) श्री सत्यनारायण (14–10–77) श्री केशरीमल (9–9–78) श्री ईश्वर चन्द (11–9–78) श्री घासी राम (18–2–78) श्री बजरंगलाल लावट पी०टी ग्राई० (15–10–77)
6.	,, ,, जाजोद (श्रीमाधोपुर)	5	1	श्री दुर्गासहाय (20–2–78) श्री द्वारका प्रसाद (26–10–77) श्री साधुराम (30–1–78) श्री बनवारीलाल (11–8–77) श्री जगदीश चन्द (31–8–78) श्री रामवतार लाटा (28–12–77) श्री राम गोपाल पी० टी० ग्राई० (12–12–77)
7.	,, ,, जाजोद (लक्ष्मणगढ़)	5	1	श्री केसरदेव (18-11-77) श्री राम जीवन (10–10–77) श्री बनवारीलाल (2–8–77) श्री तेजसिंह (17–12–77) ग्रब्दुल रसीद (20–10–77) श्री ग्रर्जुन लाल (3–10–77) श्री हरी सिंह पी० टी० ग्राई० 18–10–77)
8.	,, ,, हाथीदेह	5	1	श्री मदन लाल (13–8–77) श्री प्रहलाद राय (29–10–77) श्री मालीराम (31–1–78) श्री लक्ष्मीनारायण (2–9–78) श्री रामेश्वरदयाल गुप्ता (11–10–77) श्री प्रहलाद शर्मा पी०टी०ग्राई० (15–10–77)
9.	मा० वि०ठठेरा	5	1	श्री सोदान सिंह (15–8–77) श्री रामनारायण शर्मा (8–12–77) श्री कानसिंह (20–11–78) श्री चौथमल (13–7–78) श्री गिरधारीलाल (30–8–77) श्री मेक लेखराम घायल (15–11–79)
10.	,, ,, नांगल नाथूसर	5	1	श्री ग्रोमप्रकाश (6–10–77) श्री हनुमान सहाय गुप्ता (29–10–77)

1	2	3	4	5
				श्री रामनारायण (1-12-77) श्री शैतान सिंह (27-9-77) श्री चिरंजी लाल (6–12–77) श्री नन्द किशोर कौशिक (29–8–77) श्री सीताराम शर्मा पी०टी०आई० (10–1–78)
11.	मा०वि० ढाढ़ण	5	1	श्री गोपाल सिंह (2–8–77) श्री श्रीराम (14–10–77) श्री सीताराम (7–9–78) श्री पोखर सिंह (4–9–78) श्री भगवान लाल (11–8–78) श्री रिजपाल सिंह पी० टी० आई० (28–9–77)
12.	,, ,, चला	5	1	श्री शंकर सिंह (28–9–77) श्री प्रमुदयाल टेलर (3–10–77) श्री हनुमान प्रसाद (6–10–77) श्री मोहन लाल (15–10–77) श्री श्रीनिवास गर्ग (15–10–77) श्री मदन लाल योगी पी०टी० आई० (14–12–63)
13.	,, ,, गोरिया	5	1	श्री दुर्गाप्रसाद (12–12–77) श्री रामलाल गुप्ता (15–12–77) श्री गगन राम (3–10–77) श्री मालीराम वर्मा (3–1–78) श्री देवराम पी० टी० आई० (19–11–77) श्री फूल सिंह (9–9–78) श्री पोखर मल (20–11–78)

नवक्रमोन्नत विद्यालय सत्र 1978–79 में स्टाफ व्यवस्था विवरण पत्र

क्र०सं०	नाम विद्यालय	स्वीकृत पदों की संख्या II ग्रेड	III ग्रेड (पी. टी० आई)	अध्यापकों की व्यवस्था विवरण
1	2	3	4	5
1.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, मुण्डरू	3	1	श्री उदाराम (30–8–78) श्री जनार्दन (6–9–78) श्री रेखा राम (31-8-78) श्री किशार लाल–पी टी आई. (4–3–77)
2.	,, ,, महरोली	3	1	श्री सज्जनसिंह (5–1–78) श्री रिछपाल (7–10–78) श्री तैजसिंह (11–9–78) श्री हरिशंकर (15–11–76)
3.	,, ,, गढ़टकनेत	3	1	श्री रमेशकुमार (24–8–78) श्री बनवारी लाल (14–11–78) श्री रामबक्षसिंह (30–11–78) श्री घनश्याम (26–11–78)
4.	,, ,, श्री माधोपुर	3	1	श्री रामेश्वर लाल (2–9–78) श्री भैरूलाल (25–8–78) श्री सीताराम (28–8–78), श्री रूपनारायण, श्री बिहारी लाल (11–7–64)
5.	,, ,, गणेश्वर	3	1	श्री रामचन्दर सेवदा (17–8–78) श्री श्याम सुन्दर (25–8–78) श्री मूलचन्द (28–1–79) श्री कन्हैयालाल (25–11–78)
6.	,, ,, प्रीतमपुरी	3	1	श्री तुलसीराम (10–8–76) श्री हरिनारायण (19–9–78) श्री मोहनलाल (8–9–78) श्री पोखर मल (26–11–78)
7.	,, ,, चीपलाटा	3	1	श्री लाल सिंह (4–9–78) श्री जगनाराम (6–9–78) श्री शंकर लाल (28–9–78) श्री जगदीश नारायण (6–10–78) श्री उम्मेद सिंह (25–11–78)
8.	,, ,, सिरोही	3	1	श्री नन्दराम सिंह (28–8–78) श्री नारायण लाल (9–8–78) श्री कालीचरण (21–10–78) श्री मालीराम (8–10–78) श्री रामधन (26-11-78)

1	2	3	4	5
9. ,, ,, राजकीय माध्यमिक विद्यालय	दादिया रामपुरा	3	1	श्री रामकुमार (23–9–78) श्री रामचन्दर जाट (15–10–78) श्री मुरलीधर (20–11–78) श्री भागीरथ सिंह (16–12–78) श्री भाग चन्द (24–11–78)
10. ,, ,,	गांवड़ी	3	1	श्री कुरड़ाराम (30–8–78) श्री बंशीधर (11–9–78) श्री हरफूलसिंह (23–8–78) श्री लालाराम (26–11–78)
11. ,, ,,	कोटड़ी लुहारवास	3	1	श्री रमेश चन्द (24–8–78) श्री नन्दलाल (26–8–78) श्री मदनलाल (31–8–78) श्री नी चन्द (28–11–78)
12. ,, ,,	गुंगारा	3	1	श्री ईश्वरसिंह (1–9–78) श्री शमसुद्दीन (17–7–78) श्री ईश्वरसिंह (4–9–78) श्री बाबूलाल (25–11–78)
13. ,, ,,	धर्मशाला बेरी	3	1	श्री दीपाराम (8–9–78) श्री शेरसिंह (10–7–78) श्री बीरबल सिंह (20–1–78) श्री सुखलाल सिंह (11–7–78)

208

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी शिक्षा विभाग सीकर

उच्च प्राथ० विद्यालय जो सत्र 1978–79 में क्रमोन्नत हुई

क्र०सं०	नाम विद्यालय	स्वीकृत पद II ग्रेड	अध्यापकों की नियुक्ति सम्बन्धी विवरण
1.	उ. प्रा. वि. कोटरी (सिमारल्या)	I	श्री तुलसी राम—(30/8/78) श्री मुरलीधर – (30/8/78)
2.	,, ,, सरगोठ	I	श्री देवेन्द्र कुमार झा (5/9/78)
3.	,, ,, महवा	I	श्री बिहारी लाल (4/12/78)
4.	,, ,, मडोल	I	श्री जगभाल सिंह (30/8/78)
5.	,, ,, अजमेरी	I	श्री रामनिवास शर्मा (21/8/78)
6.	,, ,, कांसली	I	श्री भंवरलाल शर्मा (28/2/79)
7.	,, ,, नीमेड़ा	I	श्री दुर्गादत (8/9/78)
8.	,, ,, जुगूलपुरा	I	श्री नवल किशोर (11/9/78)
9.	,, ,, रेनावा	I	श्री धन्नी राम आर्य (12/1/79)
10.	,, ,, दौलतपुरा (ल. काबास)	I	श्री सीताराम शर्मा (1/9/78)
11.	,, ,, बिरानियां	I	श्री कन्हैयालाल (28/2/79)
12.	,, ,, राजपुरा (फतेहपुर)	I	श्री बच्चन सिंह (12/12/78)
13.	,, ,, सूल्यावास	I	श्री सीता राम (9/12/78)
14.	,, ,, मोरडूंगा	I	श्री भागीरथ सिंह (14/10/78)
15.	,, ,, जैयतुसर मालाकाली	I	श्री अमर सिंह (30/9/78)
16.	,, ,, मेजासर	I	श्री केशरदेव शर्मा (20/11/78)
17.	,, ,, राजपुरा (दातारामगढ़)	I	श्री नोरंग लाल (8/2/78)

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 561 की सूची)

वरियता सूची उद्योग अध्यापक (जिला—सीकर)

सत्र 1977–78

क्र०सं०	नाम आशार्थी मय पिता का नाम एवं पता	रोल नं०	जन्म तिथि	योग्यता रो०	प्रशि०	प्राप्तांक	जाति	वरियता नम्बर	विशेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	श्री गोरधन लाल रैंगर पुत्र श्री जमना लाल निवासी, वाया रींगस	4058/76	16–8–47	हा० सै०	है० क्राफ्ट	48.02	अनु० जाति	3	
2.	त्रिलोकी चन्द पुत्र श्री भोलाराम बलाई निवासी, आभावास बाँया बलारा सीकर	2160/77	14–12–47	सैकण्डरी	„	53.16	„	2	
3.	श्री आशाराम पुत्र श्री चुन्नी लाल जांगीड़ निवासी थोरासी पो० ओकवा सीकर	1986/77	8–9–51	„	„	61.97	„	1	
	सत्र 1978–79								
1.	श्री मदनगोपाल सैनी पुत्र श्री हनुमान प्रसाद मु० पो० दातारामगढ़, सीकर	1102/78	14–9–57	हा० सै०	„	71.58	„	1	
2.	श्री मदन सिंह सोलंकी पुत्र श्री गणेश सिंह	3048/78	15–5–50	„	„	69.54	„	2	
3.	श्री छोटू राम जाट पुत्र श्री नारायण राम मु०गोमावली ढाणी पो० हरयाका बाग	3009/78	23–4–51	„	„	65.135	„	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	श्री महेश कुमार शर्मा पुत्र श्री बनवारी सांवलपुरी, सीकर ।	2939/78	17–9–55	हा० सै०	है० क्राफ्ट	64.875	अनु०जाति	4	
5.	श्री रामावतार शर्मा पुत्र श्री प्रभुदयाल हांसपुर, सीकर ।	4034/76	19–4–56	„	„	63.93	„	5	
6.	श्री रामगोपाल पुत्र श्री बद्री लाल ।	2330/77	1–1–56	„	„	61 645	„	6	
7.	श्री रामचन्द्र पुत्र श्री लादूराम निवासी विजयपुरा, सीकर ।	3033/78	22–7–54	„	„	61.36	„	7	
8.	श्री ब्रह्मान्द पुत्र श्री रामकिशोर पिसरी नया भवन, नायकाम मो० लासोदर ।	2087/78	25–4–57	„	„	60.13	„	8	
9.	श्री सेवाराम पुत्र श्री नारायणराम लापुग्रा, सीकर ।	3384/78	1–7–58	„	„	59.905	„	9	
10.	श्री सूर्य मल पुत्र श्री धुनलराम	3020/78	2–8–55	„	„	59.155	„	10	
11.	श्री सूवालाल भाटी पुत्र श्री बालूराम निवासी, नांगल भीम, सीकर ।	2132/77	5–9–51	„	„	58.945	„	11	
12.	श्री प्रेम सिंह शेखावत पुत्र श्री सुलतानसिंह पुष्प नगर, सीकर ।	2177/77	1–8–52	„	„	58.66	„	12	
13.	श्री जगदीश प्रसाद हरिजन पुत्र श्री छोटूराम रैंगर निवासी हाथी देह, सीकर ।	2768/78	10–8–57	„	„	57.425	„	13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	श्री गोरी शंकर सैनी पुत्र श्री राधाकिशन नि० पुलिस मोहला-नीम का थाना ।	96/78	19–1–51	हा० सं०	है० क्राफ्ट	56.815	अनु०जाति	14	
15.	श्री बन्शीधर चौपड़ा पुत्र श्री भोमाराम निवासी भावण्डाखुद, सीकर	3312/78	4–7–51	,,	,,	56.79	,,	15	
16.	श्री मखनलाल कुमावत पुत्र श्री सूरजमल शान्ता कुंज, सौरा सीकर,	5121/78	28–8–51	,,	,,	56.20	,,	16	
17.	श्री मालीराम पुत्र श्री दोंनाराम जाट पो० सूरगोठ, सीकर	2971/78	2–4–53	,,	,,	55.845	,,	17	
18.	श्री द्वारका प्रसाद शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम पो० बांमरया वास, सीकर	2444/77	15–7–56	,,	,,	55.845	,,	18	
19.	श्री रामचन्द्र सिंह पुत्र श्री चुन्नी लाल गोठडा मेसाना, सीकर	3179/77	5–7–53	,,	,,	55.18	,,	19	
20.	श्री हरी शंकर शर्मा पुत्र श्री राधाकिशन शर्मा बागरिया वास, सीकर	2262/77	6–7–51	,,	,,	55.045	,,	20	
21.	श्री सोहन लाल बेंजारा पुत्र श्री नन्द लाल श्री माधोपुर, सीकर	5200/78	28–7–51	,,	,,	55.48	,,	21	
22.	श्री छोटूराम जागीड़ पुत्र श्री गंगाराम डांसरोली, सीकर	4988/78	1–7–55	,,	,,	54.30	,,	22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	श्री सांवत सिंह पुत्र श्री गोरूराम भाखडी, सीकर	1005/78	1–7–51	हा० सै०	है० क्राफ्ट	54.18	अनु०जाति	23	
24.	श्री बिरधी चन्द थावल पुत्र श्री रूड़मल निवासी कोटडी, थावलान	2756/78	14–7–52	,,	,,	53.735	,,	24	
25.	श्री रामचन्द्र सैनी पुत्र श्री पेमाराम निवासी आशा वस्ती डागी, सीकर	4012/76	1–1–50	,,	,,	53.64	,,	25	
26.	श्री आशा राम रेगर पुत्र श्री कजोड़मल खयुपराल जनगीर, सीकर	2762/78	1–8–54	,,	,,	59.905	,,	26	
27.	श्री गणपतलाल जोगी पुत्र श्री चन्दर राम, मु० पो हासपुर	4035/76	8–1–53	,,	,,	52.25	,,	27	
28.	श्री भीमराज सैनी पुत्र श्री गणपतराम सैनी ढाणी बिजियावाली, सीकर	3086/77	7–7–53	,,	,,	53.19	,,	28	
29.	श्री श्रीरामावतार शर्मा पुत्र श्री हरदयाल शर्मा मु० पो० पियलपुर, सीकर	571/78	15–5–56	,,	,,	52.585	,,	29	
30.	श्री दानाराम सेवदा पुत्र श्री पदमाराम मु० पो० वारिजा, सीकर	2708/78	2–7–57	,,	,,	52.34	,,	30	
31.	श्री रतन सिंह मड़वा पुत्र श्री भैरूदान सिंह मु० पो मारनी, श्री माधोपुर	3455/77	1–3–51	,,	,,	52.22	,,	31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	श्री रामनारायण जाट पुत्र श्री धन्नाराम जाट मु० पो० विवाड़ी	2955/78	25–11–54	हा० सै०	है० कापट	52.04	अनु०जाति	32	
33.	श्री त्रिलोक चन्द बलाई पुत्र श्री भोलूराम बलाई मु० पो० बडवास, सीकर	2160/77	14–12–47	,,	,,	52.025	,,	33	
34.	श्री रतनलाल बलाई पुत्र श्री बालुराम बलाई मु० पो० नांगल भीम	2951/78	2–7–57	,,	,,	51.747	,,	34	
35.	श्री बांवराम सैनी पुत्र श्री हनुमान प्रसाद सैनी ढाणी खेड़ी कोठी, चौकड़ी	3019/78	15–1–54	,,	,,	50.90	,,	35	
36	श्री राजेन्द्र प्रसाद भातरा पुत्र श्री बनवारीलाल मु० पो० रींगस	4192/76	25–6–55	,,	,,	50.895	,,	36	
37.	श्री भगवानाराम पुत्र श्री कजोड़मल बलाई नि० चावलोदा लाडखाना, सीकर	2027/78	4–5–51	,,	,,	50.52	,,	37	
38.	श्री रूड़मल धायल पुत्र श्री कल्लूराम मु० पो० कोठड़ी धायलान	2665/78	10–10–52	,,	,,	50.145	,,	38	
39.	श्री मखनलाल पुत्र श्री मालीराम, ढाणी ड्योडीवाली, सीकर	4036/76	7–10–52	,,	,,	50.885	,,	39	
40.	श्री रघुनाथ प्रसाद जाट पुत्र श्री मुरलीधर जाट, ढाणी बरखड़ी, सीकर	4414/77	8–5–52	,,	,,	48.27	,,	40	
41.	श्री प्रभाती लाल सैनी पुत्र श्री रघुनाथ सैनी, मु० ढाणी थोड़ी मण्डरू	4556/77	6–7–52	,,	,,	49.04	,,	41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42.	श्री भंवरसिंह शेखावत पुत्र श्री पदमसिंह निवासी कोटड़ी, घायलांन	2793/78	1–4–52	हा० सै०	है० क्राफ्ट	47.75	अनु०जाति	42	
43.	श्री मोहनलाल सैनी पुत्र श्री मांगुराम सैनी ढाणी गोल्यावाली, हांसपुर	3409/77	5–1–53	,,	,,	46.855	,,	43	
44.	श्री प्रहलाद नारायण यादव पुत्र श्री भगवान सहाय, ग्राम मावड़ी, सीकर	3202/78	2–7–51	प्री०यू०सी०	,,	45.54	,,	44	
45.	श्री बंशीधर यादव पुत्र श्री भगवानाराम ग्राम माकड़ी	3133/78	8–5–49	हा० सै०	,,	42.655	,,	45	

परिशिष्ट 6

अतारांकित प्रश्न सं. 565 की सूची

जिला बांसवाड़ा में गृह निर्माण सहकारी समिति लि०

क्र० सं०	नाम सहकारी समिति	क्षेत्र	दिनांक पंजीयन
1.	बांसवाड़ा गांधी गृह निर्माण स० स०	बांसवाड़ा क्षेत्र	12–7–71
2.	,, दलित वर्ग ,, ,,	,,	17–8–71
3.	,, आदिम जाति ,, ,,	,,	9–2–72
4.	,, श्री महावीर ,, ,,	,,	23–12–74
5.	इन्दिरा गृह ,, ,,	,,	29–6–73
6.	जनता गृह ,, ,,	,,	21–7–58
7.	बांसवाड़ा गृह नि० स०	,,	23–12–57
8.	आदर्श गृह नि० स०	,,	26–7–71
9.	हाटकेशवर निर्माण समिति	,,	29–6–73
10.	एकलिंग नाथ भवन निर्माण समिति	,,	12–5–72
11.	बांसवाड़ा मदान गृह ,,	,,	3–10–77
12.	टिकरिया गृह निर्माण स० स०	पं० स० तलवाड़ा	23–10–72
13.	सुरवानिया श्री महावीर हरिजन गृ० स०	,,	23–12–74
14.	बोरतलाब गृह निर्माण स० स०	,,	23–3–75
15.	तलवाड़ा गृह निर्माण	,,	23–10–72
16.	नाल्दा ,,	,,	30–9–75
17.	सिंगोलिया गढ़ा	,,	25–10–75
18.	शास्त्री गृह नि० स०	,,	10–8–72
19.	छीछ० गृह नि० स०	पं० स० बामीडोरा	8–8–72
20.	करजी ,,	,,	25–3–75
21	दानपुर आदर्श ,,	पीपलखूट	28–3–73
22.	फेफर आदर्श ,,	,,	23–3–73
23.	मूखिया आदिम जाति ,,	मूखिया	19–3–75
24.	घाटोल गृह नि० स०	,, घाटोल	26–8–72
25.	हरो आदिवासी गृ० नि०	,,	10–3–75
26.	सिलधिया (काकाजी का गड़ा)	,,	10–3–75
27.	सागधली आदिवासी गृ० नि०	,,	25–3–75
28.	घाणी लाम्बा पीपल गृ० नि०	,,	25–3–75
29.	भारखा वापू नि०	,,	10–3–75
30.	नवाधादर आदिवासी गृ०	घड़ी	27–11–72
31.	हड़ूका आदिम जाति ,,	,,	13–2–73
32.	अंजना गृह नि०		10–3–75
33.	गढी क्षेत्रीय ,,	,,	5–2–73

1	2	3	4
34.	परतापुर शास्त्री गृह नि०	घड़ी	23–1–73
35.	बोरी गृह नि.	,,	10–3–75
36.	ताम्बेसरा गृ.	सज्जनगढ़	10–3–75
37.	रवुन्दीनीहाला ,, ,,	,,	10–3–75
38.	सज्जनगढ़	,,	10–3–75
39.	घनपुरा	,,	10–3–75
40.	तागवा आदिवासी	,,	20–3–75
41.	गोदावारा नोरहेग	,,	24–3–75
42.	राढ धनराज ,,	,,	24–3–75
43.	इटाला	,,	25–3–75
44.	रोहनिया रामसिंह	,,	25–3–75

प्रश्न संख्या 2 के अनुसार पंचायत समिति सज्जनगढ़ में गृह निर्माण सहकारी समितियों की सूची:—

	स्वीकृत ऋण	भवनों की सं.	रिलिज किश्तों की राशि	किश्त
1. ताम्बे सरागृह निर्माण सहकारी समिति लि.	1,36,000/–	34	1,18,000/–	अन्तिम किश्त 19 सदस्यों की
2. स्वुन्दनीहाला ,, ,,	88,000/–	22	88,000/–	अन्तिम किश्त
3. सज्जनगढ़ ,, ,,	68,000/–	17	47,600/–	द्वितीय किश्त
4. धनपुरा ,, ,,	68,000/–	17	47,600/–	द्वितीय किश्त
5. सागवा आदि ,, ,,	96,000/–	24	28,800/–	प्रथम किश्त के दोनों भाग
6. गोदावाड़ा नारेहा ,,	72,000/–	18	21,600/–	,,
7. राढ़धनराज ,, ,,	68,000/–	18	6,800/–	प्रथम किश्त का प्रथम भाग
8. ईटाला ,, ,,	80,000/–	20	24,000/–	प्रथम किश्त के दोनों भाग
9. रोहनिया रामसिह ,,	72,000/–	18	50,400/–	द्वितीय किश्त

परिशिष्ट 7

अतारांकित प्रश्न संख्या 572

अभियोग में अनुसंधान दिनांक 15–7–78 से श्री रामजीलाल, सहायक उप निरीक्षक द्वारा आरम्भ किया गया तथा निम्नांकित व्यक्तियों से जांच की गई।

श्री रामजीलाल, स० उ० नि०	15–7–78	श्री सरदार सिंह, बनाम कुंवर, श्रीमती ओम कुंवर, कैलाश प्रसाद
”	17–7–78	श्री दुर्गा सिंह
”	18–7–78	श्री दयाल चन्द, श्री सूजा
”	21–7–78	श्री गोपी
”	22–7–78	श्री इनरया, ओम प्रकाश
”	24–7–78	श्री प्रकाश, श्री रमेश
”	27–7–78	श्री पूरण, श्री तिवारी, श्री हीरालाल, प्रहलाद, श्री पंचम, श्री कालेश्वर, संजुसाह, रमेश, श्री बाबू लाल
”	2–8–78	श्री मोती, बाबू
”	10–8–78	श्री रतना।
श्री यज्ञनारायण सिंह, निरीक्षक	20–8–78	श्री अमर सिंह।
श्री रामजीलाल स० उ० नि०	30–8–78	श्री दयानन्द, दीपचन्द
”	11–9–78	श्री प्रभू
”	15–9–78	श्री ओम प्रकाश, मालीराम, शंकर, मोती सिंह
”	21–9–78	श्री गोपीराम बलाई, पांचूराम, भगवान सहाय
”	16–10–78	श्री रामबाबू, फकीर चन्द
”	17–10–78	श्री रामबाबू, मूलचन्द, जगदीश गिरधारी लाल, बहादुर सिंह।
”	18–10–78	श्री सत्यनारायण।
कन्हैयालाल स० उ० नि० 24–1–79 से	1–2–79	श्री अब्दुल शकूर, बाबूलाल मीणा पुत्र समुद्र सिंह, बाबूलाल पुत्र भोपचन्द।
	21–2–79	सुवा, गोपाल सिंह।
श्री रामभजन सिंह, एस.एच.ओ.	23–2–79	एफ० आर० दी गई।

परिशिष्ट 8

अतारांकित प्रश्न सं० 580 का नियम

The Rajasthan Excise Rules. 1956.,

Rule 75 Location of Spops.

(1) A licence for the retail sale of country liquor or hamp drugs shall have his shop only at a place approved by the District Excise Officer.

(2) A shop for the retail sale of country liquor shall not be located:—

(a) in close proxinity to a collegiate educational institutions, hospital, dispensary or place of worship or public entertainment or public rasort; or

(b) in the neighbourhood of the factory or a labour or Harijan colony.

Explanation:— For the purpose of "clause of the sub-rule (2) of Rule 75,a Harijan Colony" shall mean a municipal ward in which population of persone belonging to scheduled castes according to the latest census exceeds fifty percent of the total population of that ward.

220

परिशिष्ट 9

अतारांकित प्रश्न सं० 590 की सूची

विधान सभा क्षेत्र दांता रामगढ़ में वर्ष 1978–79 तक स्वीकृत गावों की सूची

क्र० सं०	ग्राम का नाम	आबादी
1.	रामगढ	4073
2.	दौसा	8022
3.	दांता	
4.	रानोली	7033
5.	सवाईपुरा	754
6.	कोचोर	2130
7.	घोलासरी	458
8.	पुनियाणा	366
9.	नथुनाथपुरा	409
10.	भगवानपुरा	487
11.	दांतला	493
12.	खारीयावास	151
13.	कुला	1958
14.	खाचरियावास	3629
15.	दूकिया	1600
16.	मुडा	2493
17.	सुरेरा	1627
18.	आलोदा	1675
19.	खाटू	4861
20.	पलसाना	5685
21.	श्यामपुरा	1266
22.	मदनी	927
23.	गोरधनपुरा	852
24.	तलाना	917

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 594 की सूचना

अतारांकित प्रश्न संख्या 64। पं० मं० के भाग (2) की सूची

शेष आवास गृहों में जो व्यक्ति रहते हैं उनका विवरण निम्न प्रकार है:—

नाम कर्मचारी	विभाग का नाम	पद
1. श्री देवेन्द्रपाल सिंह	शिक्षा विभाग	शारीरिक प्रशिक्षक
2. ,, काशीनाथ शर्मा	राजस्व विभाग	नायब तहसीलदार
3. ,, टोडर सिंह	कृषि विभाग	सहायक कृषि अधिकारी
4. श्रीमती राजवती शिशोदिय।	शिक्षा विभाग	अध्यापिका
5. श्री त्रिलोक चन्द दुआ	पंजाब नेशनल बैंक	मैनेजर

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आवास गृह वर्तमान में रिक्त है। रिक्त आवास गृह निम्न प्रकार से आवंटित हैं:—

क्वाटर नं० 2 :–माह दिसम्बर 78 तक श्री नफे सिंह सहकारिता प्रसार अधिकारी के नाम आवंटित था परन्तु इसमें श्री देवेन्द्रपाल ही रहते थे। श्री नफे सिंह का स्थानान्तरण हो जाने के बाद श्री देवेन्द्रपाल ने इसे खाली नहीं किया है। जनवरी, 1979 से बिना आवंटन के अनाधिकृत रूप से रह रहे हैं। खाली करने का नोटिस भी दिया गया है किन्तु खाली नहीं किया है।

क्वाटर नं० 6 :–यह निवास गृह इसी पंचायत समिति की प्रा० शा० कुम्हेर हाल प्रा० शाला सूरोता में कार्यरत अध्यापक श्री श्रीचन्द के नाम आवंटित है। आवंटित दिनांक से ही श्री काशीनाथ जी इसमें रह रहे है।

क्वाटर नं० 7 :–यह निवास गृह श्री टोडरसिंह कृषि प्रसार अधिकारी के नाम से आवंटित है। पूर्व में यह इसी पंचायत समिति में कृषि प्रसार अधिकारी थे। मार्च, 1978 से कृषि विभाग में चले गये हैं।

क्वाटर नं० 8 :–यह निवास गृह श्रीमती राजवती शिशोदिया के नाम आवंटित है। वही निवास कर रही हैं।

क्वाटर नं० 9 :–यह निवास गृह इसी पंचायत समिति में कार्यरत अध्यापक श्री परसराम गुप्ता के नाम आवंटित है किन्तु इसमें श्री त्रिलोकचन्द दुआ का परिवार निवास कर रहा है।

परिशिष्ट 11

अतारांकित प्रश्न संख्या 596 की सूची

अतारांकित प्रश्न संख्या 501 पं० मं० द्वारा श्री करतारसिंह, सदस्य विधान सभा के भाग प्रथम से संबंधित सूचना ।

क्र० सं.	नाम जिला	पूर्ण कार्यों की संख्या	प्रगति पर कार्यों की संख्या
1.	बीकानेर	171	256
2.	चूरू	110	517
3.	गंगानगर	43	226
4.	अलवर	710	1,399
5.	भरतपुर	498	1,163
6.	झुन्झूनूं	1,160	1,585
7.	सवाईमाधोपुर	848	1,291
8.	सीकर	665	1,909
9.	जयपुर	1,884	3,374
10.	टोंक	268	354
11.	अजमेर	1,478	1,824
12.	बाड़मेर	14	129
13.	जैसलमेर	–	53
14.	जालौर	246	219
15.	जोधपुर	334	834
16.	नागौर	103	993
17.	पाली	580	1,184
18.	सिरोही	125	704
19.	बूंदी	196	1,143
20.	झालावाड़	248	804
21.	कोटा	67	1,592
22.	बांसवाडा	237	446
23.	भीलवाडा	880	826
24.	चितौडगढ़	58	851
25.	डूंगरपुर	29	222
26.	उदयपुर	300	1,600
	योग	11,252	25,568

परिशिष्ट 12

अतारांकित प्रश्न सं० 598 की सूची

क्रमांक	नाम कर्मचारी	पद जिस पर कार्यरत था	पद पर नियुक्ति की तिथि
1.	श्री मोहनलाल बोल्या	परवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी	1–3–74
2.	श्री रामस्वरूप पाण्डेय	छात्रावास अधीक्षक, प्रथम श्रेणी	7–7–73
3.	श्रीमती विजय लक्ष्मी तिवाड़ी	सहायक अधीक्षिक	25–5–75
4.	,, कुमुद गुप्ता	अन्वेषक	23–5–74
5.	,, विमला पारीक	सहायक अधीक्षिका	11–5–74
6.	श्री श्यामलाल मेनारिया	छात्रावास अधीक्षक, प्रथम श्रेणी	13–9–73
7.	श्री राजमल जैन	कल्याण निरीक्षक	20–5 74
8.	श्री भंवरलाल वर्मा	पोषाहार निरीक्षक	12–6–74
9.	श्री रेवत सिह चौहान	अन्वेषक	15–8–74
10.	श्री शक्ति सिह	पोषाहार निरीक्षक	25–5–75
11.	श्री मांगीलाल मीणा	छात्रावास अधीक्षक, प्रथम श्रेणी	13–6–74
12.	श्री कजोड मल	,, ,,	27–4–74
13.	श्री बद्री प्रसाद यादव	पोषाहार निरीक्षक	16–2–74

क्रम संख्या 3, 4, 5, 6 पर दर्शाये गये कर्मचारियों का चयन अब राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा किया जा चुका है। आयोग की सिफारिश पर इन्हें अधीनस्थ सेवा नियम 1963 के ग्रुप. ब. के पदों पर नियुक्ति दे दी गई है। क्रम संख्या 1 एवं 2 पर बताये गये कर्मचारियों का चयन भी आयोग द्वारा किया जा चुका है परन्तु किन्हीं प्रमाण पत्रों के अभाव में आयोग द्वारा क्लीयरेन्स नहीं दिया गया है। क्लीयरेन्स प्राप्त होते ही इन्हें भी नियुक्ति दे दी जावेगी। क्रम संख्या 11 व 12 पर दर्शाये गये कर्मचारियों का चयन चूंकि आयोग द्वारा नहीं किया गया है। अत: इन्हें विभाग में अतिरेक घोषित करते हुये सामान्य प्रशासन विभाग को भिजवाने की कार्यवाही की जारही है।

शेष कर्मचारियों की नियुक्तियों को नियमित करने अथवा उन्हे उनके मूल पदों पर पद स्थापित करने की कार्यवाही शीघ्र किया जाना विचाराधीन है।

———

224

परिशिष्ट 13

अतारांकित प्रश्न सं० 599 की सूची

पंचायत समिति कोलायत (बीकानेर) में संचालित आयुर्वेद औषधालयों की सूची।		पंचायत समिति बीकानेर में संचालित आयुर्वेद औषधालयों की सूची।	
1.	कौलासर	1.	दन्सीर
2.	अकासर	2.	पूगल
3.	झझू	3.	अमरपुरा
4.	खीदासर	4.	सगसर
5.	बींठनोक	5.	छत्रगढ़
6.	गुढा	6.	जेमसर
7.	गिराजसर	7.	मालासर
8.	बीकमपुर	8.	सींथल
9.	गांटू	9.	बेलासर
10.	बेरासर	10.	रामसर
11.	माणकसर (आर. सी. पी. पीटेरा)	11.	केसरदेसर जाटान
12.	बरसतपुर	12.	रिडमलसर
13.	बज्जू		
14.	स्यिाणां—होम्योपैथिक औषधालय		